Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

International Year of Cooperatives 2025
Cooperatives Build a Better World

वार्षिक रिपोर्ट

2024-25

सत्यमेव जयते

Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

सहकारिता मंत्रालय

Ministry of Cooperation

भारत सरकार

Government of India

"सहकार से समृद्धि"

प्रस्तावना

वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2024-25 के दौरान सहकारिता मंत्रालय द्वारा की गई पहलों, उपलब्धियों और रणनीतिक हस्तक्षेप का एक व्यापक विवरण प्रस्तुत करती है। यह भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास के एक सशक्त स्तंभ के रूप में सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देकर "*सहकार से समृद्धि*" की परिकल्पना को साकार करने के लिए मंत्रालय की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

मंत्रालय ने पिछले एक वर्ष में, संरचनात्मक हस्तक्षेप, डिजिटल परिवर्तन और नीतिगत नवाचारों के माध्यम से सहकारी परितंत्र को सशक्त करने के लिए व्यापक सुधार किए हैं। यह रिपोर्ट मंत्रालय और इसके अधिदेश तथा सहकारी समितियों के विकास के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने के अपने मिशन के अवलोकन के साथ प्रारंभ होती है।

प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (पैक्स) का आधुनिकीकरण करके, कई सरकारी योजनाओं के साथ उनके अभिसरण को सक्षम करके और निर्यात, बीज और जैविक उपज जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई पीढ़ी की सहकारी समितियों को बढ़ावा देकर सहकारी नेटवर्क को गहन और विस्तारित करने पर विशेष बल दिया गया है। पैक्स कम्प्यूटरीकरण, पैक्स को कॉमन सेवा केंद्रों (CSC) के रूप में परिचालन, एलपीजी वितरण में उनकी भूमिका का विस्तार, ग्रामीण अवसंरचना और सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के कार्यान्वयन जैसी पहलों के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रगति प्राप्त हुई है।

सुविज्ञ निर्णय लेने और अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालय ने राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के कार्य में तेजी लाई है और सहकारी समितियों के बीच प्रतिस्पर्धी विकास का मूल्यांकन और प्रोत्साहन करने के लिए सहकारी रैंकिंग फ्रेमवर्क शुरू किया है। इसके अलावा, सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, और राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद जैसे संस्थानों को सशक्त करने के लिए कदम उठाए गए हैं, जिससे इस क्षेत्र की संस्थागत क्षमता में वृद्धि हुई है।

Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

मंत्रालय ने सहकारी आंदोलन में भारत की वैश्विक उपस्थिति बढ़ाने के अपने प्रयासों को भी जारी रखा है। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एलायंस (ICA) और कृषि सहकारी समितियों के विकास के लिए नेटवर्क जैसे प्लेटफार्मों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ सक्रिय सहभागिता ने विश्व स्तर पर सहकारी उत्कृष्टता को आगे बढ़ाने में भारत की नेतृत्व भूमिका को सशक्त किया है।

इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित 'अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025' पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जो विश्व के सामने भारत की सहकारी उपलब्धियों के प्रदर्शन का एक ऐतिहासिक अवसर है। मंत्रालय ने इस

ऐतिहासिक वर्ष को प्रभावशाली अभियानों और वैश्विक सहभागिता के साथ मनाने के लिए एक व्यापक कार्य योजना और क्षेत्रीय रणनीति तैयार की है।

यह रिपोर्ट शिकायत निवारण, सतर्कता, आरटीआई मामलों, राजभाषा कार्यान्वयन और लैंगिक-संवेदनशील कार्यस्थलों को बढ़ावा देने में मंत्रालय के प्रयासों पर भी प्रकाश डालती है। इसमें प्रमुख बजटीय हस्तक्षेप, नीतिगत सुधारों और आउटरीच कार्यकलापों का दस्तावेजीकरण किया गया है, जिन्होंने सहकारिता क्षेत्र को अधिक जीवंत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार बनाने में योगदान दिया है।

हमारा विश्वास है कि यह वार्षिक रिपोर्ट नीति निर्माताओं, सहकारी संस्थानों, शोधकर्ताओं और नागरिकों के लिए एक मूल्यवान संसाधन के रूप में कार्य करेगी, जो प्रगति और आगे की राह की स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करेगी। सहकारिता की शक्ति के माध्यम से मंत्रालय एक साथ मिलकर अधिक समावेशी और समृद्ध भारत की ओर बढ़ रहे हैं।

सत्यमेव जयते
Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

संक्षेपाक्षरों की सूची

क्रम सं.	संक्षेपाक्षर	संपूर्णाक्षर
1.	एएआरडीओ AARDO	अफ्रीकन एशियन रुरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन African Asian Rural Development Organization
2.	एबीएम ABM	कृषि व्यवसाय प्रबंधन Agri-Business Management
3.	एईपीएस AePS	आधार सक्षम भुगतान प्रणाली Aadhaar Enabled Payment System
4.	एएचआईडीएफ AHIDF	पशुपालन अवसंरचना विकास निधि Animal Husbandry Infrastructure Development Fund
5.	एआईसीटीई AICTE	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद All India Council for Technical Education
6.	एआईएफ AIF	कृषि अवसंरचना कोष Agriculture Infrastructure Fund
7.	एएमआई AMI	कृषि विपणन अवसंरचना योजना Agricultural Marketing Infrastructure Scheme
8.	एपीसीएमसी APCMC	एशिया प्रशांत सहकारिता मंत्रियों का सम्मेलन Asia Pacific Cooperative Ministers' Conference
9.	एआरडीबी ARDB	कृषि और ग्रामीण विकास बैंक Agriculture and Rural Development Bank
10.	एएस एण्ड एफए AS&FA	अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार Additional Secretary & Financial Advisor
11.	बी2बी B2B	बिज़नेस-टू-बिज़नेस Business to Business
12.	बी2सी B2C	बिज़नेस-टू-कंज्यूमर Business to Consumer
13.	बीबीएसएसएल BBSSL	भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड Bharatiya Beej Sahakari Samiti Limited
14.	बीओएम BoM	प्रबंधन बोर्ड Board of Management
15.	सीएएस CAS	कॉमन लेखांकन प्रणाली Common Accounting System
16.	सीसी2 CC2	कंबाइंड कैटेगरी 2 Combined Category 2
17.	सीसीएम CCM	सहकारी प्रबंधन केंद्र Centre for Cooperative Management

सत्यमेव जयते
Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय

18.	सीसीआर CCR	सहकारी अनुसंधान समिति Committee on Cooperative Research
19.	सीईए CEA	सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण Cooperative Election Authority
20.	सीईडी CED	उद्यमिता विकास केंद्र Centre for Entrepreneurship Development
21.	सीईएफ CEF	सहकारी शिक्षा निधि Cooperative Education Fund
22.	सीईआरटी-इन CERT-in	भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल Indian Computer Emergency Response Team
23.	सीजीएमएफपीएफईडी CGMFPFED	छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्या. Chhattisgarh State Minor Forest Produce Cooperative Federation
24.	सीजीएस CGS	लैंगिक अध्ययन केंद्र Centre for Gender Studies
25.	सीजीटीएमएसई CGTMSE	सूक्ष्म और लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises
26.	सीआईसीटीएबी CICTAB	सेंटर फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन एण्ड ट्रेनिंग इन एग्रीकल्चरल बैंकिंग Centre for International Cooperation & Training in Agricultural Banking
27.	सीआईआरडीएपी CIRDAP	सेंटर ऑन इंटीग्रेटेड रुरल डेवलपमेंट फॉर एशिया एण्ड द पैसिफिक Centre on Integrated Rural Development for Asia and the Pacific
28.	सीआईटी CIT	सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र Centre for Information Technology
29.	सीएमई CME	प्रबंधन शिक्षा केंद्र Centre for Management Education
30.	सीओ CO	सहकारी ऑम्बड्समैन Cooperative Ombudsman
31.	सीओबीआई COBI	कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड Cooperative Bank of India Limited
32.	सीपीजीआरएएमएस CPGRAMS	केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली Centralised Public Grievance Redress and Monitoring System
33.	सीआरसीएस CRCS	सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक Central Registrar of Cooperative Societies
34.	सीआरएफ CRF	कोऑपरेटिव रैंकिंग फ्रेमवर्क Cooperative Ranking Framework (CRF)

Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

35.	सीआरपी CRP	अनुसंधान और प्रकाशन केंद्र Centre for Research & Publication
36.	सीआरआरडीएफ CRRDF	सहकारी पुनर्वास पुनर्गठन और विकास निधि Cooperative Rehabilitation Reconstruction & Development Fund
37.	सीएससी CSC	कॉमन सेवा केंद्र Common Service Centre
38.	सीएससी एसपीवी CSC SPV	कॉमन सर्विस सेंटर स्पेशल पर्पज़ व्हीकल Common Service Centre Special Purpose Vehicle
39.	सीएसएम CSM	सहकारी चीनी मिल Cooperative Sugar Mills
40.	सीवीओ CVO	मुख्य सतर्कता अधिकारी Chief Vigilance Officer
41.	डीएआरपीजी DARPG	प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग Department of Administrative Reforms and Public Grievances
42.	डीसीसीबी DCCBs	जिला केंद्रीय सहकारी बैंक District Central Cooperative Banks
43.	डीआईडीएफ DIDF	डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि Dairy Processing & Infrastructure Development Fund
44.	ईबीपी EBP	एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम Ethanol Blending Programme
45.	ईआरपी ERP	एंटरप्राइज़ रिसोर्स प्लानिंग Enterprise Resource Planning
46.	ईएसजी ESG	पर्यावरण, सामाजिक, शासन Environmental, Social, Governance
47.	एफएओ FAO	फूड एण्ड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइज़ेशन Food and Agriculture Organization
48.	एफएफपीओ FFPO	मत्स्य किसान उत्पादक संगठन Fish Farmer Producer Organization
49.	एफएचटीसी FHTC	फंक्शनल हाउसहोल्ड टेप कनेक्शन Functional Household Tap Connection
50.	एफआईडीएफ FIDF	मात्स्यिकी और जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि/ फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development
51.	एफआईएसएचसीओपीएफईडी FISHCOPFED	नेशनल फेडरेशन ऑफ फिशरमेंस कोऑपरेटिव लिमिटेड National Federation of Fishermen's Cooperatives Limited
52.	एफपीओ	किसान उत्पादक संगठन

Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

	FPOs	Farmer Producer Organizations
53.	एफपीएस FPS	उचित मूल्य की दुकान Fair Price Shop
54.	एफएसडब्ल्यूएम FSWM	वित्तीय सुदृढ़ और सुव्यवस्थित Financially Sound and Well Managed
55.	जीबीपीयूएटी GBPUAT	गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय Govind Ballabh Pant University of Agriculture and Technology
56.	जीसीएमएमएफ GCMMF	गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation
57.	जीडीपी GDP	सकल घरेलू उत्पाद Gross Domestic Product
58.	जीईएम GeM	गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस Government e-Marketplace
59.	जीओआई GOI	भारत सरकार Government of India
60.	जीवीए GVA	ग्रॉस वैल्यू ऐडेड/ सकल मूल्य वर्धन Gross Value Added
61.	एचवाईवी HYV	उच्च उपज वाली किस्में High Yielding Variety
62.	आईएआरआई IARI	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान Indian Agricultural Research Institute
63.	आईसीए ICA	इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस International Cooperative Alliance
64.	आईसीएआर ICAR	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद Indian Council of Agricultural Research
65.	आईसीएआर-आईआईएमआर ICAR-IIMR	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद - भारतीय कदन्न अनुसंधान संस्थान Indian Council of Agricultural Research - Indian Institute of Millets Research
66.	आईसीबीए ICBA	इंटरनेशनल कोऑपरेटिव बैंकिंग एसोसिएशन International Cooperative Banking Association
67.	आईसीएम ICM	सहकारी प्रबंधन संस्थान / इंस्टीट्यूट ऑफ को-ऑपरेटिव मैनेजमेंट Institute of Co-operative Management
68.	आईसीआरआईएसएटी ICRISAT	इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी-एरिड ट्रॉपिक्स International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics
69.	आईसीएसएसआर ICSSR	भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद Indian Council of Social Science Research

70.	आईसीटी ICT	सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी Information and Communication Technology
71.	इफको IFFCO	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड Indian Farmers' Fertilizer Cooperative Limited
72.	आईआईएमके IIMK	भारतीय प्रबंध संस्थान कोझिकोड Indian Institute of Management Kozhikode
73.	आईएलओ ILO	अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन/ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन International Labour Organization
74.	आईएमसी IMC	अंतर-मंत्रालयी समिति Inter-Ministerial Committee
75.	आईएनएम INM	इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट Integrated Nutrient Management
76.	आईआरएमए IRMA	इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आणंद Institute of Rural Management Anand
77.	आईवाईसी IYC	अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष International Year of Cooperatives
78.	जेजेएम JJM	जल जीवन मिशन Jal Jeevan Mission
79.	जेएलजी JLG	संयुक्त देयता समूह Joint Liability Group
80.	केसीसी KCC	किसान क्रेडिट कार्ड Kisan Credit Card
81.	कृभको KRIBHCO	कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड Krishak Bharati Cooperative Limited
82.	एलआईएफआईसी LIFIC	लिनाक-एनसीडीसी फिशरीज बिज़नेस इनक्यूबेशन सेंटर LINAC-NCDC Fisheries Business Incubation Centre
83.	लिनाक LINAC	लक्ष्मणराव इनामदार राष्ट्रीय सहकारिता अनुसंधान एवं विकास अकादमी Laxmanrao Inamdar National Academy for Cooperative Research and Development
84.	एमडीसीएस MDCS	बहुउद्देशीय डेयरी सहकारी समिति Multi-Purpose Dairy Cooperative Society
85.	एमईआईटीवाई MeitY	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय Ministry of Electronics and Information Technology
86.	एमएफसीएस MFCS	बहुउद्देशीय मात्स्यिकी सहकारी समिति Multi-Purpose Fishery Cooperative Society
87.	एमआईडीएच MIDH	एकीकृत बागवानी विकास मिशन Mission for Integrated Development of Horticulture

88.	एमआईएस MIS	मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम Management Information System
89.	एमएलआई MLI	सदस्य ऋणदाता संस्थान Member Lending Institution
90.	एमओएएफडब्ल्यू MoAFW	कृषि एवं किसान कल्याण विभाग Ministry of Agriculture & Farmers Welfare
91.	एमओपीएनजी MoPNG	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय Ministry of Petroleum and Natural Gas
92.	एमओएसपीआई MoSPI	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय Ministry of Statistics and Programme Implementation
93.	एमपीएसीएस MPACS	बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियाँ Multi-Purpose Primary Agricultural Credit Society
94.	एमपीसीएस MPCS	बहुउद्देशीय प्राथमिक सहकारी समितियां Multi-Purpose Primary Cooperative Societies
95.	एमएससीएस MSCS	बहुराज्य सहकारी समिति Multi-State Cooperative Society
96.	एमएसएमई MSME	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises
97.	एमटी MT	मीट्रिक टन Metric Tonne
98.	नाबार्ड NABARD	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक National Bank for Agriculture and Rural Development
99.	एनएएफसीएआरडी NAFCARD	नेशनल कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एवं रूरल डेवलपमेंट बैंक्स फेडरेशन लिमिटेड National Cooperative Agricultural & Rural Development Banks Federation Limited
100.	एनएएफसीयूबी NAFCUB	नेशनल फ़ेडरेशन ऑफ़ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज़ लिमिटेड National Federation of Urban Cooperative Banks and Credit Societies Limited
101.	नेफेड NAFED	नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited
102.	एनएएफएससीओबी NAFSCOB	नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड National Federation of State Cooperative Banks Limited
103.	एनबीए NBA	राष्ट्रीय मान्यता बोर्ड National Board of Accreditation

सत्यमेव जयते
Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय

104.	एनबीसीसी NBCC	नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन इंडिया लि. National Buildings Construction Corporation India Ltd.
105.	एनसीसी NCC	राष्ट्रीय सहकारी समिति National Cooperative Committee
106.	एनसीसीएफ NCCF	नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड National Cooperative Consumers' Federation of India Limited
107.	एनसीसीटी NCCT	राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद National Council for Cooperative Training
108.	एनसीडी NCD	राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस National Cooperative Database
109.	एनसीडीसी NCDC	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम National Cooperative Development Corporation
110.	एनसीडीएफआई NCDFI	नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड National Cooperative Dairy Federation of India Limited
111.	एनसीईएल NCEL	राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड National Cooperative Export Limited
112.	एनसीएचएफ NCHF	नेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन लिमिटेड National Cooperative Housing Federation Limited
113.	एनसीओएल NCOL	राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड National Cooperative Organics Limited
114.	एनसीपी NCP	राष्ट्रीय सहकारिता नीति National Cooperation Policy
115.	एनसीयूआई NCUI	नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड National Cooperative Union of India Limited
116.	एनडीडीबी NDDB	राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड National Dairy Development Board
117.	एनईसी NEC	राष्ट्रीय क्रियान्वयन समिति National Execution Committee
118.	एनईडीएसी NEDAC	नेटवर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव्स इन एशिया एंड द पैसिफिक Network for the Development of Agricultural Cooperatives in Asia and the Pacific
119.	एनएफसीएसएफ NFCSF	नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज़ लिमिटेड National Federation of Cooperative Sugar Factories Limited
120.	एनएफडीबी NFDB	राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड National Fisheries Development Board
121.	एनएफएसएम	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन

	NFSM	National Food Security Mission
122.	एनआईसीएनईटी NICNET	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र नेटवर्क National Informatics Centre Network
123.	एनएलसीएफ NLCF	नेशनल लेबर कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड National Labour Cooperative Federation of India Limited
124.	एनएलएम NLM	राष्ट्रीय पशुधन मिशन National Livestock Mission
125.	एनपीडीडी NPDD	राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम National Programme for Dairy Development
126.	एनएसटीएफडीसी NSTFDC	नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन National Scheduled Tribes Finance and Development Corporation
127.	एनयूसीएफडीसी NUCFDC	नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड National Urban Cooperative Finance and Development Corporation Limited
128.	ओएंडएम O&M	प्रचालन और रखरखाव Operations & Maintenance
129.	ओएमसी OMCs	तेल विपणन कंपनियां Oil Marketing Companies
130.	पीएसीएस PACS	प्राथमिक कृषि क्रेडिट समिति Primary Agricultural Credit Society
131.	पीसीएआरडीबी PCARDB	प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक Primary Cooperative Agriculture and Rural Development Bank
132.	पीडीएस PDS	सार्वजनकि वितरण प्रणाली Public Distribution System
133.	पीजीडीसीबीएम PGDCBM	सहकारी व्यवसाय प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा Post Graduate Diploma in Cooperative Business Management
134.	पीजीडीएम PGDM	प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा Post Graduate Diploma in Management
135.	पीजीडीएम-एबीएम PGDM-ABM	प्रबंधन-कृषि व्यवसाय प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा Post Graduate Diploma Management- Agri Business Management
136.	पीआईबी PIB	पत्र सूचना कार्यालय Press Information Bureau
137.	पीएमबीआई PMBI	फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया Pharmaceuticals & Medical Devices Bureau of India
138.	पीएमबीजेके PMBJK	प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Kendra
139.	पीएमएफएमई	प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना

Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

	PMFME	Pradhan Mantri Formalization of Micro Food Processing Enterprises Scheme
140.	पीएमकेएसके PMKSK	प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र Pradhan Mantri Kisan Samriddhi Kendras
141.	पीएमकेएसवाई PMKSY	प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana
142.	पीएम-केयूएसयूएम PM-KUSUM	प्रधानमंत्री किसान उर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha evam Utthan Mahabhiyaan
143.	पीएमएमएसवाई PMMSY	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana
144.	पीएमओ PMO	प्रधानमंत्री कार्यालय Prime Minister's Office
145.	पीएसएल PSL	प्राथमिक सेक्टर उधार Priority Sector Lending
146.	पीडब्ल्यूएस PWS	नल जलापूर्ति योजनाएं Piped Water Supply Schemes
147.	आर एंड आई R&I	प्राप्ति और प्रेषण Receipt and Issue
148.	आरसीएस RCS	सहकारी समितियों के पंजीयक Registrar of Cooperative Societies
149.	आरजीएम RGM	राष्ट्रीय गोकुल मिशन Rashtriya Gokul Mission
150.	आरआईसीएम RICM	क्षेत्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान Regional Institute of Co-operative Management
151.	आरटीसी RTC	क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र Regional Training Centres
152.	आरटीआई RTI	सूचना का अधिकार Right to Information
153.	एसएएआरसी SAARC	साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन/ दक्षिण पूर्वी क्षेत्रीय सहयोग संगठन South Asian Association for Regional Cooperation
154.	एससीएआरडीबी SCARDB	राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक State Cooperative Agriculture and Rural Development Banks
155.	एससीडीसी और डीसीडीसी SCDC & DCDC	राज्य और जिला सहकारी विकास समितियां State and District Cooperative Development Committees
156.	एसईडब्ल्यूए	स्वनियोजित महिला संघ

Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

	SEWA	Self Employed Women's Association
157.	एसएचजी	स्वयं सहायता समूह
	SHG	Self Help Group
158.	एसएचएस-2024	स्वच्छता ही सेवा अभियान, 2024
	SHS-2024	Swachhta Hi Seva Campaign, 2024
159.	एसएमएएम	कृषि यांत्रिकीकरण पर उपमिशन
	SMAM	Sub-Mission on Agricultural Mechanization
160.	एसओपी	मानक प्रचालन प्रक्रिया
	SOP	Standard Operating Procedure
161.	एसटीसीबी	राज्य सहकारी बैंक
	StCB	State Cooperative Bank
162.	एसटीसीसी	अल्पकालिक सहकारी ऋण
	STCC	Short-Term Cooperative Credit
163.	एनटीक्यूसी	मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन
	STQC	Standardization Testing and Quality Certification
164.	टीआईएस	प्रशिक्षण और सूचना प्रणाली केंद्र
	TIS	Centre for Training & Information System
165.	टीआरआईएफईडी	ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
	TRIFED	Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India Limited
166.	टीएसयू	"त्रिभुवन" सहकारी यूनिवर्सिटी
	TSU	"Tribhuvan" Sahkari University
167.	यूसीबी	शहरी सहकारी बैंक
	UCB	Urban Cooperative Bank
168.	यूएलसीसीएस	उरालुंगल लेबर कॉन्ट्रैक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी
	ULCCS	Uralungal Labour Contract Cooperative Society
169.	यूओ	अंब्रेला संगठन
	UO	Umbrella Organization
170.	यूओसीबी	उत्तराखंड ऑर्गेनिक कमोडिटी बोर्ड
	UOCB	Uttarakhand Organic Commodity Board
171.	वैमनीकॉम	वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान
	VAMNICOM	Vaikunth Mehta National Institute of Cooperative Management
172.	वीसी	वीडियो कॉन्फ्रेंस
	VC	Video Conference
173.	वीसीए	वियतनाम कोऑपरेटिव एलायंस
	VCA	Vietnam Cooperative Alliance

विषय सूची

क्रम सं.	अध्याय	पृष्ठ सं.
1	**सहकारिता मंत्रालय का परिचय**	**1-17**
1.1	सिंहावलोकन	1-2
1.2	सहकारिता मंत्रालय का गठन	2
1.3	नए मंत्रालय की स्थापना	2-3
1.4	मंत्रालय का अधिदेश (कार्य आबंटन)	3-4
1.5	मंत्रालय का विज़न और मिशन	4-5
1.5.1	मंत्रालय द्वारा की गई विभिन्न पहलें	5-8
1.5.2	सतर्कता मामले	8
1.5.3	शिकायत निवारण तंत्र	8-9
1.5.4	आरटीआई मामले	9
1.5.5	राजभाषा	9-10
1.5.6	कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित मामले	10
1.5.7	मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा	11
1.5.8	मंत्रालय में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन	11-14
1.5.9	मंत्रालय में डिजिटल कार्यकलाप	15-17
2	**भारतीय अर्थव्यवस्था में सहकारी समितियों की भूमिका**	**18-39**
2.1	भारत में सहकारी आंदोलन का विकास	18
2.1.1	स्वतंत्रता पूर्व युग में सहकारी समितियों का विकास	18-19
2.1.2	स्वतंत्रता पश्चात् युग में सहकारी समितियों का विकास	20-24
2.2	भारत में सहकारी क्षेत्र की संरचना	24-26
2.2.1	क्रेडिट सहकारी समितियाँ	26-33

सत्यमेव जयते
Government of India | भारत सरकार

2.2.1.1	सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद से सहकारी बैंकों के संशक्तीकरण के लिए की गई पहलों का ब्यौरा	33-37
2.2.2	गैर-क्रेडिट सहकारी समितियां	37
2.3	भारतीय अर्थव्यवस्था में सहकारी समितियों का महत्व	37-38
2.4	सहकारिता में सहकार अभियान	38
2.4.1	गुजरात में पायलट परियोजना	38
2.4.2	पायलट परियोजना के दौरान प्रगति	38
2.4.3	राज्यव्यापी अभियान के दौरान प्रगति	38-39
2.4.4	"सहकारिता में सहकार" अभियान का राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन	39
3	**सहकारी समितियों का सशक्तिकरण: रणनीति एवं पहलें**	**40-84**
3.1	पैक्स का सशक्तिकरण	41
3.1.1	प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (पैक्स) का कम्प्यूटरीकरण	41-42
3.1.2	प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (पैक्स) के लिए आदर्श उपविधियां	42-44
3.1.3	कॉमन सेवा केंद्र (CSC) के रूप में पैक्स	44
3.1.4	कृषि और किसान कल्याण विभाग की किसान उत्पादक संगठन (FPO) योजना के अंतर्गत पैक्स	44-45
3.1.5	सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना	45-46
3.1.6	पैक्स द्वारा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र (PMBJK) का प्रचालन	47
3.1.7	पैक्स द्वारा प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों (PMKSK) का प्रचालन	47-48
3.1.8	पैक्स द्वारा ग्रामीण नल जलापूर्ति योजना (PWS) के प्रचालन व रख-रखाव (O&M) का कार्य	48-49
3.1.9	पैक्स को एलपीजी डिस्ट्रिब्यूटरशिप के लिए पात्रता	49
3.1.10	पेट्रोल/डीजल पंप के नए डीलरशिप में पैक्स को प्राथमिकता	50

3.1.11	पैक्स को थोक उपभोक्ता पेट्रोल पंप को खुदरा आउटलेट्स में परिवर्तित करने की अनुमति	51
3.1.12	सहकारी समितियों के सशक्तीकरण हेतु भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं का अभिसरण	51-53
3.2	भारत में सहकारी आंदोलन को सशक्त करना	53
3.2.1	राष्ट्रीय सहकारिता नीति	53-54
3.2.2	प्रत्येक अनाच्छादित पंचायत में बहुउद्देशीय पैक्स या प्राथमिक डेयरी/मात्स्यिकी सहकारी समितियों की स्थापना	54-56
3.2.3	कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों का कंप्यूटरीकरण	56-57
3.2.4	तीन नई बहु-राज्य सहकारी समितियां	57
3.2.4.1	राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (NCEL)	58-60
3.2.4.2	भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL)	60-63
3.2.4.3	राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (NCOL)	63-66
3.2.5	सहकारी समितियों की GeM पर ऑनबोर्डिंग	66-67
3.3	राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस	67
3.3.1	उद्देश्य	67-68
3.3.2	राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस का सिंहावलोकन	69
3.3.3	डेटाबेस के लाभ	69-70
3.3.4	सहकारी डेटाबेस के विकास के लिए संगठनात्मक संरचना	70-71
3.3.5	राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के कार्यकलाप और वित्तीयन	71-72
3.3.6	राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के चरण	72
3.3.7	वर्तमान स्थिति	73-76
3.3.8	सहकारी रैंकिंग फ्रेमवर्क	76
3.3.8.1	सहकारी रैंकिंग फ्रेमवर्क (CRF) का डिजिटल लॉन्च	77-78

Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय

3.3.8.2	आकलन के मानदंड	78-79
3.3.9	एनसीडी पोर्टल का अन्य डेटाबेस के साथ एकीकरण	79
3.4	राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में RCS कार्यालयों के कंप्यूटरीकरण की योजना	79-80
3.5	"त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी" की स्थापना	80-82
3.6	बजट और योजनाएँ	82
3.6.1	बजट: बजट प्रावधानों और व्यय का सारांश	82
3.6.2	सहकारी क्षेत्र को सशक्त करने के लिए आम बजट 2024-25 में घोषित किए गए उपाय	83
3.6.3	योजनाएं: "प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (PACS) के कंप्यूटरीकरण" की केंद्रीय प्रायोजित परियोजना	83-84
4	**संबद्ध और अधीनस्थ संगठन**	**85-115**
4.1	सहकारी समितियों के केन्द्रीय पंजीयक (CRCS)	85
4.1.1	CRCS कार्यालय के कार्य	85-86
4.1.2	बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 तथा उसका प्रशासन	86
4.1.3	बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2023	86-87
4.1.4	CRCS कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण	87
4.1.5	CRCS कार्यालय के प्रशासन का सशक्तीकरण	88
4.1.6	CRCS कार्यालय के लिए नया कार्यालय भवन	88
4.1.7	सहारा समूह की सहकारी समितियों के निवेशकों को रिफंड	89
4.1.8	सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण	89-91
4.1.9	सहकारी ऑम्बड्समैन	91-92
4.2	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC)	92-93
4.2.1	प्रबंधन और प्रशासनिक संरचना	93
4.2.2	एनसीडीसी सचिवालय	93

Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

4.2.3	एनसीडीसी द्वारा कार्यान्वित योजनाएं/सहायता कार्यकलाप	94-99
4.2.4	एनसीडीसी द्वारा संचयी संवितरण	99
4.2.5	वर्ष 2015-16 से एनसीडीसी का विकास प्रक्षेपपथ	99-100
4.2.6	सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के पश्चात की गई पहलें	100-104
4.3	राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (NCCT)	104-105
4.3.1	कार्यक्रम पोर्टफोलियो	105-106
4.3.2	वर्ष 2024-25 में एनसीसीटी की प्रमुख उपलब्धियां	106-109
4.4	वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान (वैमनीकॉम)	109
4.4.1	वैमनीकॉम का अधिदेश	110
4.4.2	ISO प्रमाणन 9001: 2015	110
4.4.3	अवसरंचना विकास और उपयोगिता	111
4.4.4	वैमनीकॉम के केंद्र	111
4.4.5	वैमनीकॉम के कार्यक्रम	112
4.4.5.1	सहकारी व्यवसाय प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (PGDCBM)	112-113
4.4.5.2	प्रबंधन-कृषि व्यवसाय प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (PGDM-ABM)	113-114
4.4.6	अनुसंधान और प्रकाशन	114-115
4.4.6.1	उद्यमिता विकास और इनक्यूबेशन सेवा केंद्र	115
5	**राष्ट्रीय सहकारी समितियां/परिसंघ – भूमिका, कार्य और स्थिति**	**116-120**
6	**सहकारी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य**	**121-128**
6.1	इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एलायंस (ICA)	121
6.1.1	इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एलायंस (ICA) में भारत	121-122
6.1.2	सहकारी समितियों के भविष्य के लिए नई दिल्ली एक्शन एजेंडा	122-123
6.1.3	वर्ष 2024 के लिए रोशडेल पायनियर पुरस्कार	123-124

सत्यमेव जयते
Government of India | भारत सरकार

6.1.4	नेटवर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव्स इन एशिया एंड द पैसिफिक (NEDAC) में भारत का नेतृत्व	125
6.2	सेंटर फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड ट्रेनिंग इन एग्रीकल्चरल बैंकिंग (CICTAB)	125-126
6.2.1	CICTAB अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन- 2025	127-128
6.3	द्विपक्षीय सहयोग	128
6.3.1	चिली के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक	128
6.3.2	मंगोलिया प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक	128
6.3.3	स्पेन के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक	128
6.3.4	ज़ांबिया के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक	128
7	**वर्ष 2024-25 में प्रमुख कार्यक्रम और मीडिया आउटरीच सशक्तीकरण**	**129-146**
7.1	वर्ष 2024-25 में आयोजित प्रमुख कार्यक्रम	129-145
7.2	मंत्रालय की मीडिया आउटरीच को सशक्त करना	145-146
8	**अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष (IYC) 2025: भारत में सहकारिता उत्कृष्टता को बढ़ावा देना**	**147-152**
8.1	अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष की घोषणा	147
8.2	इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एलायंस और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 में ICA की भूमिका	147-148
8.3	ICA महासभा और वैश्विक सहकारी सम्मेलन: दिल्ली में ऐतिहासिक आयोजन	148-149
8.4	अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 में सहकारिता मंत्रालय	149-150
8.5	कार्य योजना की तैयारी और शुभारंभ	150
8.6	प्रमुख कार्यकलाप और क्षेत्रीय पहलें	151
8.7	निष्कर्ष: अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 के लिए भारत की समन्वित राष्ट्रीय रणनीति	151-152
अनुबंध		**153-176**

सत्यमेव जयते
Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

I	संगठनात्मक चार्ट	154
II	सहकारिता मंत्रालय द्वारा की गई पहलों पर हुई प्रगति की सूची (मार्च, 2025 के अनुसार)	155-170
III	वर्ष 2024-25 के लिए बजट आबंटन और व्यय	171-172
IV	बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अधीन पंजीकृत बहुराज्य सहकारी समितियों का राज्य-वार और क्षेत्र-वार ब्यौरा	173-176

सत्यमेव जयते
Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

अध्याय-1: सहकारिता मंत्रालय का परिचय

1.1 सिंहावलोकन

सहकारी समितियों को सामाजिक और आर्थिक नीति के महत्वपूर्ण उपकरण के तौर पर सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत किया जाता है जिनमें गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और रोजगार सृजन की समस्याओं का समाधान निहित होता है। इनमें जमीनी स्तर तक माल और सेवाओं को पहुंचाने की असीम संभावनाएं होती हैं। सहकारी समितियां पूंजी केंद्रित संगठन होने के बजाए जन-केंद्रित संगठन होती हैं और वे (सामूहिक प्रयासों के माध्यम से) एकजुटता, सामुदायिक व्यवसाय की समझ और सामाजिक जुड़ाव लाती हैं।

सहकारी क्षेत्र अपने सदस्य चालित समावेशी दृष्टिकोण के साथ देश के सर्वांगीण आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें विभिन्न महत्वपूर्ण अवसंरचना, निविष्टि सेवाओं, सिंचाई, विपणन, प्रसंस्करण और सामुदायिक भंडारण, के साथ-साथ कुक्कुटपालन, मात्स्यिकी, बागवानी, डेयरी, कपड़ा, उपभोक्ता, आवासन, स्वास्थ्य आदि जैसे अन्य कार्यकलापों के लिए न्याय संगत और ठोस प्रयास सुनिश्चित करने की समयबद्ध, पर्याप्त और डोर-स्टेप सहयोग प्रवाह को बढ़ाने की अपेक्षित क्षमता है।

भारत में लगभग 8.3 लाख से भी अधिक सहकारी इकाइयां हैं जिनमें से लगभग 2 लाख इकाइयां क्रेडिट सहकारी समितियां हैं और शेष गैर-क्रेडिट सहकारी समितियां हैं जो उत्पादक, प्रसंस्करण, उपभोक्ता, औद्योगिक, विपणन, पर्यटन, अस्पताल, आवासन, परिवहन, श्रमिक, कृषि, सेवा, पशुधन, बहुउद्देशीय इत्यादि जैसे विभिन्न कार्यकलाप करने वाली सहकारी समितियां हैं।

इन सामुदायिक स्वामित्व वाली और सदस्य चालित आर्थिक संस्थानों की विशाल अप्रयुक्त संभावनाएं मौजूद हैं। देश में सहकारी आंदोलन सुनिश्चित करने और उसे अग्रतर गति प्रदान करने में क्षेत्रक सहकारी समितियों द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों का भी यथोचित समाधान करने की आवश्यकता है। देश में *'सहकार से समृद्धि'* की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर हस्तक्षेप की आवश्यकता है:

(क) सहकारी आंदोलन में क्षेत्रीय/राज्य स्तरीय और क्षेत्रक असंतुलन

(ख) विनियामक जटिलताएं

(ग) शासन, नेतृत्व और प्रचालनात्मक मुद्दे

(घ) सहकारी इकाइयों में पेशेवर प्रबंधन की कमी

(ङ) समय-परीक्षित संरचनात्मक सुधार उपायों की आवश्यकता

(च) विभिन्न सहकारी इकाइयों/सहकारी समितियों/विभिन्न सहकारिताओं आदि के बीच सहकार का अभाव

1.2 सहकारिता मंत्रालय का गठन

सहकारिता का विषय पहले कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन तत्कालीन कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के सहकारिता प्रभाग के माध्यम से प्रशासित हो रहा था। *'सहकार से समृद्धि'* के मंत्र को साकार करने के लिए संघ सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना सं. 2516 दिनांक 06.07.2021 के माध्यम से एक पृथक 'सहकारिता मंत्रालय' के सृजन का ऐतिहासिक कदम उठाया गया।

अपनी स्थापना के बाद से ही इस मंत्रालय का नेतृत्व श्री अमित शाह, माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री द्वारा किया जा रहा है और वर्तमान में उनकी सहायता श्री कृष्ण पाल गुर्जर और श्री मुरलीधर मोहोल, माननीय सहकारिता राज्यमंत्रियों द्वारा की जा रही है। सचिव (सहकारिता) मंत्रालय के प्रशासनिक प्रधान हैं जिन्हें अपर सचिवों, सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक (CRCS), संयुक्त सचिवों और वित्तीय सलाहकार द्वारा सहायता दी जा रही है।

सत्यमेव जयते
Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

मंत्रालय में 201 पदों का स्वीकृत श्रमबल है जिसमें से 130 पद मंत्रालय के और 71 पद सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक (CRCS) के कार्यालय के हैं। मंत्रालय और CRCS कार्यालय का संगठनात्मक चार्ट **संलग्नक-I** पर प्रस्तुत है।

1.3 नए मंत्रालय की स्थापना

सहकारिता मंत्रालय ने कृषि भवन और जनपथ भवन में आबंटित अत्यंत सीमित स्थान व कुछ ही अधिकारियों के साथ कार्य करना आरंभ किया। दिनांक 14.07.2022 को CRCS कार्यालय के साथ मंत्रालय "अटल अक्षय ऊर्जा भवन", लोधी रोड, नई दिल्ली में स्थानांतरित हुआ।

CRCS कार्यालय व अन्य संबंधित कार्यालयों के सभी स्टाफ को स्थान देने हेतु CRCS कार्यालय के लिए एक नए कार्यालय परिसर की खरीद की गई। CRCS का कार्यालय दिनांक 17.01.2024 से 9वां तल, टावर-ई, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली-29 में अब स्थित है।

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 (2002 का 39) यथासंशोधित (2023 का 11) की धारा 85क के साथ पठित बहुराज्य सहकारी सोसाइटी नियम, 2002 के नियम 30क, 30ख और 30ग के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहकारिता मंत्रालय ने दिनांक 05.03.2024 को पूरे देश में प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के साथ तीन वर्षों की अवधि के लिए सहकारी ऑम्बड्समैन की नियुक्ति की है। व्यय विभाग ने सहकारी ऑम्बड्समैन के कार्यालय के लिए 20 पद स्वीकृत किए हैं।

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 (2002 का 39) यथासंशोधित (2023 का 11) की धारा 45 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहकारिता मंत्रालय ने दिनांक 11.03.2024 को सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण की स्थापना की। व्यय विभाग ने सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण के कार्यालय के लिए 16 पद स्वीकृत किए हैं।

1.4 मंत्रालय का अधिदेश (कार्य आबंटन)

भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 के अनुसार सहकारिता मंत्रालय के अधिदेश निम्नलिखित हैं:

- सहकारिता के क्षेत्र में सामान्य नीति और सभी क्षेत्रों में सहकारी कार्यकलापों का समन्वय।

  नोट: - सम्बंधित क्षेत्रों में सहकारी समितियों की जिम्मेदारी संबंधित मंत्रालयों की है।

- "*सहकार से समृद्धि*" की परिकल्पना को साकार करना।
- देश में सहकारी आंदोलन को सशक्त करना और इसकी पहुंच जमीनी स्तर तक सघन करना।
- सहकार आधारित आर्थिक विकास मॉडल का संवर्धन करना जिसमें देश के विकास के लिए इसके सदस्यों की जिम्मेदारी की भावना शामिल है।
- सहकारी समितियों को अपनी क्षमता की प्राप्ति में मददगार यथोचित नीति, विधिक और संस्थागत संरचना का निर्माण करना।
- राष्ट्रीय सहकारी संगठन से संबंधित मामले।
- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम।

- 'बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 (2002 का 39) को प्रशासित करने सहित ऐसी सहकारी समितियों का निगमन, विनियमन और परिसमापन करना जिनके उद्देश्य किसी एक राज्य तक सीमित नहीं हैं।

  परंतु यह कि बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 (2002 का 39) के अधीन शक्तियों के प्रयोग के प्रयोजन से प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग अपने नियंत्रणाधीन कार्यरत सहकारी इकाइयों के लिए 'केंद्रीय सरकार' होगा।

- सहकारी विभागों और सहकारी संस्थानों के कार्मिकों (सदस्यों, पदाधिकारियों और गैर-कार्मिकों सहित) का प्रशिक्षण।

1.5 मंत्रालय का विज़न और मिशन

विज़न

"सहकार से समृद्धि"

मिशन

"देश में सहकारी आंदोलन को सशक्त करने के लिए एक पृथक प्रशासनिक, विधिक और नीति संरचना प्रदान करना। इसका लक्ष्य एक वास्तविक जन-आधारित आंदोलन के रूप में सहकारी समितियों की पहुंच को जमीनी स्तर तक सघन करना और सहकार आधारित आर्थिक मॉडल का विकास करना है, जहां प्रत्येक सदस्य जिम्मेदारी की भावना से कार्य करे"

सत्यमेव जयते
Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

सात सहकारी सिद्धांत

वर्ष 1995 में इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एलायंस (ICA) ने सहकारी पहचान पर संशोधित वक्तव्य को अपनाया जिसमें सहकारिता, सहकारी मूल्यों और सात सहकारी सिद्धांतों की परिभाषा दी गई है। इन सिद्धांतों को सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया है:

1. स्वैच्छिक और खुली सदस्यता
2. लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण
3. सदस्यों की आर्थिक प्रतिभागिता
4. स्वायत्तता व स्वतंत्रता
5. शिक्षा, प्रशिक्षण व सूचना

6. सहकारिता में सहकार
7. सामुदायिक सरोकार

1.5.1 मंत्रालय द्वारा की गई विभिन्न पहलें

सहकारिता मंत्रालय ने अपने अधिदेश और परिकल्पना को पूरा करने के लिए अनेक उपाय किए हैं:

- माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के पर्यवेक्षण में मंत्रालय की सुनियोजित स्थापना की गई।
- 44 महीनों में लगभग 60 नई पहलें की गई हैं।
- 28 विस्तृत कार्य योजनाएं तैयार की गई।
- अपर सचिव/संयुक्त सचिव के नेतृत्व में निदेशक/उपसचिव के स्तर पर 12 टीमों का गठन किया गया।
- प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (पैक्स) के लिए आदर्श उपविधियां तैयार की गई और राज्यों को आवश्यकता अनुसार अपनाने हेतु प्रेषित किया गया।
- बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 को संशोधित किया गया और बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2023 को दिनांक 03.08.2023 के राजपत्र अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किया गया। तदुपरांत, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) नियम, 2023 को भी दिनांक 04.08.2023 की अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया गया।
- "त्रिभुवन" सहकारी यूनिवर्सिटी विधेयक, 2025 को प्रारूपित किया गया और दिनांक 26.03.2025 को लोक सभा द्वारा पारित किया गया।
- 3 नवस्थापित राष्ट्रीय सहकारी समितियों अर्थात, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (NCEL), राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (NCOL) और भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL) की उपविधियां तैयार की गई।
- भारत सरकार द्वारा दिनांक 31.05.2023 को सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना अनुमोदित की गई जो अपने पायलट चरण में कार्यान्वयनाधीन है।

सत्यमेव जयते
Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

- संबंधित मंत्रालयों, राज्य सरकारों, राष्ट्रीय सहकारी संघों और अन्य हितधारकों के साथ विभिन्न स्तर पर बैठकें आयोजित की गई।
- सचिव (सहकारिता) की अध्यक्षता में प्रत्येक सोमवार को मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की विस्तृत बैठकों का आयोजन।

"सहकार से समृद्धि" की परिकल्पना से मार्गदर्शित होकर सहकारिता मंत्रालय ने 3.5 वर्ष की अल्पावधि में सहकारी समितियों द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों को दूर करने और सहकारी समितियों, विशेषकर प्राथमिक स्तर की सहकारी समितियों को ऊर्जान्वित करके इस क्षेत्र के खोए गौरव को पुन: स्थापित करने के लिए अनेक पथ प्रदर्शक पहलें की हैं।

पैक्स को अपने व्यवसाय का विविधीकरण करके वित्तीय रूप से संवहनीय आर्थिक इकाई बनाने के लिए सरकार ने उनके लिए आदर्श उपविधियां बनाई है जिससे वे 25 से भी अधिक आर्थिक कार्यकलाप कर सकेंगे। अंतरमंत्रालयी समन्वय के माध्यम से पैक्स को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप, पेट्रोल/डीजल रीटेल आउटलेट, ग्रामीण नल जलापूर्ति योजना के लिए पानी समिति आदि के रूप में कार्य करने के लिए भी सक्षम बनाया गया है। पैक्स को कॉमन सेवा केंद्र (CSC) के रूप में भी कार्य करने में सक्षम बनाया गया है ताकि ग्रामीण नागरिकों को बैंकिंग, बीमा, आधार नामांकन/अद्यतन, स्वास्थ्य सेवाओं, कानूनी सेवाओं आदि सहित 300 से अधिक ई-सेवाओं प्रदान की जा सकें। ये पहलें उन्हें आय के अतिरिक्त स्थायी स्रोत प्रदान करेंगे तथा इससे ग्रामीण आबादी को विभिन्न सेवाओं की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। देश में खाद्यान्न भंडारण क्षमता की भारी कमी को दूर करने के लिए भारत सरकार की विभिन्न मौजूदा योजनाओं के अभिसरण द्वारा पैक्स स्तर पर विकेंद्रीकृत गोदामों का निर्माण किया जा रहा है।

Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

देश में सहकारी समितियों के असमान वितरण की समस्या को दूर करने के लिए अनाच्छादित पंचायतों/गांवों में आवश्यकता और व्यवहार्यता के आधार पर नए बहुउद्देशीय पैक्स या प्राथमिक डेयरी/मात्स्यिकी सहकारी समितियां स्थापित की जा रही हैं।

सहकारी परितंत्र की पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार के लिए सरकार द्वारा व्यापक डिजिटल इंटरवेंशंस भी किए गए हैं जिससे रियल टाइम आधार पर सूचनाओं का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित होगा जिसके फलस्वरूप सिस्टम पर सदस्यों के विश्वास में वृद्धि होगी तथा सहकारी समितियों के प्रचालन में सक्रिय सदस्यता को प्रोत्साहन मिलेगा। देश के सभी 79,630 कार्यशील पैक्स को कॉमन राष्ट्रीय ERP-आधारित सॉफ्टवेयर के माध्यम से कंप्यूटरीकृत किया जा रहा है जो उन्हें राज्य सहकारी बैंकों व जिला

केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से नाबार्ड के साथ लिंक करेगा। इससे न केवल उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि होगी बल्कि उनके प्रचालन व लेनदेन की लागत में भी कमी आएगी जिसके परिणामस्वरूप लाखों किसान सदस्य लाभान्वित होंगे।

जहां तक बहुराज्य सहकारी समितियों का संबंध है, सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक के कार्यालय के कंप्यूटरीकरण का कार्य भी पूरा हो गया है। बहुराज्य सहकारी समितियों का पंजीकरण, विनियमन इत्यादि से संबंधित कार्य अब ऑनलाइन किए जा रहे हैं जिससे इस कार्यालय के कार्यकरण में सुगमता, गति और पारदर्शिता में वृद्धि होगी। इसी तर्ज पर, सरकार द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के RCS कार्यालयों और कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (ARDBs) के कंप्यूटरीकरण की योजना भी कार्यान्वित की जा रही है।

उन्नत बीजों की उपलब्धता बढ़ाने और जैविक उत्पादन और निर्यात को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने बीजों, जैविक खेती और निर्यात, प्रत्येक के लिए एक-एक और कुल तीन राष्ट्र-स्तरीय बहुराज्य सहकारी समितियां स्थापित की हैं जो अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए अंब्रेला संगठन के रूप में कार्य करेंगी और वैश्विक बाजारों के साथ किसानों को जोड़ने के महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में अपनी सेवाओं प्रदान करेंगी। पैक्स से लेकर एपेक्स तक की सहकारी समितियां इनकी सदस्य बन सकती हैं और लाभान्वित हो सकती हैं।

सत्यमेव जयते

आज, सहकारी समितियों को वही सुविधाएं और मंच प्रदान किए जा रहे हैं जो कॉरपोरेट सेक्टर को प्राप्त हो रहे हैं। सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) को शाखाएं खोलने और अपने ग्राहकों को डोरस्टेप सेवाओं प्रदान करने की अनुमति दी गई हैं। शहरी सहकारी बैंकिंग सेक्टर के लिए एक अंब्रेला संगठन (UO)-नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NUCFDC) की भी स्थापना की गई है। ग्रामीण सहकारी बैंकों को वाणिज्यिक रियल एस्टेट/रिहाइशी आवासन क्षेत्र को उधार देने के लिए सक्षम किया गया है।

Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

सहकारी समितियों द्वारा सामना की जा रही असमानताओं को हटाने और उन्हें कंपनियों के समरूप लाने के लिए आयकर अधिनियम में यथोचित संशोधन किए गए हैं। अब सहकारी समितियों के पास अधिक पूंजी उपलब्ध रहेगी जो उन्हें अपने व्यवसाय को बढ़ाने में मदद करेगी जिससे उनके सदस्य लाभान्वित होंगे। सहकारी चीनी मिलों के पुनरुद्धार और सशक्तीकरण के लिए भी अनेक कदम उठाए गए हैं।

बदलते आर्थिक परिदृश्य के अनुरूप सहकारी क्षेत्र में सुव्यवस्थित और सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने के लिए सहकारिता मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस तैयार किया गया है। इसके साथ ही सहकारी समितियों की राज्य-वार और क्षेत्रक-वार रैंकिंग के लिए सरकार ने दिनांक 24.01.2025 को सहकारी रैंकिंग फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। यह रैंकिंग फ्रेमवर्क सहकारी समितियों के प्रदर्शन को अनुपालन, कार्यकलापों, वित्तीय प्रदर्शन, अवसंरचना और मूलभूत पहचान सूचना सहित विभिन्न प्रमुख मानदंडों के आधार पर राज्य के RCS को उनका मूल्यांकन करने में सक्षम बनाता है।

इस क्षेत्र के नीति निर्माण में सहायता के लिए एक नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति बनाई जा रही है। इसके अलावा, सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण पर भी विशेष बल दिया जा रहा है।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) जो एक सांविधिक संगठन है और जो राष्ट्रीय स्तर पर सहकारी विकास कार्यक्रमों का नियोजन, संवर्धन और वित्तीयन करता है, को भी इस क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सशक्त किया गया है और वह इस क्षेत्र में सबसे विश्वसनीय ऋण प्रदाता बनने की ओर अग्रसर है। सहकारी समितियों के विकास में सहायता के लिए NCDC द्वारा कई महत्वपूर्ण पहलें भी की गई हैं।

अब तक मंत्रालय द्वारा की गई पहलों और उनकी प्रगति की सूची **संलग्नक-II** पर प्रस्तुत है।

1.5.2 सतर्कता मामले

पर्यवेक्षण, निवारक और दंडात्मक उपायों के माध्यम से मंत्रालय में पारदर्शी, उत्तरदायी और भ्रष्टाचार मुक्त कार्य परिवेश सुनिश्चित करने के लिए अपर सचिव को मुख्य सतर्कता अधिकारी (CVO) के रूप में नियुक्त कर सतर्कता इकाई स्थापित की गई है।

1.5.3 शिकायत निवारण तंत्र

मंत्रालय में एक लोक-शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया गया है। उप-सचिव/निदेशक स्तर के अधिकारियों को उनके संबंधित विषयों की शिकायतों के समाधान के लिए शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। मंत्रालय में दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक कुल 5,046 लोक शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिनमें से 4,866 शिकायतों का निपटान किया गया है।

CPGRAMS पोर्टल के अनुसार वर्ष 2024-25 (दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक) के लिए शिकायतों के निपटान की स्थिति निम्नानुसार है:

क्रम सं.	CPGRAMS स्रोत	प्राप्त	निष्पादित	निपटान का प्रतिशत
1.	शिकायतकर्ता से सीधे प्राप्त	3,085	2,956	95.81
2.	प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO)	1,580	1,539	97.40
3.	प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG)	146	144	98.63
4.	राष्ट्रपति सचिवालय	225	217	96.44
5.	पेंशन	10	10	100.00
	कुल	**5,046**	**4,866**	**96.43**

1.5.4 आरटीआई मामले

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन: वर्ष 2024-25 के दौरान (दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक) सहकारिता मंत्रालय में सूचना प्राप्त करने के लिए 2,112 आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए और 257 अपीलें प्राप्त हुई जिसमें से 1,941 आरटीआई आवेदनों और 237 अपीलों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर निपटान किया गया। प्रभाग-वार केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (CPIOs) और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (FAAs) निर्दिष्ट किए गए हैं। मंत्रालय के संबंधित केंद्रीय लोक सूचना प्राधिकारियों (CPIOs) और उनके अपीलीय प्राधिकारियों का विवरण मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट (https://cooperation.gov.in) पर उपलब्ध है।

1.5.5 राजभाषा

सहकारिता मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम, 1976 के उपबंधों को प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है। हिंदी भाषा के प्रगामी प्रयोग को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मंत्रालय में एक समर्पित राजभाषा प्रभाग की स्थापना की गई, जो मंत्रालय के प्रभागों और अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सतत प्रयासरत है।

मंत्रालय का राजभाषा प्रभाग न केवल राजभाषा अधिनियम और नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करता है, बल्कि सरकारी दस्तावेजों, अधिसूचनाओं और महत्वपूर्ण संचार के अनुवाद कार्यों को भी व्यवस्थित रूप से संपादित करता है। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले निदेशों और अनुदेशों का अनुपालन करने में भी यह प्रभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

इससे मंत्रालय के प्रशासनिक कार्यों में हिंदी भाषा का प्रभावी और व्यापक प्रयोग सुनिश्चित किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय के राजभाषा प्रभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों और कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है, जिनका उद्देश्य अधिकारियों और कर्मचारियों को हिंदी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु प्रोत्साहित करना है। हिंदी कार्यशालाओं द्वारा कार्मिकों को दैनंदिन कार्यों में हिंदी भाषा संबंधी आने वाली कठिनाइयों का समाधान किया जाता है ।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राजभाषा प्रभाग ने सहकारिता मंत्रालय में राजभाषा के प्रभावी कार्यान्वयन और प्रगति को सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की हैं। मंत्रालय में हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, जिनमें विशेषज्ञों ने "उपयोगी आईटी टूल्स" और "कंठस्थ 2.0" जैसे विषयों पर ज्ञानवर्धक सत्र दिए गए। सीआरसीएस कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन एवं तिमाही प्रगति रिपोर्ट संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु विशेष कार्यशाला आयोजित की गई।

हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देने के लिए सितंबर 2024 में हिंदी पखवाड़ा आयोजित किया गया जिसमें हिंदी निबंध, टिप्पण एवं प्रारूपण प्रतियोगिताएँ और सामान्य हिंदी ज्ञान प्रतियोगिता जैसे कार्यकलाप संपन्न हुए। इन प्रतियोगिताओं में विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया । मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालयों का संसदीय राजभाषा समिति द्वारा निरीक्षण किया गया । राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप अधीनस्थ कार्यालयों के राजभाषायी निरीक्षण किए गए। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चार तिमाही बैठकों का आयोजन किया गया जिसमें मंत्रालय में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रालय को 21 मार्च 2025 को राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अधीन अधिसूचित किया गया तथा एनसीसीटी के अधीनस्थ हैदराबाद और चंडीगढ़ के क्षेत्रीय सहकारी प्रबंध संस्थानों को भी इस नियम के अधीन अधिसूचित किया गया।

Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

मंत्रालय के राजभाषा प्रभाग द्वारा राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सक्रियतापूर्वक कार्य किया जा रहा है।

1.5.6 कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित मामले

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अनुपालन में मंत्रालय में "आंतरिक शिकायत समिति" का गठन किया गया है जिससे महिलाओं की सुरक्षा के उपाय सशक्त हों और उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान हो सके।

1.5.7 मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा

सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद सरकार द्वारा देश में सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न नई पहलें की गई हैं। इन पहलों का जमीनी स्तर पर प्रभावशाली कार्यान्वयन तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों को समझने के लिए वर्ष 2024-25 के दौरान सहकारिता मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों का राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के दौरों के माध्यम से एक व्यापक गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया गया।

1.5.8 मंत्रालय में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन

योग दिवस-2024

स्वच्छता ही सेवा-2024 के अंतर्गत स्वच्छता शपथ समारोह

स्वच्छता ही सेवा-2024 के अंतर्गत अटल अक्षय ऊर्जा भवन में श्रमदान

स्वच्छता ही सेवा-2024 के अंतर्गत श्रमदान

स्वच्छता ही सेवा-2024 के अंतर्गत सफाई मित्र को सम्मान

स्वच्छता ही सेवा-2024 के दौरान मंत्रालय में आयोजित सफाई मित्र सुरक्षा शिविर

दिनांक 26.11.2024 को संविधान शपथ

हिंदी पखवाड़ा के दौरान दिनांक 27.09.2024 को पुरस्कार वितरण

1.5.9 मंत्रालय में डिजिटल कार्यकलाप

1. सहकारिता मंत्रालय की पोर्टल https://cooperation.gov.in को नवीनतम गूगल एनालिटिक्स के कार्यान्वयन द्वारा नियमित रूप से अपडेट और समृद्ध किया जाता है। दिनांक 31.03.2025 तक लगभग 1.45 करोड़ लोगों ने इस पोर्टल पर विजिट किया।

2. राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पोर्टल https://cooperatives.gov.in के लिए MPACS, MDCS और MFCS के नए मॉड्यूल्स शामिल किए गए हैं। इसी प्रकार, प्राथमिक सहकारी समितियों की राज्य-वार और क्षेत्र-वार रैंकिंग जेनरेट करने के लिए राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (NCD) पोर्टल पर एक रैंकिंग फ्रेमवर्क भी विकसित किया गया है।

3. https://crcs.gov.in पर सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक के लिए अधिक सुरक्षायुक्त विशेषताओं के साथ रियल-टाईम एप्लिकेशन पोर्टल जोड़ा गया है। इस पोर्टल ने बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए पूर्णत: डिजिटल कागजरहित वर्कफ्लो सुनिश्चित किया है।

4. सहकारिता मंत्रालय और सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक के सभी 150 से भी अधिक कंप्यूटर सिस्टम पर NICNET के माध्यम से साइबर सुरक्षा टूल (यूनीफाइड एंडपॉएंट मैनेजमेंट) और उनके नियमित अपडेट का इंस्टॉलेशन किया गया।

5. इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजिटल डिवाइसों और कंप्यूटर सिस्टम्स, नेटवर्क डिवाइसों का इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑडिट किया गया और सुरक्षा सुझावों को कार्यान्वित किया गया।

6. https://cooperation.eoffice.gov.in पर नवीनतम ई-ऑफिस वर्जन Ver 8.0.1 और eFile वर्जन 7.3.15-3 को अपग्रेड किया गया और लगभग 50 नए ई-ऑफिस प्रयोगकर्ताओं को ऑनबोर्ड किया गया।

7. लगभग 400 से भी अधिक कोडेक आधारित और सॉफ्टवेयर आधारित (भारत वीसी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किए गए। इसमें भारत के माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में प्रगति वीसी शामिल है।

8. मंत्रालय की प्राप्ति और प्रेषण अनुभाग को ई-ऑफिस के साथ पूर्णत: एकीकृत किया गया जिसे नियमित रूप से अपडेट किया जाता है और कर्मियों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।

सत्यमेव जयते
Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

9. बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली पूर्णत: प्रभावी है और http://moc.attendance.gov.in पोर्टल पर इसकी निगरानी की जाती है।

10. कर्मियों के लिए साइबर सुरक्षा का नियमित अपडेट और जागरुकता का प्रसार किया जाता है। मंत्रालय और सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक के कर्मियों के लिए प्रशिक्षण द्वारा CERT-in एवं अन्य एजेंसियों के दिशानिर्देशों और परामर्शों को प्रवृत्त किया जा रहा है।

11. मेघराज (क्लाउड) पर मंत्रालय के पोर्टलों के डेटाबेस के बैकअप स्थापित किए गए।

12. https://mocrefund.crcs.gov.in पर सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक (CRCS) रिफंड पोर्टल की होस्टिंग की गई।

13. मंत्रालय की पहलों के प्रचार-प्रसार हेतु सहकारी समितियों के सदस्यों और नागरिकों को सूचित करने के लिए हिंदी और अंग्रेजी में लगभग 50 लाख SMSs भेजे गए।

14. जागरूकता हेतु मंत्रालय के पोर्टल पर पहलों और योजनाओं के लघु विडियोज़ डाले गए हैं। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहकारी समितियों के सदस्यों के लिए ये लघु विडियोज 13 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध हैं।

15. सहकारिता मंत्रालय के लिए 10 बल्क ईमेल सब्सक्रिप्शनो वाली एक केंद्रीकृत मेलिंग सिस्टम https://lsmgr.nic.in खोला गया है। यह मंत्रालय की पहलों, परिपत्रों, प्रेस ब्रीफिंग, मीडिया क्लिपों इत्यादि से संबंधित ईमेल को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लगभग 6,000 कर्मियों को भेजता है।

Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

16. मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों द्वारा सहकारी संस्थानों, परिसंघों, सहकारी समितियों के पंजीयकों और जिला कर्मियों को योजनाओं, नीतियों, कार्यालय ज्ञापनों, परिपत्रों और आधिकारिक संप्रेषणों से संबंधित लगभग 1 लाख ईमेल भेजे गए हैं।

17. सहकारिता मंत्रालय (https://cooperation.gov.in), राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (https://cooperatives.gov.in) और सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक (https://crcs.gov.in) के पोर्टलों का साइबर सुरक्षा ऑडिट कराया गया।

18. मंत्रालय के प्रभागों द्वारा विभिन्न योजनाओं की प्रस्तुति और समीक्षा हेतु एक इन-हाउस पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसमें हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी में भी ब्यौरा अपलोड करने की सुविधा है।

19. पोर्टलों की सुरक्षा बढ़ाने हेतु 2FA (टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन) लागू किया गया है।

20. भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के साथ सहकारी डेटा का API एकीकरण किया गया।

21. मंत्रालय के विभिन्न पोर्टलों के साथ एकीकरण हेतु सभी राज्यों की सहकारी समितियों के पंजीयक कार्यालयों के कंप्यूटरीकरण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया गया।

सत्यमेव जयते
Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

अध्याय-2: भारतीय अर्थव्यवस्था में सहकारी समितियों की भूमिका

2.1 भारत में सहकारी आंदोलन का विकास

कानून द्वारा पारित औपचारिक सहकारी संरचनाओं के अस्तित्व में आने के पहले से ही भारत के कई हिस्सों में सहकार और सहकारी कार्यकलापों की अवधारणा की प्रथा प्रचलित थी। ग्राम समुदाय सामूहिक रूप से गाँव के तालाबों या गाँव के जंगलों जैसी स्थायी परिसंपत्तियाँ निर्माण कर रहे थे और अगली फसल से पहले समूह के जरूरतमंद सदस्यों को उधार देने के लिए फसल के बाद खाद्यान्न जैसे संसाधनों को एकत्रित कर रहे थे, या समूह के सदस्यों को उधार देने के लिए नियमित अंतराल पर नकद पैसे इकट्ठे करने के लिए छोटे-मोटे अंशदान कर रहे थे।

कृषि बैंकों का प्रस्ताव पहली बार वर्ष 1858 में और पुन: वर्ष 1881 में अहमदनगर के जिला न्यायाधीश श्री विलियम वेडरबर्न द्वारा न्यायमूर्ति एम.जी. रानाडे के परामर्श से रखा गया परंतु उसे स्वीकार नहीं किया गया। मार्च, 1892 में मद्रास प्रेसीडेंसी के गवर्नर द्वारा श्री फ्रेडरिक निकोलसन को इस प्रेसीडेंसी में कृषि या अन्य भूमि बैंकों की एक प्रणाली शुरू करने की संभावना की पड़ताल करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने वर्ष 1895 और वर्ष 1897 में दो खंडों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। वर्ष 1901 में, अकाल आयोग ने पारस्परिक ऋण संघों की स्थापना के माध्यम से ग्रामीण कृषि बैंकों की स्थापना की सिफारिश की और कृषि बैंकों के अंतर्निहित सिद्धांतों का भी सुझाव दिया।

2.1.1 स्वतंत्रता पूर्व युग में सहकारी समितियों का विकास

एडवर्ड लॉ समिति की सिफारिशों के आधार पर 25.03.1904 को सहकारी क्रेडिट सोसाइटी अधिनियम, जो क्रेडिट सहकारी समितियों तक सीमित था, का अधिनियमन किया गया। इस अधिनियम के अधीन वर्ष 1911 तक 5,300 समितियाँ थीं जिनमें तीन लाख से अधिक सदस्य जुड़े थे।

1912 का सहकारी सोसाइटी अधिनियम, सहकारी समितियों में परिसंघों के प्रावधानों के साथ गैर-क्रेडिट सहकारी समितियों के उपबंधों के लिए अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम के साथ, क्रेडिट क्षेत्र में शहरी सहकारी बैंकों ने प्राथमिक सहकारी समितियों और व्यक्तियों को अपने सदस्य के रूप में शामिल कर स्वयं को केंद्रीय सहकारी बैंकों में परिवर्तित कर लिया। पहली सहकारी आवासन समिति, मद्रास सहकारी संघ वर्ष 1914 में, बॉम्बे सेंट्रल सहकारी संस्थान वर्ष 1918 में और बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पंजाब आदि में इसी तरह की संस्थाएँ अस्तित्व में आईं। वर्ष 1914 में एडवर्ड मैकलेगन समिति

ने अल्पकालिक और मध्यम अवधि के वित्त प्रदान करने के लिए प्रत्येक प्रांत में एक मजबूत त्रि-स्तरीय संरचना के निर्माण की सिफारिश की जिसमें सबसे निचले स्तर पर प्राथमिक, मध्य-स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक और शीर्षस्थ स्तर पर प्रांतीय सहकारी बैंक थे।

वर्ष 1919 में सुधार अधिनियम के पारित होने के साथ, सहकारिता को एक विषय के रूप में प्रांतों को स्थानांतरित कर दिया गया। पहला प्रांतीय अधिनियम, अर्थात बॉम्बे सहकारी सोसाइटी अधिनियम जो वर्ष 1925 में पारित हुआ था, में अन्य बातों के साथ-साथ एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत की शुरूआत की गई। वर्ष 1928 में कृषि पर रॉयल कमीशन ने भूमि बंधक बैंकों की स्थापना की सिफारिश की। इस समय का एक और प्रमुख विकास वर्ष 1929 में सहकारी संस्थानों के अखिल भारतीय एसोसिएशन की स्थापना थी। वर्ष 1934 में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की स्थापना कृषि ऋण को गति देने का एक महत्वपूर्ण कदम था।

वर्ष 1937 में मेहता समिति ने सहकारी क्रेडिट समितियों को बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियों के रूप में पुनर्गठित करने की सिफारिश की। वर्ष 1939-1945 की अवधि के दौरान, कई समितियों ने बैंकिंग कार्य शुरू कर दिए थे और समय के साथ इनके आकार और प्रचालन में वृद्धि सहित इनके कार्यकलापों मे भी काफी विविधता आई।

एक से अधिक राज्यों से आने वाले सदस्यों की सदस्यता वाली सहकारी समितियों के उद्भव के साथ, ऐसी बहुएकक या बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए एक सक्षम सहकारी कानून की आवश्यकता महसूस की गई। वर्ष 1942 में बहुएकक सहकारी सोसाइटी अधिनियम पारित किया गया, जिसने सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक की शक्ति राज्य पंजीयकों को प्रत्यायोजित की गई। वर्ष 1945 में श्री आर.जी. सरैया की अध्यक्षता में सहकारी योजना समिति ने पाया कि आर्थिक योजना के लोकतंत्रीकरण के लिए सहकारी समितियाँ सबसे उपयुक्त माध्यम थीं।

श्री त्रिभुवन दास पटेल के नेतृत्व में दिनांक 14.12.1946 को इतिहास रचा गया जब खेड़ा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स मिल्क यूनियन, जिसे आमतौर पर अमूल के नाम से जाना जाता है, को बॉम्बे सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1925 के अधीन पंजीकृत किया गया। श्री वैकुंठ भाई मेहता ने बॉम्बे सरकार के प्रभारी सहकारिता मंत्री के रूप में पदभार संभाला, जिसके बाद प्रांत में सहकारी आंदोलन को गति मिली। सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण पर जनार्दन मदन समिति ने सहकारी शिक्षा कार्यक्रमों और शिक्षा कोष की स्थापना की सिफारिशें कीं।

Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

2.1.2 स्वतंत्रता पश्चात् युग में सहकारी समितियों का विकास

वर्ष 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद सहकारी विकास को गति मिली, जिसमें योजना आयोग द्वारा निर्मित विभिन्न योजनाओं में सहकारी समितियों को महत्वपूर्ण भूमिका दी गई।

पहली पंचवर्षीय योजना (1951-56) ने भारत में सहकारी आंदोलन के विज़न और आर्थिक तथा राजनीतिक विकास के लिए बेहतर संगठनों के रूप में सहकारी समितियों और पंचायतों पर जोर देने के औचित्य को रेखांकित किया। वर्ष 1954 में अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति ने ग्रामीण ऋण की एक एकीकृत प्रणाली शुरू करने, सहकारी समितियों की शेयर पूंजी में सरकार की भागीदारी और उनके बोर्ड में सरकारी नामितियों की नियुक्ति की सिफारिश की और इस प्रकार उनके प्रबंधन में प्रतिभाग किया।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956-1961) ने इस बात पर जोर दिया गया कि "योजनाबद्ध विकास के एक हिस्से के रूप में सहकारी क्षेत्र का निर्माण" राष्ट्रीय नीति के केंद्रीय उद्देश्यों में से एक था। इस अवधि के दौरान केंद्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास कोष की भी स्थापना की गई, ताकि राज्य देश के गैर-क्रेडिट सहकारी संस्थानों की शेयर पूंजी के अभिदान के उद्देश्य से उधार ले सकें। सहकारी कानून पर श्री एस.टी. राजा समिति ने वर्ष 1956 में राज्य सरकारों के विचारार्थ एक आदर्श विधेयक की सिफारिश की। कई राज्य सरकारों ने आदर्श विधेयक के अनुरूप अपने अधिनियमों में संशोधन किया। वर्ष 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद संकल्प इस समय का एक और महत्वपूर्ण विकास था। द्वितीय योजना में कृषि उपज का सहकारी विपणन और प्रसंस्करण, सहकारी विकास की एकीकृत योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। लगभग 1900 प्राथमिक विपणन समितियाँ स्थापित की गईं और सभी राज्यों में राज्य विपणन संघ स्थापित किए गए तथा केंद्र में राष्ट्रीय सहकारी विपणन संघ की स्थापना की गई। कृषि सहकारी समितियों के साथ-साथ विपणन सहकारी समितियों ने किसानों को ऋण और निविष्टि प्रदान करने के साथ-साथ उनके बढ़े हुए उत्पादन को संसाधित करके हरित क्रांति को बढ़ावा देने में प्रमुख भूमिका निभाई।

Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961-1966) ने इस बात पर बल दिया कि "सहकार, आर्थिक जीवन की शाखाओं, विशेष कर कृषि, लघु सिंचाई, लघु उद्योग और प्रसंस्करण, विपणन, वितरण, ग्रामीण विद्युतीकरण, आवासन और निर्माण और स्थानीय समुदायों के लिए आवश्यक सुविधाओं के प्रावधान में संगठन का प्रमुख आधार बनना चाहिए। यहां तक कि मध्यम और बड़े पैमाने के उद्योगों और परिवहन में भी सहकारी तर्ज पर गतिविधियों की बढ़ती श्रृंखला शुरू की जा सकती है।"

साठ के दशक के मध्य से कृषि प्रसंस्करण सहकारी समितियां, विशेषकर चीनी और कताई के क्षेत्र की संख्या और उनके द्वारा योगदान में वृद्धि हुई, जो सहकारी क्षेत्र में बड़े पैमाने के उद्योगों को प्रोत्साहित करने और वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण सहायता प्रदान करने की सरकार की नीति द्वारा मुख्य रूप से प्रेरित थी। दुग्ध में सहकारी समितियों के आणंद पैटर्न को दोहराने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन पंजीकृत भारतीय डेयरी निगम (अब एनडीडीबी) की स्थापना से भारतीय डेयरी सहकारी आंदोलन को गति मिली। वर्ष 1962 में भारत-चीन युद्ध के बाद उपभोक्ता सहकारी संरचना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), दोनों को मजबूत किया गया। शहरी सहकारी क्रेडिट समितियों में सार्वजनिक जमा की वृद्धि के साथ, भारतीय रिजर्व बैंक की जमा बीमा योजना के अंतर्गत इनका बीमा करने की आवश्यकता महसूस की गई।

1960 के दशक में अस्तित्व में आए कुछ राष्ट्रीय संस्थान

- केंद्रीय भूमि बंधक बैंकों के माध्यम से सहकारी समितियों को दीर्घकालिक ऋण प्रदान करने के लिए वर्ष 1962 में कृषि पुनर्वित्तीयन निगम की स्थापना की गई।
- वर्ष 1963 में संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) को एक सांविधिक निगम के रूप में स्थापित किया गया।
- विभिन्न राष्ट्रीय सहकारी परिसंघों की स्थापना और नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (NCUI) का पुनर्गठन किया गया।
- वर्ष 1967 में वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान (VAMNICOM) की स्थापना पुणे में की गई।

Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969-1974) में सहकारी अल्पकालिक और मध्यमकालिक संरचना को व्यवहार्य बनाने के लिए सहकारी समितियों के पुनर्गठन को उच्च प्राथमिकता दी गई। वर्ष 1965 में मिर्धा समिति की सिफारिशों के परिणामस्वरूप अधिकांश राज्यों में सहकारी कानून में संशोधन हुए।

पंचम पंचवर्षीय योजना (1974-1978) में अतिदेय के उच्च स्तर पर ध्यान दिया गया। सहकारी विकास के लिए इसकी अनुशंसित रणनीति में क्षेत्रीय असंतुलन में सुधार और सहकारी समितियों को वंचितों की ओर पुन:उन्मुख करने के लिए इसकी संरचनात्मक सुधार पर विशेष ध्यान दिया गया। योजना में राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा परिकल्पित किसान सेवा सहकारी समितियों के गठन की सिफारिश की गई और सहकारी समितियों के पेशेवर प्रबंधन की आवश्यकता पर बल दिया गया।

छठी पंचवर्षीय योजना (1980-1985) में निर्धन ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति को सुधारने की दिशा में अधिक व्यवस्थित रूप से निर्देशित किए जाने वाले सहकारी प्रयासों के महत्व पर भी जोर दिया गया। योजना ने प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों को सशक्त और व्यवहार्य बहुउद्देश्यीय इकाइयों में पुनर्गठित करने के लिए कदमों की सिफारिश की। इसने उपभोक्ता और विपणन सहकारी समितियों के बीच लिंकेज को सुदृढ़ करने का भी सुझाव दिया।

नाबार्ड अधिनियम, 1981

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) अधिनियम को वर्ष 1981 में पारित किया गया और नाबार्ड की स्थापना सहकारी बैंकों को पुनर्वित्तीयन सहायता प्रदान करने और कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संसाधनों की पूर्ति करने के लिए की गई थी।

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1984

बहुराज्य समितियों के सुचारू कार्यकरण को सुगम बनाने और उनके प्रशासन व प्रबंधन में एकरूपता लाने के लिए एक व्यापक केंद्रीय कानून लाने के उद्देश्य से बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1984 को अधिनियमित किया गया। वर्ष 1942 की बहुएकक सहकारी सोसाइटी अधिनियम को निरस्त कर दिया गया।

सत्यमेव जयते

सातवी पंचवर्षीय योजना (1985-1990) में अन्य बातों के साथ-साथ प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को बहु-व्यवहार्य इकाइयों के रूप में विकसित करने; ऋण के प्रवाह का विस्तार करने और विशेष रूप से दुर्बल वर्गों के लिए निविष्टियां और सेवाओं सुनिश्चित करने के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं का पुनर्गठन करने; पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष कार्यक्रम; शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता सहकारी आंदोलन को मजबूत करने और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने की सिफारिश की गई।

Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय

सरकार ने वर्ष 1985 में सहकारी समितियों में प्रबंधन के लोकतंत्रीकरण और पेशेवरता के लिए सहकारी कानून पर एक समिति का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता श्री के.एन. अर्धनारीश्वरन ने की। इसी प्रकार, वर्ष 1989 में प्रोफेसर ए.एम. खुसरो की अध्यक्षता में कृषि ऋण समीक्षा समिति का गठन किया गया जिसने कृषि और ग्रामीण ऋण की समस्याओं की जांच की और प्रमुख प्रणालीगत सुधारों की सिफारिश की।

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002

वर्ष 1984 में अधिनियमित बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (MSCS) अधिनियम को वर्ष 2002 में निरस्त करके उसके स्थान पर बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (MSCS) अधिनियम, 2002 लाया गया।

राष्ट्रीय सहकारिता नीति, 2002

वर्ष 2002 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय सहकारिता नीति की घोषणा की। नीति का उद्देश्य देश में सहकारी समितियों के सर्वांगीण विकास को सुकर करना था। यह नीति सहकारी समितियों को स्वायत्त, आत्मनिर्भर और लोकतांत्रिक रूप से प्रबंधित संस्थानों के रूप में कार्य करने, अपने सदस्यों के प्रति जवाबदेह होने और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए आवश्यक समर्थन, प्रोत्साहन और सहायता प्रदान करने का वादा करती है।

सहकारिता राज्य मंत्रियों के एक सम्मेलन में की गई सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने वर्ष 2002 में राष्ट्रीय सहकारी नीति के कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना तैयार करने हेतु मंत्री स्तर के कार्य बल का गठन किया। इस कार्यबल ने सुझाव दिया कि राज्यों में समानांतर कानूनों के बजाय एक ही कानून लागू किया जाना चाहिए।

एनसीडीसी संशोधन अधिनियम, 2002

सत्यमेव जयते

ऋण देने के दायरे में सुधार लाने और इसके निधीयन में बदलाव की आवश्यकता के कारण राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम को वर्ष 2002 में संशोधित किया गया ताकि अधिसूचित सेवाओं, पशुधन और औद्योगिक कार्यकलापों को शामिल किया जा सके तथा सबसे जरूरी यह कि यथोचित प्रतिभूति के विरुद्ध सहकारी समितियों का प्रत्यक्ष निधीयन किया जा सके।

Ministry of Co-operation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

सहकारी क्रेडिट संस्थानों के पुनरुद्धार पर कार्यबल

ग्रामीण सहकारी ऋण प्रणाली को पुन: मजबूत करने, ग्रामीण ऋण को तीन वर्षों में दोगुना सुनिश्चित करने और संस्थागत ऋण द्वारा लघु और सीमांत किसानों के कवरेज में वस्तुत: विस्तार करने के लिए, भारत सरकार ने अगस्त, 2004 में ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थानों को पुन: सक्रिय करने के लिए एक कार्य योजना और इस प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए आवश्यक कानूनी उपायों का सुझाव देने के लिए प्रोफेसर ए. वैद्यनाथन के नेतृत्व में एक कार्यबल का गठन किया। इसके संदर्भ की शर्तों के अनुसार कार्यबल की सिफारिशें मूल रूप से क्रेडिट सहकारी समितियों के पुनरुद्धार तक ही सीमित थीं, जिसके लिए इसने एक वित्तीय पैकेज का सुझाव दिया था। वैद्यनाथन समिति ने एक आदर्श सहकारी कानून का

भी सुझाव दिया जिसे राज्य सरकारों द्वारा अधिनियमित किया जा सकता है। वैद्यनाथन समिति ने दीर्घकालिक सहकारी ऋण संरचना पर भी अपनी रिपोर्ट दी।

संविधान (सत्तानवेवां) (संशोधन) अधिनियम, 2011: संविधान (सत्तानवेवां) (संशोधन) अधिनियम, 2011 ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया और निम्नलिखित प्रावधान किए, अर्थात्:

(i) संविधान के भाग III में अनुच्छेद 19(1)(सी) में "सहकारी समितियाँ" शब्द अंतर्विष्ट करके सहकारी समितियाँ बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया।

(ii) सहकारी समितियों के संवर्धन के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में अनुच्छेद 43बी को संविधान के भाग IV में अंतर्विष्ट किया गया।

(iii) सहकारी समितियों के निगमन, विनियमन और परिसमापन के उपबंधों के लिए भाग IX बी 'सहकारी समितियां' अंतर्विष्ट किया गया।

संविधान (सत्तानवेवां) (संशोधन) अधिनियम, 2011 दिनांक 15.02.2012 से प्रवृत्त हुआ। तथापि, गुजरात उच्च न्यायालय ने दिनांक 22.04.2013 के अपने आदेश में यह निर्णय दिया कि संविधान (97वां संशोधन) अधिनियम, 2011 जिसमें अनुच्छेद 243ZH से लेकर 243ZT वाले भाग- IXख को जोड़ा गया था, वे भारतीय संविधान के अधिकारातीत (ultra vires) है क्योंकि अधिकांश राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन (ratification) प्रदान करने वाले संविधान के अनुच्छेद 368(2) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया था। यह आदेश संविधान (97वां संशोधन) अधिनियम, 2011 के अन्य हिस्सों को प्रभावित नहीं करेगा। तथापि, उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका में दिनांक 20.07.2021 के बहुमत निर्णय से फैसला दिया कि भारतीय संविधान का भाग IXख केवल उसी हद तक कार्यशील है जहां तक उसका संबंध बहुराज्य सहकारी समितियों से है।

2.2 भारत में सहकारी क्षेत्र की संरचना

भारत में सहकारी प्रणाली को मोटे तौर पर दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात् ऋण और गैर-ऋण सहकारी समितियाँ। क्रेडिट सहकारी समितियां ग्रामीण क्षेत्र में कृषि, उपभोग और विपणन के लिए किफायती ब्याज दरों पर ऋण सुनिश्चित करती हैं, उपभोक्ता सहकारी समितियां रियायती दरों पर किसानों की उपभोग मांग को पूरा करती हैं और विपणन समितियां वस्तुओं के लेनदेन में बिचौलियों को खत्म करके उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करती हैं। सहकारी समितियाँ कृषि और लघु उद्योग विपणन, प्रसंस्करण, वितरण और आपूर्ति से संबंधित कार्यकलाप भी करती हैं। नीचे दी

गई सारणी देश भर में समितियों की कुल संख्या और इन समितियों में पंजीकृत सदस्यों की कुल संख्या दर्शाती है-

क्रम सं.	क्षेत्रक	सहकारी समितियों की कुल संख्या	सदस्यों की कुल संख्या
1	कृषि और संबद्ध सहकारी समिति	27,810	81,99,910
2	कृषि प्रसंस्करण/औद्योगिक सहकारी समिति	23,536	22,14,642
3	मधुमक्खी पालन सहकारी समिति	350	47,373
4	उपभोक्ता सहकारी समिति	23,226	1,01,36,623
5	क्रेडिट और थ्रिफ्ट समिति	83,366	5,28,09,506
6	डेयरी सहकारी समिति	1,47,909	1,29,30,774
7	शैक्षणिक और प्रशिक्षण सहकारी समिति	1,591	45,66,463
8	मात्स्यिकी सहकारी समिति	26,692	37,29,764
9	हस्तशिल्प सहकारी समिति	5,193	91,026
10	हथकरघा वस्त्र और बुनकर सहकारी समिति	19,559	16,38,843
11	आवासन सहकारी समिति	1,93,603	2,64,75,245
12	जूट और कॉएर सहकारी समिति	71	4,752
13	खादी ग्रामोद्योग	19	5,118
14	श्रमिक सहकारी समिति	46,390	90,97,191
15	पशुधन और कुक्कुट सहकारी समिति	16,895	11,22,805
16	विपणन सहकारी समिति	10,059	37,11,250
17	विविध ऋण सहकारी समिति	7,559	55,75,873
18	विविध गैर-क्रेडिट सहकारी समिति	34,892	1,14,53,003
19	बहुउद्देशीय सहकारी समिति	21,303	30,61,142
20	प्राथमिक कृषि क्रेडिट सहकारी समिति (पैक्स/FSS/LAMPS)	1,08,375	13,93,66,734
21	रेशम उत्पादन सहकारी समिति	532	78,021

सत्यमेव जयते
Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

22	समाज कल्याण और सांस्कृतिक सहकारी समिति	2,505	6,85,520
23	चीनी मिल सहकारी समिति	290	39,31,512
24	पर्यटन सहकारी समिति	598	39,957
25	परिवहन सहकारी समिति	4,232	1,36,080
26	जनजातीय- अनु.जा./अनु.ज.जा. सहकारी समिति	2,042	13,84,663
27	शहरी सहकारी बैंक (UCB)	1,463	1,52,81,868
28	महिला कल्याण सहकारी समिति	26,249	60,59,267
	कुल	**8,36,309**	**32,38,34,925**

स्रोत: राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (एनसीडी) दिनांक 31.03.2025 के अनुसार

2.2.1 क्रेडिट सहकारी समितियाँ

क्रेडिट सहकारी समितियों में ग्रामीण ऋण वितरण के लिए सामान्यत: त्रि-स्तरीय संरचना है जिसमें ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियां (पैक्स), जिला स्तर पर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (DCCB) और राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक (StCB) हैं। शहरी क्षेत्रों को प्राथमिक शहरी क्रेडिट सहकारी समितियों और शहरी सहकारी बैंकों (UCB) द्वारा सेवा प्रदान की जाती है।

सहकारी बैंक/क्रेडिट समितियां अंतिम छोर तक ऋण वितरण सुनिश्चित करती हैं और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देती हैं। सहकारिता मंत्रालय के राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (NCD) पोर्टल के अनुसार भारत में लगभग 2.02 लाख क्रेडिट सहकारी समितियां हैं, जिनमें प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियां (पैक्स), प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण बैंक (PCARDBs), शहरी सहकारी बैंक (UCBs), कर्मचारी थ्रिफ्ट और अन्य क्रेडिट सहकारी समितियां, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक (DCCBs), राज्य सहकारी बैंक (StCBs) और राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (SCARDBs) शामिल हैं।

सहकारी बैंकिंग संरचना भारतीय वित्तीय तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में उन्हें अपने व्यापक नेटवर्क का लाभ प्राप्त होता है। सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के ठोस प्रयासों द्वारा विनियामक संरचना में सुधार और पूंजी जुटाने में अधिक स्वतंत्रता आई है जबकि जमा बीमा में सुधारों के लिए इन बैंकों में जमाकर्ताओं के विश्वास को पुन: बहाल करने की आवश्यकता थी। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, संकटग्रस्त आस्तियों के लिए विवेकपूर्ण मानदंड सहित सहकारी बैंकिंग क्षेत्र

के विनियमों को अन्य विनियमित संस्थानों (REs) के समरूप लाने के लिए सुनियोजित प्रयास किए गए। अपने व्यावसायिक प्रचालनों में अधिक लचीलापन लाने के लिए सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में विनियमित संस्थानों को उधारकर्ता सेवा प्रदाताओं (LSPs) और डिजिटल लेंडिंग मंच के साथ आउटसोर्सिंग व्यवस्था में प्रवेश करने की अनुमति दी गई है।

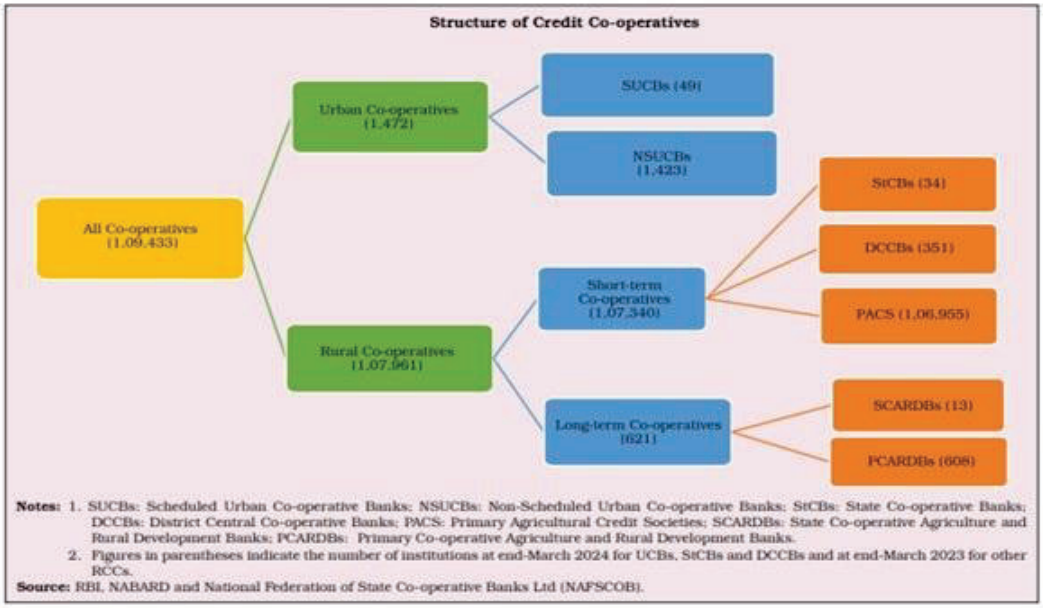

सत्यमेव जयते

भारत में सहकारी बैंकिंग, देश के वित्तीय परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में कार्य करता है और विविध समुदायों की सेवा और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है। ये बैंक अपने सदस्यों और जनता द्वारा किए गए जमा को एकत्रित करता है और बचत खाता से लेकर मियादी जमा तक, विभिन्न आवश्यकताओं के लिए विभिन्न जमा योजनाओं का विकल्प प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, सहकारी बैंक अपने सदस्यों को ऋण व अग्रिम प्रदान करते हैं और मुख्यत: कृषि, लघु उद्योगों और सूक्ष्म उद्यमों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये ऋण प्राय: प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों और लचीली पुनर्भुगतान शर्तों पर दिया जाता है जो ऋण लेने वालों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करता है जिनके पास औपचारिक बैंकिंग चैनल तक सीमित पहुंच हो सकती हैं। सदस्यों को सुगम वित्तीय सेवाओं प्रदान करने तथा सहकार की भावना को बढ़ावा देने के लिए सहकारी बैंक, भारत में समाज के अल्पसेवित वर्गों की वित्तीय समावेशिता और सशक्तीकरण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

सहकारी बैंक जमीनी स्तर पर वित्तीय समावेशिता में प्रमुख भूमिका निभाते हैं जिनके पास कुल प्रचालनरत किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) खातों का लगभग 42% है और जो बकाया KCC क्रेडिट का लगभग 21% का योगदान दे रहे हैं।

देश में राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों में जमा और अग्रिम की कुल धनराशि का ब्यौरा (दिनांक 31.03.2025 के अनुसार) नीचे सारणीबद्ध रूप में दर्शाई गई है: -

(करोड़ ₹)

ग्रामीण सहकारी बैंक (राज्य और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक)	**जमा**	**सकल ऋण और अग्रिम**
अंडमान और निकोबार	1,354.33	1,149.87
आंध्र प्रदेश	25,125.66	76,039.82
अरुणाचल प्रदेश	601.52	388.49
असम	3,537.24	1,528.09
बिहार	6,773.23	11,311.87
चंडीगढ़	724.76	154.14
छत्तीसगढ़	33,655.42	8,338.72
दमन और दीव	672.90	213.80
गोवा	2,405.57	1,201.34
गुजरात	71,142.55	45,947.82
हरियाणा	15,587.42	23,837.01
हिमाचल प्रदेश	32,651.81	16,124.10
जम्मू और कश्मीर	3,014.05	1,235.53
झारखंड	3,104.67	1,204.52
कर्नाटक	60,169.00	78,712.88
केरल	72,116.48	50,343.18
मध्य प्रदेश	40,373.93	44,297.93

सत्यमेव जयते
Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

महाराष्ट्र	1,54,089.98	1,23,964.77
मणिपुर	435.13	277.20
मेघालय	3,965.69	1,909.40
मिजोरम	1,694.21	1,217.64
नागालैंड	1,147.52	788.20
नई दिल्ली	1,355.52	1,059.48
ओडिशा	31,242.53	38,897.01
पुडुचेरी	896.52	766.68
पंजाब	24,008.38	16,602.38
राजस्थान	19,533.91	27,395.21
सिक्किम	1,323.98	651.31
तमिलनाडु	55,393.21	89,284.13
तेलंगाना	16,544.31	34,426.38
त्रिपुरा	3,932.41	2,729.40
उत्तर प्रदेश	38,496.32	29,913.63
उत्तराखंड	15,651.02	9,416.00
पश्चिम बंगाल	40,464.04	24,434.95
महाकुल	**7,83,185.22**	**7,65,762.88**

सत्यमेव जयते
Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

देश के ग्रामीण सहकारी बैंकों (राज्य सहकारी बैंकों और जिला सहकारी बैंकों) में जमा और अग्रिम की कुल धनराशि (दिनांक 31.03.2025 के अनुसार) नीचे मानचित्र स्वरूप में दर्शाया गया है–

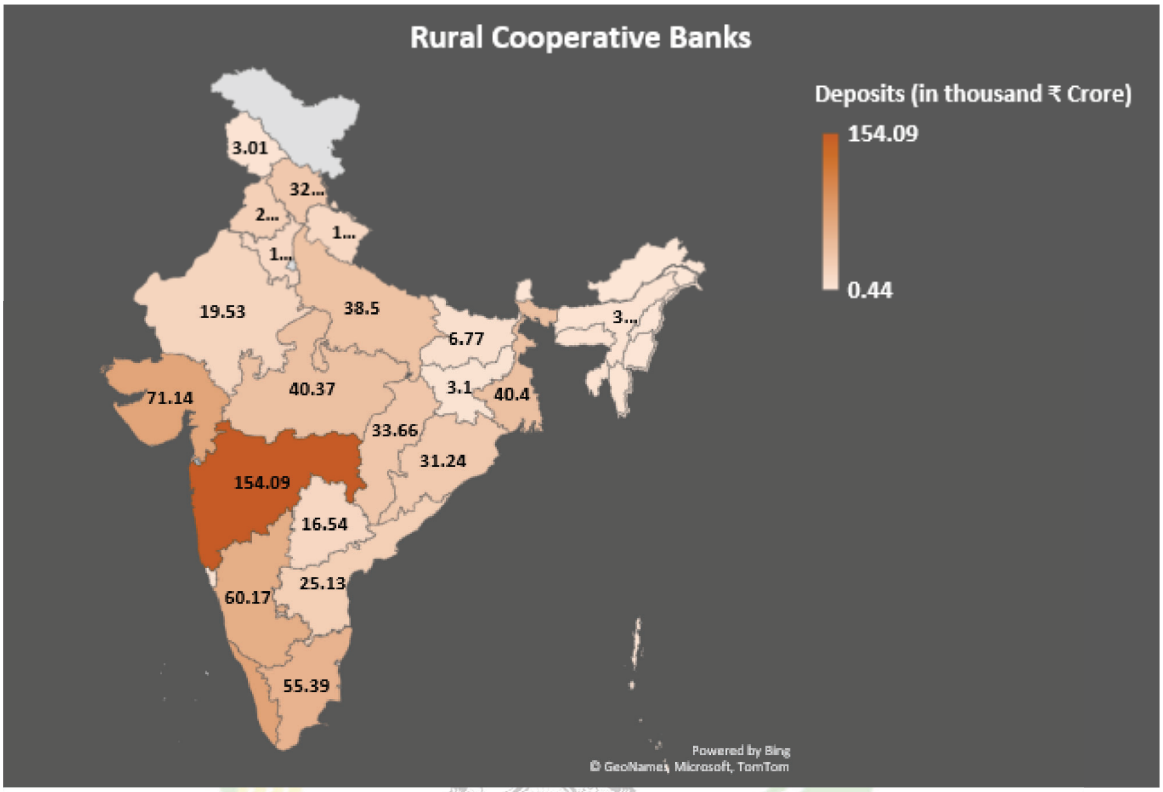
Rural Cooperative Banks
Deposits (in thousand ₹ Crore)
154.09
0.44
3.01
32...
2...
1...
1...
19.53
38.5
6.77
3...
71.14
40.37
3.1
40.4
33.66
31.24
154.09
16.54
60.17
25.13
55.39
Powered by Bing
© GeoNames, Microsoft, TomTom

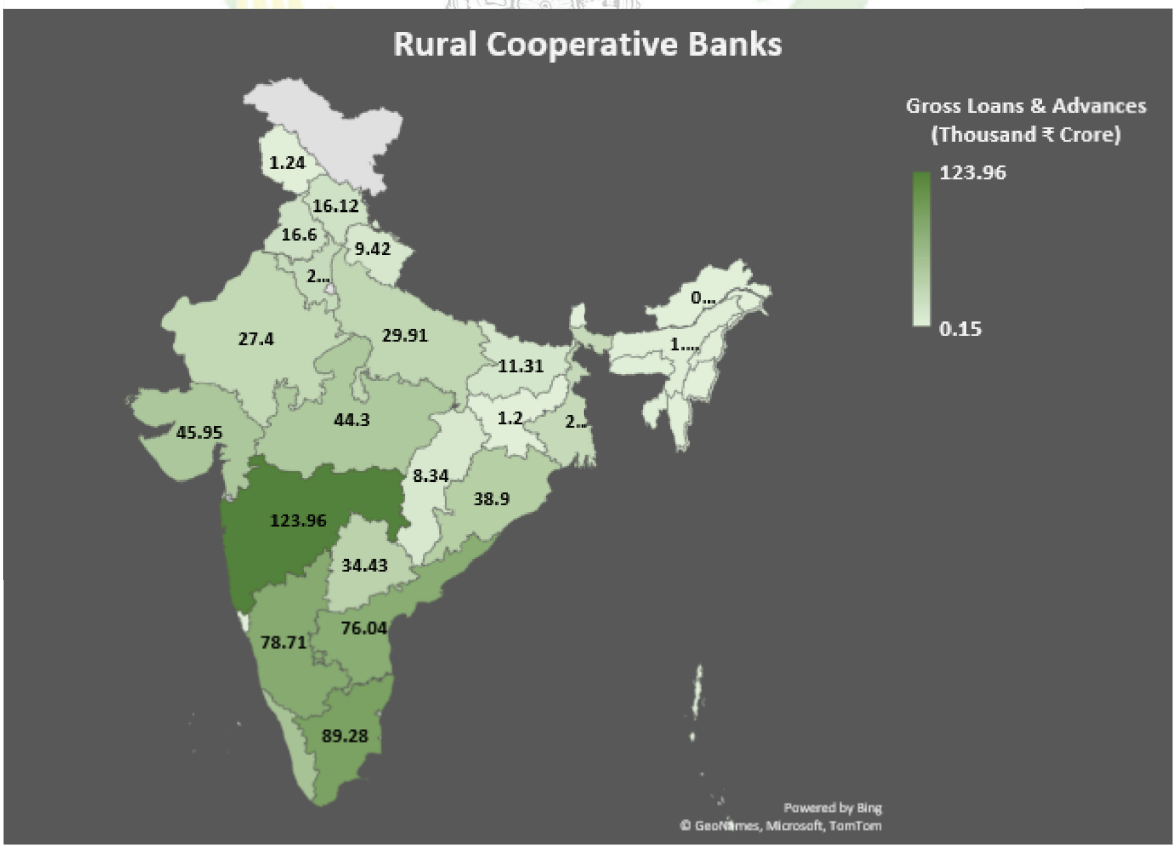
Rural Cooperative Banks
Gross Loans & Advances
(Thousand ₹ Crore)
123.96
0.15
1.24
16.12
16.6
9.42
2...
0...
1....
27.4
29.91
11.31
45.95
44.3
1.2
2...
8.34
38.9
123.96
34.43
78.71
76.04
89.28
Powered by Bing
© GeoNames, Microsoft, TomTom

देश में शहरी सहकारी बैंकों द्वारा जमा और अग्रिम की कुल धनराशि (दिनांक 31.03.2024 के अनुसार) नीचे दर्शाई गई है –

(करोड़ ₹)

क्रम सं.	**नाम**	**शहरी सहकारी बैंकों की संख्या**	**शाखाओं की संख्या**	**जमा**	**अग्रिम**
1	हरियाणा	7	33	2,053.40	1,244.94
2	हिमाचल प्रदेश	5	23	962.85	592.86
3	जम्मू और कश्मीर	4	25	501.03	232.96
4	पंजाब	4	20	958.24	415.86
5	राजस्थान	34	230	8,487.52	4,783.50
6	दिल्ली	14	86	3,452.15	1,606.39
7	असम	8	23	705.92	394.12
8	मणिपुर	3	8	272.12	126.68
9	मेघालय	3	9	724.06	199.08
10	मिजोरम	1	0	74.01	36.84
11	त्रिपुरा	1	3	39.42	6.38
12	बिहार	3	8	76.72	102.94
13	झारखंड	2	5	102.41	61.48
14	ओडिशा	9	33	1,223.57	707.62
15	सिक्किम	1	6	88.55	27.91
16	पश्चिम बंगाल	42	81	6,767.91	3,569.48
17	छत्तीसगढ़	12	20	850.26	376.99
18	मध्य प्रदेश	47	71	3,045.13	1,704.22
19	उत्तर प्रदेश	56	194	7,323.67	3,774.60

सत्यमेव जयते
Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

20	उत्तराखंड	5	118	6,332.42	3,360.51
21	गोवा	4	35	1,663.28	939.64
22	गुजरात	211	1,011	84,610.07	52,567.25
23	महाराष्ट्र	463	5,942	3,31,985.91	2,07,985.36
24	आंध्र प्रदेश	46	207	11,816.42	8,310.10
25	कर्नाटक	251	941	46,777.05	30,921.61
26	केरल	58	475	15,902.74	10,331.24
27	तमिलनाडु	128	188	9,024.00	6,516.72
28	तेलंगाना	49	237	9,525.57	5,919.01
29	पुडुचेरी	1	5	123.1	87.07
	संपूर्ण भारत	**1,472**	**10,037**	**5,55,469.50**	**3,46,903.36**

देश में शहरी सहकारी बैंकों के जमा और अग्रिम की कुल राशि (दिनांक 31.03.2024 के अनुसार) नीचे मानचित्र स्वरूप में दर्शाई गई है–

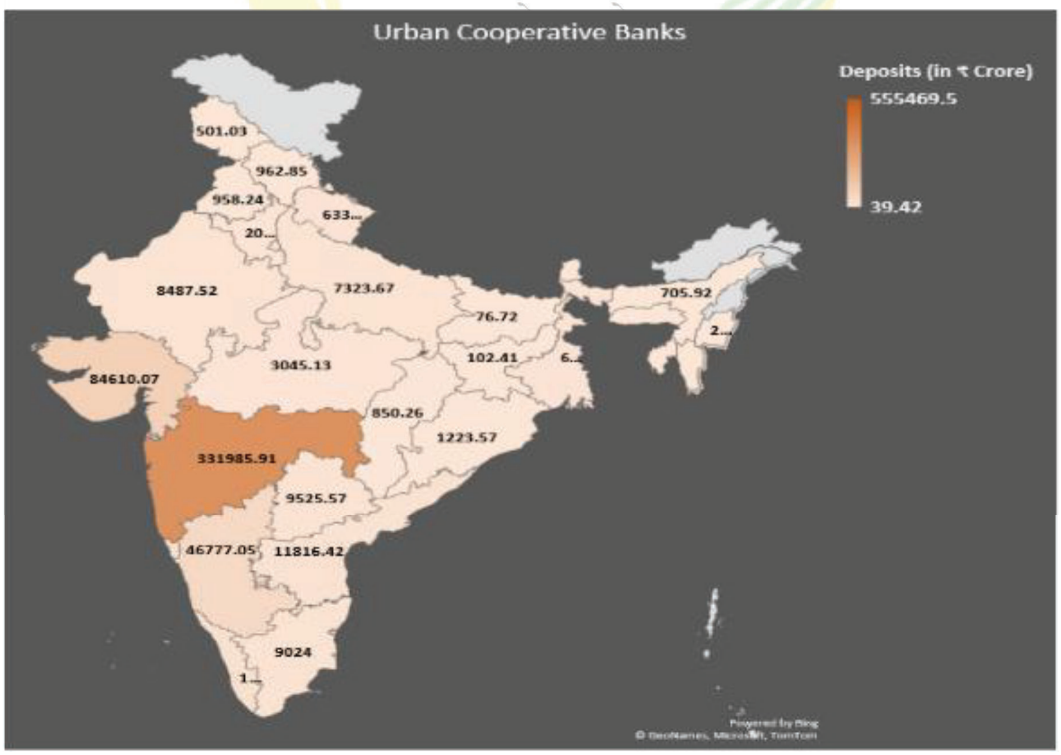

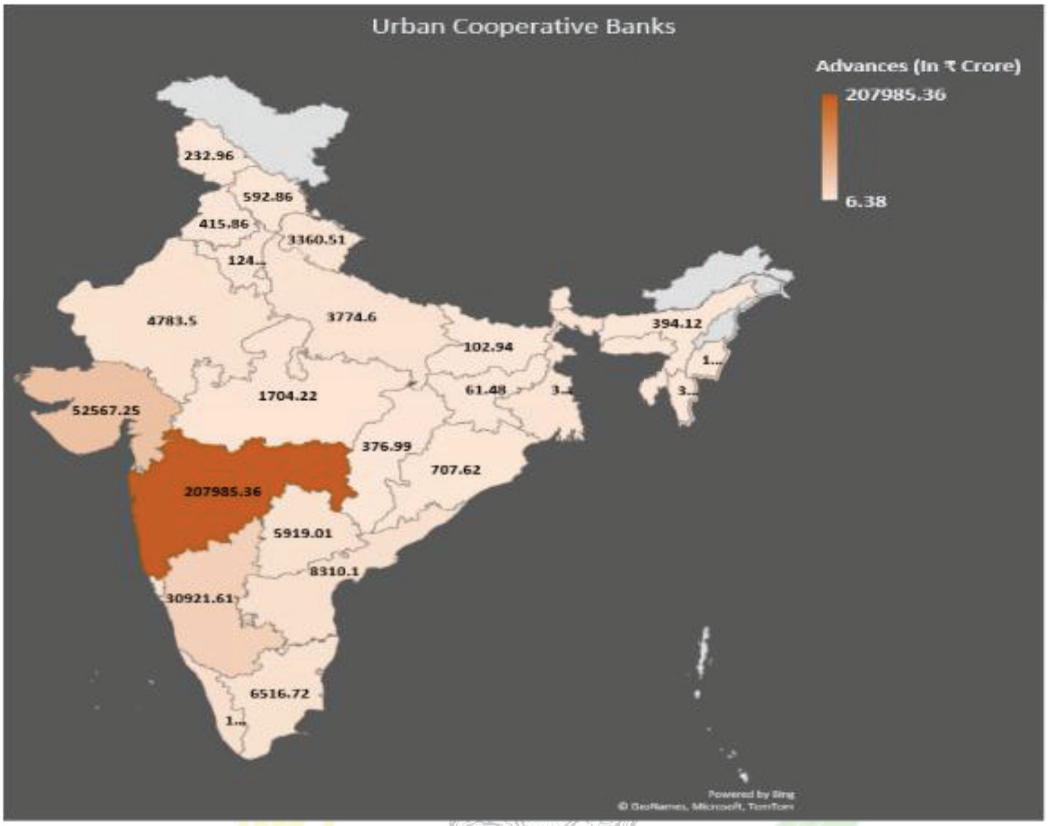

इसके अलावा, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) जैसे केंद्रीय सरकार के संगठन भी सहकारी ऋण के प्रवाह में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। सहकारिता मंत्रालय, सहकारी बैंकों द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों के समाधान के लिए राष्ट्रीय परिसंघों, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ निकट समन्वय में कार्य कर रहा है।

Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

2.2.2.1 सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद से सहकारी बैंकों के सशक्तीकरण के लिए की गई पहलों का ब्यौरा

अपनी स्थापना के बाद से सहकारिता मंत्रालय ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और अन्य हितधारकों के सहयोग से देश भर में सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को सशक्त करने के लिए विभिन्न पहलें की हैं:

I. मंत्रालय की स्थापना से लेकर दिनांक 31.03.2024 तक की गई पहलें:

1. **शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) को व्यापार विस्तारण हेतु नई शाखाएं खोलने की अनुमति:** शहरी सहकारी बैंक (UCBs) अब आरबीआई की पूर्वानुमति के बिना पिछले वित्तीय वर्ष में

मौजूदा शाखाओं की संख्या का 10% (अधिकतम 5) तक नई शाखाएँ खोलने हेतु पात्र हो गए हैं।

2. **भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) को अपने ग्राहकों को डोर-स्टेप सेवाओं प्रदान करने की अनुमति:** शहरी सहकारी बैंकों द्वारा अब डोर-स्टेप बैंकिंग सुविधा प्रदान की जा सकती है । इन बैंकों के खाताधारक अब अपने घर पर ही विभिन्न बैंकिंग सुविधाएं जैसे नकद निकासी एवं नकद जमा, केवाईसी, डिमांड ड्राफ्ट और पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र आदि का लाभ प्राप्त कर पाने को सक्षम हैं।

3. **शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) को शामिल करने हेतु शेड्यूलिंग मानदंडों की अधिसूचना:** शहरी सहकारी बैंक जो 'वित्तीय सुदृढ़ और सुप्रबंधित' (FSWM) मानदंडों को पूरा करते हैं तथा पिछले दो वर्षों से टियर-3 के रूप में वर्गीकरण हेतु आवश्यक न्यूनतम जमा राशि बरकरार रखे हुए हैं, अब भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम,1934 की अनुसूची-II में शामिल होने के लिए पात्र हैं तथा 'अनुसूचित' का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं।

4. **शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) के साथ नियमित संवाद हेतु आरबीआई में एक नोडल अधिकारी नामित**: सहकारिता क्षेत्र की गहन समन्वय और केंद्रित संवाद हेतु काफी समय से लंबित मांग को पूरा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने एक नोडल अधिकारी अधिसूचित कर दिया है।

5. **स्वर्ण ऋण हेतु RBI द्वारा मौद्रिक सीमा दोगुनी की गई:** भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा PSL लक्ष्यों को पूरा करने वाले शहरी सहकारी बैंकों की मौद्रिक सीमा को ₹ 2 लाख से दोगुना कर ₹ 4 लाख कर दिया गया है।

Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

6. **शहरी सहकारी बैंकों के लिए अंब्रेला संगठन**: भारतीय रिजर्व बैंक ने नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज़ लिमिटेड (NAFCUB) को शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र के लिए एक अम्ब्रेला संगठन (UO) की स्थापना हेतु मंजूरी दी है, जिसका लक्ष्य लगभग 1,500 शहरी सहकारी बैंकों को आवश्यक सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना और प्रचालन सहायता प्रदान करना है।

7. **सहकारी बैंकों को वाणिज्यिक बैंकों की तरह बकाया ऋणों का वन टाइम सेटलमेंट करने की अनुमति:** सहकारी बैंक अब बोर्ड-अनुमोदित नीतियों के माध्यम से तकनीकी राइट-ऑफ करने के साथ-साथ उधारकर्ताओं के निपटान की प्रक्रिया भी प्रदान कर सकते हैं।

8. **आवास ऋण की उच्चतर सीमा:** भारतीय रिजर्व बैंक ने व्यक्तिगत आवास ऋण सीमा को ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए ढाई गुना बढ़ाकर ₹ 75 लाख कर दिया है और उन्हें कुल जोखिम के 5% तक रियल एस्टेट को उधार देने के लिए सक्षम बना दिया है।

9. **सहकारी बैंकों के लिए लाइसेंस शुल्क कम किया गया**: सहकारी बैंकों को 'आधार सक्षम भुगतान प्रणाली' (AePS) से जोड़ने के लिए लाइसेंस शुल्क को लेनदेन की संख्या से जोड़कर कम कर दिया गया है। सहकारी वित्तीय संस्थाओं को भी उत्पादन-पूर्व चरण के पहले तीन महीनों के लिए यह सुविधा निःशुल्क मिलेगी। इससे ऑनबोर्ड हुए बैंकों के किसान सदस्यों को बायोमीट्रिक्स के माध्यम से अपने घर पर ही बैंकिंग सुविधा मिल सकेगी। इसके अलावा, राज्य सहकारी बैंकों को AePS पर ऑनबोर्ड होना आवश्यक है तथा जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंकों के माध्यम से ऑनबोर्ड हो सकते हैं।

10. **गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को ऋण देने में सहकारी समितियों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए CGTMSE योजना में सदस्य ऋण देने वाले संस्थानों (MLIs) के रूप में अधिसूचित किया गया:** सहकारी बैंक अब दिए गए ऋणों पर 85 प्रतिशत तक जोखिम कवरेज का लाभ उठा सकेंगे। साथ ही, सहकारी क्षेत्र के उद्यम भी अब सहकारी बैंकों से कोलेटरल मुक्त ऋण प्राप्त कर सकेंगे।

II. दिनांक 01.04.2024 के पश्चात् की गई पहलें:

1. **PSL लक्ष्य को 75% से 60% घटाकर शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) को राहत:** RBI ने शहरी सहकारी बैंकों के प्राथमिक सेक्टर लेंडिंग (PSL) लक्ष्य को 75% कर दिया था जिसकी वजह से शहरी सहकारी बैंकों को अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा था। अब शहरी सहकारी बैंकों के लक्ष्य को 75% से घटाकर 60% कर दिया गया है जिससे इन बैंकों को काफी राहत मिली है।

2. **शहरी सहकारी बैंकों की आवास ऋण सीमा को 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया:** शहरी सहकारी बैंकों के सदस्यों की आवास ऋण सीमा को आस्तियों के 10% से बढ़ाकर उनके कुल ऋण और अग्रिमों का 25% (₹ 3 करोड़ तक) कर दिया गया है।

3. **महिला ऋण पुनर्भुगतान के ₹ 2 लाख के लक्ष्य को हटाकर 12% उप-सीमा (दुर्बल वर्ग) की उपसीमा में राहत:** दुर्बल वर्ग की 12% की उपसीमा के अधीन महिला उधारकर्ताओं के

सत्यमेव जयते
Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

लिए ₹ 2 लाख के लक्ष्य को हटाने से PSL अनुपालन सरल हुआ है और शहरी सहकारी बैंकों को PSL दायित्वों को पूरा करने के अधिक प्रचालनात्मक स्वतंत्रता प्राप्त हुई है।

4. **50% की ऋण सीमा को ₹ 1 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 3 करोड़ करके शहरी सहकारी संस्थानों को राहत:** शहरी सहकारी बैंकों की 50% ऋण और अग्रिमों की जोखिम सीमा को ₹ 1 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 3 करोड़ किया गया जिससे उन्हें व्यक्तिगत उधारकर्ताओं की उच्चतर ऋण मांगों को पूरा करने, व्यवसाय विकास में सहायता और रिटेल एवं SME लेंडिंग वर्ग में उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता के सुधार में मदद मिलेगी।

5. **RBI ने प्रतिभूति प्राप्तियों के ग्लाईड-पाथ को वित्तीय वर्ष 2025-26 से बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2027-28 किया:** आरबीआई ने दिनांक 24.02.2025 के अपने परिपत्र के माध्यम से शहरी सहकारी बैंकों में पूंजी और तरलता के बेहतर प्रबंधन के लिए आस्ति पुनर्गठन कंपनी के माध्यम से गैर-निष्पादित आस्तियों की व्यवस्था करने के लिए अतिरिक्त दो वर्षों की समय सीमा दी है ताकि ये बैंक दबावग्रस्त आस्तियों पर अपनी हानि कम कर सकें।

6. **सहकारी बैंकों के निदेशक बोर्ड के कार्यकाल को गठन के अनुसार** (अधिकतम 10 लगातार वर्ष) करने हेतु सरकार द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम को संशोधित किया है।

7. **प्राथमिक सेक्टर दिशानिर्देशों के अधीन कृषि सहकारी समितियों (डेयरी) की सीमा को ₹ 5 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 10 करोड़ किया गया:** आरबीआई ने दिनांक 24.03.2025 के मास्टर निदेश के माध्यम से कृषि सहकारी समितियों (डेयरी) की प्राथमिक सेक्टर लेंडिंग सीमा को ₹ 5 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 10 करोड़ कर दिया है। इससे बैंक, कृषि सहकारी समितियों को अधिक ऋण सहायता प्रदान कर सकेंगे जिसके फलस्वरूप कृषि अवसंरचना सशक्त होगी और ग्रामीण ऋण प्रवाह में वृद्धि होगी।

Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

8. **सहकार सारथी (साझा सेवा इकाई):** ग्रामीण सहकारी बैंकों को प्रौद्योगिकी सेवाओं प्रदान करने और उनके सशक्तीकरण के लिए आरबीआई ने नाबार्ड को सहकार सारथी (साझा सेवा इकाई) स्थापित करने की सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान कर दिया है। इस इकाई का पंजीकरण हो गया है।

9. आरबीआई द्वारा ग्रामीण सहकारी बैंकों को अब **ऑम्बड्समैन योजना के अधीन** लाया गया है जिससे वे अधिक ग्राहक-अनुकूल और उत्तरदायी बन सकेंगे।

10. माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने मुंबई में **नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NUCFDC) के नाम से सहकारी बैंकों के अंब्रेला संगठन के कॉरपोरेट कार्यालय का भी उद्घाटन किया**।

2.2.2 गैर-क्रेडिट सहकारी समितियाँ

गैर-ऋण क्षेत्र में कृषि, मात्स्यिकी, बागवानी, डेयरी, आवासन, जनजातीय, श्रमिक, बुनकर, उपभोक्ता, औद्योगिक, विपणन, प्रसंस्करण, स्वास्थ्य, परिवहन, बुनियादी सेवाओं, पर्यटन आदि में लगी सहकारी समितियां शामिल हैं।

2.3 भारतीय अर्थव्यवस्था में सहकारी समितियों का महत्व

देश में 8.3 लाख से भी अधिक पंजीकृत सहकारी समितियां हैं, जिनमें विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों से 32 करोड़ से अधिक सदस्य हैं, जो कृषि और संबद्ध क्षेत्र से संबंधित कार्यकलापों में लगे हुए हैं। सहकारी क्षेत्र ने हमेशा अपने सदस्य चालित और सर्वसमावेशी दृष्टिकोण के साथ देश के समग्र आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसमें कृषि और औद्योगिक निविष्टि सेवाओं, सिंचाई, विपणन, प्रसंस्करण और सामुदायिक भंडारण, इत्यादि जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण अवसंरचना के लिए समयबद्ध, पर्याप्त और डोर-स्टेप कमोडिटी और सेवा सहायता के प्रवाह को बढ़ाने की दिशा में न्यायसंगत और ठोस प्रयास के साथ-साथ मुर्गीपालन, मात्स्यिकी, बागवानी, डेयरी, कपड़ा, उपभोक्ता, आवासन, स्वास्थ्य जैसी कुछ अन्य कार्यकलापों के लिए भी सुनिश्चित करने की आवश्यक क्षमता है। सहकारी मॉडल हमारे समाज के आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों को आर्थिक विकास का अग्रणी बना सकता है और व्यापक वित्तीय समृद्धि पैदा कर सकता है।

सत्यमेव जयते
Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

"वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर" के अनुसार, भारत में कुछ कृषि और डेयरी सहकारी समितियाँ विश्व स्तर पर श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली सहकारी समितियाँ बनकर उभरी हैं। इफको, आणंद पैटर्न डेयरी मॉडल, महिला केंद्रित लिज्जत गृह उद्योग मॉडल, मुलुकनूर महिला डेयरी सहकारी समिति, सेवा समूह और विभिन्न अन्य सहकारी समितियों और संघों जैसी स्थापित सहकारी मॉडल हैं। सौर और बायो-गैस सहकारी समितियों जैसी कई नवीन सहकारी समितियाँ भी उभरी हैं।

माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री के मार्गदर्शन में मंत्रालय; सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI), नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण विभाग, राष्ट्रीय परिसंघों, आरबीआई, नाबार्ड, एनएफडीबी, एनडीडीबी और राज्य सरकारों के

परामर्श से सहकारी समितियों के देश के सकल मूल्य वर्धन (GVA) में योगदान के आकलन का कार्य कर रहा है।

2.4 सहकारिता में सहकार अभियान

2.4.1 गुजरात में पायलट परियोजना

"*सहकार से समृद्धि*" की परिकल्पना को सशक्त करने, ऋण तक सुगम पहुंच प्रदान करने और सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से गुजरात के बनासकांठा और पंचमहल DCCBs में दिनांक 21.05.2023 को पायलट परियोजना लॉन्च की गई। इस पायलट परियोजना को निम्नलिखित तरीकों से सहकारी आंदोलन को सशक्त करने की दृष्टि से शुरू किया गया था:

क)सहकारी समितियों के बीच सहयोग-

- प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियों (PDCS) को बैंक मित्र बनाना।
- सहकारी बैंकों में सदस्यों के बैंक खाते खोलकर पारस्परिक सशक्तीकरण।

ख)माइक्रो-एटीएम के माध्यम से वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करते हुए डोरस्टेप वित्तीय सेवाओं प्रदान करना।

ग) रुपे केसीसी के वितरण के माध्यम से प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियों को केसीसी मानदंडों के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान करना।

2.4.2 पायलट परियोजना के दौरान प्रगति

शुरुआत में दो डीसीसीबी में पायलट प्रोजेक्ट के दौरान बनासकांठा में 3 लाख से अधिक और पंचमहल में 4.4 लाख से अधिक जमा खाते खोले गए। नई बैंक मित्र सहकारी समितियों को 1,736 माइक्रो-एटीएम वितरित किए गए। इसके अतिरिक्त, सदस्यों को 20,000 से अधिक नए रुपे केसीसी वितरित किए गए।

2.4.3 राज्यव्यापी अभियान के दौरान प्रगति

इस पायलट परियोजना के तर्ज पर दिनांक 15.01.2024 को '**सहकारिता में सहकार**' नामक एक राज्यव्यापी अभियान पूरे गुजरात में शुरू किया गया। इस अभियान के अधीन 31.03.2025 तक:

- 14.49 लाख से अधिक जमा खाते खोले गए

- जमा राशि में लगभग ₹ 7,809 करोड़ की वृद्धि हुई
- कुल 5,080 डेयरी सहकारी समितियों को बैंक मित्र बनाया गया तथा डोरस्टेप बैंकिंग सुविधा हेतु 5,010 माइक्रो एटीएम प्रदान किए गए।
- प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियों के सदस्यों को प्रभावी रूप से शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर 1.32 लाख से अधिक रुपे KCC वितरित किए गए।
- डिजिटल लेन-देन 1.06 करोड़ प्रतिदिन से बढ़कर 1.6 करोड़ प्रतिदिन हो गया है ।

2.4.4 "सहकारिता में सहकार" अभियान का राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन

Government of India | भारत सरकार

दिनांक 19.09.2024 को माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री द्वारा "सहकारिता में सहकार" अभियान हेतु SOP जारी की गई

माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने दिनांक 19.09.2024 को नई दिल्ली में सभी सहकारी समितियों को सहकारी बैंकिंग सिस्टम में एकीकरण द्वारा सहकारी सेक्टर की वित्तीय अवसंरचना को सशक्त करने को लक्षित *"सहकारिता में सहकार"* राष्ट्रव्यापी अभियान की मानक प्रचालन प्रक्रिया (SOP) लॉन्च की।

अध्याय-3: सहकारी समितियों का सशक्तीकरण: रणनीति एवं पहलें

"गांव के स्वावलंबन के लिए सहकार एक उत्तम माध्यम है, इसमें आत्मनिर्भर भारत की ऊर्जा है"

– श्री नरेंद्र मोदी

देश में सहकारिता आंदोलन का वितरण असमान है, जिसके कारण राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर सहकारिता के प्रसार और पहुंच में असंतुलन है। कई राज्यों की अभी भी अपनी स्वयं की सहकारिता नीति नहीं है और कतिपय राज्यों में एक से अधिक सहकारी अधिनियम हैं। राष्ट्र के सहकारी आंदोलन को संवर्धित करने के लिए विनियामक संरचना में विभिन्न अधिनियमों के विस्तारण व प्रवर्तन उपायों पर विचार करना और उन्हें सशक्त करना जरूरी है।

माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारतीय बीज सहकारी समिति लि. द्वारा सहकारी समितियों के माध्यम से उन्नत और पारंपरिक बीज के उत्पादन पर राष्ट्रीय सिम्पोजियम में संबोधन करते हुए

3.1 पैक्स का सशक्तीकरण

देश में 1 लाख से भी अधिक पैक्स हैं जिनसे प्रत्यक्ष रूप से लगभग 13 करोड़ छोटे और सीमांत किसान जुड़े हैं। वे ग्रामीण सहकारी परितंत्र की बुनियाद के रूप में सेवाओं प्रदान करती हैं और अपने किसान सदस्यों की मूलभूत अल्पकालिक व दीर्घकालिक ऋण तथा कृषि संबंधी अन्य निविष्टियों की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। अत:, यह आवश्यक है कि उनको संधारणीय और जीवंत आर्थिक इकाइयों में रूपांतरित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाए जिससे ये ग्रामीण जनता की विविध जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हो सकें।

अपने व्यापक नेटवर्क और गहरी पहुंच के मद्देनज़र ये प्राथमिक स्तर की सहकारी समितियां, केंद्रीय और राज्य सरकार की विभिन्न पहलों को अंतिम छोर तक पहुंचाने का उत्तम साधन हैं। यदि इन्हें जमीनी स्तर तक सशक्त किया जाता है तो उनमें कृषि से लेकर स्वास्थ्य देखभाल और जलापूर्ति तक, संपूर्ण ग्रामीण परिदृश्य को सकारात्मक रूप से परिवर्तित करने की क्षमता है जिसके फलस्वरूप उत्पादक और उपभोक्ता, दोनों लाभान्वित होंगे।

सहकारिता मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर पैक्स को सशक्त करने के लिए निम्नलिखित पहलें की हैं:

3.1.1 प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (पैक्स) का कंप्यूटरीकरण

भारत सरकार ने ₹ 2,516 करोड़ के कुल बजटीय परिव्यय से 63,000 कार्यशील पैक्स के कम्प्यूटरीकरण की एक परियोजना को अनुमोदित किया है जिसमें सभी कार्यशील पैक्स को ERP (एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग) आधारित एक कॉमन सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म पर लाकर उन्हें राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) के माध्यम से नाबार्ड के साथ लिंक करना शामिल है। परियोजना परिव्यय को व्यय विभाग के दिनांक 05.08.2016 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 9 के अनुसरण में बढ़ा दिया गया है जो परियोजना कार्यक्षेत्र में बदलाव के कारण मूल अनुमोदित परिव्यय की 20% की सीमा के अध्यधीन लागत में वृद्धि की अनुमति देता है। इस अतिरिक्त प्रावधान से कुल परियोजना परिव्यय पिछली अनुमोदित ₹ 2,516 करोड़ की तुलना में अब ₹ 2,925.39 करोड़ हो गया है। अब इस परियोजना के अधीन पैक्स के कुल कवरेज को अब बढ़ाकर 79,630 कर दिया गया है।

पैक्स के कंप्यूटरीकरण से उनकी कार्यकुशलता की वृद्धि में मदद मिलेगी, ऋणों का त्वरित संवितरण सुनिश्चित होगा, लेनदेन की लागत में कमी होगी और पारदर्शिता में वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त, पैक्स प्रचालनों के प्रति किसानों में विश्वसनीयता की भी वृद्धि होगी। कॉमन लेखांकन प्रणाली

(CAS) और सूचना प्रबंधन प्रणाली (MIS) के कार्यान्वयन से प्रक्रियाओं के मानकीकरण और व्यावसायिक आचरण में एकरूपता लाकर पैक्स सुगम प्रचालन कर सकेंगे। इससे पैक्स की वित्तीय समावेशिता भी बढ़ेगी और किसानों, विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों को सेवा प्रदाय भी सशक्त होगी।

अब तक इस परियोजना के अंतर्गत 31 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 79,630 पैक्स को कंप्यूटरीकृत करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया है। नाबार्ड द्वारा सॉफ्टवेयर तैयार किया जा चुका है जिसमें कॉमन एकाउंटिंग सिस्टम के हिस्से के रूप में बैंकिंग, एक्स्टर्नल इंटिग्रेशन/इंटरफेसेस, CBS इंटिग्रेशन, वित्तीय लेखांकन व कर, प्रशासन तथा शासन, विनियमन इत्यादि सहित विभिन्न मॉड्यूल शामिल हैं। इसके अलावा, डिसास्टर रिकवरी विशेषताओं के साथ सिस्टम सॉफ्टवेयर सहित पैक्स के क्रेडिट और गैर-क्रेडिट, दोनों प्रकार के सभी कार्यों पर डेटा एकत्रित करने की राज्य विशिष्ट आवश्यकताओं हेतु इसे अनुकूलित भी किया जा सकता है। यह व्यापक ERP सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन साइबर सुरक्षा के साथ सदस्यता, वित्तीय सेवाओं, जमा, ऋण, संपरीक्षण, प्रापण, प्रसंस्करण इकाइयां, जनवितरण प्रणाली (PDS), व्यवसाय नियोजन, भंडारण, उधार, आस्ति प्रबंधन इत्यादि सहित विभन्न पहलुओं को कवर करता है।

31 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 60,353 से भी अधिक पैक्स को ERP सॉफ्टवेयर पर ऑनबोर्ड किया जा चुका है। अब तक 31 राज्यों में 65,176 से भी अधिक पैक्स ने हार्डवेयर की खरीद कर ली है। 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लगभग 58,896 पैक्स को गो-लाइव कर दिया गया है और 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 56,783 पैक्स डे-एंड कार्यकलाप कर रहे हैं। 37,354 पैक्स में ऑन-सिस्टम ऑडिट कराया गया है। पैक्स के 53,729 सदस्यों/सचिवों को ERP सॉफ्टवेयर के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है।

सत्यमेव जयते
Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

3.1.2 प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (पैक्स) के लिए आदर्श उपविधियां

भारत में 1 लाख से अधिक प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियां (पैक्स) हैं जो अल्पकालिक सहकारी ऋण (STCC) संरचना के सबसे निचले स्तर के रूप में कार्यरत हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पैक्स, सदस्य किसानों को अल्पकालिक और मध्यमकालिक ऋण तथा उर्वरक/बीज/कीटनाशक वितरण एवं भंडारण सुविधाएं इत्यादि जैसी अन्य सेवाओं प्रदान करते हैं। वर्तमान में पैक्स अलग-अलग राज्यों की सहकारी सोसाइटी अधिनियमों के विभिन्न उपबंधों द्वारा शासित होते हैं। पैक्स के पतन या अकार्यशील बनने में अनेक कारकों का योगदान होता है जैसे संगठनात्मक

कमजोरियां, अकुशल प्रबंधन, ऋण देने के लिए अपर्याप्त संसाधन, और अल्पकालिक ऋण से प्राप्त अपर्याप्त आय जो उनकी वित्तीय संधारणीयता के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (पैक्स) की व्यवहार्यता को बेहतर करने और पंचायत/गांव के स्तर पर उन्हें एक जीवंत आर्थिक इकाइयों के रूप में परिवर्तित करने के लिए उनके व्यावसायिक कार्यकलापों में विविधीकरण हेतु सहकारिता मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों, नाबार्ड, राष्ट्र-स्तरीय परिसंघों, राज्य सहकारी बैंकों, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों, वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान (वैमनीकॉम), राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी) और आम जनता की परामर्श से आदर्श उपविधियां तैयार की गई हैं। इन आदर्श उपविधियों को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पैक्स द्वारा संबंधित राज्य सहकारी अधिनियमों के अनुरूप उनमें यथोचित संशोधन करके अपनाए जाने के लिए परिचालित किया गया था। इन आदर्श उपविधियों को अब तक 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनाया गया है या उनकी मौजूदा उपविधियां मॉडल उपविधियों के अनुरूप हैं।

ये आदर्श उपविधियां पैक्स को डेयरी, मात्स्यिकी, पुष्पकृषि, गोदामों की स्थापना; खाद्यान्न, उर्वरक, बीजों का प्रापण, एलपीजी/सीएनजी/पेट्रोल/डीजल डिस्ट्रीब्यूटरशिप, अल्पकालिक और दीर्घकालिक ऋण, कस्टम हाइरिंग केंद्र, उचित मूल्य की दुकान (FPS), सामुदायिक सिंचाई, व्यवसाय अभिकर्ता कार्यकलाप, कॉमन सेवा केंद्र इत्यादि सहित 25 से भी अधिक व्यावसायिक कार्यकलाप करने में सक्षम बनाएंगे। महिलाओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देकर पैक्स की सदस्यता को अधिक समावेशी और व्यापक बनाने के उपबंध भी किए गए हैं।

आदर्श उपविधियों को अपनाकर पैक्स एक बहुउद्देशीय केंद्र के रूप में अपनी सेवा प्रदान कर सकेंगे, अपनी कार्यकुशलता, पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार कर सकेंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि ऋण और विभिन्न गैर-ऋण सेवाओं आदि प्रदान कर सकेंगे।

आदर्श उपविधियों से किसानों को अल्पकालिक, मध्यमकालिक और दीर्घकालिक ऋण; उर्वरक, बीज, कीटनाशक, भंडारण सुविधाएं, बैंकिंग सेवाओं इत्यादि जैसी अन्य सेवाओं प्राप्त करने में मदद मिलेगी जिससे उनकी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति एक ही स्थान पर हो सकेगी। किसानों को सामाजिक सुरक्षा योजना, माइक्रो बीमा, CSC की 300 से भी अधिक ई-सेवाओं भी प्राप्त हो सकेंगी। आदर्श उपविधियों द्वारा व्यावसायिक कार्यकलापों में विविधता से किसानों को आय के अतिरिक्त और स्थायी स्रोत भी प्राप्त होंगे।

अब तक 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने नई आदर्श उपविधियों को अंगीकार कर लिया है या उनकी मौजूदा उपविधियां, आदर्श उपविधियों के अनुरूप हैं। तीन संघ राज्य क्षेत्र, अर्थात् दिल्ली, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप में कोई पैक्स नहीं है।

3.1.3 कॉमन सेवा केंद्र (CSC) के रूप में पैक्स

देशभर में नागरिकों को कॉमन सेवा केंद्रों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं, पैक्स के माध्यम से प्रदान करने के लिए दिनांक 02.02.2023 को सहकारिता मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नाबार्ड और सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ।

प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियाँ (पैक्स) देश भर में फैली हैं जिनमें 13 करोड़ से भी अधिक किसानों की विशाल सदस्यता है। देश के किसानों के बीच उनकी गहरी पहुंच के कारण वे अपने कार्यक्षेत्र में नागरिकों को बैंकिंग, बीमा, निवेशक जागरुकता, कानूनी साक्षरता, आधार नामांकन/ अद्यतन, ई-कॉमर्स, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आईआरसीटीसी, बस/हवाई टिकट संबंधी सेवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, कृषि निविष्टियों आदि सहित CSC योजना के अधीन डिजि सेवा पोर्टल पर सूचीबद्ध 300 से भी अधिक ई-सेवाओं प्रदान करने के लिए एक प्रभावशाली माध्यम के रूप में अपनी सेवा दे सकते हैं।

दिनांक 31.03.2025 की स्थिति की अनुसार, 33 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से 44,116 पैक्स ने CSC सेवाओं प्रदान करना आरंभ कर दिया है। इन पैक्स के माध्यम से ₹ 77.27 करोड़ का लेनदेन हो चुका है। CSC का पैक्स कंप्यूटरीकरण के राष्ट्रीय पोर्टल के साथ लिंकेज का कार्य भी जारी है। इसके अलावा, CSC की सभी 300 सेवाओं प्रदान करना आरंभ करने के लिए इन पैक्स को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।

सत्यमेव जयते
Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

3.1.4 कृषि और किसान कल्याण विभाग की किसान उत्पादक संगठन (FPO) योजना के अंतर्गत पैक्स

जुलाई, 2020 में शुरू की गई "10,000 किसान उत्पादक संगठनों की स्थापना और संवर्धन" की केंद्रीय क्षेत्रक योजना के अधीन एनसीडीसी एक कार्यान्वयन एजेंसी (IA) है। एनसीडीसी को संदर्भ आबंटन वर्ष 2020-21 के दौरान 500 अतिरिक्त FPOs स्थापित और संवर्धित करने का लक्ष्य आबंटित किया गया है। इसके अतिरिक्त, कृषि और किसान कल्याण विभाग के एकीकृत पोषण प्रबंधन प्रभाग (INM) से एनसीडीसी को 29 जैविक FPOs का भी आबंटन किया गया है। संदर्भ आबंटन वर्ष 2022-23

के दौरान एनसीडीसी को 234 अतिरिक्त FPOs स्थापित और संवर्धित करने का लक्ष्य दिया गया है। इसके एवज में सहकारी अधिनियम के अधीन दिनांक 31.03.2025 तक सभी 763 FPOs पंजीकृत किए गए हैं।

इसके अलावा, सहकारिता मंत्रालय की पहल पर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने इस योजना के अधीन पैक्स के सशक्तीकरण के माध्यम से सहकारी क्षेत्र में 1,100 अतिरिक्त किसान उत्पादक संगठन आबंटित किए हैं। इस लक्ष्य के विरुद्ध, दिनांक 31.03.2025 तक सभी 1,100 पैक्स पंजीकृत किए गए हैं।

3.1.5 सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना

देश में खाद्यान्न भंडारण क्षमता की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने दिनांक 31.05.2023 को "सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना" को अनुमोदित किया। इसे एक पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया गया है।

इस योजना में 'सरकार के समग्र दृष्टिकोण' का लाभ लेकर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय; उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय; खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की मौजूदा योजनाओं के अभिसरण द्वारा पैक्स स्तर पर गोदामों, कस्टम हाइरिंग केंद्रों, अन्न प्रापण केंद्रों, कॉमन प्रसंस्करण इकाइयों, उचित मूल्य की दुकानों इत्यादि सहित विभिन्न कृषि अवसंरचना का निर्माण शामिल है। पैक्स स्तर पर विकेंद्रीकृत भंडारण क्षमता की स्थापना के जरिए पर्याप्त भंडारण क्षमता के निर्माण से खाद्यान्न की बरबादी में कमी आएगी, देश की खाद्य सुरक्षा सशक्त होगी, फसल की संकटकालिक बिक्री में कमी आएगी और किसानों को उनकी फसलों का बेहतर मूल्य प्राप्त हो सकेगा। चूंकि पैक्स, प्रापण केंद्र के साथ-साथ उचित मूल्य की दुकान के रूप में भी कार्य कर सकेंगे, इसलिए खाद्यान्न का प्रापण केंद्रों तक परिवहन में और भांडागारों से उचित मूल्य की दुकानों तक स्टॉक के पुन: परिवहन में होने वाले व्यय के वहन में भी बचत होगी।

सत्यमेव जयते
Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

अन्न भंडारण के लिए नई फ्लेक्सी मॉड्यूलर तकनीक

पायलट परियोजना के अधीन 11 राज्यों (*महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, तेलंगाना, कर्नाटक, त्रिपुरा, असम और उत्तराखंड*) के 11 पैक्स में कुल 9,750 मीट्रिक टन विकेंद्रीकृत अन्न भंडारण क्षमता का सृजन किया गया है। इसका उद्घाटन हो चुका है और माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 500 अतिरिक्त पैक्स में गोदामों के निर्माण का शिलान्यास किया गया है।

इस परियोजना के तहत पैक्स स्तर पर निर्मित भंडारण क्षमता का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने हेतु सहकारिता मंत्रालय (भारत सरकार), खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (भारत सरकार), भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) के बीच एक समझौता ज्ञापन भी हस्ताक्षरित किया गया है।

इस परियोजना के अधीन पैक्स के स्तर पर NCCF को गोदामों के निर्माण में सहायता करने तथा इन भांडागारों को किराए पर लेना सुनिश्चित करने के लिए सहकारिता मंत्रालय (भारत सरकार), उपभोक्ता मामले विभाग (भारत सरकार), नाबार्ड, एनसीडीसी और एनसीसीएफ के बीच भी एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, इस योजना को बड़े पैमाने पर लागू करने के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शी (PMC) सेवाओं और भांडागारों का निर्माण, तकनीकी सहायता प्रदान करने, पैक्स और अन्य हितधारकों के साथ समन्वय इत्यादि हेतु एनसीडीसी द्वारा नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनबीसीसी) को भी ऑनबोर्ड करते हुए उसके और नाबार्ड के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है।

3.1.6 पैक्स द्वारा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र (PMBJK) का प्रचालन

माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता और माननीय रसायन और उर्वरक मंत्री की उपस्थिति में दिनांक 06.07.2023 को आयोजित एक बैठक में पैक्स को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र (PMBJK) खोलने का अनुमोदन प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के रूप में कार्य करने वाले पैक्स ग्रामीण जनता को किफायती दरों पर जेनेरिक औषधियां प्रदान कर सकेंगे जो खुले बाजार में उपलब्ध ब्रांडेड औषधियों की तुलना में 50%-90% तक सस्ती हैं। जन औषधि केंद्र उचित दाम पर लगभग 2,047 औषधियां और 300 शल्य-चिकित्सा सामग्री उपलब्ध कराते हैं।

दिनांक 28.03.2025 की स्थिति के अनुसार, 34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से 4,515 पैक्स ने इस योजना के लिए आवेदन दिया है जिसमें से 2,758 पैक्स को फार्मास्युटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेज ब्यूरो ऑफ इंडिया (PMBI) द्वारा प्रारंभिक अनुमोदन प्रदान किया गया है। 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से 799 पैक्स को औषधि लाइसेंस प्रदान किए गए और PMBI द्वारा 730 पैक्स को स्टोर कोड जारी कर दिए गए हैं।

3.1.7 पैक्स द्वारा प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों (PMKSK) का प्रचालन

पैक्स द्वारा प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों (PMKSK) का प्रचालन

माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री और माननीय रसायन और उर्वरक मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 06.07.2023 और 13.09.2023 को हुई बैठकों में पैक्स को उर्वरक वितरक के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने, उन्हें प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों के रूप में उन्नयन करने और ड्रोन उद्यमियों के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया गया।

प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र पहल का लक्ष्य मौजूदा उर्वरक खुदरा दुकानों को आदर्श उर्वरक खुदरा दुकानों में परिवर्तित करना है जो निम्नलिखित के लिए 'वन-स्टॉप शॉप' होगा:

- किफायती दरों पर एक ही छत के नीचे गुणवत्तापूर्ण कृषि निविष्टियां- उर्वरक, बीज, कीटनाशक उपलब्ध करना
- मृदा/बीज परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध करना
- विक्रय या कस्टम हाइरिंग केंद्रों के माध्यम से लघु और बड़े कृषि उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करना
- प्रखंड/जिला स्तर के आउटलेट के खुदरा विक्रेताओं की क्षमता निर्माण सुनिश्चित करना

प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के रूप में उन्नयन हेतु उर्वरक लाइसेंस प्राप्त सभी पैक्स को लक्षित किया जा रहा है। अब तक 36,689 पैक्स प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा, किसानों को मृदा परीक्षण सुविधाएं प्रदान करने के लिए इफको और कृभको द्वारा पैक्स को शामिल करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं।

3.1.8 पैक्स द्वारा ग्रामीण नल जलापूर्ति योजना (PWS) के प्रचालन व रख-रखाव (O&M) का कार्य

वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण घरों को फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन (FHTC) प्रदान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने 15.08.2019 को जल जीवन मिशन (JJM) का शुभारंभ किया था। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के ठोस प्रयासों से इस पहल में अब तक अभूतपूर्व प्रगति हुई है जिसके परिणामस्वरूप इसका विस्तारण 16.64% घरों से बढ़कर 64.36% हो गया है। जल जीवन मिशन के तहत मात्र अवसंरचना निर्माण पर ही नहीं बल्कि संधारणीय और दीर्घकालिक आधार पर घरों को जलापूर्ति सेवाओं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। तदनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों में नल जलापूर्ति योजनाओं (PWS) के प्रचालन व रख-रखाव (O&M) के लिए एक व्यापक नीति बनाने का अनुरोध किया गया था।

ग्रामीण क्षेत्रों में पैक्स की जमीनी स्तर पर गहरी पहुंच के कारण उन्हें राष्ट्रीय जल जीवन मिशन (JJM) के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में नल जलापूर्ति योजनाओं में प्रचालन और रख-रखाव (O&M) का कार्य करने के लिए सक्षम बनाने का निर्णय लिया गया।

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि इस महत्वपूर्ण योजना में प्रचालन और रख-रखाव का कार्य संचालित करने के लिए वे प्रत्येक जिले की 5 पंचायतों में न्यूनतम 5 पैक्स की पहचान करें। दिनांक 28.03.2025 की स्थिति के अनुसार, इस पहल के लिए 9 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 822 पैक्स की पहचान की गई है।

इसके अलावा, मजबूत सहकारी नेटवर्क वाले कुछ राज्यों में पैक्स की पहचान करके शुरूआत में इस योजना को पायलट आधार पर शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इस पायलट के अनुभवों और सीख के आधार पर सफल मॉडल को अन्य राज्यों में भी विस्तारित किया जा सकेगा।

3.1.9 पैक्स को एलपीजी डिस्ट्रिब्यूटरशिप के लिए पात्रता

माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय पैक्स के व्यावसायिक कार्यकलापों को विस्तारित करने की दिशा में दृढ़ प्रतिबद्धता से कार्य कर रहा है। पैक्स को एलपीजी डिस्ट्रिब्यूटरशिप के लिए पात्र बनाना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सहकारिता मंत्रालय की पहल पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपने नियमों में संशोधन कर पैक्स को एलपीजी डिस्ट्रिब्यूटरशिप के लिए पात्र बनाया है। पैक्स द्वारा एलपीजी डिस्ट्रिब्यूटरशिप आवेदन प्राप्त करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं। इससे पैक्स को अपने आर्थिक कार्यकलाप बढ़ाने का एक विकल्प प्राप्त होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसरों का सृजन होगा।

सत्यमेव जयते
Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

3.1.10 पेट्रोल/डीजल पंप के नए डीलरशिप में पैक्स को प्राथमिकता

आंध्र प्रदेश के एक पैक्स द्वारा रिटेल पेट्रोल/डीज़ल पंप का प्रचालन

पैक्स द्वारा किए जाने वाले कार्यकलापों को विस्तारित करके उन्हें वित्तीय रूप से सशक्त और संधारणीय बनाने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने इस मामले को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ उठाया जिससे पैक्स भी अन्य वाणिज्यिक संस्थानों की ही तरह खुदरा पेट्रोल/डीजल आउटलेट चला सकें। तदनुसार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा अपने दिशानिर्देशों में यथोचित संशोधन करके पैक्स को कंबाइंड कैटेगरी 2 (CC-2) के तहत नए खुदरा पेट्रोल/डीजल पंप डीलरशिप में प्राथमिकता दी जा रही है।

सत्यमेव जयते
Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

तेल विपणन कंपनियों द्वारा पैक्स को खुदरा पेट्रोल/डीजल आउटलेट के लिए आवेदन करने हेतु विज्ञापन जारी किए गए। इस पहल से पैक्स अपने व्यावसायिक कार्यकलापों के विविधीकरण द्वारा न केवल अपना लाभ बढ़ा सकेंगे बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसरों के सृजन में भी वद्धि सुनिश्चित होगी जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गुणक प्रभाव पड़ेगा।

तेल विपणन कंपनियों (OMCs) से प्राप्त सूचना के अनुसार कुल 393 पैक्स ने खुदरा पेट्रोल/ डीजल आउटलेट के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है जिसमें से तेल विपणन कंपनियों (OMCs) द्वारा 43 पैक्स चयनित किए गए हैं और दिनांक 28.03.2025 तक 13 पैक्स कमीशन किए गए हैं।

3.1.11 पैक्स को थोक उपभोक्ता पेट्रोल पंप को खुदरा आउटलेट्स में परिवर्तित करने की अनुमति

तेल विपणन कंपनियों द्वारा खुदरा आउटलेट्स की तुलना में थोक उपभोक्ता पंपों को अधिक मूल्य पर पेट्रोल/डीजल बेचा जा रहा था, जिसके कारण थोक उपभोक्ता पेट्रोल/डीजल पंपों का प्रचालन करने वाले पैक्स को हानि हो रही थी। इस संबंध में गुजरात, पंजाब, तेलंगाना सहित विभिन्न राज्यों से सहकारिता मंत्रालय को अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए थे।

इस मामले पर संज्ञान लेते हुए माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री की पहल पर इस मामले को सहकारिता मंत्रालय द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ उठाया गया। तदनुसार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने मौजूदा थोक उपभोक्ता लाइसेंस प्राप्त पैक्स को खुदरा आउटलेट्स में परिवर्तित होने के दिशानिर्देश जारी किए हैं। पैक्स को अपने थोक उपभोक्ता पेट्रोल पंप को खुदरा आउटलेट में परिवर्तित करने का वन-टाइम विकल्प दिया गया है।

तेल विपणन कंपनियों से प्राप्त सूचना के अनुसार 5 राज्यों से थोक उपभोक्ता पंप वाले कुल 117 पैक्स ने खुदरा आउटलेट्स में परिवर्तित होने पर अपनी सहमति दे दी है जिनमें से 59 पैक्स ने कार्य करना शुरू कर दिया है।

इस पहल से पैक्स को अपनी आय बढ़ाने में सहायता मिलेगी जिसके परिणामस्वरूप उनके वित्तीय सशक्तीकरण में भी इसका योगदान प्राप्त होगा जिससे उनसे जुड़े छोटे और सीमांत किसान लाभान्वित होंगे।

3.1.12 सहकारी समितियों के सशक्तीकरण हेतु भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं का अभिसरण

सहकार-से-समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप सहकारिता मंत्रालय द्वारा विभिन्न माध्यमों द्वारा पैक्स और अन्य प्राथमिक स्तर की सहकारी समितियों के सशक्तीकरण के लिए उनकी व्यावसायिक कार्यकलापों का विविधीकरण सहित अनेक पहलें की गई हैं। इस संबंध में 'सरकार के समग्र दृष्टिकोण' का अनुपालन करते हुए पैक्स को भारत सरकार की विभिन्न मौजूदा योजनाओं का लाभ लेकर अपनी संपूर्ण क्षमता प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाया गया है।

भारत सरकार की इन योजनाओं के अधीन सब्सिडी, ब्याज अनुदान इत्यादि के रूप में उपलब्ध वित्तीय सहायता का उपयोग करके पैक्स/डेयरी/मात्स्यिकी सहकारी समितियों को भंडारण अवसंरचना,

प्रसंस्करण इकाइयों का निर्माण, कस्टम हाइरिंग केंद्र, दुग्ध प्रसंस्करण सुविधाएं, दुग्ध शीतालन कक्ष का इंस्टॉलेशन, दुग्ध परीक्षण प्रयोगशालाओं, हैचरीज, मत्स्य तालाबों, मत्स्य प्रसंस्करण इकाइयों, मत्स्य चारा संयंत्रों इत्यादि के निमार्ण सहित विभिन्न कार्यकलाप करने में सक्षम बनाया गया है।

देश में सहकारी आंदोलन को सशक्त करने के लिए निम्नलिखित योजनाएं चिह्नित की गयी हैं:

(क) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय:

i. कृषि अवसंरचना कोष (AIF),

ii. कृषि विपणन अवसंरचना योजना (AMI),

iii. एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH),

iv. कृषि यांत्रिकी पर उपमिशन (SMAM)

(ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय:

i. प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME),

ii. प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY)

(ग) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय:

i. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन खाद्यान्न का आबंटन,

ii. न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रापण कार्य

Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

(घ) पशुपालन और डेयरी विभाग:

i. राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD)

ii. डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास निधि (DIDF)

(ङ) मत्स्यपालन विभाग:

i. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY), और

ii. मत्स्यपालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास (FIDF)

उपरोक्त के अलावा, पैक्स को कॉमन सेवा केंद्र, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (PMKSK), प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र (PMBJK), पानी समिति, एलपीजी वितरक, पेट्रोल/डीजल खुदरा

पंप आदि के रूप में कार्य करने के लिए भी सक्षम बनाया गया है।

3.2 भारत में सहकारी आंदोलन को सशक्त करना

3.2.1 राष्ट्रीय सहकारिता नीति

सहकारिता मंत्रालय के कई महत्वपूर्ण अधिदेश हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ *'सहकार से समृद्धि'* की परिकल्पना को साकार करना, देश में सहकारी आंदोलन को सशक्त करना और जमीनी स्तर तक इसे सघन करना, सहकार-आधारित आर्थिक विकास मॉडल को बढ़ावा देना आदि शामिल हैं। इन अधिदेशों को पूरा करने और दो दशक से अधिक पुरानी वर्तमान नीति को बदलने के लिए एक नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति बनाने की आवश्यकता थी।

इस संबंध में, मंत्रालय की वेबसाइट और Mygov पोर्टल के माध्यम से आम जनता सहित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, 20 राष्ट्रीय सहकारी परिसंघों, आरबीआई और नाबार्ड सहित 120 संस्थानों/संगठनों जैसे हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श किए गए। जवाब में, Mygov पोर्टल पर 482 सुझाव और सहकारिता मंत्रालय की वेबसाइट पर 68 सुझाव प्राप्त हुए।

इसके अतिरिक्त, सहकारिता मंत्रालय द्वारा दिनांक 12 और 13 अप्रैल, 2022 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सहकारिता सचिव एवं पंजीयकों के साथ दो-दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रस्तावित नीति संरचना के विभिन्न पहलुओं; विनियामक, नीतिगत और प्रचालन बाधाओं की पहचान; सुगम व्यापार; शासन सशक्तीकरण हेतु सुधार; नए और उभरते क्षेत्र में सहकारी समितियों का संवर्धन; निष्क्रिय सहकारी समितियों को पुन:सक्रिय करना; सहकारी समितियों को जीवंत आर्थिक इकाई बनाना; सहकारिता में सहकार और सहकारी समितियों की सदस्यता में वृद्धि पर विचार-विमर्श किए गए। इसके अतिरिक्त, सहकारिता मंत्रालय द्वारा दिनांक 08 और 09 सितंबर, 2022 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सहकारिता मंत्रियों की दो-दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन और अध्यक्षता माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ एक प्रभावी, सर्वसमावेशी और प्रगतिशील राष्ट्रीय सहकारी नीति संरचना के विभिन्न पहलुओं और स्वरूप पर चर्चा हुई।

विभिन्न मुद्दों, नीतिगत सुझावों और फीडबैक एवं सिफारिशों का विश्लेषण करने के उद्देश्य से, दिनांक 02.09.2022 को श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय स्तर की समिति का गठन

Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

किया गया जिसमें सहकारी क्षेत्र के विशेषज्ञों, राष्ट्रीय/राज्य/जिला/प्राथमिक स्तर की सहकारी समितियों के प्रतिनिधिगण, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सचिव (सहकारिता) और सहकारी समितियों के राज्य पंजीयक, केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के अधिकारीगण शामिल किए गए जो सहकारी क्षेत्र की वास्तविक क्षमता की प्राप्ति हेतु एक संरचना प्रदान करने के लिए नई सहकारिता नीति बनाएगी। इस समिति ने प्रासंगिक पहलुओं पर विचार-विमर्श करने के लिए 17 बैठकें कीं। इसके अतिरिक्त दिनांक 21 से 25 नवंबर, 2023 तक हितधारकों और राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ 4 क्षेत्रीय कार्यशालाएं भी आयोजित की गई। इस परामर्शी प्रक्रिया से कुल 648 इनपुट्स प्राप्त हुए। इन इनपुट्स का गहन विश्लेषण किया गया और विस्तृत विचार विमर्शों के पश्चात् इन्हें नीति में अंतर्विष्ट किया गया। राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का प्रारूप दस्तावेज का अंतिम रूप प्रक्रियाधीन है।

3.2.2 प्रत्येक अनाच्छादित पंचायत में बहुउद्देशीय पैक्स या प्राथमिक डेयरी/मात्स्यिकी सहकारी समितियों की स्थापना

देश में एक लाख से भी अधिक पैक्स हैं जिनमें बतौर सदस्य 13 करोड़ से अधिक किसान जुड़े हैं; लगभग 1,47,909 प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियां हैं और लगभग 26,692 प्राथमिक मात्स्यिकी सहकारी समितियां हैं। तथापि, देश भर में उनका प्रसार असमान है और कई ऐसी पंचायत हैं जहां न तो कोई पैक्स है और न ही कोई प्राथमिक डेयरी सहकारी समिति है।

उपर्युक्त के आलोक में भारत सरकार ने दिनांक 15.02.2023 को देश में सहकारी आंदोलन को सशक्त करने और जमीनी स्तर तक इसे सघन करने की योजना को अनुमोदित किया। इस योजना के अधीन कृषि अवसंरचना कोष (AIF), कृषि विपणन अवसंरचना योजना (AMI), कृषि यांत्रिकीकरण पर उपमिशन (SMAM), प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME), प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY), एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH), डेयरी अवसंरचना विकास फंड (DIDF), राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD), प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY), फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (FIDF), प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (PMKSK) और प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र (PMBJK) सहित भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से आगामी पांच वर्षों में अनाच्छादित पंचायतों/गांवों में नए बहुउद्देशीय पैक्स या प्राथमिक डेयरी/मात्स्यिकी सहकारी समितियां स्थापित करना है। इस योजना को नाबार्ड, एनडीडीबी, एनएफडीबी, राष्ट्रीय स्तर के सहकारी परिसंघों और राज्य सरकारों की सहभागिता से एनसीडीसी द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

इस योजना का सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अंतर-मंत्रालयी समिति (IMC) का गठन किया गया है जिसमें बतौर सदस्य माननीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री; माननीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री; संबंधित सचिव; अध्यक्ष नाबार्ड, एनडीडीबी; प्रबंध निदेशक, एनसीडीसी और मुख्य कार्यकारी, एनएफडीबी को शामिल किया गया है। यह अंतरमंत्रालयी समिति अभिसरण हेतु चिह्नित योजनाओं के दिशानिर्देशों में यथोचित संशोधन सहित सभी आवश्यक कदम उठाएगी। इसके अलावा, जमीनी स्तर पर योजना का प्रभावी निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरीय समितियों का भी गठन किया गया है।

इस योजना के अधीन पैक्स/डेयरी/मात्स्यिकी सहकारी समितियों को उनके संबंधित जिला और राज्य स्तरीय परिसंघों से लिंक किया जाएगा। 'सरकार के समग्र दृष्टिकोण' का लाभ उठाकर ये प्राथमिक स्तर की सहकारी समितियां अपने व्यावसायिक कार्यकलापों में विविधता लाने के लिए आवश्यक अवसंरचना, जैसे दुग्ध परीक्षण प्रयोगशालाएं, बल्क दुग्ध कूलरों, दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयां, मूल्य वर्धित उत्पादों के लिए विनिर्माण इकाइयों, बायोफ्लॉक तालाबों, मत्स्य कियोस्क का निर्माण व आधुनिकीकरण, हैचरी का विकास, मछली पकड़ने वाले गहरे समुद्री जहाजों का अधिग्रहण आदि कर सकेंगे।

इससे किसान सदस्यों को अपनी उपज का विपणन, अपने बाजारों का विस्तारण, अपनी आय वर्धन, गांव के स्तर पर ही ऋण सुविधाएं और अन्य सेवाओं की प्राप्ति के लिए अपेक्षित फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज प्राप्त हो सकेगा और उन्हें आपूर्ति श्रृंखला में निर्बाध रूप से जोड़ा जा सकेगा जिसके फलस्वरूप संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। नए व्यवहार्य बहुउद्देशीय पैक्स या प्राथमिक डेयरी/मात्स्यिकी सहकारी समितियों की स्थापना से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गुणक प्रभाव पड़ेगा।

राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (दिनांक 31.03.2025) के अनुसार , दिनांक 15.02.2023 को भारत सरकार के अनुमोदन के पश्चात् देश में कुल 21,054 नई बहुउद्देशीय पैक्स/डेयरी/मात्स्यिकी सहकारी समितियों की स्थापना हुई है और 11,871 डेयरी सहकारी समितियों को सुदृढ़ किया गया है। नाबार्ड, एनडीडीबी, एनएफडीबी और एनसीडीसी के सहयोग से मौजूदा विभिन्न योजनाओं/पहलों के अभिसरण द्वारा नई सहकारी समितियों की स्थापना और सशक्तीकरण की एक योजना बनायी जा रही है, जिसके अधीन राज्य सरकार/नाबार्ड/एनडीडीबी/ एनएफडीबी/एनसीडीसी के माध्यम से नई समितियों सहित विभिन्न समितियों के स्तर पर सभी चिह्नित योजनाओं को कार्यान्वित किया जाना है।

इसके अलावा, सभी निष्क्रिय समितियों को इन योजनाओं/पहलों का लाभ प्रदान करके उन्हें पुन:सक्रिय करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसी समितियां जिन्हें पुन:सक्रिय नहीं किया जा सकता है, उनका परिसमापन करके उनके स्थान पर राज्य सरकारों और सहकारी समितियों के पंजीयकों की मदद से नई समितियों में परिवर्तित किया जाएगा। अनाच्छादित शेष पंचायतों में नई समितियों की स्थापना की जानी है।

3.2.3 कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों का कंप्यूटरीकरण

देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक तथा प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक) की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ये संस्थान दीर्घकालिक ऋण के मुख्य स्रोत हैं।

पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और हिमाचल प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों को कंप्यूटरीकृत करने के प्रयास किए गए। तथापि, तकनीकी समस्याएं और अनुकूलन, डेटा माइग्रेशन, अनुमोदनों इत्यादि में विलंबता ने कंप्यूटरीकरण के प्रयासों पर प्रतिकूल असर डाला है। परिणामस्वरूप, किसी भी राज्य में कोई भी राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक पूर्णतया कंप्यूटरीकृत नहीं हो सका है। इसके अतिरिक्त जिन कुछ राज्यों में आंशिक कंप्यूटरीकरण हुआ है, वे कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के कॉमन सॉफ्टवेयर पर आधारित नहीं हैं जो प्रचालन और लेखांकन आचरण में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है। डिजिटलीकरण की कमी से उनके प्रचालनों में अपर्याप्तता और अकुशलता आती है। इससे कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों द्वारा श्रेष्ठ लेखांकन आचरण को अपनाने में भी बाधाएं आती हैं और फलस्वरूप उनकी पारदर्शिता व जवाबदेही में कमी आती है।

Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

दिनांक 16.07.2022 को आयोजित कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के राष्ट्रीय सम्मेलन, 2022 के दौरान भी इन पर भी विचार विमर्श किया गया था जिसके आधार पर **नेशनल कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एवं रूरल डेवलपमेंट बैंक्स फेडरेशन लिमिटेड** (NAFCARD) ने भारत सरकार को देशभर में कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के कंप्यूटरीकरण की एक परियोजना लाने पर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

इसे ध्यान में रखते हुए सहकारिता मंत्रालय ने उन राज्यों से प्रस्ताव की मांग की है जिनमें कृषि और ग्रामीण विकास बैंक हैं। इस प्रस्ताव में निम्नलिखित हेतु देश के सभी कार्यशील कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के कंप्यूटरीकरण की परिकल्पना की गई है:

- सभी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (PCARDBs) तथा राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (SCARDBs) को एक कॉमन राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर के माध्यम से नाबार्ड के साथ लिंक करना;
- उनके प्रचालनों में कार्यकुशलता, जवाबदेही और पारदर्शिता लाना;
- व्यावसायिक आचरण में सटीकता व एकरूपता लाना और कॉमन एकाउंटिंग सिस्टम (CAS) तथा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (MIS) लागू करना; और
- लेनदेन की दरों में कमी लाना और किसानों को ऋण संवितरण बढ़ाना।

राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (SCARDBs) और प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (PCARDBs) की शाखाएं, जिनकी संख्या लगभग 1,867 है और जिनसे बतौर सदस्य लगभग 1.2 करोड़ किसान जुड़े हैं, को कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के कंप्यूटरीकरण परियोजना के तहत कंप्यूटरीकृत किया जाएगा।

सहकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही पैक्स कंप्यूटरीकरण की केंद्रीय प्रायोजित परियोजना के लिए नाबार्ड द्वारा विकसित राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर में यथोचित बदलाव करके कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के कंप्यूटरीकरण के लिए भी उपयोग किया जाएगा। इसके साथ ही उक्त परियोजना के अधीन स्थापित डेटा केंद्र/डेटा संग्रहण सुविधाओं का उपयोग इस परियोजना हेतु भी किया जाएगा।

दिनांक 31.03.2025 के अनुसार, इस परियोजना के अधीन 10 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया गया है और 10 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ₹ 7.18 करोड़ की धनराशि जारी कर दी गई है। जम्मू और कश्मीर इस परियोजना से हट गया है।

सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

3.2.4 तीन नई बहुराज्य सहकारी समितियां

सहकारिता मंत्रालय ने निर्यात के लिए एक (NCEL), जैविक उत्पाद के लिए एक (NCOL) और उन्नत बीजों के लिए एक (BBSSL), और कुल तीन नई राष्ट्र-स्तरीय बहुराज्य सहकारी समितियों की स्थापना की है। इन समितियों को बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अधीन पंजीकृत किया गया है। विनिर्दिष्ट कार्यकलापों में रूचि रखने वाली पैक्स से एपेक्स तक सभी स्तर की सहकारी समितियां इसकी सदस्य बनने के लिए पात्र हैं।

3.2.4.1 राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (NCEL)

राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (NCEL) को संयुक्त रूप से तीन राष्ट्रीय सहकारी समिति, अर्थात इफको, कृभको, नेफेड; एक राज्य स्तरीय सहकारी समिति, अर्थात् गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (GCMMF) और एक सांविधिक निकाय, अर्थात् एनसीडीसी द्वारा ₹ 500 करोड़ की कुल प्रदत्त पूंजी के साथ प्रवर्तित किया गया है जिसमें प्रत्येक प्रवर्तक ने ₹ 100 करोड़ का अंशदान किया है। इस समिति की कुल प्राधिकृत पूंजी ₹ 2000 करोड़ है। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (GCMMF) इसका मुख्य प्रवर्तक है। पैक्स से लेकर एपेक्स स्तर की सभी सहकारी समितियां, अर्थात् प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियां, जिनमें निर्यात में रुचि रखने वाली प्राथमिक समितियाँ, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के परिसंघ शामिल हैं, इसके सदस्य बनने के पात्र हैं। इस समिति ने बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अधीन दिनांक 25.01.2023 को सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक (CRCS) के साथ खुद को पंजीकृत किया।

राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड देश की भौगोलिक सीमाओं के बाहर के व्यापक बाजारों तक पहुंच बनाकर भारतीय सहकारी क्षेत्र में उपलब्ध अधिशेष के निर्यात पर ध्यान केंद्रित करती है जिससे विश्वभर में भारतीय सहकारी उत्पादों/सेवाओं की मांग बढ़ेगी और ऐसे उत्पादों/सेवाओं के राष्ट्रीय अधिशेष की सर्वोत्तम संभावित कीमतें प्राप्त होंगी। यह सहकारी समितियों द्वारा उत्पादित सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद, भंडारण, प्रसंस्करण, विपणन, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, प्रमाणन, अनुसंधान और विकास आदि एवं व्यापार सहित विभिन्न कार्यकलापों के माध्यम से निर्यात को प्रोत्साहित करती है।

अपनी स्थापना के दो वर्षों में ही राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड ने सहकारी क्षेत्र में योगदान करने और भारत से कृषि और संबंधित सामग्रियों के निर्यात को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय प्रगति की है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत तक उसने सदस्य के तौर पर देश भर से 10,000 से अधिक सहकारी समितियों को शामिल किया है। उसने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अपने सदस्यों को चुकता शेयर पूंजी पर 20% की दर से लाभांश का वितरण किया है। राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड ने ₹ 5,396 करोड़ के संचयी टर्नओवर की प्राप्ति की है जिसमें से ₹ 4,283 करोड़ की प्राप्ति वित्तीय वर्ष 2024-25 में की गई है। इसने 1.3 मिलियन मीट्रिक टन का कुल निर्यात किया है जिसमें विश्व भर के 28 देशों को निर्यात की गई 36 सामग्री शामिल हैं। यह विभिन्न कृषि सामग्रियों के प्रापण के लिए जमीनी स्तर पर सहकारी समितियों और किसानों से अपने प्रत्यक्ष संबंधों का लाभ उठाती है और विश्वसनीय, सशक्त और

संधारणीय भागीदारी सुनिश्चित करती है। यह भारत के सबसे बड़े चावल निर्यातकों में से एक है जिसने लगभग 1.28 मिलियन मीट्रिक टन गैर-बासमती सफेद चावल और टूटा चावल का निर्यात किया है।

राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लि. (NCEL) और राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लि. (NCOL) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लि. (NCEL) और उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय, सेनेगल गणराज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

कुंभ मेला 2025 में "सहकारिता मंडप"

3.2.4.2 भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL)

भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL) को तीन अग्रणी राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियों, अर्थात इफको, कृभको, नेफेड के साथ-साथ दो सांविधिक निकायों, अर्थात एनडीडीबी और एनसीडीसी द्वारा ₹ 250 करोड़ की कुल प्रदत्त पूंजी के साथ प्रवर्तित किया गया है जिसमें प्रत्येक प्रवर्तक द्वारा ₹ 50 करोड़ का अंशदान किया गया है। भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की कुल अधिकृत पूंजी ₹ 500 करोड़ है। प्राथमिक से लेकर शीर्षस्थ स्तर तक की सहकारी समितियाँ, अर्थात् प्राथमिक, जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर के परिसंघ इसके सदस्य बनने के पात्र हैं। इस समिति ने बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अधीन दिनांक 25.01.2023 को सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक के साथ स्वयं को पंजीकृत किया।

भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की विभिन्न योजनाओं और नीतियों का लाभ लेकर पैक्स के माध्यम से बीजों के सभी दो पीढ़ियों, अर्थात बुनियादी और प्रमाणित बीजों का उत्पादन, परीक्षण, प्रमाणन, खरीद, प्रसंस्करण, भंडारण, ब्रांडिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग पर ध्यान केंद्रित करती है। इससे सहकारी समितियों के समावेशी विकास मॉडल द्वारा *"सहकार-से-समृद्धि"* के लक्ष्य की प्राप्ति में भी मदद मिलती है, जहां सदस्यों को उन्नत बीजों के उत्पादन द्वारा बेहतर कीमतों की प्राप्ति, उच्च उपज वाले किस्म (HYV) के बीजों के उपयोग से फसलों का उच्च उत्पादन और समिति द्वारा सृजित अधिशेष से वितरित लाभांश से भी फायदा प्राप्त होता है।

2024-25 वर्ष के दौरान भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड ने 152 वितरकों के माध्यम से, जिसमें 41 सहकारी समितियां और 111 निजी संस्थाएं शामिल हैं, 13 राज्यों में कुल 76,467 क्विंटल बीजों की बिक्री दर्ज की है। इस समिति ने 6,500 हेक्टेयर से अधिक जमीन को कवर करते हुए उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि की है और 6 राज्यों में रबी और खरीफ मौसम में 1,100 से भी अधिक बीज उत्पादकों को शामिल किया है।

भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM) और राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) सहित भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं के अधीन एक केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है जो राष्ट्रीय बीज वितरण कार्यक्रमों में इसकी बढ़ती भूमिका का द्योतक है। NDDB और NCCF जैसी एपेक्स सहकारी समितियों के साथ भागीदारी के अलावा ICRISAT, ICAR-IIMR, IARI, GBPUAT, और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय जैसे उत्कृष्ट अनुसंधान संस्थानों के साथ रणनीतिक सहभागिता भी स्थापित की गई है।

इस संगठन ने सहकारी प्रतिभागिता में उल्लेखनीय वृद्धि प्राप्त की है, जिसकी कुल शेयर आबंटन 92,500 से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 13.7 लाख शेयर हो गया है जिसमें 20,000 से भी अधिक सहकारी सदस्य शामिल हैं। भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड ने पारंपरिक और सब्जियों के बीजों के लिए वर्टिकल्स सहित नई पहलों की भी शुरुआत की है और एशियन सीड कांग्रेस (चीन) और ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन (नई दिल्ली) जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रतिभाग करते हुए भारत की वैश्विक सहकारी मौजूदगी को अग्रसर किया है।

उन्नत चारा बीज आपूर्ति पर दिनांक 04.02.2025 को भारतीय बीज सहकारी समिति लि. और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

मजबूत शासन, बढ़ती राष्ट्रीय मौजूदगी और सहकारी विकास तथा संधारणीय कृषि पर स्पष्ट फोकस के साथ भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड भारत में सहकारिता आधारित बीज सेक्टर रूपांतरण का एक आदर्श के रूप में अपनी सेवाओं देना बरकरार रखा है।

माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने दिनांक 25.02.2025 को पारंपरिक बीज संरक्षण और संवर्धन पर विचार विमर्श के दौरान भारतीय बीज सहकारी समिति लि. के पारंपरिक बीजों को जारी किया

भारतीय किसानों के लिए जलवायु अनुकूल बीजों को बढ़ावा देने हेतु दिनांक 28.03.2025 को भारतीय बीज सहकारी समिति लि. ने ICRISAT के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया

भारतीय बीज सहकारी समिति लि. के अध्यक्ष श्री योगेंद्र कुमार और प्रबंध निदेशक श्री चेतन जोशी ने ICRISAT के जीनबैंक और फार्म का दौरा किया तथा मटर के उन्नत बीजों और हाइब्रिड्स की समीक्षा की

3.2.4.3 राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (NCOL)

राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (NCOL) को तीन अग्रणी सहकारी समितियां, अर्थात गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (GCMMF), नेफेड, एनसीसीएफ और दो सांविधिक निकाय, अर्थात् एनडीडीबी और एनसीडीसी द्वारा ₹ 100 करोड़ की कुल प्रदत्त पूंजी के साथ प्रवर्तित किया गया है जहां प्रत्येक प्रवर्तक ने ₹ 20 करोड़ का अंशदान किया है। इस समिति की कुल अधिकृत पूंजी ₹ 500 करोड़ है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) इस समति का मुख्य प्रमोटर है। पैक्स से लेकर एपेक्स स्तर तक की सहकारी समितियां, अर्थात् प्राथमिक, जिला, राज्य स्तर की सहकारी समितियां तथा राष्ट्रीय स्तर के परिसंघ इसके सदस्य बनने के पात्र हैं। राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड ने स्वयं को बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अधीन दिनांक 25.01.2023 को पंजीकृत किया।

सत्यमेव जयते
Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड को जैविक उत्पादों के एकत्रीकरण, प्रमाणन, परीक्षण, प्रापण, भंडारण, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक सुविधाओं, विपणन के लिए संस्थागत् सहायता प्रदान करने और पैक्स/एफपीओ सहित अपने सदस्य सहकारी समितियों के माध्यम से जैविक किसानों को वित्तीय सहायता की व्यवस्था में मदद करने तथा सरकार की विभिन्न योजनाओं और एजेंसियों की मदद से जैविक उत्पादों के संवर्धन व विकास संबंधी सभी कार्यकलाप करने के लिए स्थापित किया गया है। यह समिति विभिन्न स्तरों पर सहकारी समितियों द्वारा जैविक उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रामाणिक और प्रमाणित जैविक उत्पादों के विपणन में मदद करती है।

राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड देश के जैविक क्षेत्र को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने में एक मजबूत नींव डालने की शुरुआत कर दी है। यह प्रामाणिकता और किफायत की रणनीति पर आधारित है। अपने उत्पादों के लिए इसकी दो-चरणीय प्रमाणीकरण प्रक्रिया है-245 से अधिक कीटनाशक अवशेषों के लिए प्रत्येक बैच हेतु NPOP प्रमाणन और परीक्षण। प्रामाणिकता हेतु पैक पर मुद्रित QR कोड के माध्यम से उपभोक्ताओं को जांच परिणाम प्रदर्शित किया जाता है।

अपने प्रचालन के प्रथम पूर्ण वर्ष में राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड ने 29 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से 7,000 से भी अधिक सहकारी सदस्यों को ऑनबोर्ड करके रणनीतिक प्रापण और विपणन तंत्र स्थापित किया है। इसने ₹ 10.42 करोड़ का कुल प्रापण मूल्य की प्राप्ति की है। उत्पादों के महत्वपूर्ण श्रेणियों में गेहूं का आटा, चावल (सोना मसूरी) और दालें (तुअर दाल) शामिल हैं जो कुल मात्रा का 80% से भी अधिक है। NCOL ने भी उत्पादों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए QR कोड समर्थित ट्रेसेबिलिटी प्रणालियां और कठोर गुणवत्ता प्रोटोकॉल कार्यान्वित किया है।

जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए यह साल 14 राज्यों के साथ समझौता ज्ञापनों के औपचारिक हस्ताक्षर और 15 राज्यों में नोडल एजेंसियों की नियुक्ति का साक्षी रहा है। NCOL की प्रचालनात्मक मौजूदगी B2B और B2C, दोनों वर्गों में है और इसकी 'भारत ऑर्गेनिक्स' ब्रांड प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जैसे अमेजन, बिगबास्केट, ब्लिंकइट और फ्लिपकार्ट, रिलायंस पर उपलब्ध हैं और डी-मार्ट जैसे अग्रणी रिटेल श्रृंखला में मौजूदगी के लिए विपणन के प्रयास जारी हैं।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में NCOL ने उल्लेखनीय वित्तीय टर्नअराउंड करते हुए कुल ₹ 15.39 करोड़ की कुल आय प्राप्त की है (वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹ 1.85 करोड़ से), और कर के पश्चात् ₹ 50 लाख के लाभ में वापस आ गया है। इस समिति ने अपनी संस्थागत् अवसंरचना को भी सशक्त किया है जिसमें मेघालय में एक प्रसंस्करण सुविधा सहित नई प्रसंस्करण सुविधाओं पर कार्य जारी है तथा अपने वृद्धि को सहायता देने के लिए डिजिटल और शासन सिस्टम्स का विकास किया है।

अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष-2025 के संरेखन में NCOL ने सहकारी पहचान और मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए अपने सभी संप्रेषणों और उत्पादों के पैकेजिंग पर अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 ब्रांडिंग प्रदर्शित किया है।

NCOL भारत की प्रमाणित जैविक फुटप्रिंट को विस्तारित करने, किसानों की आय में सुधार लाने और पारदर्शिता, गुणवत्ता एवं समावेशिता पर आधारित सहकारी मॉडल द्वारा भारत और विश्व के

उपभोक्ताओं को प्रामाणिक जैविक उत्पाद प्रदान करने के अपने लक्ष्य पर निरंतरता से कार्य कर रहा है।

माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने दिनांक 06.07.2024 को गांधीनगर, गुजरात में राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड द्वारा उत्पादित 'भारत ऑर्गेनिक्स गेहूं का आटा' के लॉन्च का उद्घाटन किया

माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री की उपस्थिति में दिनांक 30.08.2024 को NCOL और UOCB, उत्तराखंड के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) हस्ताक्षरित किया गया

NCOL को दिनांक 22.12.2024 को आयोजित त्रिपुरा के सहकारी क्षेत्र की विभिन्न पहलों के शुभारंभ में प्रतिभाग करने का सम्मान प्राप्त हुआ। किसानों को सशक्त करने और जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने हेतु NCOL की प्रतिबद्धता को दर्शाती उनकी स्टॉल का माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने दौरा किया

Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

NCOL और मेघालय के MEGNOLIA के बीच दिनांक 20.09.2024 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया

3.2.5 सहकारी समितियों की GeM पर ऑनबोर्डिंग

दिनांक 01 जून, 2022 को भारत सरकार ने गवर्मेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) के अधिदेश को विस्तारित करते हुए सहकारी समितियों को GeM पोर्टल पर क्रेता के रूप में पंजीकृत होने का निर्णय लिया। चरणबद्ध कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में प्रथम चरण में, ₹ 100 करोड़ के टर्नओवर/जमा वाली और 'ए' ऑडिट रेटिंग वाली सभी सहकारी समितियों को GeM पोर्टल पर पंजीकृत किया जा रहा है। कुल 757 सहकारी समितियों को चयनित किया गया है जो GeM पर ऑनबोर्ड हेतु पात्र हैं और प्रथम चरण में अब तक 559 सहकारी समितियों को GeM पोर्टल पर क्रेता के रूप में पंजीकृत किया गया है।

नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (NCUI) को सहकारी समितियों की ऑनबोर्डिंग में मदद करने और GeM अधिकारियों के साथ समन्वय के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। GeM पोर्टल सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए एक लाभकारी मंच साबित हो रहा है और प्रापण की पारदर्शिता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अपनी बाजार पहुंच बढ़ाने के लिए सहकारी समितियों को GeM पर आपूर्तिकर्ता के रूप में पंजीकृत होने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

3.3 राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस

विश्व की कुल सहकारी समितियों का लगभग 25% भारत में होने के कारण उनके कार्यों, सदस्यता और वित्तीय कार्यकलापों के बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं व्यापक रूप से संग्रहित करने के लिए एक सशक्त और अद्यतित डेटाबेस स्थापित करने की नितांत आवश्यकता थी। *"सहकार से समृद्धि"* की दूरदर्शी पहल से प्रेरित होकर सहकारिता मंत्रालय ने प्राथमिक से लेकर शीर्ष निकायों तक विभिन्न स्तरों पर राज्य सरकारों, राष्ट्रीय सहकारी परिसंघों, अन्य संस्थानों और हितधारकों की सहभागिता से एक राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के विकास पर कार्य करना आरंभ किया।

राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस, शासन और सहकारी समितियों के विभिन्न स्तरों में प्रमुख पक्षों को शामिल करने के एक सहभागी दृष्टिकोण को दर्शाता है। इस पहल का मूल उद्देश्य एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क स्थापित करना है जो यह सुनिश्चित करे की सभी गांव, सहकारी समितियों के साथ जुड़े हों। आर्थिक विकास का यह विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण सहकारी सिनर्जी के माध्यम से समृद्धि प्राप्त करने की महत्वकांक्षा से संरेखित है।

मूल रूप से यह पहल विभिन्न प्रकार के डेटा जिसमें कार्यकलापों, सदस्यता और वित्तीय आंकड़ों के व्यापक एकत्रण द्वारा सहकारी क्षेत्र को सशक्त करने की मंशा रखता है। इस पहल की सफलता प्रभावशाली सहभागिता, सटीक डेटा एकत्रण, सुविज्ञ निर्णयन और नीति निर्माण के लिए डेटाबेस के रणनीतिक उपयोग पर निर्भर करता है।

3.3.1 उद्देश्य

सहकारी समितियों के राष्ट्रीय डेटाबेस विकसित करने का उद्देश्य देश भर के विभिन्न क्षेत्रकों में लगभग 8.3 लाख सहकारी समितियों की प्रामाणिक और अद्यतित सूचना के लिए सिंगल एक्सेस प्वाइंट प्रदान करने हेतु एक केंद्रीकृत ज्ञान संग्रह स्थापित करना है। इस डेटाबेस का लक्ष्य सहकारी समितियों से जुड़े विविध मानदंडों पर व्यापक डेटा संग्रहित करना है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- स्थानिक विवरण: सहकारी समितियों के कार्यक्षेत्र के भौगोलिक स्थानों की सूचना प्रदान करना।
- सदस्यों की संख्या: सहकारी समितियों के आकार और पहुंच को समझने के लिए उनकी सदस्यता के आकार का दस्तावेजीकरण करना।
- आर्थिक कार्यकलाप: प्रत्येक सहकारी समितियों के आर्थिक कार्यकलापों की प्रकृति का विवरण।
- अपवर्ड और डाउनवर्ड लिंकेज: सहकारी समितियों के विभिन्न स्तरों के बीच अपवर्ड व डाउनवर्ड जुड़ाव और संबंध, दोनों का विश्लेषण करना।
- प्रचालन का स्तर: सहकारी समितियों के कार्यकलापों और प्रभाव की सीमा और विस्तार का आकलन करना।
- सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का उपयोग: सहकारी संरचना में आधुनिक तकनीकों के अंगीकरण और एकीकरण की पहचान करना।
- रोजगार: प्रत्येक सहकारी समिति द्वारा नियोजित व्यक्तियों की संख्या के आंकड़ों को रिकॉर्ड करना।
- इनपुट्स और आउटपुट्स: सहकारी प्रचालनों में शामिल संसाधनों और उत्पादों का विवरण रखना।
- वित्तीय और गैर-वित्तीय लेनदेन: सहकारी समितियों के बीच मौद्रिक और गैर-मौद्रिक लेनदेनों पर नजर रखना।
- आस्तियां और देनदारियां: प्रत्येक सहकारी समितियों की स्वामित्व के संसाधनों और वित्तीय देनदारियों का दस्तावेजीकरण।

सत्यमेव जयते
Government of India | भारत सरकार

राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस का लक्ष्य सूचनाओं के इस विविध समूह को एकत्रित और व्यवस्थित करके नीति निर्माताओं, अनुसंधानकर्ताओं और हितधारकों के लिए एक अनमोल संसाधन के रूप में अपनी सेवा देना है। यह केंद्रीकृत ज्ञान संग्रह देश के सहकारी परिदृश्य पर एक समग्र नजरिया प्रदान करके सहकारी क्षेत्र के लिए सुविज्ञ निर्णयन, नीति निर्माण और अनुसंधान में सुविधा प्रदान कर सकता है। आंकड़ों की प्रामाणिकता, अद्यतित स्थिति और जिन्हें इनकी जरूरत है, उन तक सुगम उपलब्धता सुनिश्चित करके यह सहकारी परितंत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावशीलता में भी अपना योगदान देता है।

3.3.2 राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस का सिंहावलोकन

राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (NCD) एक गतिशील, वेब आधारित प्लेटफॉर्म है जिसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और जिला पंजीयक कार्यालयों से प्राप्त पंजीकृत सहकारी समितियों की व्यापक सूचनाओं को समेकित करने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार किया गया है। इस डेटाबेस में न केवल सहकारी समितियों के विवरण हैं, बल्कि इसमें विभिन्न क्षेत्रकों के परिसंघों और सहकारी बैंकों के भी ब्योरे हैं।

राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस, मूलरूप से एक नवोन्मेषी पहल है जो केंद्रीय मंत्रालयों, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और सहकारी समितियों को जोड़ने के लिए सूचना और संचार के एक प्रभावशाली माध्यम को बढ़ावा देता है। यह सहकारिता के डोमेन से जुड़े सभी हितधारकों के लिए अनमोल है। एनसीडी पोर्टल सभी पंजीकृत सहकारी समितियों के नाम, पता, दूरभाष नंबर और ईमेल आईडी जैसे संपर्क विवरण उपलब्ध कराने का एक महत्वपूर्ण संग्रह है। इससे सरकार और इन समितियों के बीच निर्बाध संवाद सुगम होगा।

इसके अतिरिक्त NCD पोर्टल, सूचना संग्रह से एक कदम आगे बढ़कर प्रश्न आधारित रिपोर्टें और इंटरएक्टिव डैशबोर्ड तक उपयोगकर्ता अनुकूल एक्सेस प्रदान करता है। ये विशेषताएं उपयोगकर्ताओं को डेटा के रूझानों का पता करने और विभिन्न पैरामीटर के बीच तार्किक तुलना करने में सहायक होती हैं। पारदर्शिता और सुगमता की प्रतिबद्धता के साथ NCD पोर्टल सहकारी क्षेत्र में समग्र प्रभावशीलता और सहभागिता को अग्रसर करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

प्रत्यक्ष एक्सेस करने के लिए एनसीडी पोर्टल का यूआरएल https://cooperatives.gov.in है।

3.3.3 डेटाबेस के लाभ

राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (NCD) अनेक लाभ प्रदान करता है जो सहकारी क्षेत्र की प्रभावशीलता और कार्यकुशलता में योगदान देते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख लाभ निम्नानुसार हैं:

- सिंगल प्वॉइंट एक्सेस: NCD एक केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म के रूप मे कार्य करते हुए लगभग 8.3 लाख सहकारी समितियों की सूचनाओं तक निर्बाध पहुंच प्रदान करता है और विविध प्रकार के स्रोतों से डेटा प्राप्त करके उन्हें व्यवस्थित करता है।
- व्यापक और अद्यतित डेटा: NCD एक विश्वसनीय भंडार है जो व्यापक, प्रामाणिक और अद्यतित डेटा प्रदान करता है। यह उपयोगकर्ताओं को सहकारी समितियों से संबंधित नवीनतम और सटीकतम सूचनाओं तक पहुंच सुनिश्चित करता है।

- उपयोगकर्ता अनुकूल इंटरफेस: NCD को उपयोगकर्ता अनुकूल इंटरफेस के साथ डिज़ाइन किया गया है जो सरल नेविगेशन और ऑपरेशन प्रदान करता है। यह उपयोकर्ता केंद्रित डिजाइन सुगम एक्सेस प्रदान करती है और विभिन्न प्रकार के उपयोगकर्ताओं के लिए इसे एक सुविधाजनक उपकरण बनाती है।
- वर्टिकल और हॉरिजोंटल लिंकेज: यह डेटाबेस सहकारी समितियों के बीच वर्टिकल और हॉरिजोंटल लिंकेज, दोनों की सूचना प्रदान करता है जो सहकारी परितंत्र में इन संस्थानों के बीच परस्पर कनेक्टिविटी के बारे में अमूल्य सूचना प्रदान करता है।
- प्रश्न आधारित रिपोर्ट और ग्राफ: प्रश्न आधारित रिपोर्ट और ग्राफ सृजित करने की इसकी क्षमता से उपयोगकर्ताओं को लाभ मिलता है। यह विशेषता डेटा अनुकूल विश्लेषण प्रदान करता है जो उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध आंकड़ों से अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकालने में सहायक होता है।
- सूचना प्रबंधन प्रणाली (MIS) रिपोर्टें: NCD, अपरिष्कृत आंकड़ों से आगे जाकर सूचना प्रबंधन प्रणाली रिपोर्टें प्रदान करता है। ये रिपोर्ट डेटा का संरचनाबद्ध और व्यवस्थित अवलोकन प्रदान करता है जिससे सहकारी डोमेन में रणनीतिक निर्णयन में सुविधा होती है।
- डेटा विश्लेषण: डेटा आधारित निर्णयन पर केंद्रित होकर NCD, डेटा विश्लेषण टूल्स को शामिल करता है। इसके द्वारा उपयोगकर्ता रूझानों, स्वरूपों और प्रदर्शन मेट्रिक्स का विश्लेषण करने में सक्षम होते हैं और सहकारी परिदृश्य को समझने में उन्हें सुविधा होती है।
- भौगोलिक मानचित्रण: NCD में नक्शे शामिल किए गए हैं जो सहकारी समितियों के भौगोलिक प्रसार को दर्शाते हैं। यह विशेषता ग्राम पंचायतों और गांवों में प्रसार की कमियों की पहचान में सहायक होती हैं और लक्षित इंटरवेंशंस व नियोजन में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं।

NCD एक बहुमुखी और शक्तिशाली उपकरण है जो हितधारकों को सूचनाओं के भंडार और विश्लेषणात्मक क्षमताओं द्वारा सशक्त करता है और सहकारी समितियों की समग्र कार्यात्मकता और शासन में वृद्धि करता है।

3.3.4 सहकारी डेटाबेस के विकास के लिए संगठनात्मक संरचना

- राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के विकास की प्रगति और कार्यान्वयन की रणनीति की निगरानी के लिए अपर सचिव (सहकारिता) एवं सीआरसीएस की अध्यक्षता में एक संचालन समिति का गठन

किया गया। इस समिति के सदस्य सहकारिता मंत्रालय, परियोजना प्रबंधन समूह, एनसीडीसी (लिनाक), एनसीयूआई और एआईसीटीई से लिए गए थे।

- राज्य सहकारी समितियों के पंजीयक, राष्ट्रीय सहकारी परिसंघों और सांविधिक निकायों (नाबार्ड, एनडीडीबी, एनएफडीबी) जैसे विभिन्न हितधारकों से इनपुट प्राप्त करने के लिए अपर सचिव (सहकारिता) एवं सीआरसीएस की अध्यक्षता में एक परामर्शी समिति का गठन किया गया।
- मुख्य परियोजना अधिकारी और पूर्व उपमहानिदेशक (एनआईसी) के अधीन परियोजना प्रबंधन समूह (PMG) स्थापित किया गया जो राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। NCD-PMG द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इसके कार्यान्वयन में सहयोग और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन की डिज़ाइन और विकास का कार्य किया जा रहा है।

3.3.5 राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के कार्यकलाप और वित्तीयन

- प्राथमिक से लेकर शीर्षस्थ सहकारी समितियों से डेटा एकत्रण हेतु सॉफ्टवेयर विकास टीम द्वारा सेक्टर-विशिष्ट वेब फॉर्म्स का विकास।
- जिला स्तर पर डेटा एंट्री ऑपरेटरों (DEOs) और नोडल अधिकारियों के लिए गहन और आवर्ती प्रशिक्षण।
- इंटर्न्स/डेटा एंट्री ऑपरेटरों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में सहकारी समितियों के राज्य पंजीयक के जिला पंजीयक कार्यालयों और कार्यकारी पंजीयकों से डेटा का एकत्रण।

Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय

- पूर्ण की गई प्रविष्टियों के लिए प्रमाणन प्रक्रिया सहित क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के सत्यापन और सुधार के लिए जिला नोडल अधिकारियों हेतु मॉड्यूल का विकास।
- प्राप्त डेटा का राज्य सहकारी समिति के पंजीयकों, राज्य सहकारी बैंकों, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों, नाबार्ड, एनडीडीबी, एनएफडीबी, NAFSCOB, NCDFI और FISHCOPFED के साथ अंत: अधिप्रमाणन।
- सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन और तकनीकी वर्कफ्लो का दस्तावेजीकरण, मास्टर कोड्स का मानकीकरण, उपभोक्ता और प्रशिक्षण मैनुअल तैयार करना।

- विभिन्न सहकारी समितियों में कवरेज को प्रदर्शित करने के लिए एमआईएस रिपोर्टें, ग्राफिकल प्रस्तुतीकरण और जीआईएस नक्शों के साथ विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड का निर्माण करना। बहुस्तरीय उपभोक्ता एक्सेस के लिए जांच रिपोर्टों और उपभोक्ता प्रबंधन मॉड्यूल का कार्यान्वयन।
- राष्ट्रीय डेटाबेस के लिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, आईटी पेशेवरों, इंटर्न्स और डेटा एंट्री ऑपरेटरों के लिए सहकारी शिक्षा निधि (CEF) से वित्तीयन प्राप्त करना।

3.3.6 राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के चरण

i. राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस का चरण -I: इस चरण में तीन क्षेत्रकों, अर्थात प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (पैक्स-1,03,557), डेयरी (1,41,456), और मात्स्यिकी (25,591) के लगभग 2.64 लाख प्राथमिक सहकारी समितियों के मानचित्रण का कार्य फरवरी, 2023 में पूरा किया गया। इस चरण में जिला पंजीयक कार्यालयों में डेटा प्रविष्टि हेतु जिला पंजीयक कार्यालयों के स्टाफ के अतिरिक्त अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) के पोर्टल पर सूचीबद्ध लगभग 500 स्थानीय इंटर्नों को ऑनबोर्ड किया गया।

ii. राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस का चरण-II: इस चरण में राष्ट्रीय सहकारी समितियों/परिसंघों की, उनके साधारण निकाय के सदस्यों सहित मानचित्रण का कार्य पूरा किया गया। इसके अलावा राज्य परिसंघों, जिला संघों और प्राथमिक सहकारी समितियों के साथ उनके डाउनवर्ड लिंकेज की भी पुष्टि की गई। राज्य सहकारी बैंकों (StCBs), जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs), शहरी सहकारी बैंकों (UCBs), राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (SCARDBs), प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (PCARDBs), सहकारी चीनी मिलों, राज्य परिसंघों, जिला संघों और बहुराज्य सहकारी समितियों से संबंधित डेटा का एकत्रण या तो प्रत्यक्ष तौर पर या उनके राष्ट्रीय/राज्य परिसंघों के माध्यम से किया गया।

iii. राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस का चरण-III: इस चरण में सहकारिता मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहकारी समितियों के पंजीयकों के कार्यालय के माध्यम से राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस को सभी अन्य क्षेत्रों में कार्यरत 5.3 लाख से भी अधिक सहकारी समितियों तक विस्तारित करने की प्रक्रिया को मई, 2023 में आरंभ कर दिया। लगभग सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के अंतर्गत डेटा प्रविष्टि का कार्य पूरा कर लिया है।

सत्यमेव जयते
Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

3.3.7 वर्तमान स्थिति

मार्च 2025 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नोडल अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पर लगभग 8.3 लाख प्राथमिक सहकारी समितियों के डेटा अपलोड कर दिए गए हैं। इन सहकारी समितियों से जुड़े सदस्यों की कुल संख्या 32 करोड़ से भी अधिक है। एनसीडी पोर्टल से प्राप्त सहकारी समितियों पर सारांश रिपोर्ट नीचे सारणीबद्ध है:

पंजीकरण की तारीख के अनुसार NCD सारांश रिपोर्ट (31.03.2025 के अनुसार)	
अखिल भारतीय सहकारी समितियां	**8,41,640**
प्राथमिक सहकारी समितियां	8,36,309
राज्य सहकारी समितियां /परिसंघ	1,196
शहरी सहकारी बैंक	1,463
राज्य सहकारी बैंक (StCB), जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (DCCB), राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (SCARDB), प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (PCARDB)	910
बहुराज्य सहकारी समितियां	1,742
राष्ट्रीय सहकारी समितियां /परिसंघ	20

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्राथमिक सहकारी समितियों की संख्या (31.03.2025 के अनुसार)

क्रम सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**सहकारी समितियों की कुल संख्या**	**सदस्यों की कुल संख्या**
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2,234	62,855
2	आंध्र प्रदेश	17,885	76,54,540
3	अरुणाचल प्रदेश	1,448	52,399
4	असम	11,744	33,88,554
5	बिहार	28,055	1,60,57,962
6	चंडीगढ़	476	34,977

7	छत्तीसगढ़	11,118	51,02,322
8	दिल्ली	5,944	12,82,427
9	गोवा	5,521	15,56,794
10	गुजरात	85,213	1,89,96,531
11	हरियाणा	33,828	41,46,804
12	हिमाचल प्रदेश	5,425	17,83,304
13	जम्मू और कश्मीर	10,248	4,22,997
14	झारखंड	11,739	27,29,622
15	कर्नाटक	45,742	2,34,52,418
16	केरल	19,663	6,30,15,320
17	लद्दाख	274	31,789
18	लक्षद्वीप	43	74,783
19	मध्य प्रदेश	53,912	94,97,926
20	महाराष्ट्र	2,23,324	7,96,15,780
21	मणिपुर	11,574	5,75,293
22	मेघालय	3,240	2,63,282
23	मिजोरम	1,315	51,867
24	नागालैंड	8,024	1,29,614
25	ओडिशा	7,598	96,13,516
26	पुडुचेरी	461	3,96,615
27	पंजाब	19,516	30,39,529
28	राजस्थान	41,297	1,11,52,110
29	सिक्किम	3,772	84,057
30	तमिलनाडु	22,792	1,84,85,860
31	तेलंगाना	60,742	1,02,85,861

सत्यमेव जयते
Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

32	दादर और नागर हवेली एवं दमन और दीव	569	50,145
33	त्रिपुरा	3,063	5,30,896
34	उत्तर प्रदेश	40,451	1,91,07,244
35	उत्तराखंड	6,096	16,88,536
36	पश्चिम बंगाल	31,963	94,20,396
	कुल	**8,36,309**	**32,38,34,925**

प्राथमिक सहकारी समितियों की क्षेत्रक-वार संख्या (31.03.2025 के अनुसार)

क्रम सं.	क्षेत्रक	सहकारी समितियों की कुल संख्या	सदस्यों की कुल संख्या
1	कृषि और संबद्ध सहकारी समिति	27,810	81,99,910
2	कृषि प्रसंस्करण/औद्योगिक सहकारी समिति	23,536	22,14,642
3	मधुमक्खी पालन सहकारी समिति	350	47,373
4	उपभोक्ता सहकारी समिति	23,226	1,01,36,623
5	क्रेडिट और थ्रिफ्ट समिति	83,366	5,28,09,506
6	डेयरी सहकारी समिति	1,47,909	1,29,30,774
7	शैक्षणिक और प्रशिक्षण सहकारी समिति	1,591	45,66,463
8	मात्स्यिकी सहकारी समिति	26,692	37,29,764
9	हस्तशिल्प सहकारी समिति	5,193	91,026
10	हथकरघा वस्त्र और बुनकर सहकारी समिति	19,559	16,38,843
11	आवासन सहकारी समिति	1,93,603	2,64,75,245
12	जूट और कॉएर सहकारी समिति	71	4,752
13	खादी ग्रामोद्योग	19	5,118
14	श्रमिक सहकारी समिति	46,390	90,97,191
15	पशुधन और कुक्कुट सहकारी समिति	16,895	11,22,805
16	विपणन सहकारी समिति	10,059	37,11,250

सत्यमेव जयते
Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

17	विविध ऋण सहकारी समिति	7,559	55,75,873
18	विविध गैर- ऋण सहकारी समिति	34,892	1,14,53,003
19	बहुउद्देशीय सहकारी समिति	21,303	30,61,142
20	प्राथमिक कृषि क्रेडिट सहकारी समिति (पैक्स/FSS/LAMPS)	1,08,375	13,93,66,734
21	रेशम उत्पादन सहकारी समिति	532	78,021
22	समाज कल्याण और सांस्कृतिक सहकारी समिति	2,505	6,85,520
23	चीनी मिल सहकारी समिति	290	39,31,512
24	पर्यटन सहकारी समिति	598	39,957
25	परिवहन सहकारी समिति	4,232	1,36,080
26	जनजातीय- अनु.जा./अनु.ज.जा. सहकारी समिति	2,042	13,84,663
27	शहरी सहकारी बैंक (UCB)	1,463	1,52,81,868
28	महिला कल्याण सहकारी समिति	26,249	60,59,267
	कुल	**8,36,309**	**32,38,34,925**

3.3.8 सहकारी रैंकिंग फ्रेमवर्क

सहकारी क्षेत्र में प्रदर्शन आकलन के संस्थानीकरण के लिए उठाए गए उल्लेखनीय कदम में सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी रैंकिंग फ्रेमवर्क (CRF) का विकास किया है जिसके प्रथम चरण में प्राथमिक कृषि क्रेडिट समिति (PACS), डेयरी, मात्स्यिकी, शहरी सहकारी बैंक (UCBs), आवासन, क्रेडिट और थ्रिफ्ट तथा खादी एवं ग्रामीण उद्योग सहित सात महत्वपूर्ण सेक्टर शामिल हैं।

यह रैंकिंग फ्रेमवर्क सहकारी परितंत्र में जवाबदेही, पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने में सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दर्शाता है। वित्तीय अनुशासन और सुशासन की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देते हुए यह फ्रेमवर्क ऑडिट संबंधी मानदंडों पर अधिक जोर देते हुए सेवा प्रदाय, अवसंरचना, ब्रांडिंग, वित्तीय स्वास्थ्य और संस्थागत कार्यकलाप जैसे प्रदर्शन सूचकांक को भी समाविष्ट करता है, जो कुल मिलाकर 100 के समग्र अंक में योगदान देता है।

3.3.8.1 सहकारी रैंकिंग फ्रेमवर्क (CRF) का डिजिटल लॉन्च

रैंकिंग पहल को प्रभावी बनाने के लिए माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा दिनांक 24 जनवरी, 2025 को मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के उद्घाटन समारोह के दौरान एक समर्पित वेब-एप्लिकेशन लॉन्च किया गया जो एक डिजिटल इंटरफेस के माध्यम से राज्य-वार और सेक्टर-वार सहकारी रैंकिंग को समर्थ करता है। इस अवसर पर माननीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री मुरलीधर मोहोल, महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे और श्री अजीत पवार के साथ-साथ डॉ. आशीष कुमार भूटानी, सचिव, सहकारिता मंत्रालय और अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

श्री अमित शाह ने ऑडिटों, कार्यकलापों, सेवाओं, वित्तीय प्रदर्शन, अवसंरचना और ब्रांडिंग सहित विभिन्न मानदंडों, जिसका सामूहिक रूप से कुल अंकभार 100 अंकों का होगा, पर आधारित रैंकिंग प्रणाली के बारे में समझाया। यह प्रणाली पारदर्शिता और विश्वसनीयता में वृद्धि को लक्षित है जो यह सुनिश्चित करेगी कि भविष्य में इन रैंकिंग के आधार पर बैंकों द्वारा पूरे विश्वास के साथ पैक्स को निधीयन प्रदान किया जा सकेगा। सहकारी संस्थान अपनी रैंकिंग के अनुसार सहकारी बैंकों से ऋण प्राप्त कर सकेंगे।

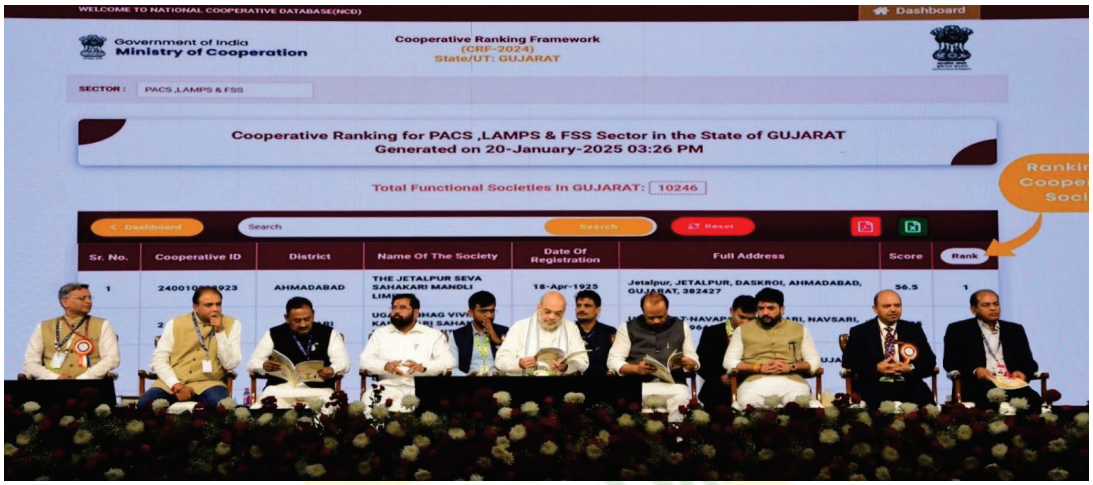

माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री के साथ अन्य गणमान्य अतिथियों द्वारा लॉन्च कार्यक्रम के दौरान राज्य-वार और क्षेत्र-वार रैंकिंग फ्रेमवर्क का अनावरण

3.3.8.2 आकलन के मानदंड

सहकारी रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत प्राथमिक सहकारी समितियों की रैंकिंग फ्रेमवर्क जेनरेट करने के आकलन के मानदंड निम्नानुसार हैं:

- सामान्य सूचना: इसमें मूलभूत ब्यौरा, पंजीकृत कार्यालय (ग्रामीण/शहरी) की अवस्थिति, सदस्यता का आकार और संरचना, संपक ब्यौरा और सेक्टर का ब्यौरा (ग्रामीण/शहरी/दोनों) शामिल है।
- प्रचालनात्मक कार्यकलाप: सदस्यों की जरूरतों के प्रति दक्षता, समावेशिता और संवेदनशीलता सुनिश्चित करते हुए समिति द्वारा सेवाओं का आकलन।
- अवसंरचना: उपलब्ध फिजिकल और डिजिटल अवसंरचना की गुणवत्ता।
- वित्तीय मानदंड: सहकारी समिति के बैंकिंग लिंकेज, निवल लाभ सृजन, लाभांश वितरण, वार्षिक टर्नओवर और समग्र वित्तीय स्वास्थ्य और संधारणीयता पर सूचना शामिल है।
- ऑडिट अनुपालन: ऑडिट अनुपालन के आकलन में ऑडिट की समयबद्धता, आवर्ती और श्रेणी शामिल है।

कुल 100 अंकों के अंकभार के अधीन प्रत्येक मानदंड को यथोचित अंकभार दिया गया है, जिसमें ऑडिट और वित्तीय प्रदर्शन के अंकभार पर अधिक जोर दिया गया है। इसका लक्ष्य विभिन्न स्तरों पर

सहकार से समृद्धि
Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

आवासन सहकारी समितियों सहित सहकारी समितियों के बीच पारदर्शिता, सुशासन और स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है।

3.3.9 एनसीडी पोर्टल का अन्य डेटाबेस के साथ एकीकरण

सहकारिता मंत्रालय ने '*सहकार से समृद्धि* की परिकल्पना को साकार करने के लिए अनेक पहलें की हैं जिनमें राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस का विकास और प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों का e-PACS सॉफ्टवेयर के माध्यम से कंप्यूटरीकरण शामिल हैं। इसके अलावा, प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (पैक्स) की व्यवहार्यता में वृद्धि और उनके कार्यकलापों को बढ़ाने के प्रयासों के हिस्से के रूप में मंत्रालय ने आदर्श उपविधियां भी तैयार की हैं जो पैक्स को अन्य कार्यों के साथ-साथ कॉमन सेवा केंद्रों (CSC), प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों (PMBJK) और प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों (PMKSK) का कार्य करने के लिए सक्षम बनाती हैं। इसके अतिरिक्त, पैक्स को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) के अधीन उद्यम पोर्टल पर जल्द से जल्द पंजीकृत होने के लिए प्रोत्साहित और सुविधा प्रदान करने हेतु कदम उठाए जा रहे हैं।

पैक्स पर सटीक और अद्यतन डेटा संधारित करने के लिए एनसीडी पोर्टल, एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (API) के माध्यम से e-PACS सॉफ्टवेयर के साथ एकीकृत हो रहा है। यह एकीकरण एनसीडी पोर्टल में स्वचालित डाटा अद्यतन की सुविधा प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त, CSC, PMBJK और PMKSK के रूप में प्रचालनरत पैक्स के साथ उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत पैक्स पर डेटा अद्यतन के लिए एनसीडी को API के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के डेटाबेस/पोर्टल्स के साथ एकीकृत किया जा रहा है। इस प्रकार के एकीकरण से स्वचालित डेटा सिंक्रोनाइजेशन और सूचनाओं का प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित होगा।

Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

3.4 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में RCS कार्यालयों के कंप्यूटरीकरण की योजना

"राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहकारी समितियों के पंजीयक (RCS) कार्यालयों का कंप्यूटरीकरण" एक केंद्रीय प्रायोजित परियोजना है जिसे वर्ष 2023-24 से तीन वर्षों की अवधि के लिए ₹ 94.59 करोड़ के कुल बजट से केंद्रीय सरकार द्वारा दिनांक 06 अक्टूबर 2023 को अनुमोदित किया गया है। यह पहल "आईटी इंटरवेंशंस के माध्यम से सहकारी समितियों का सशक्तीकरण" नामक एक केंद्रीय प्रायोजित अंब्रेला परियोजना का हिस्सा है जिसे माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री द्वारा दिनांक 30 जनवरी, 2024 को आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान आधिकारिक रूप से लॉन्च किया गया था। इस परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के RCS कार्यालयों और सहकारी समितियों के

बीच पारदर्शी और कागजरहित लेनदेनों में सुविधा प्रदान करने हेतु एक डिजिटल परितंत्र के निर्माण द्वारा सहकारी समितियों के लिए सुगम व्यवसाय में वृद्धि सुनिश्चित करना है। इस परियोजना के अधीन विकसित सॉफ्टवेयर को संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विशिष्ट सहकारी अधिनियमों के साथ संरेखित करने के लिए तैयार किया जाएगा।

केंद्रीय प्रायोजित पहल के रूप में इस परियोजना में भारत सरकार की ओर से वन-टाईम वित्तीय सहायता शामिल है। कार्यान्वयन चरण के बाद इस परियोजना के संधारणीयता की जिम्मेदारी संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सरकारों की होंगी। इस परियोजना के अधीन सहायता किए जाने वाले प्रमुख घटकों में PCs, UPS और मल्टी-फंक्शनल प्रिंटरों के प्रापण के साथ-साथ 2.5 वर्षों के लिए क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर भी शामिल हैं। इसमें ₹ 1.5 करोड़ (जीएसटी सहित) तक की वित्तीय सहायता से सॉफ्टवेयर का विकास भी शामिल है जिसे भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्तपोषित किया जाएगा जो दूसरे और तीसरे वर्ष के दौरान सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन में सहायता प्रदान करेगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ₹ 18.55 करोड़ जारी किए गए हैं।

राज्य और जिला-स्तर के पंजीयक कार्यालयों के उपयोग के लिए विकसित किए जा रहे सॉफ्टवेयर सिस्टम को राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (एनसीडी) के साथ एपीआई-आधारित लिंकेज की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। इससे राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पर किसी नई सहकारी समिति के पंजीकरण के साथ-साथ मौजूदा सहकारी समितियों के संबंध में अन्य डेटा मदों के अद्यतन के बारे में रियल-टाइम अद्यतन सुनिश्चित होगा।

3.5. "त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी" की स्थापना

Government of India | भारत सरकार

सहकारिता मंत्रालय ने इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आणंद (IRMA) को परिवर्तित करके सहकारी क्षेत्र में "त्रिभुवन" सहकारी यूनिवर्सिटी (TSU) नामक एक राष्ट्र-स्तरीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसे संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किया जाएगा और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया जाएगा। इस संदर्भ में दिनांक 12 दिसंबर, 2024 को मंत्रीमंडलीय अनुमोदन प्राप्ति के पश्चात् "त्रिभुवन" सहकारी यूनिवर्सिटी विधेयक, 2025 को लोक सभा में दिनांक 03 फरवरी, 2025 को पुर:स्थापित किया जा चुका है। इसके अलावा, "त्रिभुवन" सहकारी यूनिवर्सिटी विधेयक, 2025 को लोक सभा द्वारा दिनांक 26 मार्च, 2025 को पारित कर दिया गया है। अब इस विधेयक को विचार तथा पारण के लिए राज्य सभा के पटल पर रखा जाएगा।

इस विश्वविद्यालय के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

(i) अपने स्वयं के स्कूलों की स्थापना या संस्थानों को संबद्ध करके सहकारी क्षेत्र की वर्तमान और भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अर्हक एवं प्रशिक्षित श्रमबल प्रदान करना;

(ii) सभी स्तरों पर सहकारी समितियों के कार्मिकों और बोर्ड के सदस्यों को प्रशिक्षण, शिक्षा और क्षमता निर्माण प्रदान करना;

(iii) संबद्ध सहकारी संस्थानों और प्रशिक्षण केंद्रों के शैक्षणिक और अनुसंधान कार्यकलापों का एकीकरण, समन्वय और मानकीकरण के लिए एक शीर्षस्थ निकाय के रूप में कार्य करना;

(iv) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय श्रेष्ठ प्रथाओं और इस अधिनियम की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसरण में सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण में पाठ्यक्रम अभिकल्पना और पाठ्यक्रम सामग्री, अध्यापन कला, पाठ्यक्रम डिलीवरी को मानकीकृत करना;

(v) सहकारी शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्शी में उत्कृष्टता केंद्रों का विकास करना;

(vi) सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र और सहकारी समितियों से जुड़े अन्य क्षेत्रों में उन्नत शिक्षा के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के संस्थान के रूप में विकसित होना;

(vii) सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में संस्थागत और अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करके ज्ञान का प्रसार आगे बढ़ाना तथा शिक्षण-अध्ययन प्रक्रिया एवं अंतरविषय अध्ययन व अनुसंधान में नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए यथोचित उपाय करना;

(viii) सभी क्षेत्रों के लिए सहकारिता के क्षेत्र में अत्याधुनिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए स्कूलों की स्थापना करना और संस्थानों को संबद्ध करना;

(ix) सहकारी समितियों की शिक्षा और प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दूरस्थ शिक्षा और सामूहिक ई-लर्निंग मंच प्रदान करना;

(x) सहकारी समितियों के सभी क्षेत्रकों में अनुसंधान और विकास कार्य करना और उनको बढ़ावा देना;

(xi) सहकारी क्षेत्र में नवाचार, उद्यमशीलता और स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा देना;

(xii) अपने उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए सभी स्तरों पर सहकारी समितियों या संघों या परिसंघों, संस्थानों, सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन और भारत और विदेश के

सत्यमेव जयते
Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
भारत सरकार | Government of India

सहकारी शिक्षा संस्थानों के साथ भागीदारी और लिंकेज स्थापित करना और उनका संवर्धन करना।

3.6 बजट और योजनाएं

3.6.1 बजट: बजट प्रावधानों और व्यय का सारांश

सहकारिता मंत्रालय की स्थापना 06 जुलाई, 2021 को तत्कालीन कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय (MoAFW) से की गई थी। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सहकारिता मंत्रालय को ₹ 1,150.38 करोड़ का बजट अनुमान (बीई) आबंटित किया गया जिसे संशोधित अनुमान (RE) के चरण में ₹ 747.84 करोड़ किया गया जिसके विरुद्ध ₹ 688.88 करोड़ के व्यय का वहन किया गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सहकारिता मंत्रालय को ₹ 1,183.39 करोड़ का बजट अनुमान (बीई) आबंटित किया गया जिसे संशोधित अनुमान (RE) के चरण में ₹ 749.78 करोड़ संशोधित किया गया जिसके विरुद्ध ₹ 737.99 करोड़ के व्यय का वहन किया गया। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट अनुमान (बीई) ₹ 1,186.29 करोड़ है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के व्यय को दर्शाती विवरणी **संलग्नक-III** पर संलग्न है। वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 के दौरान बजटीय प्रगति नीचे देखी जा सकती है:-

सत्यमेव जयते

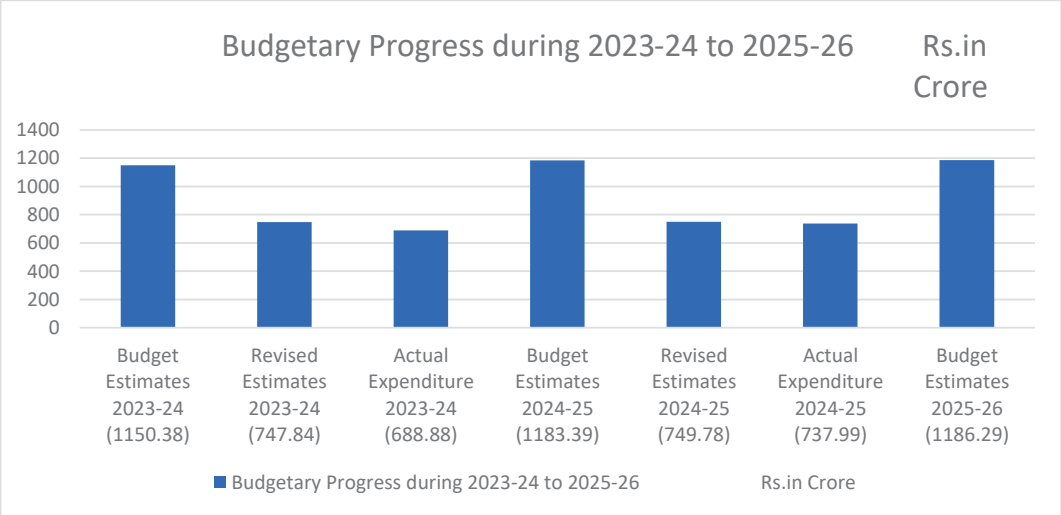

3.6.2 सहकारी क्षेत्र को सशक्त करने के लिए आम बजट 2024-25 में घोषित किए गए उपाय

क) सरकार द्वारा सहकारी क्षेत्र के क्रमिक, व्यवस्थित और सर्वांगीण विकास के लिए एक राष्ट्रीय सहकारिता नीति लायी जाएगी। इस नीति का लक्ष्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गति लाना और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसरों का सृजन करना है।

ख) प्रमुख उपभोग केंद्रों के निकट सब्जी उत्पादन के विशाल क्लस्टरों का विकास किया जाएगा। सरकार द्वारा सब्जी एकत्रण, भंडारण और विपणन सहित सब्जी आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए किसान उत्पादक संगठनों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

ग) सरकार ने कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए ₹ 1.52 लाख करोड़ का प्रावधान किया है।

3.6.3 योजनाएं: "प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (PACS) के कंप्यूटरीकरण" की केंद्रीय प्रायोजित परियोजना

भारत सरकार ने ₹ 2,516 करोड़ की कुल वित्तीय परिव्यय से 63,000 कार्यशील पैक्स के कंप्यूटरीकरण की एक परियोजना को अनुमोदित किया है जिसमें सभी कार्यशील पैक्स को ERP (एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग) आधारित एक कॉमन राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर साथ लाकर राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) के माध्यम से नाबार्ड के साथ लिंक करना है। परियोजना परिव्यय को व्यय विभाग के दिनांक 05.08.2016 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 9, जो मूल अनुमोदित परिव्यय के 20% सीमा के अध्यधीन, परियोजना के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के कारण लागत में वृद्धि की अनुमति देता है, के अनुसरण में बढ़ा दिया गया है। इस अतिरिक्त प्रावधान से ₹ 2,516 करोड़ के पिछले अनुमोदित परिव्यय की तुलना में अब कुल परियोजना परिव्यय ₹ 2,925.39 करोड़ हो गया है। अब इस परियोजना के अधीन पैक्स कवरेज की कुल संख्या बढ़कर 79,630 हो गई है।

दिनांक 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार, 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने हार्डवेयर की खरीद, डिजिटलीकरण और सपोर्ट सिस्टम्स के लिए ₹ 758.24 करोड़ प्राप्त किए हैं। इसके अलावा, नाबार्ड को राष्ट्र स्तरीय डेटा संग्रह स्थापित करने, सॉफ्टवेयर का विकास, प्रशिक्षण प्रदान करने और परियोजना प्रबंधन इकाई (PMU) स्थापित करने में हुए व्यय को पूरा करने के लिए ₹ 165.92 करोड़ प्रदान किए गए हैं।

Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

इस परियोजना के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए नाबार्ड, मुख्यालय की एक कोर टीम का गठन किया गया है जिसमें इसके अधिकारियों को टीम के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इस कोर टीम की सहायता हेतु नाबार्ड द्वारा परियोजना के लिए अनुबंध पर परियोजना प्रबंधन इकाई (PMU) को रखा गया है। नाबार्ड ने संविदा के आधार पर PMU के लिए स्टाफ/पेशेवर/तकनीकी विशेषज्ञों को रखा है। इसी प्रकार, नाबार्ड ने राज्य स्तर पर परियोजना के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए राज्यों की सहायता हेतु नाबार्ड ने राज्य परियोजना प्रबंधन इकाइयों (PMUs) की भी स्थापना की है जो राज्य स्तरीय सहयोग केंद्र के रूप में भी कार्य करेंगे। इन राज्य PMUs में भी नाबार्ड के कर्मी और संविदाकर्मी स्टाफ/विशेषज्ञ कार्यरत हैं।

सत्यमेव जयते
Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

अध्याय 4: संबद्ध और अधीनस्थ संगठन

4.1 सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक (CRCS)

सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक (सीआरसीएस) का कार्यालय बहुराज्य सहकारी समितियों के निगमन, विनियमन और परिसमापन से संबंधित है। सहकारी समितियां, जिनके उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं है, उन्हें बहुराज्य सहकारी समितियों के रूप में जाना जाता है। सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक (CRCS) कार्यालय का उद्देश्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन और लोकतांत्रिक कामकाज को स्व-सहायता और पारस्परिक सहायता के आधार पर लोगों के संस्थानों के रूप में सुविधाजनक बनाना और उन्हें अपनी आर्थिक और सामाजिक बेहतरी को बढ़ावा देने और बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, (MSCS) अधिनियम, 2002 (2023 में संशोधित) के अधीन निहित सहकारी सिद्धांतों और विधायी अवसंरचना के अनुसार कार्यात्मक स्वायत्तता प्रदान करने में सक्षम बनाना है। सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 243ZH(f) के साथ पठित बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 की धारा 4 के अधीन की जाती है।

4.1.1 CRCS कार्यालय के कार्य

सभी बहुराज्य सहकारी समितियां (MSCS) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम (MSCS), 2002 (2023 में संशोधित) के क्षेत्राधिकार में आती हैं। केंद्रीय पंजीयक, CRCS कार्यालय के प्रशासन प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। वर्तमान में, सीआरसीएस के दो प्रमुख अनुभाग हैं, अर्थात पंजीकरण और प्रबंधन। पंजीकरण अनुभाग बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अनुसार समितियों के पंजीकरण और उपविधियों के संशोधन का कार्य देखता है। प्रबंधन अनुभाग का कार्य विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों से संबंधित है जिसमें बहुराज्य सहकारी समितियों से संबंधित निरीक्षण एवं संपरीक्षण, वार्षिक विवरणियां एवं अन्य मामले आदि शामिल हैं। सीआरसीएस कार्यालय द्वारा बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 (2023 में संशोधित) के कार्यान्वयन से संबंधित निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं :

1. बहुराज्य सहकारी समितियों का पंजीकरण
2. बहुराज्य सहकारी समितियों की उपविधियों का संशोधन
3. रूपांतरण द्वारा सहकारी समितियों का बहुराज्य सहकारी समितियों के रूप में पंजीकरण

Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

4. अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए नियमों, दिशा-निर्देशों, प्रारूपों और पैनलों का निर्माण
5. बहुराज्य सहकारी समितियों और उनके सदस्यों से प्राप्त शिकायतों/ परिवादों का निवारण
6. बहुराज्य सहकारी समितियों में मध्यस्थों और परिसमापकों तथा बिक्री अधिकारियों की नियुक्ति
7. अधिनियम के अनुसार बहुराज्य सहकारी समितियों का निरीक्षण और जांच तथा समितियों का परिसमापन
8. सहकारी शिक्षा निधि (CEF) और सहकारी पुनर्वास पुनर्गठन और विकास निधि (CRRDF) का प्रबंधन

4.1.2 बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 तथा उसका प्रशासन

बहुराज्य सहकारी अधिनियम, 1984 के निरसन के पश्चात् बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 को स्थापित सहकारी सिद्धांतों के अनुरूप बहुराज्य सहकारी समितियों के लोकतांत्रिक कार्यकरण और स्वायत्तशासी कार्यप्रणाली को सुगम बनाने के लिए अधिनियमित किया गया था।

देश में सहकारिता विधान प्राथमिक सहकारी ऋण समितियों की स्थापना को सुगम बनाने के लिए सहकारी क्रेडिट सोसाइटी अधिनियम, 1904 के अधिनियमन के साथ प्रारंभ हुआ। इसके बाद सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1912 आया जिसमें गैर-ऋण और संघीय सहकारी समितियों की स्थापना की व्यवस्था की गई। तत्पश्चात, एक से अधिक राज्य में क्षेत्राधिकार वाली सहकारी समितियों की सुगम स्थापना के लिए बहु-एकक सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1942 को अधिनियमित किया गया। विभिन्न राज्यों के सहकारी सोसाइटी अधिनियमों द्वारा प्रशासित राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियों के उद्भव के साथ ही संसद ने संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची। - संघ सूची की प्रविष्टि 44 के अधीन बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1984 को अधिनियमित किया।

4.1.3 बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2023

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 को मौजूदा कानून के अनुसमर्थन और सत्तानवेवां संवैधानिक संशोधन के प्रावधानों को अंतर्विष्ट करके बहुराज्य सहकारी समितियों में शासन को सशक्त करने, पारदर्शिता बढ़ाने, जवाबदेही बढ़ाने और निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार आदि के लिए पुनर्स्थापित किया गया था।

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2023 को बाद में दिनांक 03.08.2023 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किया गया और बहुराज्य सहकारी सोसाइटी नियम संशोधन नियम, 2023 को दिनांक 04.08.2023 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किया गया। बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन नियम, 2023 को दिनांक 09.08.2023 को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा गया।

बहुराज्य सहकारी समितियों का राज्य-वार और क्षेत्र-वार ब्योरा **संलग्नक-IV** (सारणी-1 और सारणी-2) में दिया गया है।

4.1.4 CRCS कार्यालय का कंप्यूटरीकरण

केंद्रीय पंजीयक कार्यालय को सीआरसीएस पोर्टल https://crcs.gov.in के माध्यम से बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए एक डिजिटल परितंत्र सृजित करने के लिए कंप्यूटरीकृत किया गया है। इस पोर्टल का शुभारंभ दिनांक 06 अगस्त, 2023 को माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने पुणे में किया था। यह पोर्टल बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम की सांविधिक आवश्यकताओं के अनुपालन में बहुराज्य सहकारी समितियों के कामकाज से संबंधित विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं की सुविधा प्रदान करता है। ऑनलाइन सेवाओं में बहुराज्य सहकारी समितियों का पंजीकरण, उपविधियों में संशोधन, वार्षिक रिपोर्ट दाखिल करना, अपील, निर्वाचन, शाखा खोलना, संपरीक्षकों की नियुक्ति, विक्रय अधिकारी की नियुक्ति, कागज रहित जमा करने और आवेदनों की प्रोसेसिंग के लिए एसबीआई पेमेंट गेटवे आदि के माध्यम से CEF और CRRDF को ऑनलाइन भुगतान शामिल हैं।

पंजीकृत बहुराज्य सहकारी समितियां ऑनलाइन सेवाओं के लिए अपने अनुरोध प्रस्तुत करने हेतु अपने यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से पोर्टल को एक्सेस कर सकते हैं। पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से सभी प्रमाण पत्र, आदेश, नोटिस और अन्य संप्रेषण हैंडल किए जाते हैं। समितियों के साथ सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाती है। यह पोर्टल बहुराज्य सहकारी समितियों के विकास के लिए सुगम व्यवसाय में वृद्धि और पारदर्शिता लाने में मदद करता है। यह पोर्टल विभिन्न विश्लेषणात्मक और प्रबंधन सूचना तंत्र (MIS) रिपोर्ट प्रदान करता है।

Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

4.1.5 CRCS कार्यालय के प्रशासन का सशक्तीकरण

पूर्ववर्ती कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक (CRCS) के कार्यालय की अध्यक्षता CRCS के रूप में अपर/संयुक्त सचिव द्वारा की जाती थी। सहकारिता मंत्रालय की स्थापना से पहले, CRCS, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (MSCS) अधिनियम, 2002 के विनियमन और प्रशासन के लिए जिम्मेदारियों के निर्वहन में, तकनीकी अधिकारियों और अधिकारियों के एक छोटे समूह द्वारा समर्थित था जो सहकारी क्षेत्र में विशेषज्ञ थे। जुलाई 2021 में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद, CRCS कार्यालय के सशक्तीकरण के लिए 32 तकनीकी और 43 प्रशासनिक पदों सहित 75 पदों का सृजन किया गया है। 32 तकनीकी पदों के लिए भर्ती नियमों को दिनांक 01.09.2023 को अधिसूचित किया गया है और 5 पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा गया है।

4.1.6 CRCS कार्यालय के लिए नया कार्यालय भवन

सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक का कार्यालय सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण (CEA) और सहकारी ऑम्बड्समैन (CO) के कार्यालयों के साथ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली में स्थित है। नए कार्यालय में सुचारू संचालन के लिए अत्याधुनिक अवसरंचना उपलब्ध है। इसका उद्घाटन माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने दिनांक 17.01.2024 को किया था।

सत्यमेव जयते

माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री द्वारा सीआरसीएस के नए भवन का उद्घाटन

पश्चिमी क्षेत्र जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दादर और नागर हवेली और दमन और दीव के कार्यों की देखभाल के लिए पुणे, महाराष्ट्र में एक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया है। इससे सहकारी समितियों के केन्द्रीय पंजीयक के कार्यालय को और मजबूती मिलेगी।

4.1.7 सहारा समूह की सहकारी समितियों के निवेशकों को रिफंड

सहारा समूह की सहकारी समितियों के प्रामाणिक सदस्यों/जमाकर्ताओं की वैद्य जमाराशियों के रिफंड हेतु उनकी काफी समय से लंबित शिकायतों के समाधान के लिए सहकारिता मंत्रालय द्वारा दायर याचिका पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 29.03.2023 के आदेश के माध्यम से निदेश दिया कि "सहारा-सेबी रिफंड खाते" से ₹ 5000 करोड़ का अंतरण सहकारी समितियों के केन्द्रीय पंजीयक (सीआरसीएस) को किया जाए जो सहारा समूह की सहकारी समितियों (अर्थात् सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लि., लखनऊ; सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी लि., भोपाल; हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लि., कोलकाता और स्टार्स मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी लि., हैदराबाद) के प्रामाणिक जमाकर्ताओं के वैध बकाया का अत्यंत पारदर्शी तरीके द्वारा जमाराशियों तथा उनके दावों के साक्ष्य प्रस्तुत करने पर इसका संवितरण सीधा उनके संबंधित बैंक खातों में करेंगे।

तदनुसार, दिनांक 18.07.2023 को "सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल" का शुभारंभ किया गया और उपर्युक्त 4 सहकारी समितियों के प्रामाणिक जमाकर्ताओं को उनकी उचित पहचान और उनके द्वारा किए गए जमा और दावे के साक्ष्य की प्रस्तुति पर पारदर्शी रीति से संवितरण आरंभ हुआ। यह ऑनलाइन पोर्टल उपयोगकर्ता अनुकूल, प्रभावशाली और पारदर्शी है और यह संपूर्ण प्रक्रिया कागज़ रहित है। सभी हितधारकों द्वारा पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत आवेदन प्रोसेस किए जा रहे हैं और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद, निधि की उपलब्धता के अध्यधीन, प्रमाणिक जमाकर्ताओं के आधार से जुड़े बैंक खाते में सीधा भुगतान किया जा रहा है।

जमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत दावों में पाई गई कमियों की दशा में दिनांक 15.11.2023 को एक "पुन: प्रस्तुति पोर्टल" का भी शुभारंभ किया गया है ताकि जमाकर्ताओं को अपने दावे में पाई गई कमियों को सुधार कर अपना दावा पुन: प्रस्तुत करने का अवसर दिया जा सके।

Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

दिनांक 31 मार्च, 2025 तक सहारा समूह की सहकारी समितियों के 14,38,067 जमाकर्ताओं को लगभग ₹ 2,581 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है ।

4.1.8 सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण

सहकारिता मंत्रालय द्वारा बहुराज्य सहकारी समितियों के कार्यकरण में पारदर्शिता, जवाबदेही, सुशासन और समावेशिता लाने के लिए बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2023 के अधिनियमन के माध्यम से अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। ऐसे सुधारों में से एक सुधार निर्वाचन सुधार

है जिसमें बहुराज्य सहकारी समितियों के बोर्ड और पदाधिकारियों का स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी रीति से निर्वाचन कराने के लिए सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण की स्थापना की परिकल्पना शामिल है।

मंत्रालय ने बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 की धारा 45 के अधीन दिनांक 20 नवंबर, 2023 को अंतरिम रूप से सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण की स्थापना की है और बाद में भारत सरकार द्वारा बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 (2002 का 39) की धारा 45(i) और 11.03.2024 को संशोधन (2023 का 11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण को अधिसूचित किया गया है। सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण (CEA) की स्थापना करने का उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन और लोकतांत्रिक शासन के माध्यम से लोकतांत्रिक शासन को सुदृढ़ करना है।

सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण की संरचना: सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण में एक सभापति, एक उपसभापति और एक महिला सहित तीन से अनधिक सदस्य होते हैं जिन्हें चयन समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण के कार्यालय का मुख्यालय 9वीं मंजिल, टॉवर 'ई', वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली-110029 में है। सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण ने मार्च, 2025 तक 113 बहुराज्य सहकारी समितियों के चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न कराए हैं।

सत्यमेव जयते

वार्षिक दिवस समारोह: प्राधिकरण ने दिनांक 11 मार्च, 2025 को डॉ. अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जनपथ, नई दिल्ली में अपना पहला स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर सहकारिता मंत्रालय के सचिव मुख्य अतिथि थे। इस समारोह में जिला प्रशासन के अधिकारीगण, सहकारी समितियों के अध्यक्ष, राष्ट्रीय सहकारी समितियों और अन्य बहुराज्य सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशकगण और अन्य अधिकारीगण सहित लगभग 100 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण (CEA) का पहला स्थापना दिवस दिनांक 11 मार्च, 2025 को डॉ. अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जनपथ, नई दिल्ली में मनाया गया

4.1.9 सहकारी ऑम्बड्समैन

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 में संशोधन के बाद, सहकारी ऑम्बड्समैन के रूप में एक नया संस्था स्थापित की गई है। प्रथम सहकारी ऑम्बड्समैन की नियुक्ति सहकारिता मंत्रालय द्वारा उपरोक्त अधिनियम की धारा 85A के अधीन दिनांक 05 मार्च, 2024 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से पूरे देश के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के साथ की गई है। व्यय विभाग ने सहकारी ऑम्बड्समैन के कार्यालय के लिए 20 पदों को मंजूरी दी है।

सहकारी ऑम्बड्समैन बहुराज्य सहकारी समितियों के सदस्यों द्वारा उनकी जमाराशि, समिति के कामकाज के न्यायसंगत लाभों या संबंधित सदस्य के व्यक्तिगत अधिकारों को प्रभावित करने वाले किसी अन्य मुद्दे के संबंध में शिकायतों की जांच करता है। सहकारी ऑम्बड्समैन सहकारी सूचना अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध किसी भी सदस्य द्वारा की गई किसी भी अपील के लिए अपीलीय प्राधिकरण भी है। बहुराज्य सहकारी सोसाइटी नियम, 2002 शिकायत/अपील दायर करने के लिए एक सरल मानकीकृत प्रक्रिया का प्रावधान करता है। शिकायतें भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक, दोनों माध्यम से दर्ज की जा सकती हैं। एक नई पहल होने के कारण सदस्यों को शिकायतों को दायर करने की प्रक्रिया के संबंध में लगातार सलाह और मार्गदर्शन दिए जाते हैं।

शिकायत पर निर्णय लेने से पहले बहुराज्य सहकारी समिति को सुनवाई का अवसर देकर नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाता है। दिनांक 31 मार्च 2025 तक 3,412 शिकायतों का समाधान किया गया है। कार्यवाही पूरी होने के बाद 11 आदेश पारित किए गए हैं।

4.2 राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC)

एनसीडीसी एक सांविधिक संगठन है जिसे सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण आर्थिक कार्यकलापों के विकास का नेतृत्व करने के लिए अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति की सिफारिश पर दिनांक 14.03.1963 को संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। इसकी नीतियां और कार्यक्रम इसकी साधारण परिषद और प्रबंधन बोर्ड के मार्गदर्शन में तैयार किये जाते हैं जिसका गठन भारत सरकार द्वारा विभिन्न सहकारी समितियों, अधिकारियों और गैर-सरकारी सदस्यों में से किया जाता है। केंद्रीय सरकार ने अपने राजपत्र अधिसूचना सं. 2516 दिनांक 06 जुलाई, 2021 के माध्यम से '*सहकार से समृद्धि*' की परिकल्पना के साथ नये सहकारिता मंत्रालय के स्थापना की घोषणा की। अब एनसीडीसी; सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है।

सहकारिता की आत्मा को दृष्टांत करता एनसीडीसी मुख्यालय भवन

एनसीडीसी एक गैर-इक्विटी आधारित प्रवर्तक संगठन है जिसे सहकारी सिद्धांतों पर कृषि उपज, खाद्य सामग्री और कतिपय अधिसूचित उत्पादों के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण, कृषि उपज

के निर्यात और आयात के कार्यक्रमों के नियोजन, संवर्धन और वित्तीयन के लिए विशिष्ट रूप से स्थापित किया गया है। मात्स्यिकी, पोल्ट्री, डेयरी, हथकरघा और रेशम उत्पादन जैसे अन्य व्यावसायिक कार्यकलापों को शामिल करने के लिए वर्ष 1974 में एनसीडीसी अधिनियम में संशोधन किया गया और इस संशोधन से एनसीडीसी के संसाधन आधार को विस्तारित किया गया तथा इस प्रकार उसे बाजार से निधियां जुटाने में सक्षम बनाया गया। इस अधिनियम में वर्ष 2002 में पुन: संशोधन किया गया ताकि पशुधन, औद्योगिक माल, हस्तशिल्प, ग्रामीण शिल्प जैसे कुछ अन्य क्षेत्रों एवं जल संरक्षण कार्य, सिंचाई, पशु स्वास्थ्य देखभाल, रोग नियंत्रण, कृषि बीमा और कृषि ऋण, ग्रामीण स्वच्छता और श्रमिक सहकारी समितियों से संबंधित सेवाओं जैसे कतिपय अधिसूचित सेवाओं के लिए वित्तीयन को शामिल किया जा सके। यह संशोधन एनसीडीसी को अपनी विभिन्न योजनाओं के अधीन सहकारी समितियों को कतिपय निर्दिष्ट शर्तें पूरा करने पर प्रत्यक्ष वित्तीयन करने में भी सक्षम बनाता है।

4.2.1 प्रबंधन और प्रशासनिक संरचना

एनसीडीसी का प्रबंधन 54 सदस्यीय (3 विशेष आमंत्रितों सहित) के साथ साधारण परिषद (GC) और 12 सदस्यीय प्रबंधन बोर्ड (BoM) में निहित है, जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा नामित किया जाता है। साधारण परिषद नीति दिशानिर्देश निर्धारित करती है और प्रबंधन बोर्ड, निगम का सामान्य प्रबंधन का पर्यवेक्षण करता है।

सत्यमेव जयते

4.2.2 एनसीडीसी सचिवालय

निगम सचिवालय की अध्यक्षता प्रबंध निदेशक करते हैं और यह अपने प्रधान कार्यालय और बेंगलूरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, देहरादून, चेन्नई, गांधीनगर, गुवाहाटी (आइजोल, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर में एक उप-कार्यालय के साथ), हैदराबाद, विजयवाड़ा, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, पटना, पुणे, रायपुर, रांची, शिमला और तिरुवनंतपुरम में स्थित 19 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से कार्य करता है। एनसीडीसी की प्रशिक्षण अकादमी, लक्ष्मणराव इनामदार राष्ट्रीय सहकारिता अनुसंधान एवं विकास अकादमी (लिनाक) गुरूग्राम, हरियाणा में स्थित है और विभिन्न राज्यों में इसके 19 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र हैं। एक शीर्षस्थ संस्थान की भूमिका निभाने में सहायता के लिए निगम ने इन-हाउस तकनीकी और प्रबंधकीय क्षमताओं का विकास किया है।

Ministry of Cooperation | Government of India | भारत सरकार

4.2.3 एनसीडीसी द्वारा कार्यान्वित योजनाएं/सहायक कार्यकलाप

क. <u>कार्यान्वित योजनाएं</u>:

I. एनसीडीसी प्रायोजित योजनाएं:

क) युवा सहकार: **सहकारी उद्यम सहायता और नवाचार योजना**: इस योजना का उद्देश्य नए और/या नवीन विचारों के साथ नवगठित सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करना है। यह एनसीडीसी द्वारा बनाए गए सहकारी स्टार्ट-अप और इनोवेशन फंड से जुड़ा है।

ख) आयुष्मान सहकार: इस योजना में अस्पतालों, स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा शिक्षा, नर्सिंग शिक्षा, पैरामेडिकल शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा और आयुष जैसी समग्र स्वास्थ्य प्रणालियों को कवर करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण है।

ग) नंदिनी सहकार: इस योजना का उद्देश्य महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना और महिला सहकारी समितियों के माध्यम से महिलाओं की उद्यमशीलता गतिशीलता का समर्थन करना है। यह महिलाओं के उद्यम, व्यवसाय योजना निर्माण, क्षमता विकास, ऋण और सब्सिडी और/या अन्य योजनाओं के ब्याज अनुदान के महत्वपूर्ण इनपुट को एकत्रित करेगा।

सत्यमेव जयते

घ) डेयरी सहकार: यह ईएसजी (पर्यावरण, सामाजिक, शासन) से जुड़े कार्यकलापों में उच्च परिणाम प्राप्त करने के लिए सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता का एक सहकारी डेयरी व्यवसाय केंद्रित अवसंरचना है। इसमें नई परियोजनाओं के लिए सहकारी समितियों द्वारा अवसंरचना का निर्माण और मौजूदा परियोजनाओं का आधुनिकीकरण/ विस्तार शामिल है।

Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

ङ) डिजिटल सहकार: डिजिटल इंडिया के सिद्धांतों के अनुरूप, एनसीडीसी ने डिजिटल रूप से सशक्त सहकारी समितियों के लिए एनसीडीसी द्वारा सहायता और ऋण लिंकेज के लिए एक केंद्रित वित्तीय सहायता ढांचे की कल्पना की है, जिसे भारत सरकार/ राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र / एजेंसियों से अनुदान, सब्सिडी, प्रोत्साहन आदि के साथ जोड़ा गया है, जिसका उद्देश्य सहकारी समितियों को डिजिटल इंडिया में सक्रिय रूप से भाग लेना है।

च) **स्वयं शक्ति सहकार योजना: -** महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ऋण/अग्रिम प्रदान करने के लिए कृषि ऋण सहकारी समितियों को एनसीडीसी की वित्तीय सहायता प्रदान करने की नई योजना।

छ) **दीर्घावधि कृषक पूंजी सहकार योजना**: एनसीडीसी के दायरे में आने वाले कार्यकलापों/ वस्तुओं/ सेवाओं के लिए कृषि ऋण सहकारी समितियों को दीर्घकालिक ऋण/ अग्रिम देने के लिए एनसीडीसी की दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करने की नई योजना।

II **अन्य केंद्रीय योजनाएं:**

क) **कृषि विपणन अवसंरचना (AMI)**- भंडारण एवं अन्य भंडारण अवसंरचना के लिए केंद्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषि विपणन योजना (CSISAM) की कृषि विपणन अवसंरचना (AMI) उपयोजना – कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय।

ख) **एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH)**- एकीकृत फसल पश्चात् प्रबंधन - कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय।

ग) **कृषि अवसंरचना कोष (AIF**) योजना के अधीन वित्तपोषण सुविधा के माध्यम से ब्याज अनुदान एवं क्रेडिट गारंटी - कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय।

सत्यमेव जयते

घ) **पशुपालन अवसंरचना विकास निधि** (**AHIDF):** - पशुपालन और डेयरी विभाग।

ङ) **प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY)** – मत्स्य पालन विभाग; मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय।

Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय

च) **प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (PMFME)** – खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय।

छ) **10,000 किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) की स्थापना और संवर्धन योजना** – कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय।

ज) (i) **प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) – खाद्य प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन योजना** - खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय।

(ii) **प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) – एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य वर्धन अवसंरचना योजना** - खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय**।**

झ) **नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NSTFDC)** द्वारा **अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास की योजनाएं** – जनजातीय कार्य मंत्रालय।

ञ) **राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) तथा राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM**) – पशुपालन और डेयरी विभाग; मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय।

ख. सहायक कार्यकलाप:

क) विपणन:

- मार्जिन धनराशि/कार्यशील पूंजी सहायता
- प्राथमिक/जिला सहकारी विपणन समितियों की शेयर पूंजी आधार का सशक्तीकरण
- फर्नीचर व फिक्स्चर, प्रशीतित वैन सहित परिवहन वाहनों की खरीद
- कृषि विपणन अवसंरचना, ग्रेडिंग और मानकीकरण का विकास/सशक्तीकरण

ख) प्रसंस्करण:

- नए चीनी कारखानों की स्थापना (निवेश ऋण)
- मौजूदा चीनी कारखानों का आधुनिकीकरण और विस्तारण/विविधीकरण (निवेश ऋण और सावधि ऋण)
- नई कताई मिलों की स्थापना और मौजूदा कताई मिलों का आधुनिकीकरण/ विस्तारण/ पुनर्वास
- कपास जिनिंग और प्रेसिंग इकाइयों का आधुनिकीकरण/ विस्तारण और नई आधुनिक जिनिंग और प्रेसिंग इकाइयों की स्थापना
- लघु/ मध्यम आकार के कृषि व संबद्ध प्रसंस्करण इकाइयों, पूर्व/ पश्च-करघा प्रसंस्करण/ वस्त्र व बुनाई इकाइयों की स्थापना
- अन्य प्रसंस्करण इकाइयों जैसे खाद्यान्न/ तिलहन/ बागवानी फसल/ फल व सब्जियां/ मक्का स्टार्च/ पार्टिकल बोर्ड इत्यादि की स्थापना
- मार्जिन धनराशि/ कार्यशील पूंजी सहायता
- नई स्पिनिंग मिलों में राज्य सरकार की शेयर पूंजी भागीदारी

सत्यमेव जयते
Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

ग) भंडारण:

- गोदामों का निर्माण और मौजूदा गोदामों की मरम्मत/ नवीयन
- मार्जिन धनराशि/ कार्यशील पूंजी सहायता

घ) शीत श्रृंखला:

- शीतागारों का निर्माण/ विस्तारण/ आधुनिकीकरण
- शीत श्रृंखला घटकों की स्थापना जिसमें मुख्य रूप से (i) एकीकृत पैक हाउस, (ii) रीफर परिवहन, (iii) शीतागार (थोक- फार्म गेट के निकट), (iv) शीतागार (हब-बाजार के निकट) और (v) राइपनिंग इकाइयां आदि शामिल हैं
- मार्जिन धनराशि/कार्यशील पूंजी सहायता

ङ) सहकारी समितियों के माध्यम से आवश्यक उपभोक्ता सामग्रियों का वितरण:

- शॉपिंग सेंटर, डीज़ल, कैरोसिन बंक/ भांडागारों की स्थापना, नए थोक उपभोक्ता सहकारी स्टोर/ डिपार्टमेंटल उपभोक्ता सहकारी स्टोर/ उपभोक्ता परिसंघों की स्थापना और विस्तारण/ आधुनिकीकरण
- उपभोक्ता सामग्रियों के वितरण के लिए फर्नीचर व फिक्स्चर, प्रशीतन वाहन सहित परिवहन वाहनों की खरीद
- मार्जिन धनराशि/ कार्यशील पूंजी सहायता

सत्यमेव जयते
Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

च) औद्योगिक:

- सभी प्रकार के औद्योगिक सहकारी समितियां, कुटीर और ग्रामीण उद्योग, हस्तशिल्प/ ग्रामीण शिल्प इत्यादि

छ) क्रेडिट और सेवा सहकारी समितियां/ अधिसूचित सेवाओं:

- कृषि ऋण/ कृषि बीमा
- जल संरक्षण कार्य/ सेवाओं
- सिंचाई, ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म सिंचाई

- पशु देखभाल/ स्वास्थ्य/ रोग निवारण
- सहकारी समितियों के माध्यम से ग्रामीण स्वच्छता, जलनिकासी, मलजल प्रणाली
- पर्यटन, आतिथ्य, परिवहन
- नवीन, गैर-पारंपरिक व नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों द्वारा ऊर्जा उत्पादन व वितरण
- ग्रामीण आवासन
- अस्पताल/ स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा
- क्रेडिट सहकारी समितियों के लिए अवसंरचनाओं का निर्माण

ज) सहकारी बैंकिंग इकाई:

- आधुनिक बैंकिंग इकाई से संबंधित अवसंरचना के निर्माण में पैक्स को सहायता

झ) कृषि सेवाओं:

- सहकारी किसान सेवा केंद्र
- कस्टम हायरिंग हेतु कृषि सेवा केंद्र
- कृषि निविष्टि विनिर्माण और संबद्ध इकाइयों की स्थापना
- सिंचाई/ जल संचयन कार्यक्रम

ञ) जिला योजना स्कीमें:

- चयनित जिलों में एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाएं

ट) दुर्बल वर्गों के लिए सहकारी समितियां:

- मात्स्यिकी, डेयरी और पशुधन, पोल्ट्री, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सहकारी समितियां, हथकरघा, कॉयर, जूट, रेशम उत्पादन, महिला, पहाड़ी क्षेत्र, तंबाकू व श्रमिक

ठ) सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण के लिए सहायता:

- कंप्यूटर/ हार्डवेयर, सिस्टम व एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर की खरीद/ इंस्टॉलेशन, नेटवर्किंग, मेंटेनेंस लागत, तकनीकी श्रमबल और क्षमता निर्माण तथा प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की जाती है।

सत्यमेव जयते
Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

ड) संवर्धनात्मक व विकासात्मक कार्यक्रम:

- अध्ययन/ परियोजना रिपोर्टों, प्रबंधन अध्ययन के लिए परामर्शी सेवाओं
- बाजार सर्वेक्षण व कार्यक्रमों का मूल्यांकन, इत्याद

4.2.4 एनसीडीसी द्वारा संचयी संवितरण

एनसीडीसी ने अपनी स्थापना से लेकर अब तक दिनांक 31.03.2025 तक संचयी रूप से ₹ 4,08,374.13 करोड़ का संवितरण किया है। दिनांक 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार क्षेत्र-वार संचयी संवितरण नीचे दर्शाया गया है:

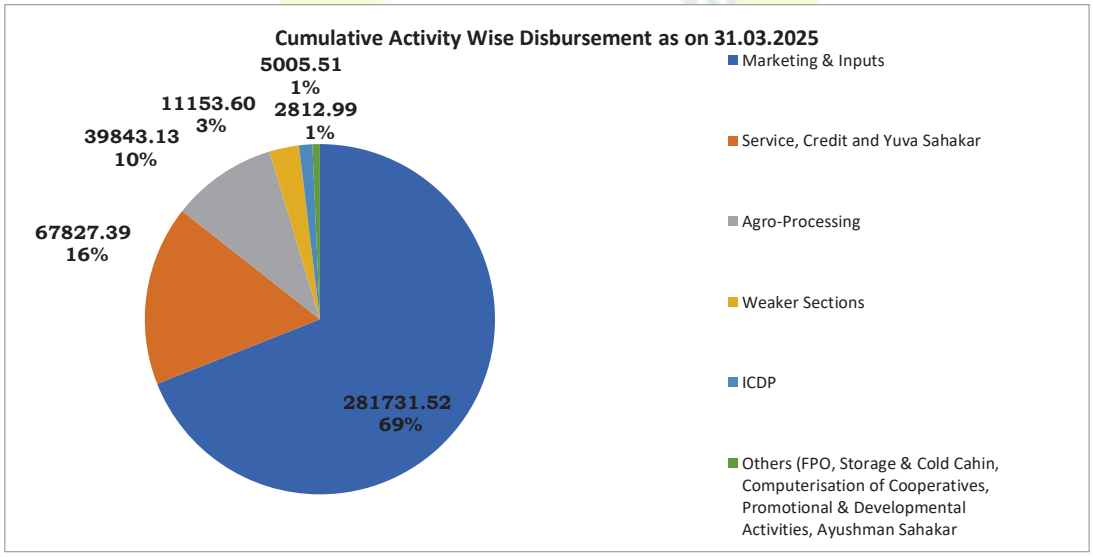

4.2.5 वर्ष 2015-16 से एनसीडीसी का विकास प्रक्षेपपथ

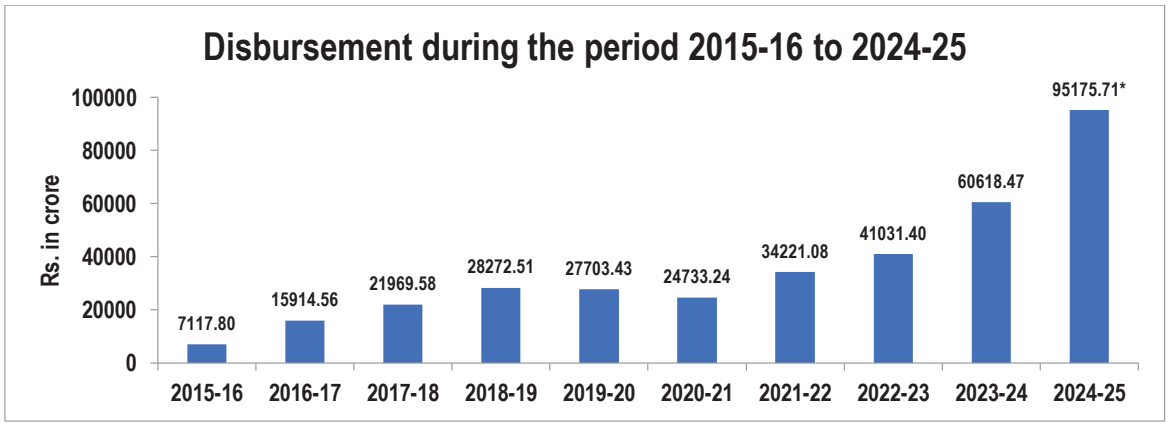

*** अनंतिम**

एनसीडीसी का संवितरण, वर्ष 2015-16 में ₹ 7,118 करोड़ से निरंतर बढ़ते हुए 2024-25 में ₹ 95,175.71 करोड़ हो चुका है। इसके साथ, एनसीडीसी ने वर्ष 2015-16 से वित्तीय सहायता के वितरण में लगभग 33% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) प्राप्त की है। इसके अतिरिक्त, एनसीडीसी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 से वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान वित्तीय सहायता के संवितरण में 57% की वृद्धि प्राप्त की है।

4.2.6 सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के पश्चात् की गई पहलें

1. दो नई योजनाओं का शुभारंभ

क) दीर्घावधि कृषक पूंजी सहकार योजना – एनसीडीसी के क्षेत्राधिकार के अधीन किए जाने वाले कार्यकलापों/ उत्पादों/ सेवाओं के लिए अपने सदस्यों को दीर्घकालिक क्रेडिट/ अग्रिम ऋण देने के लिए कृषि ऋण सहकारी समितियों को एनसीडीसी के दीर्घकालिक ऋण के विस्तार करने की योजना।

ख) स्वयं शक्ति सहकार योजना – क्रेडिट सहकारी समितियों के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs)/ संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) को सशक्त बनाने की योजना।

2. सहकारी चीनी मिलों का सशक्तीकरण

सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने "सहकारी चीनी मिलों (CSMs) के सशक्तीकरण के लिए एनसीडीसी को सहायता अनुदान" नामक एक योजना तैयार की है। इस योजना के अंतर्गत एनसीडीसी को वित्तीय वर्ष 2022-23 और वित्तीय वर्ष 2024-25, प्रत्येक में ₹ 500 करोड़ की दो किस्तों में ₹ 1000 करोड़ का वन-टाइम अनुदान प्रदान किया गया है, ताकि सहकारी चीनी मिलों को इथेनॉल संयंत्र/ कोजेनरेशन संयंत्र की स्थापना और उनकी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ₹ 10,000 करोड़ का ऋण प्रदान करने हेतु बाजार से अतिरिक्त धन उधार लिया जा सके। इस योजना के अंतर्गत, एनसीडीसी ने दिनांक 31.03.2025 तक 56 सहकारी चीनी मिलों को ₹ 10,005 करोड़ संवितरित किए हैं।

Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

3. तीन राष्ट्रीय स्तर की बहुराज्य सहकारी समितियों में एनसीडीसी का योगदान

निर्यात, जैविक और उन्नत बीजों के लिए राष्ट्रीय स्तर की तीन बहुराज्य सहकारी समितियों की स्थापना हेतु कैबिनेट के अनुमोदन के अनुसार, एनसीडीसी ने तीन बहुराज्य सहकारी समितियों के प्रोत्साहन और पंजीकरण की सुविधा प्रदान की।

- **राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड**: राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड राष्ट्रीय स्तर की बहुराज्य सहकारी समिति है जिसकी स्थापना सहकारी समितियों में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए की गई है। एनसीडीसी ने शेयर पूंजी के रूप में ₹ 100.00 करोड़ के अंशदान की प्रतिबद्धता जताई है**,** जिसमें से ₹ 1.01 करोड़ का अंशदान पहले ही दिया जा चुका है।
- **भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड:** भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड राष्ट्रीय स्तर की बहुराज्य सहकारी समिति है जिसकी स्थापना सहकारी समितियों में उन्नत बीजों की खेती, उत्पादन और वितरण को बढ़ावा देने के लिए की गई है। एनसीडीसी ने शेयर पूंजी के रूप में ₹ 50.00 करोड़ के अंशदान की प्रतिबद्धता जताई है, जिसमें से ₹ 29.01 करोड़ का अंशदान पहले ही दिया जा चुका है।
- **राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड**: राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड राष्ट्रीय स्तर की बहुराज्य सहकारी समिति है जिसकी स्थापना सहकारी समितियों के माध्यम से प्रमाणित और प्रामाणिक जैविक उत्पादों के उत्पादन, वितरण और विपणन को बढ़ावा देने के लिए की गई है। एनसीडीसी ने शेयर पूंजी के रूप में ₹ 20.00 करोड़ के अंशदान की प्रतिबद्धता जताई है, जिसमें से ₹ 20.00 करोड़ का अंशदान पहले ही दिया जा चुका है।

4. गहरे समुद्री ट्रॉलरों का वित्तीयन

- महाराष्ट्र में ₹ 20.30 करोड़ की ब्लॉक लागत से 14 गहरे समुद्री ट्रॉलरों की खरीद के लिए ₹ 11.55 करोड़ की वित्तीय सहायता संस्वीकृत की गई है। इसमें से ₹ 2.89 करोड़ की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है।
- एनसीडीसी ने राजमाता विकास मच्छीमार सहकारी संस्था लिमिटेड, मुंबई को ₹ 46.74 करोड़ की ब्लॉक लागत से समुद्री खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए ₹ 37.39 करोड़ की वित्तीय सहायता संस्वीकृत कर ₹ 9.35 करोड़ जारी किए हैं।

- एनसीडीसी ने श्री महावीर मच्छीमार सहकारी मंडली लिमिटेड, गुजरात को ₹ 36.00 करोड़ की ब्लॉक लागत के साथ 30 गहरे समुद्री ट्रॉलर खरीदने के लिए ₹ 18.00 करोड़ की वित्तीय सहायता मंजूर की है।
- एनसीडीसी द्वारा केरल सरकार की इंटिग्रेटेड फिशरीज़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (IFDP) के लिए ₹ 32.69 करोड़ की वित्तीय सहायता संस्वीकृत की गई है और ₹ 20.83 करोड़ जारी किए हैं।

5. किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) के रूप में पैक्स

जुलाई, 2020 में शुरु की गई "10,000 किसान उत्पादक संगठनों की स्थापना और संवर्धन" की केंद्रीय क्षेत्रक योजना के अधीन एनसीडीसी एक कार्यान्वयन एजेंसी (IA) है। एनसीडीसी को संदर्भ आबंटन वर्ष 2020-21 के दौरान 500 किसान उत्पादक संगठनों की स्थापना एवं संवर्धन का लक्ष्य आबंटित किया गया है। इसके अतिरिक्त, कृषि और किसान कल्याण विभाग के एकीकृत पोषण प्रबंधन (INM) प्रभाग से एनसीडीसी को 29 जैविक किसान उत्पादक संगठन आबंटित किए गए हैं। संदर्भ आबंटन वर्ष 2022-23 के दौरान एनसीडीसी को 234 किसान उत्पादक संगठनों की स्थापना एवं संवर्धन का अतिरिक्त लक्ष्य आबंटित किया गया है। इस संदर्भ में दिनांक 31.03.2025 तक सहकारी अधिनियम के अधीन 763 FPOs पंजीकृत किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, सहकारिता मंत्रालय की पहल पर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने इस योजना के अधीन सहकारी क्षेत्र में पैक्स के सशक्तीकरण के लिए अतिरिक्त 1,100 किसान उत्पादक संगठनों का आबंटन किया है। इस लक्ष्य के मुकाबले दिनांक 31.03.2025 तक सभी 1,100 FPOs को सहकारी अधिनियम के अधीन पंजीकृत किया गया है।

सत्यमेव जयते
Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

6. FFPOs की स्थापना और संवर्धन में भूमिका

एनसीडीसी को मत्स्य किसान उत्पादक संगठनों (FFPOs) की स्थापना और संवर्धन के लिए कार्यान्वयन एजेंसी (IA) में से एक के रूप में सशक्त बनाया गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अधीन मत्स्य किसान उत्पादक संगठन योजना का लक्ष्य सर्वांगीण एवं सहयोगी परितंत्र के निर्माण के माध्यम से मात्स्यिकी क्षेत्र में समावेशी और संधारणीय रूपांतरण प्राप्त करना है।

एनसीडीसी को आबंटित 70 मत्स्य किसान उत्पादक संगठनों के आरंभिक लक्ष्य में से सभी को सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अधीन पंजीकृत किया गया है और उनका व्यावसायिक कार्यान्वयन प्रक्रियाधीन है। इसके अलावा मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार द्वारा एनसीडीसी को ₹ 225.50 करोड़ के अनुमोदित परिव्यय से 1,000 मौजूदा मात्स्यिकी सहकारी समितियों को सहकारी मत्स्य किसान

उत्पादक संगठनों में रूपांतरित करने का लक्ष्य आबंटित किया गया है। 1,000 PFCS का आबंटन पूरा हो चुका है। इसके अलावा, नई योजना 'प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (PMKSSY)' के अंतर्गत एनसीडीसी को 2,348 मौजूदा मात्स्यिकी सहकारी समितियों को सहकारी FFPOs में सशक्त करने का लक्ष्य दिया गया है।

7. लिनाक द्वारा आयोजित प्रशिक्षण

वित्तीय वर्ष 2024-25 में, लिनाक और इसके क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों (RTC) ने 677 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें 1,41,241 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसमें से, लिनाक ने 96 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें 6,581 प्रतिभागियों ने भाग लिया और क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों (RTC) ने 581 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें 1,34,660 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

इसके अलावा दिनांक 16 नवंबर, 2021 को देश के पहले समर्पित बिजनेस इनक्यूबेटर-लिनाक-एनसीडीसी फिशरीज बिजनेस इनक्यूबेशन सेंटर (LIFIC) का उद्घाटन किया गया। लिनाक-एनसीडीसी फिशरीज बिजनेस इनक्यूबेशन सेंटर (LIFIC) की स्थापना भारत सरकार की प्रमुख योजना प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY) के अंतर्गत लिनाक में की गई है।

LIFIC युवा पेशेवरों/उद्यमियों, प्रगतिशील मत्स्य किसानों, मात्स्यिकी आधारित उद्योगों एवं प्राथमिक, जिला, राज्य, बहुराज्य या राष्ट्रीय परिसंघ के स्तर जैसे विभिन्न स्तरों पर मात्स्यिकी सहकारी समितियों की सहभागिता में कार्य करने वाले अन्य संस्थानों को संबंधित इंक्यूबेशन सहायता प्रदान करता है। अब तक, पूरे भारत में 292 प्रतिभागियों को लाभान्वित करने के लिए 21 कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं।

Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
भारत सरकार

8. सभी राज्यों में एनसीडीसी के कार्यालय का विस्तार

एनसीडीसी का लक्ष्य सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को कवर करने के लिए अपने भौगोलिक विस्तार की ओर अग्रसर होना है। विभिन्न राष्ट्रीय योजनाओं को सहकारी समितियों के द्वार तक पहुँचाने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, एनसीडीसी ने विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में एक नया क्षेत्रीय कार्यालय और जम्मू-कश्मीर तथा देश के पूर्वोत्तर राज्यों में 5 उप-कार्यालय खोले हैं।

9. भारत सरकार द्वारा एनसीडीसी को अनुदान

एक नई योजना, जिसमें एनसीडीसी को 4 वर्ष की अवधि में भारत सरकार से ₹ 2,000 करोड़ का अनुदान प्राप्त होगा, का प्रस्ताव किया गया है। इस अनुदान के आधार पर, एनसीडीसी खुले बाजार

से ₹ 20,000 करोड़ जुटाने में सक्षम होगा। इन निधियों का उपयोग एनसीडीसी द्वारा डेयरी, पोल्ट्री और पशुधन, मात्स्यिकी, चीनी, कपड़ा, प्रसंस्करण, भंडारण और शीत भंडारण, श्रम सहकारी समितियों और महिला सहकारी समितियों को दीर्घकालिक और कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करने के लिए किया जाएगा।

10. अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष (IYC) 2025

एनसीडीसी इस अवसर का उपयोग विभिन्न रणनीतिक पहलों और प्रचार कार्यक्रमों को शुरू करके देश भर में सहकारी आंदोलनों को बढ़ावा देने के लिए कर रहा है। एनसीडीसी द्वारा मंत्रालय की पहलों, आईवाईसी 2025 लोगो का उपयोग करके व्यापक ब्रांडिंग, जैविक खेती को प्रोत्साहित करने, वृक्षारोपण अभियान यानी "एक पेड़ मां के नाम", स्वच्छता अभियान, सहकारिता-केंद्रित कार्यक्रमों का आयोजन और एक संरचित रैंकिंग और पुरस्कार प्रणाली के माध्यम से सहकारी उत्कृष्टता को मान्यता देने का प्रचार कर रहा है। इसके अलावा, आईवाईसी योजना डिजिटलीकरण, युवाओं और महिलाओं की भागीदारी, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और पैक्स, FPOs और एम-पैक्स जैसी सहकारी समितियों के क्षमता निर्माण के माध्यम से आधुनिकीकरण पर जोर देती है। सोशल मीडिया, वेबिनार और प्रचार सामग्री के माध्यम से मजबूत डिजिटल पहुंच "कोआपरेटिव बिल्ड ए बेटर वर्ल्ड" के संयुक्त राष्ट्र की परिकल्पना के अनुरूप राष्ट्रव्यापी जागरूकता और जुड़ाव सुनिश्चित करेगी।

4.3 राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (NCCT)

राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन स्थापित एक स्वायत्त संगठन है। सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित, एनसीसीटी सहकारी क्षेत्र में क्षमता निर्माण और पेशेवर विकास के लिए जिम्मेदार शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है। इसका मुख्य अधिदेश पूरे देश में सहकारी संस्थानों के विभिन्न स्तरों पर सदस्यों/ कर्मियों के लिए सहकारी प्रशिक्षण पहलों की योजना बनाना, कार्यान्वित करना, पर्यवेक्षण करना और उनका आकलन करना है।

एनसीसीटी ने एक व्यापक राष्ट्रीय प्रशिक्षण नेटवर्क विकसित किया है। वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान (वैमनीकॉम), पुणे राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करता है, पांच क्षेत्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान (आरआईसीएम) चंडीगढ़, बेंगलुरु, कल्याणी, गांधीनगर और पटना में स्थित हैं जो क्षेत्रीय स्तर पर और 14 सहकारी प्रबंध संस्थान (आईसीएम) देश भर में भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, इम्फाल, जयपुर, कन्नूर, लखनऊ, मदुरै, नागपुर, पुणे और तिरुवनंतपुरम में स्थित हैं, जो राज्य स्तर पर कार्य करते हैं।

एनसीसीटी का मिशन आवश्यकता-आधारित और व्यवस्थित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से सक्षम मानव संसाधनों का पोषण करके सहकारी क्षेत्र को सशक्त और आधुनिक बनाना है। प्रशिक्षण के साथ-साथ, एनसीसीटी उभरते मुद्दों पर अनुसंधान और नीति-उन्मुख अध्ययन करता है, जिससे सहकारी संरचना के भीतर सुविज्ञ निर्णयन और नवोन्मेषी प्रथाओं में योगदान मिलता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में सहकारिता मंत्रालय द्वारा एनसीसीटी को सहायता अनुदान के रूप में ₹ 38.00 करोड़ की सहायता प्रदान की गई।

4.3.1 कार्यक्रम पोर्टफोलियो

एनसीसीटी ने 3,270 कार्यक्रमों और 1,96,500 प्रतिभागियों के प्रशिक्षण लक्ष्य के मुकाबले वर्ष 2024-25 के दौरान 4,389 कार्यक्रमों का संचालन किया और विभिन्न कौशल/क्षमता निर्माण एवं जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से 3.15 लाख प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया।

एनसीसीटी का वर्ष 2024-25 के लिए व्यापक प्रशिक्षण पोर्टफोलियो

कार्यक्रम श्रेणी	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
पेशेवर कार्यक्रम (1-3 वर्ष)	13	452
डिप्लोमा-सहकारिता (4-36 सप्ताह)	62	2,349
डिप्लोमा- गैर सहकारिता (4-12 सप्ताह)	60	2,470
कौशल/क्षमता निर्माण (1-15 दिवसीय)	2,489	1,69,204
जागरूकता (स्केलिंग अप)	1,415	1,22,443
किसान जागरूकता (1-6 दिवसीय)	281	13,282
कार्यशालाएं/सेमिनार/वेबिनार	69	5,274
कुल योग	**4,389**	**3,15,474**

सत्यमेव जयते
Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

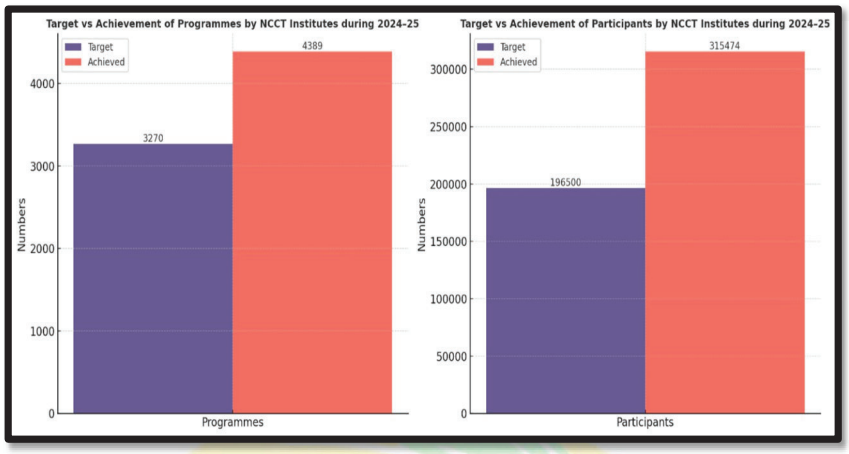

वर्ष 2024-25 के दौरान, एनसीसीटी ने अपने कार्यक्रम लक्ष्य का 134% और अपने प्रतिभागी लक्ष्य का 161% प्राप्त किया। प्रशिक्षण के अलावा, एनसीसीटी ने व्यापक शोध और ज्ञान प्रसार किया, जिसमें वर्ष 2024-25 के दौरान विषयों की विस्तृत श्रृंखला पर 80 केस अध्ययन, 160 लेख और 10 शोध परियोजनाएं पूरी की हैं।

4.3.2 वर्ष 2024-25 में एनसीसीटी की प्रमुख उपलब्धियां

- **सहकारिता मंत्रालय की विशेष पहल - CSC प्रशिक्षण कार्यक्रम**

सहकारिता मंत्रालय की पहल के अधीन, एनसीसीटी ने 25 राज्यों और 564 जिलों में 648 बैच के माध्यम से 30,210 पैक्स पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया जिससे पैक्स, 300 से अधिक नागरिक-केंद्रित सेवाओं प्रदान करने वाले कॉमन सेवा केंद्रों (CSC) के रूप में कार्य करने में सक्षम हो गए हैं।

- **सहकारिता मंत्रालय की विशेष पहल - पैक्स प्रशिक्षण पर पायलट परियोजना**

एनसीसीटी ने सहकारिता मंत्रालय की एक विशेष पहल के रूप में चार जिलों (ऊना, थेनी, संबलपुर, जोधपुर) में एक पायलट परियोजना कार्यान्वित की है जिसमें 284 पैक्स को कवर किया गया और सहकारी शासन, कार्यकलापों में विविधीकरण और सहकारिता मंत्रालय की पहलों और सुधारों पर 85,219 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया गया।

- **क्षमता निर्माण के लिए MPCS प्रशिक्षण मॉड्यूल**

नवस्थापित बहुउद्देशीय प्राथमिक सहकारी समितियों (MPCSs) के कामकाज को सशक्त करने के लिए एनसीसीटी ने वर्ष 2024-25 के दौरान एक संरचित क्षमता निर्माण प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किया है।

सत्यमेव जयते
Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

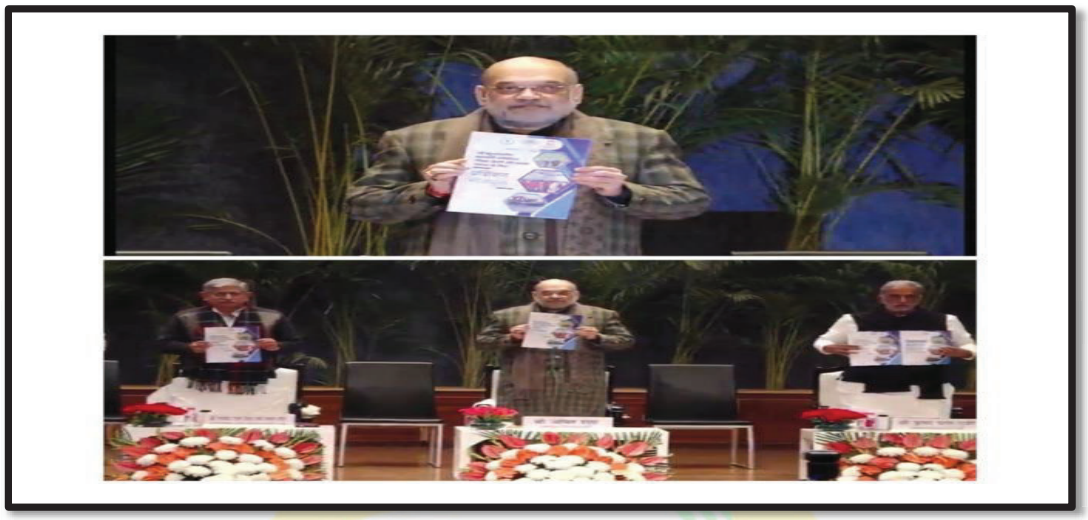

माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री द्वारा दिनांक 25.12.2024 को MPCS के क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल का शुभारंभ

- **जागरूकता कार्यक्रम (स्केलिंग अप)**

एनसीसीटी ने 1,22,443 प्रतिभागियों के साथ 1,415 एक-दिवसीय जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन किया। इन कार्यक्रमों को सरकारी नीतियों, सहकारी सुधारों और सदस्य शिक्षा के बारे में जागरूकता के प्रसार के लिए तैयार किया गया था, जिससे वे एनसीसीटी के सबसे अधिक दिखाई देने वाले आउटरीच प्रयासों में से एक बन गए हैं।

- **कार्यशालाएं, सेमिनार और वेबिनार**

एनसीसीटी ने 5,274 प्रतिभागियों के साथ 69 कार्यशालाओं, सेमिनारों और वेबिनार का आयोजन किया है। इन आयोजनों ने विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और सहकारी नेताओं को विचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान करने के लिए एक साथ लाया, जिससे सहकारी ज्ञान परितंत्र समृद्ध हुआ है।

- **बेंगलूरु में 51वां निदेशक सम्मेलन**

एनसीसीटी ने दिनांक 17 अप्रैल, 2024 को क्षेत्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान (RICM), बेंगलूरु में वैमनीकॉम, RICMs और ICMs के निदेशकों के 51वें सम्मेलन का आयोजन किया।

डॉ. आशीष कुमार भूटानी, आई.ए.एस. सचिव, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एनसीसीटी संस्थानों के 51वां निदेशक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए

- **फसल बीमा प्रभाग, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग तथा एनसीसीटी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर**

फसल बीमा प्रभाग, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग तथा एनसीसीटी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

दिनांक 20 जनवरी, 2025 को नई दिल्ली में NCCT और फसल बीमा प्रभाग, कृषि और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (MoA&FW), भारत सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किया गया। समझौता ज्ञापन के अनुरूप, एनसीसीटी ने देश भर में 10,000 पैक्स पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करने को लक्षित 200 विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

➢ भारतीय लागत लेखाकार संस्थान (ICMAI) के साथ समझौता ज्ञापन

दिनांक 17 अप्रैल, 2024 को RICM, बेंगलूरु में आयोजित 51वां निदेशक सम्मेलन के दौरान एनसीसीटी ने भारतीय लागत लेखाकार संस्थान (ICMAI), कोलकाता के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इस सहयोग का लक्ष्य क्षमता निर्माण पहल को सशक्त करना, पेशेवर शिक्षा को बढ़ावा देना और आपसी हित के क्षेत्रों में ज्ञान साझा करने की सुविधा प्रदान करना है, जिससे देश भर में सहकारी संस्थानों की दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि हो सके।

4.4 वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान (वैमनीकॉम)

"सहकारी प्रशिक्षण मात्र एक पूर्वापेक्षा नहीं, बल्कि सहकारी कार्यकलापों की एक स्थायी शर्त है।"

वैकुंठ मेहता

पुणे में वैमनीकॉम कैम्पस

Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

वैमनीकॉम, जो एनसीसीटी, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन में एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान है, जो देश भर में सहकारिता के क्षेत्र से जुड़े कार्मिकों के लिए सहकारी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन, निगरानी और मूल्यांकन में केंद्रीय भूमिका निभाता है। वर्ष 1946 में मुंबई सहकारी प्रशिक्षण कॉलेज की स्थापना की गई जिसका नाम 1967 में बदलकर वैमनीकॉम रखा गया। सहकारी प्रबंधन प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्शी कार्य के लिए एक शीर्षस्थ संस्थान के रूप में वैमनीकॉम ने भारत के भीतर क्षमता निर्माण पहल में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में अपनी विशेषज्ञता का विस्तार किया है। सहकारिता मंत्रालय ने इसके रणनीतिक महत्व को स्वीकार करते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान स्थापना अनुदान के रूप में ₹ 8.70 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की, जिससे सहकारी शासन और पेशेवर उत्कृष्टता को अग्रसर करने में इसकी भूमिका और सशक्त हुई है।

4.4.1 वैमनीकॉम का अधिदेश

क) **प्रशिक्षण**: क्षमता निर्माण और सहकारी समितियों और सहकारी समूहों को सशक्त बनाना।

ख) **शिक्षा**: कृषि व्यवसाय, सहकारिता और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उभरते प्रबंधकों में प्रबंधकीय और उद्यमशीलता कौशल को बढ़ावा देना और उनका पोषण करना।

ग) **परामर्शी कार्य**: सहकारी बैंकिंग, चीनी, आईटी कार्यान्वयन पर डेयरी, योग्य पेशेवर कार्यबल की भर्ती और आईटी विभागों में कार्यबल की नौकरी की जिम्मेदारियों को परिभाषित करने के लिए परामर्शी सेवाओं।

घ) **अनुसंधान**: कृषि व्यवसाय, सहकारिता और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने और अनुसंधान योजनाओं/ प्रस्तावों को विकसित करने के लिए नीतियां तैयार करना।

ङ) **नीति समर्थन**: मंत्रालय और विभिन्न सहकारी समितियों के विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए नीति समर्थन, डेटा संग्रह और विश्लेषण तथा प्रलेखन।

4.4.2 ISO प्रमाणन 9001: 2015

वैमनीकॉम की प्रबंधन प्रणाली को वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन (STQC) द्वारा ISO 9001:2015 के लिए प्रमाणित किया गया है।

STQC Certification Services
Government of India
Ministry of Electronics and Information Technology
Electronics Niketan, 6 CGO Complex, New Delhi 110 003

Certificate of Registration

Registration Number QMS/WR/1123/008

This certificate is awarded to

M/s Vaikunth Mehta National Institute of Cooperative Management (VAMNICOM),
(A Grant-in-aid Institution under Ministry of Cooperation, Government of India)
Ganesh Khind Road, Near Main Gate of Savitribai Phule Pune University, Pune- 411007

ISO 9001 : 2015

The scope of this certificate of registration covers

Providing academic education in the field of Post Graduate Diploma in Management- Agri Business Management (PGDM-ABM), Post Graduate Diploma in Cooperative Business Management (PG DCBM) and Training, Research & Consultancy for Cooperative and other Organisations at Vaikunth Mehta National Institute of Cooperative Management, Pune, Maharashtra

This certificate is valid up to: 11.08.2027
Previous Certificate Details: Not Applicable
12.08.2024
Date
(Atul Gupta, CEO)

F-48 Issue 03

वामनिकॉम की प्रबंधन प्रणाली को वर्ष 2024–25 में STQC (MeitY) द्वारा ISO 9001:2015 प्रमाणन प्राप्त

4.4.3 अवसरंचना विकास और उपयोगिता

मार्च 2023 में सहकारिता मंत्रालय से प्राप्त ₹ 30 करोड़ के विशेष पूंजी अनुदान के साथ, संस्थान ने प्रशिक्षण, अनुसंधान और छात्रों की भागीदारी के लिए अपनी क्षमता को बढ़ाते हुए अपनी अवसरंचना में उल्लेखनीय सुधार किया है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षु छात्रावास ने पहली बार CICTAB के सहयोग से सहकारी समितियों के माध्यम से समृद्धि लाने पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन: डिजिटल नवाचार और मूल्य श्रृंखलाओं की सफलतापूर्वक मेजबानी की है। पुनर्निर्मित जुबली हॉल अब सम्मेलनों, प्रशिक्षण सत्रों और सहयोगात्मक पहलों सहित शैक्षणिक और पेशेवर कार्यक्रमों के लिए एक प्रमुख स्थल है।

उन्नत बास्केटबॉल और वॉलीबॉल कोर्ट का छात्रों और निवासियों द्वारा सक्रिय रूप से उपयोग किया जाता है, जिसमें छात्र अंतर-संस्थान प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। इस बीच, मई 2025 तक पूरा होने वाले शिवनेरी प्रेक्षागृह में 560 सीटों की विस्तारित क्षमता, आधुनिक वातानुकूलन और अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी।

ये विकास शैक्षणिक, अनुसंधान और समग्र छात्र विकास में उत्कृष्टता हेतु वैमनीकॉम की प्रतिबद्धता की प्रतिपुष्टि करता है।

सत्यमेव जयते

4.4.4 वैमनीकॉम के केंद्र

इस संस्थान के निम्नलिखित स्थापित केंद्र हैं:

Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

1. सहकारी प्रबंधन केंद्र (CCM)
2. सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र (CIT)
3. प्रशिक्षण और सूचना प्रणाली केंद्र (TIS)
4. प्रबंधन शिक्षा केंद्र (CME)
5. लैंगिक अध्ययन केंद्र (CGS)
6. अनुसंधान और प्रकाशन केंद्र (CRP)
7. उद्यमिता विकास केंद्र (CED)

4.4.5 वैमनीकॉम के कार्यक्रम

वैमनीकॉम उपयोगकर्ता संगठनों के लिए उनकी प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। संस्थान प्रायोजित आवश्यकता-आधारित कार्यक्रम और ऑन-द-स्पॉट कार्यक्रम या तो स्वयं या सहयोगी व्यवस्थाओं के माध्यम से आयोजित करता है। संस्थान द्वारा विपणन, क्रेडिट, बैंकिंग उद्योग, प्रशासन आदि विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रबंधन विकास कार्यक्रम और सेमिनार आयोजित किए जाते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अलावा, वैमनीकॉम सहकारिता मंत्रालय की नई पहलों को बढ़ावा देने के लिए उभरते और अभिनव क्षेत्रों और कार्यक्रमों पर कार्यशालाओं और सम्मेलनों के आयोजन में भी अग्रणी भूमिका निभाता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, संस्थान ने अप्रैल, 2024 से मार्च, 2025 तक 161 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया और 9,480 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया। इसमें CSC पोर्टल पर ऑनबोर्ड किए गए पैक्स से 1,065 प्रतिभागियों के प्रशिक्षण के साथ 24 प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं। कुल प्रतिभागियों में से 2,203 महिलाएं थीं और 1,124 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों से संबंधित थे।

4.4.5.1 सहकारी व्यवसाय प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (PGDCBM)

यह पाठ्यक्रम सहकारी संगठनों और विभागों में काम करने वाले सेवाकालीन वरिष्ठ स्तर के कर्मियों के लिए तैयार किया गया है ताकि प्रतिभागियों को आज के सहकारी व्यावसायिक वातावरण की उभरती चुनौतियों का सामना करने के लिए उचित प्रबंधकीय जानकारी से लैस किया जा सके। 24 प्रतिभागियों के साथ सहकारी व्यवसाय प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (PGDCBM) कार्यक्रम का 58वां बैच दिनांक 18 नवंबर, 2024 को शुरू हुआ और 11 अगस्त, 2025 को समाप्त होगा।

ऑनलाइन माध्यम से PGDCBM के 58वें बैच का उद्घाटन

वैमनीकॉम के निदेशक और संकाय सदस्यों के साथ 58वें बैच के PGDCBM के प्रतिभागी

4.4.5.2 प्रबंधन-कृषि व्यवसाय प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (PGDM-ABM)

वैमनीकॉम के प्रबंधन शिक्षा केंद्र द्वारा वर्ष 1993 से दो वर्षीय प्रबंधन कार्यक्रम में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (PGDM) प्रदान किया जाता है और वर्ष 2004 से PGDM-ABM आरंभ किया गया। यह केंद्र विभिन्न शैक्षणिक पृष्ठभूमि और विविध कौशल वाले युवा विद्यार्थियों को भावी सक्षम पेशेवरों के रूप में तैयार करता है। ये विद्यार्थी अपने संबंधित क्षेत्रों में नेतृत्व करने के लिए तकनीकी कौशल के प्रयोग को सामाजिक सांस्कृतिक कौशल की समझ के साथ जोड़ना सीखते हैं और समाज के सभी क्षेत्रों में प्रबंधन के माध्यम से एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। कृषि व्यवसाय और सहकारी प्रबंधन के क्षेत्र में पेशेवर प्रबंधकों की निरंतर बढ़ती आवश्यकता के मद्देनजर PGDM-ABM कार्यक्रम को कृषि व्यवसाय प्रबंधन (ABM) में विशेषज्ञता के साथ पुनर्गठित किया गया है।

Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

PGDM-ABM को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (NBA) द्वारा प्रत्यायित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE), भारत सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गई है और इसे एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ (AIU) द्वारा एमबीए डिग्री के समकक्ष मान्यता दी गई है।

वैमनीकॉम ने PGDM-ABM (वर्ष 2022-24 बैच) के 99 विद्यार्थियों के लिए 100 प्रतिशत प्लेसमेंट की अपनी परंपरा को बरकरार रखा है। सर्वाधिक और औसत प्रस्तावित CTC प्रतिवर्ष क्रमश: ₹ 13.30 लाख और ₹ 9.12 लाख रहा। वर्तमान PGDM-ABM (2023-25) बैच ने भी 100% प्लेसमेंट प्राप्त किया है।

दिनांक 20 जुलाई, 2024 को आयोजित दीक्षांत समारोह के दौरान माननीय नागरिक उड्डयन और सहकारिता राज्य मंत्री श्री मुरलीधर मोहोल, वैमनीकॉम के निदेशक और संकाय सदस्यों के साथ PGDM-ABM के 30वें बैच के छात्रों का समूह फोटो

Government of India | भारत सरकार

माननीय नागरिक उड्डयन और सहकारिता राज्य मंत्री श्री मुरलीधर मोहोल दिनांक 20 जुलाई, 2024 को बैच के वार्षिक दीक्षांत समारोह के अवसर पर PGDM-ABM के 30वें बैच की शीर्ष रैंक की छात्रा सुश्री वी. मेघना को स्वर्ण पदक प्रदान करते हुए

4.4.6 अनुसंधान और प्रकाशन

अनुसंधान और प्रकाशन वैमनीकॉम के कार्यकलापों के अभिन्न अंग हैं। इस संस्थान का एक पूर्ण विकसित पृथक केंद्र है जिसे 'अनुसंधान एवं प्रकाशन केंद्र' के रूप में जाना जाता है। यह केंद्र विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं पर कार्य करता है, जो नीति पक्ष-समर्थन के साथ-साथ प्रशिक्षण और शिक्षण के लिए पृष्ठभूमि सामग्री के रूप में काम करता है। यह संस्थान प्रबंधन और सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के विभिन्न क्षेत्रों में परामर्शी सेवाओं भी उपलब्ध कराता है।

यह संस्थान "कोऑपरेटिव पर्सपेक्टिव" नामक एक त्रैमासिक पत्रिका भी प्रकाशित करता है जिसे पिछले 50 वर्षों से नियमित रूप से प्रकाशित किया जा रहा है। यह पत्रिका अंतर्राष्ट्रीय मानक क्रमांक ISSN 0302-7767 वाली एक विशेषज्ञ-समीक्षित जर्नल है। यह सहकारी आंदोलन के सभी पहलुओं के विचार मंच के रूप में कार्य करता है और सहकारी उद्यमों के तीव्र विस्तारण और विविधीकरण से संबंधित ज्ञान व सूचनाओं का एक सहज स्रोत है।

वर्ष के दौरान इस केंद्र ने 02 अनुसंधान परियोजनाएं शुरू की हैं, 06 केस अध्ययन, 16 प्रबंधन मामले और 32 लेख तैयार किए हैं।

4.4.6.1 उद्यमिता विकास और इनक्यूबेशन सेवा केंद्र

वैमनीकॉम इनक्यूबेशन केंद्र, जिसे उद्यमिता विकास केंद्र के अंतर्गत दिनांक 14 जुलाई, 2023 को आरंभ किया गया था; इनक्यूबेशन सेंटर स्टार्टअप्स, उद्यमियों और सहकारी समितियों के लिए एक मंच प्रदान करता है। इन्क्यूबेशन प्रक्रिया एक संरचित त्रि-चरण मॉडल का अनुसरण करती है जिसमें स्टार्टअप पंजीकरण, डिजाइन सोच और प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवसाय विकास तथा वित्तीयन समर्थन और सरकारी योजनाओं के साथ बाजार गतिवृद्धि शामिल है। मार्च 2025 तक, 15 स्टार्टअप्स और 23 उद्यमियों को ऑनबोर्ड किया गया है, जो मेंटरिंग, तकनीकी सहायता और व्यापार मार्गदर्शन से लाभान्वित हुए हैं। यह केंद्र जागरूकता कार्यक्रमों, क्षेत्र-विशिष्ट इंटरवेंशंस, क्षमता-निर्माण पहलों और निवेश, सब्सिडी और CSR निधीयन तक पहुंच को सशक्त करने के माध्यम से अपनी पहुंच का विस्तार कर रहा है, जिससे यह सहकारी क्षेत्र में संधारणीय विकास और प्रतिस्पर्धात्मकता को उत्प्रेरित कर रहा है।

महिला किसानों के सशक्तीकरण पर ICSSR -प्रायोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी (25 मार्च 2025, पुणे)- वैमनीकॉम द्वारा वी-स्कूल, मुंबई के सहयोग से आयोजित इस सेमिनार में नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और व्यवसायियों को विजन विकसित भारत@2047 सरंचना के अंतर्गत संधारणीय कृषि प्रथाओं पर विचार-विमर्श करने के लिए एक साथ लाया गया। विचार-विमर्श वित्तीय समावेशन, सहकारिता मॉडल, जलवायु-स्मार्ट कृषि और लैंगिक-संवेदनशील नीतियों पर केंद्रित था। इस कार्यक्रम में 25 शोध पत्रों की प्रस्तुति, एक उच्च-स्तरीय पैनल चर्चा और महाराष्ट्र में FPOs के माध्यम से महिला किसान सशक्तीकरण पर ICSSR द्वारा प्रायोजित एक शोध परियोजना का शुभारंभ शामिल था। संगोष्ठी के परिणामों में सरकारी एजेंसियों और सहकारी समितियों के लिए एक नीति अनुशंसा रिपोर्ट शामिल थी, जो लैंगिक-समावेशी सहकारी विकास और अनुसंधान-आधारित नीति निर्माण में वैमनीकॉम के योगदान को सशक्त बनाती है।

अध्याय- 5: राष्ट्रीय सहकारी समितियां/परिसंघ – भूमिका, कार्य और स्थिति

राष्ट्रीय सहकारी समितियों/परिसंघों को बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 (यथा संशोधित) की धारा 3(r) के अंतर्गत परिभाषित किया गया है और इन्हें बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 की दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है।

2. वर्तमान में 20 बहुराज्य सहकारी समितियों को बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 की दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है और ये बहुराज्य सहकारी समितियां शीर्षस्थ स्तर की सहकारी समितियां है जो राष्ट्रीय स्तर पर अपने-अपने संबंधित क्षेत्रकों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसी प्रकार, राज्य स्तर पर राज्य परिसंघ और जिला स्तर पर जिला परिसंघ अपने संबंधित क्षेत्रकों में हैं । इन राष्ट्रीय सहकारी समितियों/परिसंघों के कार्य बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 की धारा 24 में परिभाषित किए गए हैं जो निम्नानुसार हैं :

धारा – 24: संघीय सहकारी समितियों के कार्य

(1) इस अधिनियम और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई संघीय सहकारी समिति स्वयं सहायता और पारस्परिक सहयोग के आधार पर संघीय सहकारी समिति या बहुराज्य सहकारी समितियों के रूप में सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन और लोकतांत्रिक कार्यकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए कार्यों का निर्वहन कर सकती हैं।

(2) उपधारा 2 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संघीय सहकारी समिति हो सकती है -

क) सहकारी सिद्धांतों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

ख) अपने सदस्य सहकारी समितियों के विचारार्थ आदर्श उपविधियां और नीतियाँ बनाएगी।

ग) विशेषीकृत प्रशिक्षण, शिक्षा और डेटाबेस की सूचना प्रदान करेगी।

घ) अपने सदस्य सहकारी समितियों के लिए संदर्शी विकास योजनाएँ तैयार करने हेतु अनुसंधान, मूल्यांकन और सहायता करेगी।

ङ) सदस्यों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देगी।

च) सदस्य सहकारी समितियों को आपसी विवादों के निपटान में सहायता करेगी।

सत्यमेव जयते
Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

छ) अपने सदस्य सहकारी समिति की ओर से व्यावसायिक सेवाओं देगी, यदि साधारण निकाय या बोर्ड के संकल्प के अधीन, या सदस्य सहकारी समिति की उपविधियों के अधीन या विशेष रूप से अपेक्षित हो।

ज) सदस्य सहकारी समिति को प्रबंधन विकास सेवाओं प्रदान करेगी।

झ) सदस्य सहकारी समिति द्वारा अनुपालन के लिए आचार संहिता तैयार करेगी।

ञ) सदस्य सहकारी समिति के लिए व्यवहार्यता मानदंड विकसित करेगी।

ट) सदस्य सहकारी समिति को विधिक सहायता और सलाह प्रदान करेगी।

ठ) स्वयं सहायता के आयोजन में सदस्य सहकारी समिति की सहायता करेगी।

ड) बाजार आसूचना प्रणाली, लोगो, ब्रांड संवर्धन, गुणवत्ता नियंत्रण और प्रौद्योगिकी उन्नयन विकसित करेगी।

3. बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (MSCS) अधिनियम, 2002 (यथासंशोधित) की द्वितीय अनुसूची में सूचीबद्ध 20 राष्ट्रीय सहकारी समितियों के नाम निम्नानुसार हैं :

i) नेशनल कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एवं रूरल डेवलपमेंट बैंक्स फेडरेशन लिमिटेड (NAFCARD)

ii) नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड (NAFSCOB)

iii) नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (NCUI)

iv) नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (NAFED)

v) नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (NCCF)

vi) नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज़ लिमिटेड (NFCSF)

vii) नेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन लिमिटेड (NCHF)

viii) इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड (IFFCO)

ix) ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड (AIFCOSPIN)

x) नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NCDFI)

सत्यमेव जयते
Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय

xi) ऑल इंडिया हैंडलूम फैब्रिक्स मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (AIHFMCS)

xii) नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज़ लिमिटेड (NAFCUB)

xiii) कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड (KRIBHCO)

xiv) नेशनल फेडरेशन ऑफ फिशरमेंस कोऑपरेटिव लिमिटेड (FISHCOPFED)

xv) नेशनल लेबर कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NLCF)

xvi) ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (TRIFED)

xvii) राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गैनिक्स लिमिटेड (NCOL)

xviii) भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL)

xix) राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (NCEL)

xx) कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (COBI)

4. दिनांक 06 जुलाई, 2021 को अपनी स्थापना से ही सहकारिता मंत्रालय, **माननीय प्रधानमंत्री की "*सहकार से समृद्धि*" की परिकल्पना को साकार करने** के लिए सभी संभव प्रयास कर रहा है। तदनुसार, यह मंत्रालय राष्ट्रीय सहकारी समितियों/परिसंघों के सशक्तीकरण के लिए भी कार्य कर रहा है।

5. इस संबंध में बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 (यथासंशोधित) की धारा 24 की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए सहकारिता मंत्रालय के सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की अध्यक्षता में राष्ट्रीय परिसंघों के अध्यक्ष/चेयरमैन और प्रबंध निदेशकों/सचिव के साथ नियमित समीक्षा बैठकें भी की जा रही हैं। मंत्रालय इन राष्ट्रीय सहकारी परिसंघों को अपना और अपने सदस्य समितियों का व्यवसाय बढ़ाने के लिए वृत्तिक अध्ययन संचालित करने के लिए भी प्रेरित कर रहा है। इसके अलावा, मंत्रालय उन्हें सोशल मीडिया पर अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए भी प्रोत्साहित कर रहा है क्योंकि यह जमीनी स्तर तक उपयोगी सूचनाओं के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

6. चूंकि ये सभी 20 राष्ट्रीय सहकारी समितियां/परिसंघ शीर्षस्थ स्तर की समितियां हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर अपने-अपने क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं, इसलिए उनके सशक्तीकरण से सहकारी क्षेत्र का समग्र विकास होगा।

7. मंत्रालय की स्थापना के बाद, राष्ट्रीय सहकारी परिसंघों के निदेशक मंडल के साथ माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री की बैठकों के आधार पर परिसंघों को निम्नलिखित जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं:

- सभी राष्ट्रीय सहकारी परिसंघों द्वारा अपने व्यवसाय के विस्तार हेतु प्राथमिक सहकारी समितियों के लाभ में वृद्धि करेंगे।
- सभी परिसंघ अपने प्राथमिक सदस्यों की संख्या बढ़ाएंगे।
- सभी परिसंघ यह सुनिश्चित करें कि उनके सदस्यों की आय बढ़े एवं उन्हें न्यूनतम 20% लाभांश मिले।
- सभी परिसंघ अपने व्यापार में विविधीकरण की दिशा में कदम उठाएंगे।
- निर्यात सहकारी समिति के लिए कम से कम ₹ 1 लाख करोड़ के व्यापार के लक्ष्य के साथ अगले 10 वर्षों के लिए व्यवसाय योजना तैयार की जा सकती है।
- कृभको,1000 पैक्स को अंगीकार करेगा जो उर्वरक वितरण, ड्रोन, CSC और अनाज भंडारण से संबंधित कार्य की सेवाओं प्रदान करेंगे।
- कृभको एक वर्ष के भीतर 200 मॉडल पैक्स स्थापित करेगा जो मंत्रालय द्वारा शुरू की गई सभी सेवाओं प्रदान करेगा।
- NAFED, तुअर, उड़द, मसूर और मिलेट्स का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों के साथ पूर्व अनुबंध करेगा।
- NAFED, प्याज और गेहूं के प्रापण हेतु किसानों को सीधे पंजीकृत करेगा।
- NAFED और NCCF उन राज्यों के किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर मक्का और दलहन के प्रापण के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है जहां उत्पादन अधिक है।
- NAFED, अर्ध सैनिक बलों को मिलेट्स की आपूर्ति करेगा और मात्रा का निर्धारण कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से किया जा सकता है।
- NAFED, मक्का की खरीद - बिक्री के लिए एथेनॉल कंपनियों के साथ समझौता करेगा।

सत्यमेव जयते
Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

- IFFCO सहकारिता क्षेत्र को सशक्त करने के लिए दो राज्यों को अंगीकार करेगा और इन राज्यों के सभी गांवों में पैक्स की स्थापना करेगा। इसके लिए IFFCO ने दो राज्यों को अंगीकार कर लिया है।
- IFFCO एक वर्ष के भीतर 200 मॉडल पैक्स स्थापित करेगा जो मंत्रालय द्वारा शुरू की गई सभी सेवाओं प्रदान करेंगे।
- NCCF वित्तीय वर्ष 2027-28 तक ₹ 50,000 करोड़ के कारोबार का लक्ष्य प्राप्त करेगा।

सत्यमेव जयते
Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

अध्याय- 6: सहकारी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य

भारत में सहकारी क्षेत्र समावेशी विकास को बढ़ावा देने, सीमांत समुदायों को सशक्त बनाने और संधारणीय विकास को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हैं। तेजी से परस्पर जुड़ती दुनिया में वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सर्वोपरि हो गया है। यह अध्याय सहकारी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर प्रकाश डालता है जिसमें विभिन्न मोर्चों पर भारत की भूमिका और योगदान की समीक्षा की गई है।

6.1 इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एलायंस (ICA)

इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एलायंस (ICA) सहकारी समितियों के वैश्विक स्वर के रूप में कार्य करता है जो उनके हितों का पक्षधर है तथा उनके आदर्शों को बढ़ावा देता है। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एलायंस में 105 से अधिक देशों के 306 से भी अधिक सदस्य हैं और यह विश्व भर में एक अरब व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। कृषि, बैंकिंग, उपभोक्ता, मात्स्यिकी, स्वास्थ्य, आवासन, बीमा, उद्योग और सेवाओं सहित अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों से अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय सहकारी संगठन इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एलायंस के पूर्ण सदस्य हैं।

6.1.1 इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एलायंस (ICA) में भारत

भारत से 21 सदस्य सहकारी समितियां इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एलायंस (ICA) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भारत ICA ग्लोबल बोर्ड का प्रतिनिधित्व करता है और इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एलायंस- एशिया और प्रशांत (ICA-AP) क्षेत्रीय बोर्ड, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव बैंकिंग एसोसिएशन (ICBA), सहकारी अनुसंधान पर ICA-AP समिति और क्रेडिट और बैंकिंग पर ICA-AP समिति की अध्यक्षता करता है।

ICA द्वारा प्रारंभ किया गया कोऑपरेटिव्स एंड म्युचुअल्स लीडरशिप सर्कल (CM50), संधारणीय विकास में क्षेत्र के योगदान को आगे बढ़ाने के लिए विश्व भर के प्रभावशाली सहकारी और म्युचुअल लीडरों को एक साथ लाता है। CM50 वैश्विक संवाद को आकार देने, नीतिगत प्रभाव को बढ़ावा देने और विश्व भर में सहकारी समितियों की पहचान और प्रभाव को सशक्त करने के लिए एक उच्च-स्तरीय सलाहकार और पक्षसमर्थन मंच के रूप में कार्य करता है। भारत ने CM50 के साथ सशक्त जुड़ाव दिखाया है जो इसकी गहरी सहकारी परंपरा और नेतृत्व को दर्शाता है।

जॉर्डन कोऑपरेटिव कॉरपोरेशन और जॉर्डन के हैशमाइट किंगडम के कृषि मंत्रालय के सहयोग से ICA-AP द्वारा आयोजित 11वां एशिया प्रशांत सहकारिता मंत्रियों का सम्मेलन (APCMC) दिनांक 28 से 30 अप्रैल, 2024 तक मृत सागर, जॉर्डन में आयोजित किया गया था। अनुकूलनशीलता, संधारणीय और समावेशी विकास के लिए सरकार-सहकारिता साझेदारी बढ़ाने की रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए इस सम्मेलन में 17 देशों के मंत्रीगण, वरिष्ठ अधिकारीगण और सहकारी लीडर एकत्र हुए। भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सहकारिता मंत्रालय के अपर सचिव और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) के प्रबंध निदेशक ने किया।

महिलाओं पर ICA-AP समिति और वियतनाम कोऑपरेटिव अलायंस (VCA) द्वारा आयोजित एशिया-प्रशांत महिला CEOs सहकारिता शिखर सम्मेलन दिनांक 29 से 31 जुलाई, 2024 तक हनोई, वियतनाम में आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन में, जिसकी थीम "एम्पावरिंग लीडरशिप: नैविगेटिंग द फ्यूचर ऑफ कोऑपरेटिव्स विथ वीमेन एट द हेल्म" थी, 12 देशों से लगभग 100 महिला नेताओं को सहकारी समितियों में महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ाने की रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए एक साथ लाया गया। शिखर सम्मेलन में कई प्रमुख नेताओं के योगदान के साथ भारत की भागीदारी उल्लेखनीय थी।

6.1.2 सहकारी समितियों के भविष्य के लिए नई दिल्ली एक्शन एजेंडा

ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 का आयोजन ICA द्वारा किया गया था और भारत में 18 अन्य ICA सदस्य संगठनों के सहयोग से इफको द्वारा इसकी मेजबानी की गई थी। इस कार्यक्रम को सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार का समर्थन प्राप्त था।

ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 का आयोजन

नई दिल्ली में आयोजित ICA के 2024 वैश्विक सहकारी सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 के शुभारंभ के लिए 3,000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस आयोजन में असमानता, जलवायु परिवर्तन और संघर्ष जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने में सहकारी समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया गया। इस सम्मेलन का केंद्र बिंदु नई दिल्ली एक्शन एजेंडा का अंगीकरण रहा, जो चार प्रमुख स्तंभों के माध्यम से आंदोलन को अग्रसर करने का रणनीतिक मार्ग प्रशस्त करता है:

क) सहकारी पहचान की पुष्टि - सहकारी मूल्यों को बनाए रखना और Coop Marque के माध्यम से दृश्यता को मजबूत करते हुए शिक्षा में निवेश करना।

ख) सहायक नीतियों को सक्षम करना - विधिक और नीतिगत परिवेशों का पक्षपोषण करना जो सहकारी समितियों को फलने-फूलने के लिए सशक्त बनाते हैं।

ग) समावेशी नेतृत्व का विकास - क्षमता निर्माण और समावेशी शासन के माध्यम से युवाओं, महिलाओं और अल्पसंख्यक नेतृत्व को बढ़ावा देना।

घ) एक संधारणीय भविष्य का निर्माण - सहकारी समितियों को भविष्य के लिए तैयार रखने के लिए नवाचार, AI और जलवायु समाधानों का अंगीकरण।

6.1.3 वर्ष 2024 के लिए रोशडेल पायनियर पुरस्कार

वर्ष 2024 का रोशडेल पायनियर्स पुरस्कार इफको के प्रबंध निदेशक डॉ. उदय शंकर अवस्थी को प्रदान किया गया ,जो कि एक केमिकल इंजीनियर के रूप में वर्ष 1976 में इफको में शामिल हुए थे। उनके नेतृत्व में, सहकारी समिति ने अपनी उत्पादन क्षमता में 292% और निवल मूल्य में 688% की वृद्धि की। इफको भारत में सबसे बड़ा उर्वरक उत्पादक और विपणनकर्ता है, और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद पर टर्नओवर के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी सहकारी समिति है।

Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

रोशडेल पायनियर्स पुरस्कार-2024

वर्ष 2000 में स्थापित, रोशडेल पायनियर्स अवार्ड ICA द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इसका लक्ष्य, रोशडेल पायनियर्स की भावना में किसी ऐसे व्यक्ति या विशेष परिस्थितियों में किसी ऐसे सहकारी संगठन को मान्यता देना है, जिसने नवोन्मेषी और वित्तीय रूप से संधारणीय सहकारी कार्यकलापों में योगदान दिया है, जिससे उनकी सदस्यता को उल्लेखनीय लाभ हुआ है। डॉ. अवस्थी 2001 के पुरस्कार प्राप्तकर्ता डॉ. वर्गीज कुरियन के बाद यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले दूसरे भारतीय नागरिक हैं।

IIM कोझिकोड में 18वां ICA-एशिया-प्रशांत अनुसंधान सम्मेलन: ICA-AP सहकारी अनुसंधान समिति (CCR) द्वारा आयोजित 18वां ICA एशिया-प्रशांत अनुसंधान सम्मेलन दिनांक 15 से 18 अक्टूबर, 2024 तक भारतीय प्रबंध संस्थान कोझिकोड (IIMK), केरल, भारत में आयोजित किया गया था। उरालुंगल लेबर कॉन्ट्रैक्ट को-ऑपरेटिव सोसाइटी (ULCCS) के साथ सह-आयोजित, इस सम्मेलन की थीम "कोऑपरेटिव्स इन द नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन" पर केंद्रित थी, जिसमें प्रौद्योगिकी प्रगति और औद्योगिक परिवर्तनों के बीच कार्य के भविष्य को आकार देने में सहकारी समितियों की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया गया।

इस सम्मेलन में सत्रों की एक विविधि श्रृंखला आयोजित की गई जिसमें प्लेटफॉर्म मॉडल्स, सामुदायिक विकास, सामाजिक समावेशन, विधि और विनियमन, नवाचार, डिजिटलीकरण और संधारणीय विकास जैसे विषयों पर समानांतर सत्र शामिल थे। उद्योग पैनलों ने डिजिटल परिवर्तन और संधारणीय कृषि की चुनौतियों और अवसरों पर प्रकाश डाला और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं और सहकारी क्षेत्र में उनकी प्रयोज्यता के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान की है।

युवा शोधार्थियों और शुरुआती नवोदित शोधकर्ताओं के लिए एक समर्पित कार्यशाला का भी आयोजन किया गया जिसने अंतःविषयक सहयोग को बढ़ावा दिया और उभरते शोधकर्ताओं को अपना काम प्रस्तुत करने और वरिष्ठ शिक्षाविदों से सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए एक मंच प्रदान किया।

इस सम्मेलन का समापन उभरते औद्योगिक परिदृश्य के संदर्भ में समावेशी और संधारणीय विकास को आगे बढ़ाने में सहकारी समितियों की क्षमता की तलाश जारी रखने की प्रतिबद्धता के साथ हुआ।

सत्यमेव जयते
Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

6.1.4 नेटवर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव्स इन एशिया एंड द पैसिफिक (NEDAC) में भारत का नेतृत्व

फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गनाइजेशन (FAO), ICA और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन (ILO) द्वारा 1991 में स्थापित, नेटवर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव्स इन एशिया एंड द पैसिफिक (NEDAC), एशिया और प्रशांत क्षेत्र में शीर्ष सहकारी संगठनों को जोड़ने वाले एक क्षेत्रीय मंच के रूप में कार्य करता है। NEDAC का उद्देश्य कृषि सहकारी समितियों के सशक्तीकरण द्वारा कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है।

भारत NEDAC में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो अपने लगभग 40 सहकारी संगठनों की सदस्यता के साथ उसका सबसे बड़ा प्रतिनिधि है। इनमें एनसीडीसी, नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड (NAFSCOB), मुलकानूर कोऑपरेटिव सोसाइटी और उनती कोऑपरेटिव जैसे प्रमुख संस्थान शामिल हैं।

6.2 सेंटर फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड ट्रेनिंग इन एग्रीकल्चरल बैंकिंग (CICTAB)

फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गनाइजेशन (FAO) के अनुरोध पर सेंटर फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड ट्रेनिंग इन एग्रीकल्चरल बैंकिंग (CICTAB) की स्थापना जनवरी, 1983 में भारत सरकार द्वारा एक स्वायत्त संस्थान के रूप में की गई थी, जिसका मुख्यालय वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान कैम्पस, पुणे में है।

सार्क देशों में CICTAB के सदस्य संस्थान:

Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

क्रम सं.	सदस्य देश	संस्थाओं की संख्या
1	नेपाल	9
2	भारत	18
3	बांग्लादेश	3
4	भूटान	3
5	श्रीलंका	5
6	मालदीव	1
	कुल	**39**

अप्रैल, 2024 से मार्च, 2025 के दौरान, CICTAB ने 22 अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए और एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। CICTAB ने वर्ष 2024-25 के दौरान 511 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया है, जिनमें अफ्रीकन एशियन रूरल डेवलपमेंट ऑर्गनाइज़ेशन (AARDO) के सदस्य देशों अर्थात घाना, केन्या, मॉरीशस, ज़ांबिया, गांबिया, नामीबिया, लाइबेरिया के 10 प्रतिभागी और सेंटर ऑन इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट फॉर एशिया एंड द पैसिफिक (CIRDAP) के सदस्य देश अर्थात लाओ पीडीआर के दो प्रतिभागी शामिल हैं।

वर्ष 2024-25 के दौरान आयोजित 22 अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में से सात अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम CICTAB द्वारा वैमनीकॉम परिसर, पुणे में जो भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली (6); NCUI, नई दिल्ली (1) तथा वैमनीकॉम, पुणे के सहयोग से आयोजित किए गए थे।

सहकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली के सहयोग से वैमनीकॉम पुणे में संचालित अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम की सूची नीचे दी गई है:

क्रम सं.	**कार्यक्रम**	**तारीख**
1.	कृषि मूल्य श्रृंखला वित्तपोषण पर कार्यक्रम	23 से 26 अप्रैल, 2024
2.	सहकारी व्यवसाय मॉडल पर एक्सपोजर विजिट कार्यक्रम	4 से 7 जून, 2024
3.	"सहकारी समितियों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन" पर कार्यक्रम	6 से 9 अगस्त, 2024
4.	ग्रामीण वित्तीय संस्थानों में नवाचार और वित्तीय प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग पर कार्यक्रम	21 से 24 अक्टूबर, 2024
5.	प्राथमिक कृषि क्रेडिट समिति (पैक्स) के लिए व्यवसाय विकास योजना	3 से 6 दिसंबर, 2024
6.	सहकारी समितियों के लिए कृषि निर्यात प्रक्रिया और प्रलेखन पर कार्यक्रम	20 से 23 जनवरी, 2025

NCUI, नई दिल्ली के सहयोग से वैमनीकॉम पुणे में संचालित अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम:

क्रम सं.	**कार्यक्रम**	**तारीख**
1.	सहकारिता और ग्रामीण वित्त पोषण संस्थानों के प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण तकनीकों पर कार्यक्रम (प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण पर केंद्रित)	27 से 31 जनवरी, 2025

सत्यमेव जयते
Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

6.2.1 CICTAB अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन -2025

CICTAB ने सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के सहयोग से दिनांक 13 से 15 फरवरी, 2025 के दौरान वैमनीकॉम, पुणे में "सहकारी समितियों के माध्यम से समृद्धि लाना: डिजिटल नवाचार और मूल्य श्रृंखला" पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का संचालन किया।

"सहकारी समितियों के माध्यम से समृद्धि लाना: डिजिटल नवाचार और मूल्य श्रृंखला" पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

दिनांक 13-15 फरवरी, 2025 के दौरान "सहकारिता के माध्यम से समृद्धि लाना: डिजिटल नवाचार और मूल्य श्रृंखलाएँ" पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, वैमनीकॉम, पुणे - श्री मुरलीधर मोहोल, माननीय केंद्रीय सहकारिता और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री, भारत सरकार ने डॉ. उमाकांत दास, IRMA के निदेशक; प्रो. पार्थ रे, NIBM पुणे के निदेशक; श्री अबा गिब्रिल संकरेह, गाम्बिया के रजिस्ट्रार जनरल और श्री अनोसाक फेंगथिमावोंग, लाओ पीडीआर के सहकारिता विभाग के निदेशक तथा डॉ. हेमा यादव, निदेशक, CICTAB और वैमनीकॉम उपस्थिति में समापन सत्र की शोभा बढ़ाई।

Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

6.3 द्विपक्षीय सहयोग

6.3.1 चिली के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक

सहकारी समितियों के संवर्धन के संबंध में श्री क्रिस्टोबल नवारो, कोऑपरेटिव्स एंड एसोसिएटिव इकोनॉमी और अपर सचिव (सहकारिता) के साथ दिनांक 27 नवंबर, 2024 को अटल अक्षय ऊर्जा भवन में एक बैठक आयोजित की गई।

6.3.2 मंगोलिया के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक

सहकारी समितियों के संवर्धन के संबंध में मंगोलियाई सांसदों और सचिव, सहकारिता मंत्रालय के साथ दिनांक 28 नवंबर, 2024 को अटल अक्षय ऊर्जा भवन में एक बैठक आयोजित की गई।

6.3.3 स्पेन के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक

सहकारी समितियों के संवर्धन के संबंध सुश्री मारिया अम्पारो, स्पेन के सामाजिक अर्थव्यवस्था की राज्य सचिव और माननीय राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल) के बीच दिनांक 26 नवंबर, 2024 को माननीय राज्य मंत्री के कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई।

6.3.4 ज़ांबिया के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक

कैबिनेट के उप सचिव के नेतृत्व में लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ज़ांबिया गणराज्य सरकार के एक प्रतिनिधिमंडल ने सहकारी विकास पर एक बेंचमार्किंग अध्ययन के लिए दिनांक 2 से 7 मार्च, 2025 तक भारत का दौरा किया।

Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

अध्याय-7: वर्ष 2024-25 में प्रमुख कार्यक्रम और मीडिया आउटरीच सशक्तीकरण

वर्ष 2024-25 के दौरान मंत्रालय ने माननीय प्रधानमंत्री और माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। इन कार्यक्रमों का मंत्रालय के यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर सीधा प्रसारण किया गया। इन प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त ब्यौरा निम्नानुसार है:

7.1 वर्ष 2024-25 में आयोजित प्रमुख कार्यक्रम

1. 102वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस - *'सहकार से समृद्धि'* कार्यक्रम

102वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस

सहकारिता मंत्रालय ने दिनांक 06.07.2024 को गांधीनगर, गुजरात में *'सहकार से समृद्धि'* कार्यक्रम के साथ 102वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जिसका नेतृत्व माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने किया। उन्होंने वर्ष 2021 में मंत्रालय की स्थापना के बाद से देश भर में सहकारी आंदोलन को ऊर्जान्वित करने में मंत्रालय की भूमिका पर प्रकाश डाला और साथ ही पैक्स

रूपांतरण, जैविक उत्पाद पहलों की शुरूआत और चीनी मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने जैसी प्रमुख उपलब्धियों का भी उल्लेख किया।

श्री अमित शाह ने संधारणीय कृषि के लिए गुजरात की सब्सिडी की भी प्रशंसा की और सभी पंचायतों में व्यवहार्य पैक्स स्थापित करने, राष्ट्रीय सहकारी नीति लागू करने, जैविक खेती को बढ़ावा देने, शहरी सहकारी बैंकों का विस्तार करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर प्रापण सशक्त करने, ग्रामीण विकास और आत्मनिर्भरता के लिए सहकारिता को केंद्रबिंदु बनाने की भविष्य की योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की।

2. NFCSF की चीनी उद्योग संगोष्ठी और राष्ट्रीय दक्षता पुरस्कार 2022-23

NFCSF की चीनी उद्योग संगोष्ठी और राष्ट्रीय दक्षता पुरस्कार 2022-23

दिनांक 10.08.2024 को माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में चीनी उद्योग संगोष्ठी और राष्ट्रीय दक्षता पुरस्कार में भाग लिया। ग्रामीण विकास में उनकी भूमिका के लिए सहकारी चीनी मिलों की प्रशंसा करते हुए उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा सहकारिता

मंत्रालय को इस क्षेत्र को ऊर्जान्वित करने का श्रेय दिया। 20% इथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य की वर्ष 2025-26 तक पूर्वप्राप्ति के लिए उन्होंने गन्ने की खेती, चीनी उत्पादन और इथेनॉल उत्पादन में प्रभावशाली वृद्धि पर प्रकाश डाला।

श्री अमित शाह ने सहकारी मिलों से दो साल के भीतर इथेनॉल उत्पादन शुरू करने का आग्रह किया ताकि उनकी आपूर्ति हिस्सेदारी 8% से बढ़कर 25% हो जाए। उन्होंने शीरे पर जीएसटी की कटौती, ₹15,000 करोड़ की कर छूट और ₹1,000 करोड़ के NCDC अनुदान जैसे सरकारी सहायता उपायों का भी उल्लेख किया और इस बात पर ज़ोर दिया कि सहकारी लाभ से किसानों को फायदा होना चाहिए और ग्रामीण समृद्धि एवं आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलना चाहिए।

3. सहकारिता मंत्रालय द्वारा 100 दिनों में की गई पहलों पर राष्ट्रीय सम्मेलन: श्री अमित शाह ने 'श्वेत क्रांति 2.0' का शुभारंभ किया''

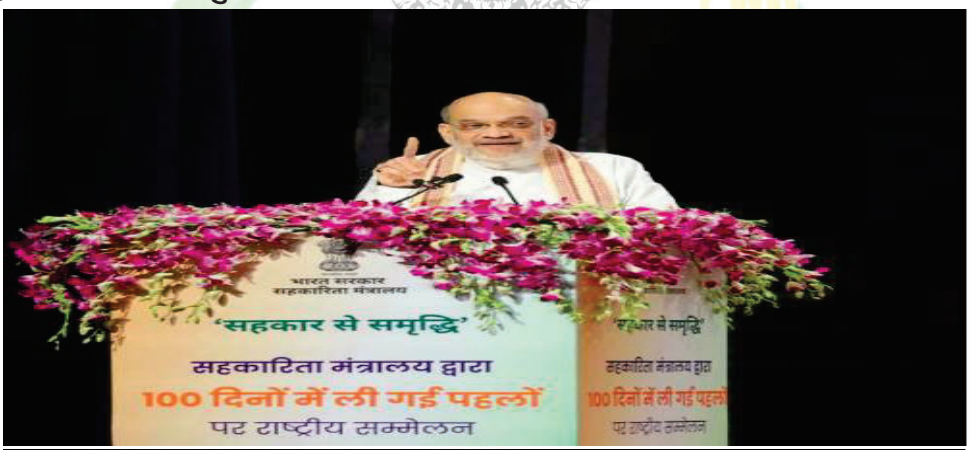

सहकारिता मंत्रालय द्वारा 100 दिनों में की गई पहलों पर राष्ट्रीय सम्मेलन

माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह की अध्यक्षता में दिनांक 19.09.2024 को नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय की पहलों पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस

सम्मेलन में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में मंत्रालय की उपलब्धियों की समीक्षा की गई और श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ, 2 लाख नए पैक्स की स्थापना हेतु मार्गदर्शिका और सहकारिता में सहकार पर एक मानक प्रचालन प्रक्रिया (SOP) का विमोचन किया गया।

श्वेत क्रांति 2.0 का उद्देश्य डेयरी कार्यों के विस्तार के माध्यम से महिला सशक्तीकरण, आत्मनिर्भरता और कुपोषण से लड़ने पर बल देना है। नया पैक्स मॉडल कृषि-वित्त और रिटेल सहित 25 सेवाओं को एकीकृत करता है और डिजिटलीकृत ग्रामीण वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है। श्री अमित शाह ने प्रति पंचायत एक कार्यशील सहकारी समिति के लक्ष्य की पुष्टि की और महिलाओं के नेतृत्व पर केंद्रित स्वदेशी डेयरी मशीनरी, पशुपालन और निर्यात की योजनाओं पर प्रकाश डाला।

4. NDDB, आणंद, गुजरात का हीरक जयंती समारोह

एनडीडीबी, आणंद, गुजरात का हीरक जयंती समारोह

दिनांक 22.10.2024 को माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने आणंद में एनडीडीबी के हीरक जयंती समारोह में प्रमुख किसान-केंद्रित पहलों का उद्घाटन किया, जिसमें

एनडीडीबी और मदर डेयरी के नए संयंत्रों का शिलान्यास और भारत पशुधन के ट्रेसेबिलिटी प्लेटफॉर्म के अंतर्गत गिर और बद्री घी का लॉन्च शामिल है। उन्होंने डेयरी सहकारी आंदोलन की सराहना की और गोबर आधारित आय और कार्बन क्रेडिट पर ध्यान केंद्रित करते हुए श्वेत क्रांति 2.0 का आह्वान किया।

श्री अमित शाह ने विभिन्न राज्यों के किसानों के लिए वित्तीय सहायता और लाभ में हिस्सेदारी की भी घोषणा की और चारा मानचित्रण, बायोगैस संयंत्रों, जैविक खेती और वन-हेल्थ पहलों के लिए IISc, इसरो, सुज़ूकी, अमूल और अन्य संस्थानों के साथ हुए समझौता ज्ञापनों पर प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम में नवाचार, संधारणीयता और मजबूत साझेदारी के माध्यम से *'सहकार से समृद्धि'* की परिकल्पना को रेखांकित किया गया।

5. राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड और उत्तराखंड ऑर्गेनिक कमोडिटी बोर्ड के साथ समझौता ज्ञापन

राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड और उत्तराखंड ऑर्गेनिक कमोडिटी बोर्ड के साथ समझौता ज्ञापन

माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह की उपस्थिति में, दिनांक 30.10.2024 नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (NCOL) और उत्तराखंड जैविक वस्तु बोर्ड (UOCB)

के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। उन्होंने उत्तराखंड के किसानों को आश्वासन दिया कि एनसीओएल उनकी सभी जैविक उपज खरीदेगा और लाभ सीधे उनके खातों में जमा किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता और बेहतर आय सुनिश्चित होगी।

श्री अमित शाह ने मृदा स्वास्थ्य और उत्पादकता में सुधार सहित जैविक खेती के लाभों पर ज़ोर दिया और NCOL और अमूल द्वारा जैविक उत्पादों के परीक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रयोगशालाएँ स्थापित करने की योजना की घोषणा की। 'भारत' ब्रांड के अंतर्गत, किसानों को सशक्त बनाने और संधारणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (NCEL) के माध्यम से जैविक उत्पादों का वैश्विक स्तर पर विपणन किया जाएगा।

6. ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024

ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन-2024

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत मंडपम, नई दिल्ली में वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 का उद्घाटन दिनांक 25-30 नवंबर, 2024 को किया। अभूतपूर्व पैमाने पर आयोजित इस शिखर

सम्मेलन में सभी प्रमुख सहकारी क्षेत्रों के 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि एकत्रित हुए। इसने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 की औपचारिक शुरुआत को चिह्नित किया, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री ने सहकारिता के मूल्यों पर आधारित आत्मनिर्भरता, समृद्धि और वैश्विक नेतृत्व की परिकल्पना को रेखांकित किया। इस अवसर पर दूरसंचार मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 को समर्पित एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया, जो वैश्विक सहकारिता आंदोलन में भारत के नेतृत्व को रेखांकित करता है।

माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने NCEL, NCOL और BBSSL की स्थापना, एक सहकारी विश्वविद्यालय की योजना और एक नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति तैयार करने सहित प्रमुख सुधारों पर प्रकाश डाला। उन्होंने "*सहकार से समृद्धि*" की परिकल्पना पर बल दिया, जिसका लक्ष्य तीन वर्षों के भीतर प्रत्येक पंचायत में एक सहकारी संस्था स्थापित करना है, जो भारत की प्रतिबद्धताओं को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उद्देश्यों के साथ संरेखित करता है।

7. NAFSCOB का हीरक जयंती समारोह और ग्रामीण सहकारी बैंकों की राष्ट्रीय बैठक

NAFSCOB का हीरक जयंती समारोह और ग्रामीण सहकारी बैंकों की राष्ट्रीय बैठक

माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने दिनांक 26.11.2024, नई दिल्ली में NAFSCOB की हीरक जयंती और ग्रामीण सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय अधिवेशन में भाग लिया और 13 करोड़ किसानों को 75 वर्षों तक अल्पकालिक ऋण प्रदान करके सशक्त बनाने के लिए त्रि-स्तरीय सहकारी बैंकिंग प्रणाली की सराहना की। उन्होंने जिला सहकारी बैंकों का 80% जिलों तक विस्तार करने और पूर्ण कंप्यूटरीकरण के साथ-साथ पैक्स के माध्यम से दीर्घकालिक वित्त पोषण आरंभ करने की योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की।

श्री अमित शाह ने इस बात पर प्रकाश डाला कि 39,000 से अधिक PACS अब नई मॉडल उपविधियों के अंतर्गत 300 से अधिक सेवाएँ प्रदान करते हैं। उन्होंने जमा, लाभप्रदता और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए "सहकारिता में सहकार" पर बल दिया। उन्होंने इस क्षेत्र द्वारा वैश्विक स्तर पर अग्रणी भूमिका निभाने और समावेशी आर्थिक विकास को गति देने की क्षमता की पुष्टि की।

8. राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB), छत्तीसगढ़ दूध संघ और छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ (CGMFPFED) और राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (NCOL) के बीच समझौता ज्ञापन

NDDB, CGMFPFED और NCOL के बीच समझौता ज्ञापन

दिनांक 16.12.2024 को, माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह की उपस्थिति में छत्तीसगढ़ में लघु वनोपज और डेयरी क्षेत्र में सहकारी समितियों को सशक्त करने के लिए दो महत्वपूर्ण समझौते हुए, जिससे आदिवासी और ग्रामीण समुदायों के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के *'सहकार से समृद्धि'* की परिकल्पना को बल मिला। NCOL और CGMFPFED के बीच एक समझौता ज्ञापन जनजातियों की आय की संधारणीयता को बढ़ाने के लिए 'भारत ऑर्गेनिक्स' ब्रांड के अंतर्गत वनोत्पादों का प्रमाणन और विपणन करेगा।

NDDB और छत्तीसगढ़ दूध परिसंघ के साथ दूसरे समझौता ज्ञापन का उद्देश्य विशेष रूप से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में डेयरी सहकारी समितियों का विस्तार और दुग्ध संग्रहण में वृद्धि करना और महिलाओं को सशक्त बनाना है जिसमें NDDB द्वारा निःशुल्क प्रबंधकीय सहायता प्रदान की जाएगी। श्री अमित शाह ने गुजरात में जैविक खेती की सफलता की प्रशंसा की और गरीबी एवं नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए सहकारिता-आधारित समावेशी विकास के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

9. त्रिपुरा में सहकारी क्षेत्र को सशक्त करने के लिए विभिन्न पहलों का शुभारंभ

त्रिपुरा में सहकारी क्षेत्र को सशक्त करने के लिए विभिन्न पहलों का शुभारंभ

माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने दिनांक 22.12.2024 को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री प्रो. (डॉ.) माणिक साहा के साथ मिलकर त्रिपुरा के सहकारी क्षेत्र को सशक्त करने के लिए प्रमुख पहलों का शुभारंभ किया, जिसमें सहकारी पेट्रोल पंप, उपभोक्ता स्टोर, एक स्मार्ट प्रशिक्षण केंद्र, मिनी बीज किट वितरण तथा जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए NCOL के साथ एक समझौता ज्ञापन शामिल है।

श्री अमित शाह ने उल्लेख किया कि वर्ष 2018 से त्रिपुरा की 3,138 सहकारी समितियाँ लाभ में हैं, और 35 से अधिक राज्य संस्थाएँ जैविक उत्पादों, बीजों और निर्यात के लिए राष्ट्रीय सहकारी समितियों से जुड़ गई हैं। सरकार हर तहसील में 2,000 मीट्रिक टन गोदाम बनाने की योजना बना रही है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण मार्ट, माइक्रो-एटीएम, प्रशिक्षण और जैविक प्रमाणीकरण के माध्यम से किसानों की आय और संधारणीयता बढ़ाने पर केंद्रित है।

10. डेयरी और मात्स्यिकी सहकारी समितियों के साथ-साथ 10,000 नव स्थापित M-PACS का उद्घाटन

डेयरी और मात्स्यिकी सहकारी समितियों के साथ-साथ 10,000 नव स्थापित M-PACS का उद्घाटन

माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने दिनांक 25.12.2024 को नई दिल्ली में डेयरी और मात्स्यिकी सहकारी समितियों के साथ-साथ 10,000 नव-स्थापित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (MPACS) का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर आयोजित किया गया जिसमें वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों और अधिकारियों ने भाग लिया और सहकारी क्षेत्र में उनके योगदान को श्रद्धांजलि दी।

माननीय मंत्री ने पैक्स कंप्यूटरीकरण, 32 विविध कार्यकलापों के साथ एकीकरण और क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण मॉड्यूल के शुभारंभ सहित प्रमुख सुधारों पर प्रकाश डाला। उन्होंने रुपे किसान क्रेडिट कार्ड और माइक्रो-एटीएम के वितरण की भी घोषणा की, जिससे किसानों को किफायती वित्तीय सुविधाओं तक पहुँच प्राप्त होगी। पाँच वर्षों के भीतर 2 लाख नए पैक्स स्थापित करने के लक्ष्य पर बल देते हुए, उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि यह लक्ष्य समय से पहले ही हासिल कर लिया जाएगा। श्री अमित शाह ने बल देकर यह भी कहा कि सहकारी समितियाँ राष्ट्रीय स्तर की नई सहकारी समितियों - NCOL, NCEL और BBSSL के माध्यम से बीज उत्पादन, जैविक उत्पादों और निर्यात के क्षेत्र में विस्तार करेंगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी, युवाओं और महिलाओं के लिए रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे और ग्रामीण समृद्धि तथा सामाजिक-आर्थिक समानता का मार्ग प्रशस्त होगा।

11. अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 का उद्घाटन समारोह

मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 का उद्घाटन समारोह

माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के उप-मुख्य मंत्रियों के साथ दिनांक 24.01.2025 को मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का उद्घाटन किया और शहरी सहकारी बैंकों को डिजिटल और व्यापार क्षमताओं से सशक्त करने के लिए NUCFDC के निगमित कार्यालय का उद्घाटन किया।

उन्होंने हर ग्राम पंचायत में एक PACS की स्थापना, 10,000 MPACS सदस्यों को प्रशिक्षण और त्रिभुवन राष्ट्रीय सहकारी यूनिवर्सिटी की स्थापना सहित, कार्यकलापों का वर्ष-भर का कैलेंडर लॉन्च किया। श्री अमित शाह ने सभी अनुसूचित सहकारी बैंकों को पूर्ण सेवाओं से लैस करने, एक राष्ट्रीय रैंकिंग प्रणाली शुरू करने और 2047 के लिए भारत के विकास दृष्टिकोण का समर्थन करने हेतु पैक्स की व्यवहार्यता बढ़ाने की योजनाओं की भी रूपरेखा प्रस्तुत की।

12. नासिक में सहकारिता सम्मेलन एवं सहकारिता से संबंधित विभिन्न कार्यों का शुभारंभ

नासिक में सहकारिता सम्मेलन

दिनांक 24.01.2025 को माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के नासिक में सहकारिता सम्मेलन को संबोधित किया, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ किया और वेंकटेश्वर काजू प्रसंस्करण कारखाने का वर्चुअल उद्घाटन किया तथा नवाचार के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाने के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के *'सहकार से समृद्धि'* की परिकल्पना का समर्थन किया। उन्होंने कृषि संधारणीयता और लाभप्रदता बढ़ाने में मृदा परीक्षण और जैविक प्रमाणीकरण जैसे वैज्ञानिक उपकरणों पर प्रकाश डाला।

श्री अमित शाह ने किसानों को सीधे बाज़ार तक पहुँच और लाभ सुनिश्चित करने के लिए NCOL और वेंकटेश्वर कोऑपरेटिव की प्रशंसा की, और नई बहु-राज्यीय सहकारी समितियों की स्थापना और पैक्स के डिजिटलीकरण का उल्लेख किया। भविष्य की योजनाओं में पैक्स को बहु-कार्यात्मक बनाना, ग्रामीण गोदामों का निर्माण, विविध कृषि को बढ़ावा देना, सहकारी चीनी समितियों के कर विवादों का समाधान और किसानों की आय और सहकारी संधारणीयता को सशक्त करने के लिए इथेनॉल मिश्रण को बढ़ावा देना शामिल है।

13. जनता सहकारी बैंक, पुणे, महाराष्ट्र का हीरक जयंती समारोह

जनता सहकारी बैंक, पुणे, महाराष्ट्र का हीरक जयंती समारोह

दिनांक 22.02.2025 को माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने पुणे में जनता सहकारी बैंक के हीरक जयंती समारोह को संबोधित किया। उन्होंने बैंक की सराहना की, जिसने एक छोटी सहकारी संस्था से विकसित होकर ₹ 9,600 करोड़ की जमाराशि और 10 लाख से अधिक ग्राहकों वाले बहुराज्यीय संस्थान का रूप ले लिया है।

श्री अमित शाह ने युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक की घोषणा की और शहरी सहकारी बैंकों को सशक्त बनाने वाले सुधारों की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिनमें NUCFDC का गठन, उच्च ऋण सीमा और आधार-समर्थित भुगतान शामिल हैं। उन्होंने बैंक द्वारा संकट के समय प्रदान किए गए सहयोग की सराहना की और सहकारी समितियों से लोगों को सशक्त बनाने तथा राष्ट्रीय प्रगति को गति देते रहने का आग्रह किया।

14. "डेयरी क्षेत्र में संधारणीयता और चक्रीयता पर कार्यशाला" का उद्घाटन

"डेयरी क्षेत्र में संधारणीयता और चक्रीयता पर कार्यशाला" का उद्घाटन

दिनांक 30.03.2025 को माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में "डेयरी क्षेत्र में संधारणीयता और चक्रीयता पर कार्यशाला" का उद्घाटन किया।। इस अवसर पर

उन्होंने बल दिया कि संधारणीयता एवं संसाधन चक्रीयता को प्राथमिकता देना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के *'सहकार से समृद्धि'* की परिकल्पना को साकार करने और श्वेत क्रांति 2.0 को आगे बढ़ाने की कुंजी है। उन्होंने कहा कि पहली श्वेत क्रांति के दौरान भारत दुनिया का शीर्ष दुग्ध उत्पादक देश बन गया था, लेकिन संधारणीयता लक्ष्यों को अभी भी हासिल करना बाकी है।

श्री अमित शाह ने ग्रामीण विकास में, विशेष रूप से छोटे और भूमिहीन किसानों के लिए डेयरी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला और इस बात पर बल दिया कि सभी क्षेत्रों की पूरी क्षमता का दोहन भारत के 2047 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण है। डेयरी क्षेत्र 250 दुग्ध उत्पादक एसोसिएशनों में चक्रीय प्रथाओं को बढ़ावा देकर अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

15. गुजरात के गिर सोमनाथ और वलसाड में तीन चीनी मिलों का पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण

गुजरात के गिर सोमनाथ और वलसाड में तीन चीनी मिलों का पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण

माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने दिनांक 08.03.2025 को गुजरात के गिर सोमनाथ और वलसाड में तीन चीनी मिलों के पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित किया जिसकी थीम सहकारी समितियों और संधारणीय कृषि के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाना था। यह पहल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप है जो आयात कम करने और जैव ईंधन को बढ़ावा देने के लिए इथेनॉल, बायोगैस और जैविक उर्वरक उत्पादन के एकीकरण द्वारा 10,000 से अधिक किसानों को लाभान्वित करेगा।

उन्होंने आधुनिक कृषि सहायता—बीज, मशीनें, ड्रोन और सिंचाई—प्रदान करने में इंडियन पोटाश की भूमिका पर प्रकाश डाला और उर्वरकों की कीमतें स्थिर रखते हुए कृषि बजट और कृषि ऋण बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों का उल्लेख किया। इस कार्यक्रम में किसानों, सहकारी नेताओं, अधिकारियों और इंडियन पोटाश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

16. पटना, बिहार में ₹ 800 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास

पटना, बिहार में ₹ 800 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास

माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने दिनांक 30.03.2025 को पटना, बिहार में अमृत-1 के अंतर्गत 25 पैक्स खाद्य भंडारण इकाइयों, पुलिस भवनों, सड़कों और पेयजल योजनाओं सहित ₹800 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

श्री अमित शाह ने बिहार की कृषि क्षमता को रेखांकित करते हुए, 30 बंद चीनी मिलों के पुनरुद्धार, मक्का अनुसंधान केंद्र के लिए ₹1,000 करोड़ के निवेश और मखाना बोर्ड की स्थापना की घोषणा की। उन्होंने बिहार के विकास के लिए केंद्रीय वित्तपोषण में बढ़ोतरी और ग्रामीण अवसंरचना, कृषि और सहकारिता को सशक्त करने की सरकार की प्रतिबद्धता पर बल दिया।

इन सभी कार्यक्रमों का सहकारिता मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर सीधा प्रसारण किया गया और इन्हें **https://www.youtube.com/@MinOfCooperatn/streams** पर देखा जा सकता है।

7.2 मंत्रालय की मीडिया आउटरीच को सशक्त करना

पिछले साढ़े तीन वर्षों में, सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी क्षेत्र के बारे में जन सहभागिता और जागरूकता बढ़ाने के लिए अपनी मीडिया और डिजिटल पहुँच को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया है। पारंपरिक और डिजिटल, दोनों माध्यमों का लाभ उठाकर और प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) के सहयोग से, मंत्रालय ने लगातार प्रेस विज्ञप्तियाँ प्रकाशित की हैं, प्रमुख समाचार पत्रों में फीचर लेख प्रकाशित किए हैं और सोशल मीडिया पर अपनी उपस्थिति का विस्तार किया है। माननीय प्रधानमंत्री और माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित सभी राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों का मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है, जिससे जनता तक सीधी पहुँच सुनिश्चित होती है। प्रेस विज्ञप्तियाँ, समाचार अपडेट और प्रमुख उपलब्धियाँ भी नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से साझा की जाती हैं, जो व्यापक समावेशन के लिए बहुभाषी पहुँच प्रदान करती है।

Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

मंत्रालय के डिजिटल दायरे में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। प्रमुख प्लेटफ़ॉर्म— X (ट्विटर), फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन और व्हाट्सएप—पर इसके संयुक्त फ़ॉलोअर्स/सब्सक्राइबर्स अब 6 लाख से ज़्यादा हो गए हैं, और यूट्यूब की व्यूअरशिप 1.4 करोड़ व्यूस से अधिक है। विशेष अभियान और ऐतिहासिक पहलों पर तैयार किए गए पोस्ट, विशेष रूप से प्रमुख आयोजनों और राष्ट्रीय समारोहों के दौरान, लगातार जनता की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करते हैं।

डिजिटल आउटरीच के अलावा, मंत्रालय ने प्रिंट-आधारित क्षमता निर्माण और जागरूकता पहलों पर भी ध्यान केंद्रित किया है। अप्रैल 2023 से, दो मासिक पत्रिकाएँ—सहकार उदय (IFFCO के माध्यम से) और सहकार जागरण (NCUI के माध्यम से)—हिंदी, अंग्रेजी और 11 क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित की जा रही हैं। सहकार उदय की लगभग 3 लाख प्रतियों और सहकार जागरण की 2.75 लाख प्रतियों के मासिक प्रसार के साथ, ये पत्रिकाएँ महत्वपूर्ण ज्ञान मंच के रूप में उभरी हैं। वे मंत्रालय की प्रमुख नीतियों, योजनाओं और पहलों के साथ-साथ सहकारी आंदोलन की सफलता की कहानियों पर प्रकाश डालते हैं, जिससे जमीनी स्तर के सदस्यों को समयबद्ध, प्रासंगिक और प्रेरणादायक सामग्री के साथ सशक्त बनाया जाता है।

सत्यमेव जयते
Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

अध्याय – 8 : अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष (IYC) 2025: भारत में सहकारी उत्कृष्टता को बढ़ावा देना

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष (IYC) 2025, वैश्विक सहकारिता आंदोलन के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है और भारत के लिए यह गतिशील प्रगति, नवाचार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का काल है।

8.1 अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष की घोषणा

दिनांक 19 जून, 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 की घोषणा एक ऐतिहासिक क्षण था जिसने सामाजिक विकास और सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में सहकारी समितियों की शक्तिशाली भूमिका को मान्यता दी। **"Cooperatives Build a Better World"** विषय के अंतर्गत घोषित इस प्रस्ताव ने गरीबी उन्मूलन, सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने और संधारणीय आर्थिक विकास को गति देने के लिए समुदाय-संचालित व्यावसायिक मॉडलों की पूरी क्षमता का दोहन करने के वैश्विक आह्वान का संकेत दिया। संकल्प में सभी सदस्य देशों और संबंधित हितधारकों से आग्रह किया गया कि वे इस महत्वपूर्ण वर्ष का उपयोग सहकारी मॉडल की सकारात्मक परिवर्तनकारी क्षमता को बढ़ावा देने के लिए करें, न केवल अपने समाज के भीतर, बल्कि सीमाओं के पार भी, जिससे यह वास्तव में संधारणीय विकास के लिए सहयोग और सामूहिक कार्रवाई का एक वैश्विक उत्सव बन सके।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष की घोषणा निरंतर प्रयासों और वैश्विक सहमति का परिणाम थी। इस घोषणा तक पहुँचने की प्रक्रिया में सरकारों, सहकारी परिसंघों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ व्यापक परामर्श शामिल थे।

8.2 इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एलायंस और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 में ICA की भूमिका

वर्ष 1895 में स्थापित, ICA एक छोटे, आदर्शवादी संघ से एक शक्तिशाली संगठन के रूप में विकसित हुआ है जो सौ से अधिक देशों में सहकारी समितियों को एकजुट करता है, उनकी सेवा करता है और उनका प्रतिनिधित्व करता है। दुनिया भर में एक अरब से अधिक सदस्यों के साथ, यह अब विश्व के सबसे बड़े और सबसे पुराने गैर-सरकारी संगठनों में से एक है। इसका मिशन सामूहिक उत्तरदायित्व, लोकतांत्रिक निर्णय लेने और संधारणीय सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण के स्थायी सिद्धांतों पर

आधारित है। ICA दुनिया भर में सहकारी समितियों की आवाज के रूप में कार्य करता है, संवाद, क्षमता निर्माण और एडवोकेसी के लिए मंच प्रदान करता है, और एक निष्पक्ष और न्यायसंगत वैश्विक अर्थव्यवस्था को आकार देने में सहकारी समितियों के महत्व का समर्थन करता है।

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के संदर्भ में, ICA ने कई महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारियाँ संभाली हैं जिन्होंने दुनिया भर में समारोहों की दिशा तय की है। पूरे वर्ष के दौरान, एलायंस ने समन्वित एडवोकेसी, जन जागरूकता पहलों में वृद्धि और क्षमता निर्माण के माध्यम से वैश्विक सहकारी समुदाय को ऊर्जावान बनाया है। युवाओं तक पहुंच बढ़ाने, नई साझेदारियाँ बनाने और सभी क्षेत्रों की सहकारी समितियों के बीच नवाचार, प्रौद्योगिकी अपनाने और ज्ञान-साझाकरण के लिए सहयोगी मंच विकसित करने पर विशेष ज़ोर दिया गया है।

8.3 ICA महासभा और वैश्विक सहकारी सम्मेलन: दिल्ली में ऐतिहासिक आयोजन

इस अवधि के दौरान भारत के लिए एक निर्णायक क्षण दिनांक 25-29 नवंबर, 2024 तक दिल्ली के भारत मंडपम में ICA महासभा और वैश्विक सहकारी समिट की मेजबानी करना था। यह इतने बड़े पैमाने और दायरे में पहले कभी नहीं हुआ, जिसमें सौ से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए, जो वैश्विक सहकारी आंदोलन के सभी बड़े सेक्टरों और इलाकों का प्रतिनिधित्व करते थे। वैश्विक सहकारी हस्तियों, नीति निर्माताओं और विषय विशेषज्ञों की उपस्थिति में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 का औपचारिक शुभारंभ हुआ, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री ने सहकारिता के मूल्यों पर आधारित आत्मनिर्भरता, समृद्धि और वैश्विक नेतृत्व के लिए एक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। इसके अतिरिक्त, शिखर सम्मेलन के दौरान, दूरसंचार मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष स्मारक डाक टिकट का विमोचन भी किया गया।

सम्मेलन में कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, बैंकिंग और निर्यात जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा हुई। ICA शिखर सम्मेलन ने भारतीय सहकारी लीडरों को अपने वैश्विक समकक्षों के साथ जुड़ने, नवाचारों को साझा करने और अमूल, IFFCO, KRIBHCO और अन्य प्रतिष्ठित संस्थाओं जैसे सफल मॉडलों को प्रदर्शित करने के लिए एक आदर्श मंच प्रदान किया। वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों और सहकारी परिसंघों की उपस्थिति ने संवाद को और समृद्ध बनाया और सहयोग, व्यापार और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के नए आयाम खोले। दिल्ली में ICA महासभा ने समावेशिता, युवा सहभागिता और नीति एडवोकेसी के नए मानदंड स्थापित किए, जिससे वैश्विक सहकारी आंदोलन में एक अग्रणी के रूप में भारत की स्थिति की पुष्टि हुई। शिखर सम्मेलन के परिणामों को संकल्पों और

तकनीकी पत्रों की एक श्रृंखला में प्रलेखित किया गया, जिसका उद्देश्य सहकारी व्यापार मॉडल को सशक्त करना, क्षेत्र के डिजिटल रूपांतरण का समर्थन करना और सभी क्षेत्रों में समान विकास को प्रोत्साहित करना था।

8.4 अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 में सहकारिता मंत्रालय

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 के शुभारंभ के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में एक आत्मनिर्भर और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण में सहकारी समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया गया। उनके भाषण में सीमांत समुदायों, विशेष रूप से ग्रामीण भारत में, जहाँ सहकारी समितियाँ कृषि और डेयरी जैसे प्रमुख क्षेत्रों का आधार हैं, को सशक्त बनाने में सहकारी क्षेत्र की क्षमता पर भी प्रकाश डाला गया। भारत ने लंबे समय से आर्थिक परिवर्तन और सामाजिक प्रगति के एक शक्तिशाली साधन के रूप में सहकारी समितियों के महत्व को मान्यता दी है।

माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन ने देश के सहकारी परिदृश्य को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके मार्गदर्शन में, भारत एक आधुनिक सहकारी अवसंरचना की ओर बढ़ रहा है जो डिजिटल अर्थव्यवस्था की माँगों के अनुरूप है। माननीय प्रधानमंत्री और माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री का विज़न है कि सहकारी समितियों की पहुँच और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाए, जो आज की तेज़ी से डिजिटल होती दुनिया में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। सहकारी समितियों का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि वे बदलते समय के हिसाब से खुद को ढाल पाते हैं या नहीं और कुशलता बढ़ाने के लिए आधुनिक उपकरणों का उपयोग करते हैं या नहीं।

Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय

सहकारिता मंत्रालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 का उत्सव ठोस कार्यों और सार्थक परिणामों से चिह्नित हो। रणनीतिक योजना के महत्व को समझते हुए, मंत्रालय ने विभिन्न स्तरों पर समितियों का गठन करने के लिए त्वरित कार्रवाई की। सचिव (सहकारिता) की अध्यक्षता में दो राष्ट्रीय स्तरीय समितियाँ, अर्थात् अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-राष्ट्रीय सहकारी समिति और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-राष्ट्रीय निष्पादन समिति, गठित की गई हैं। राष्ट्रीय सहकारी समिति में, राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वयन की देखरेख हेतु सभी राष्ट्रीय सहकारी परिसंघों और अमूल के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है, जबकि राष्ट्रीय निष्पादन समिति में विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। संबंधित राज्यों में राज्य स्तरीय समितियाँ अर्थात् राज्य शीर्ष समितियाँ भी गठित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, अंतर्राष्ट्रीय

सहकारिता वर्ष से संबंधित कार्यों को राज्य सहकारी विकास समितियों और जिला सहकारी विकास समितियों के ToR में भी शामिल किया गया है।

8.5 कार्य योजना की तैयारी और शुभारंभ

भारत, **8.3 लाख** से अधिक सहकारी समितियों के अपने विशाल नेटवर्क के साथ, जो 98% ग्रामीण क्षेत्रों को कवर करता है और 300 मिलियन से अधिक व्यक्तियों को शामिल करता है, ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 के लक्ष्यों को मनाने और आगे बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 के दौरान, सहकारिता मंत्रालय, सहकारिता के वैश्विक लाभों को प्रदर्शित करेगा, सदस्य देशों के बीच अनुभवों के आदान-प्रदान को सुगम बनाएगा और सहकारी मॉडल को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

अंतर्राष्ट्रीय पहल के अनुरूप भारत के सहकारी क्षेत्र को सशक्त, आधुनिक और वैश्वीकृत करने के लिए सभी हितधारकों के समन्वय से एक व्यापक कार्य योजना तैयार की गई। बहु-क्षेत्रक दृष्टिकोण वाली इस कार्य योजना में सहकारी क्षेत्र की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के अनुरूप राष्ट्रीय, राज्य और जिला-स्तरीय कार्यकलापों की एक श्रृंखला शामिल थी। इन कार्यकलापों में सहकारी समितियों और सहकारी क्षेत्र के सशक्तीकरण पर केंद्रित विभिन्न कार्यक्रम, सेमिनार और सम्मेलन, ज्ञान-साझाकरण और तकनीकी कार्यशालाएँ, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, शासन संगोष्ठियाँ और क्षमता निर्माण पहलें शामिल हैं। देश भर की सभी सहकारी समितियों में सहकारिता से संबंधित विषयों और इस क्षेत्र को सशक्त बनाने में उनकी भूमिका पर चर्चाएँ आयोजित की जाएँगी। इसके अतिरिक्त, युवाओं को सहकारिता से जोड़ने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएँगे।

Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय

यह कार्ययोजना सभी हितधारकों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए परिसंघों, राज्य सरकारों, सहकारी समितियों और अन्य हितधारक संगठनों के साथ व्यापक परामर्श पर आधारित थी। दिनांक 24 जनवरी, 2025 को मुंबई, महाराष्ट्र में माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित एक प्रमुख आरंभिक कार्यक्रम में कार्ययोजना का आधिकारिक शुभारंभ हुआ।

कार्ययोजना में उत्पाद पैकेजिंग, वेबसाइट, सोशल मीडिया, आधिकारिक पत्राचार और रेलवे स्टेशनों, बस टर्मिनलों और हवाई अड्डों सहित प्रमुख सार्वजनिक अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष लोगो प्रदर्शित करने का भी आह्वान किया गया है, जिससे वर्ष का उत्सव वास्तव में सर्वव्यापी हो सके।

8.6 प्रमुख कार्यकलाप और क्षेत्रीय पहलें

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष (IYC) 2025 के वर्ष भर चलने वाले उत्सव के दौरान, सहकारिता मंत्रालय सामाजिक और आर्थिक विकास में सहकारी समितियों की भूमिका को उजागर करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य, जिला और ग्राम स्तर पर सभी हितधारकों के साथ मिलकर अनेक पहलें करेगा।

राष्ट्रीय स्तर पर, मंत्रालयों, विभागों, परिसंघों और राज्य सरकारों से अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है। कार्यकलापों के समन्वय के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 के लोगो को दृश्यता रणनीति के एक केंद्रीय तत्व के रूप में अपनाया गया है और इसे सहकारी उत्पाद पैकेजिंग, आधिकारिक पत्राचार, वेबसाइटों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जा रहा है।

राज्य और जमीनी स्तर पर, सहकारी संस्थाएं सहकारिता की भावना के प्रसार के लिए सक्रिय रूप से शिखर सम्मेलन, प्रदर्शनियां, साक्षरता कार्यक्रम, क्षमता निर्माण कार्यशालाएं, जागरूकता अभियान, प्रतियोगिताएं, महिला सम्मेलन, वृक्षारोपण अभियान और स्वच्छता कार्यकलाप आयोजित कर रही हैं।

अमूल और अन्य सहकारी समितियों ने अपने उत्पादों पर अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष का लोगो प्रदर्शित करने की प्रतिबद्धता जताई है, जबकि महाकुंभ 2025 में समर्पित सहकारी मंडपों के माध्यम से सहकारी कार्यकलापों को प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया, जिससे आर्थिक और सामाजिक सशक्तीकरण में सहकारी समितियों की भूमिका को रेखांकित किया गया। सहकारिता मंत्रालय वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दौरों का भी आयोजन करेगा और अमूल डेयरी सहकारी प्रणाली जैसे भारत के सफल मॉडलों का अध्ययन करने के लिए विदेशी सहकारी समितियों को आमंत्रित करेगा।

Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

8.7 निष्कर्ष: अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 के लिए भारत की समन्वित राष्ट्रीय रणनीति

भारत द्वारा आयोजित 'अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025' के आयोजन ने दूरदर्शिता, समावेशिता और प्रभाव को प्रदर्शित किया है। ICA वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेज़बानी और सहकारिता मंत्रालय, राज्य सरकारों, परिसंघों और समाज के समन्वित प्रयासों ने देश भर में सार्थक परिणाम सुनिश्चित किए हैं। दिल्ली में भारत मंडपम से लेकर ग्रामीण भारत में जमीनी स्तर की पहल तक, सहकारी भावना को

सामाजिक न्याय, आर्थिक सशक्तीकरण और वैश्विक एकजुटता के प्रेरक के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 के समापन पर, सहकारिता मंत्रालय दिसंबर 2025 में एक व्यापक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें उपलब्धियों, परिणामों और सीखे गए पाठ का विवरण होगा। उत्कृष्टता को और प्रोत्साहित करने के लिए, परिसंघों और राज्यों द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली सहकारी समितियों को पुरस्कार भी प्रदान किए जाएँगे, जो भविष्य में सहकारी विकास के लिए मानक स्थापित करेंगे।

सत्यमेव जयते
Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

संलग्नक

सत्यमेव जयते
Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

संलग्नक-I: संगठनात्मक चार्ट

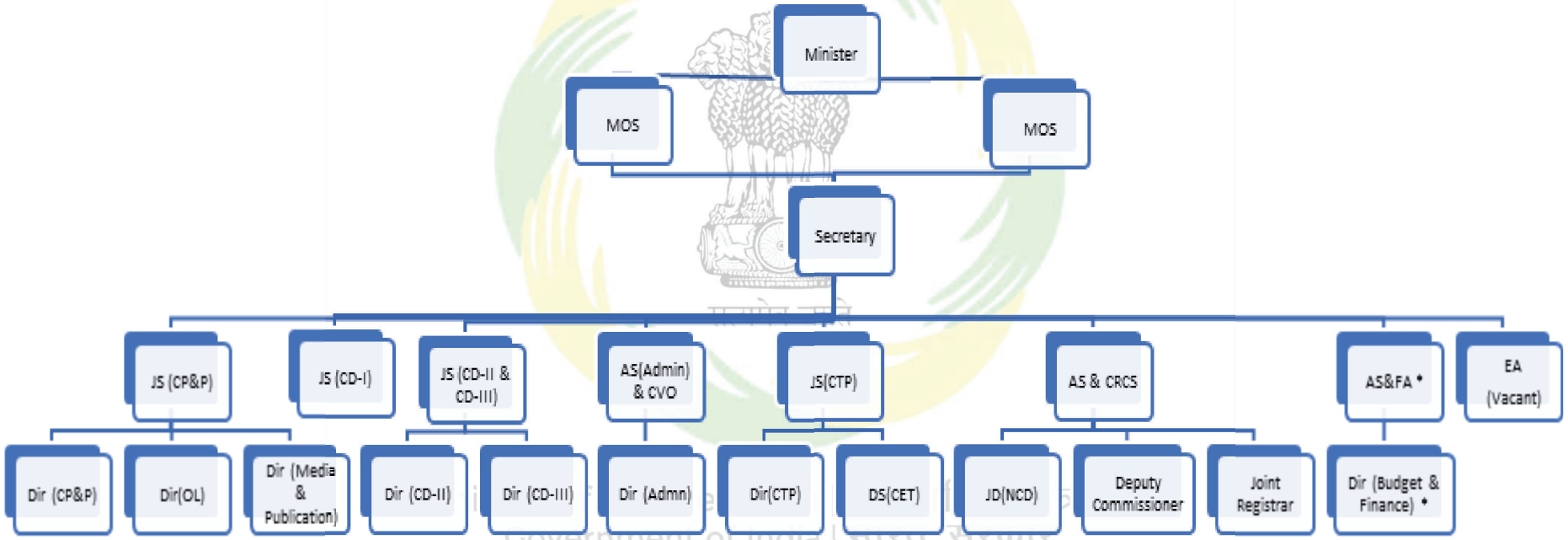

* कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के AS&FA तथा निदेशक (बजट एवं वित्त) सहकारिता मंत्रालय का कार्य भी देख रहे हैं

संलग्नक -II: सहकारिता मंत्रालय द्वारा की गई पहलों पर हुई प्रगति की सूची (मार्च, 2025 के अनुसार)

सहकारिता मंत्रालय ने दिनांक 06 जुलाई, 2021 को अपनी स्थापना के बाद से, *सहकार-से-समृद्धि"* की परिकल्पना को साकार करने और देश में प्राथमिक से लेकर शीर्ष स्तर की सहकारी समितियों तक सहकारी आंदोलन को सशक्त और सघन बनाने के लिए कई पहलें की हैं। अब तक की गई पहलों और प्रगति की सूची इस प्रकार है:

क) <u>प्राथमिक सहकारी समितियों को आर्थिक रूप से जीवंत और पारदर्शी बनाना</u>

1. **पैक्स को बहुउद्देशीय, बहुआयामी तथा पारदर्शी संस्था बनाने के लिए आदर्श (मॉडल) उपविधियां**: सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, राष्ट्रीय स्तर के परिसंघों, राज्य सहकारी बैंकों (StCBs), जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) आदि सहित सभी हितधारकों के परामर्श से पैक्स के लिए आदर्श उपविधियां तैयार कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित की हैं, जो पैक्स को 25 से अधिक व्यावसायिक कार्यकलाप करने, शासन में सुधार लाने, अपने प्रचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने हेतु सक्षम बनाती हैं। महिलाओं और अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देते हुए पैक्स की सदस्यता को अधिक समावेशी एवं व्यापक बनाने के भी उपबंध किए गए हैं। अब तक 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आदर्श उपविधियां अपनाई गई हैं या उनकी मौजूदा उपविधियां, आदर्श उपविधियों के अनुरूप हैं।

2. **कंप्यूटरीकरण के माध्यम से पैक्स का सशक्तीकरण**: पैक्स को सशक्त करने हेतु ₹ 2,516 करोड़ के कुल वित्तीय परिव्यय से कार्यशील पैक्स के कंप्यूटरीकरण की परियोजना को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है जिसमें देश के सभी कार्यशील पैक्स को कॉमन ईआरपी आधारित राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर लाकर राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) तथा जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) के माध्यम से नाबार्ड से लिंक करना शामिल है। इस परियोजना के अधीन 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कुल 79,630 पैक्स अनुमोदित किए गए हैं। 60,353 पैक्स को ईआरपी पर ऑनबोर्ड किया जा चुका है और 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सॉफ्टवेयर का प्रापण किया गया है।

Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

3. **सभी पंचायतों को आच्छादित करने के लिए नए बहुउद्देशीय पैक्स/डेयरी/ मात्स्यिकी सहकारी समितियों की स्थापना:** आगामी पांच वर्षों में प्रत्येक पंचायत/गांव को कवर करने के लिए नए बहुउद्देशीय पैक्स या प्राथमिक डेयरी/मात्स्यिकी सहकारी समितियां स्थापित करने की योजना को अनुमोदित किया गया है। इस पहल को नाबार्ड, एनडीडीबी, एनएफडीबी, एनसीडीसी और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा सहयोग दिया जा रहा है। पहल के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, दिनांक 19.09.2024 को 'मार्गदर्शिका' लॉन्च की गई है, जिसमें हितधारकों के लिए लक्ष्य और समयसीमा दर्शाई गई है। राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के अनुसार, 15.02.2023 को योजना के अनुमोदन के बाद से 31.03.2025 तक देश भर में कुल 21,054 नई पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों को पंजीकृत किया गया है और 11,871 डेयरी सहकारी समितियों को सशक्त किया गया है।

4. **सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी विकेन्द्रीकृत अन्न भंडारण योजना**: सरकार ने कृषि अवसंरचना कोष (AIF), कृषि विपणन अवसंरचना (AMI), कृषि यांत्रिकीकरण पर उपमिशन (SMAM), प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (PMFME) आदि भारत सरकार की विभिन्न सरकारी योजनाओं के अभिसरण से पैक्स स्तर पर अन्न भंडारण के लिए भांडागारों, कस्टम हायरिंग सेंटर, प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयों तथा अन्य कृषि-अवसंरचनाओं के निर्माण हेतु परियोजना को अनुमोदन दिया है। इससे खाद्यान्न की बर्बादी तथा परिवहन लागत में कमी आएगी, किसानों को उनकी उपज की बेहतर कीमत प्राप्त हो सकेगी एवं विभिन्न कृषि आवश्यकताओं को पैक्स स्तर पर ही पूरा किया जा सकेगा। पायलट परियोजना के अंतर्गत 11 राज्यों के 11 पैक्स में गोदामों का कार्य पूरा किया जा चुका है।

Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

5. **ई-सेवाओं की बेहतर पहुंच हेतु कॉमन सेवा केंद्र (CSC) के रूप में पैक्स**: **:** पैक्स के माध्यम से बैंकिंग, बीमा, आधार नामांकन/अपडेशन, स्वास्थ्य सेवाओं, पैन कार्ड तथा आईआरसीटीसी/ बस/ हवाई टिकट आदि जैसी 300 से अधिक ई-सेवाओं प्रदान करने हेतु उन्हें सक्षम बनाने के लिए सहकारिता मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नाबार्ड तथा सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है। अभी तक, 44,116 पैक्स द्वारा ग्रामीणों को CSC सेवाओं प्रदान करना शुरू कर दिया गया है।

6. **पैक्स द्वारा नए किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) की स्थापना**: सरकार ने ऐसे प्रखंडों में जहां FPOs का गठन नहीं हुआ है अथवा प्रखंड किसी अन्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा कवर नहीं किए गए हैं, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) के सहयोग से पैक्स द्वारा 1,100 अतिरिक्त किसान उत्पादक संगठन स्थापित करने की अनुमति दी है। इस आबंटन के विरुद्ध दिनांक 31.03.2025 तक सभी 1,100 FPOs पंजीकृत/ ऑन-बोर्ड हो चुके हैं। इसके अलावा, NCDC द्वारा सहकारी क्षेत्र में 763 FPOs पहले ही गठित किए जा चुके हैं। आज तक, NCDC द्वारा सहकारी क्षेत्र में कुल 1,863 FPOs पंजीकृत/ऑन-बोर्ड हो चुके हैं। इससे किसानों को आवश्यक बाज़ार लिंकेज उपलब्ध कराने और उनकी उपज के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

7. **खुदरा पेट्रोल/डीज़ल आउटलेट के लिए पैक्स को प्राथमिकता**: सरकार ने पैक्स को खुदरा पेट्रोल/डीज़ल आउटलेट के आबंटन के लिए कंबाइंड कैटेगरी 2 (CC-2) में शामिल करने की अनुमति प्रदान कर दी है। तेल विपणन कंपनियों (OMCs) द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार 393 पैक्स ने खुदरा पेट्रोल/डीज़ल आउटलेट के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है।

8. **पैक्स को थोक उपभोक्ता पेट्रोल पंप को खुदरा आउटलेट में परिवर्तित करने हेतु अनुमति**: मौजूदा थोक उपभोक्ता लाइसेंस प्राप्त पैक्स को तेल विपणन कंपनियों (OMCs) द्वारा खुदरा आउटलेट में परिवर्तित होने के लिए वन-टाइम विकल्प दिया गया है। OMCs द्वारा साझा की गई सूचना के अनुसार 5 राज्यों के 117 थोक उपभोक्ता पेट्रोल पंप लाइसेंस प्राप्त पैक्स ने खुदरा आउटलेट में परिवर्तित होने की सहमति दी है जिसमें से 59 पैक्स को इस संबंध में OMCs द्वारा अनुमति प्रदान की गई है।

9. **पैक्स द्वारा अपने कार्यकलापों में विविधता लाने के लिए एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप की पात्रता**: सरकार ने अब पैक्स को एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप हेतु आवेदन करने की अनुमति प्रदान कर दी है। इससे पैक्स को अपने आर्थिक कार्यकलाप को बढ़ाने और अपनी आय प्रवाह के विविधीकरण का एक विकल्प प्राप्त होगा। अब तक झारखंड राज्य से 2 पैक्स ने CC कैटगरी के अंतर्गत एलपीजी डिस्ट्रिब्यूटरशिप के लिए आवेदन दिया है।

10. **ग्रामीण स्तर पर जेनेरिक औषधियों तक सुगम पहुंच हेतु प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के रूप में पैक्स**: सरकार द्वारा पैक्स को प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र (PMBJK) के रूप में कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई है, जिससे उन्हें आय

के अतिरिक्त स्रोत प्राप्त होंगे और ग्रामीण जनता को गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक औषधियों तक सुगम पहुँच सुनिश्चित होगी। अब तक 4,515 पैक्स/सहकारी समितियों ने PMBJK के रूप में कार्य करने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है जिसमें से 2,758 पैक्स को फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया (PMBI) द्वारा प्रारंभिक मंजूरी दी गई है और 799 पैक्स को राज्य औषधि नियंत्रक से औषधि लाइसेन्स मिल गए है, 730 PACS को PMBI से स्टोर कोड मिल गए हैं जो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र के रूप में कार्य करने के लिए तैयार हैं।

11. **प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (PMKSK) के रूप में पैक्स:** देश में किसानों को उर्वरक और अन्य संबंधित सेवाओं की सुलभ पहुंच सुनिश्चित करने हेतु पैक्स को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (PMKSK) चलाने के लिए सक्षम किया गया है। उर्वरक विभाग (भारत सरकार) और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा साझा की गई सूचना के अनुसार 36,689 पैक्स PMKSK के रूप में कार्य कर रहे हैं।

12. **पैक्स द्वारा ग्रामीण नल जलापूर्ति योजनाओं (PWS) का प्रचालन और रखरखाव (O&M) कार्य**: पैक्स को ग्रामीण क्षेत्रों में नल जलापूर्ति योजनाओं के प्रचालन व रख-रखाव (O&M) कार्य करने के लिए पात्र बनाया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार 9 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पंचायत/गांव के स्तर पर प्रचालन व रख-रखाव (O&M) सेवाओं प्रदान करने हेतु, 822 पैक्स चिह्नित/चयनित किए गए हैं।

13. **पैक्स के स्तर पर PM-KUSUM का अभिसरण**: पैक्स से जुड़े किसान सौर कृषि जल पंप अपना सकते हैं और अपने खेतों में फोटोवोल्टिक मॉड्यूल इंस्टॉल करा सकते हैं।

14. **डोर-स्टेप वित्तीय सेवाओं प्रदान करने के लिए बैंक मित्र सहकारी समितियों को माइक्रो-एटीएम**: डेयरी और मात्स्यिकी सहकारी समितियों को सुगम व्यवसाय, पारदर्शिता और वित्तीय समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) और राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) को बैंक मित्र बनाया जा सकता है। नाबार्ड के सहयोग से इन बैंक मित्र सहकारी समितियों को 'डोर-स्टेप वित्तीय सेवाओं" प्रदान करने के लिए माइक्रो-एटीएम दिए जा रहे हैं । 'सहकारिता में सहकार' अभियान के माध्यम से दिनांक 31 मार्च, 2025 तक 9,900 से अधिक एम-एटीम वितरित किए गए हैं।

सत्यमेव जयते
Ministry of Co-operation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

15. **दुग्ध सहकारी समितियों के सदस्यों को रुपे किसान क्रेडिट कार्ड**: जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) और राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) की पहुंच का विस्तार करने तथा डेयरी सहकारी समितियों के सदस्यों को आवश्यक लिक्विडिटी प्रदान करने और तुलनात्मक रूप से निम्नतर ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करने तथा अन्य वित्तीय लेनदेनों में सक्षम बनाने हेतु सहकारी समितियों के सदस्यों को रुपे किसान क्रेडिट कार्ड (KCCs) का वितरण किया जा रहा है। मार्च, 2025 तक सहकारी समितियों के सदस्यों को 32 लाख से अधिक रुपे केसीसी कार्ड वितरित किए जा चुके हैं।

16. **मत्स्य किसान उत्पादक संगठनों (FFPO) की स्थापना**: मछुआरों को बाजार लिंकेज तथा प्रसंस्करण सुविधाएं प्रदान करने हेतु एनसीडीसी NCDC ने प्रारंभिक चरण में 70 FFPOs का पंजीकरण किया है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के मत्स्य पालन विभाग ने ₹ 225.50 करोड़ के अनुमोदित परिव्यय से 1,000 मौजूदा मत्स्य सहकारी समितियों को FFPOs में परिवर्तित करने का कार्य राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को आबंटित किया है।

17. **श्वेत क्रांति 2.0**: सहकारिता मंत्रालय ने "अगले पांच वर्षों में अनाच्छादित क्षेत्रों में डेयरी किसानों को बाजार पहुंच प्रदान करके और संगठित क्षेत्र में डेयरी सहकारी समितियों की हिस्सेदारी को बढ़ाकर डेयरी सहकारी समितियों के दुग्ध प्रापण को वर्तमान स्तर से 50% तक बढ़ाने" के उद्देश्य से सहकारिता आधारित "श्वेत क्रांति 2.0" नामक एक पहल लॉन्च की है जिसका लक्ष्य सहकारी पहुंच का विस्तार करना, रोजगार सृजन करना और महिलाओं को सशक्त बनाना है। माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री द्वारा माननीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री की उपस्थिति में दिनांक 19.11.2024 को श्वेत क्रांति 2.0 की "मार्गदर्शिका" (SOP) लॉन्च की गई। माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने माननीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री की उपस्थिति में दिनांक 25.12.2024 को 6,600 नवस्थापित सहकारी डेयरी समितियों (DCSs) का उद्घाटन किया। अब तक 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 8,294 सहकारी दुग्ध समितियां (DCSs) पंजीकृत हो गई हैं।

18. **आत्मनिर्भरता अभियान**: सहकारिता मंत्रालय ने आयात निर्भरता घटाने के लिए दलहन (तुअर, मसूर और उड़द) के उत्पादन को प्रोत्साहित करने और एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम (EBP) के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एथेनॉल के उत्पादन के लिए नेशनल

कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (NCCF) और नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (NAFED) के माध्यम से मक्के के उत्पादन को प्रोत्साहित करने की पहल शुरू की है। दोनों ने सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों के पंजीकरण के लिए क्रमशः e-samyukti और e-samridhi वेब पोर्टल का विकास किया है। दोनों ने तुअर, उड़द, मसूर और मक्का के पूर्व-पंजीकृत किसानों के 100% उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद का आश्वासन दिया है। तथापि, बाजार मूल्य का न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक होने पर किसानों को उच्चतर लाभ हेतु अपनी उपज को खुले बाजारों में बेचने की आजादी होगी। कुल 26,67,929 किसान NCCF के e-samyukti पोर्टल पर पहले ही पंजीकरण करा चुके हैं। इसी प्रकार 9,65,674 किसानों ने NAFED के e-samridhi पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है।

ख) <u>सहकारी बैंकों का सशक्तीकरण</u>

19. **शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) को व्यापार विस्तारण हेतु नई शाखाएं खोलने की अनुमति:** शहरी सहकारी बैंक (UCBs) अब आरबीआई की पूर्वानुमति के बिना पिछले वित्तीय वर्ष में मौजूदा शाखाओं की संख्या का 10% (अधिकतम 5) तक नई शाखाएँ खोलने हेतु पात्र हो गए हैं।

20. **भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) को अपने ग्राहकों को डोर-स्टेप सेवाओं प्रदान करने की अनुमति:** शहरी सहकारी बैंकों द्वारा अब डोर-स्टेप बैंकिंग सुविधा प्रदान की जा सकती है। इन बैंकों के खाताधारक अब अपने घर पर ही विभिन्न बैंकिंग सुविधाएं जैसे नकद निकासी एवं नकद जमा, केवाईसी, डिमांड ड्राफ्ट और पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र आदि का लाभ प्राप्त कर पाने में सक्षम हैं।

21. **सहकारी बैंकों को वाणिज्यिक बैंकों की तरह बकाया ऋणों का वन टाइम सेटलमेंट करने की अनुमति:** सहकारी बैंक अब बोर्ड-अनुमोदित नीतियों के माध्यम से तकनीकी राइट-ऑफ करने के साथ-साथ उधारकर्ताओं के निपटान की प्रक्रिया भी प्रदान कर सकते हैं।

22. **UCBs को दिए गए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समय सीमा बढ़ाई गई**: RBI ने UCBs के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) लक्ष्यों को

प्राप्त करने की समयसीमा दो साल अर्थात् दिनांक 31 मार्च, 2026 तक बढ़ा दी है।

23. **शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) के साथ नियमित संवाद हेतु आरबीआई में एक नोडल अधिकारी नामित**: सहकारिता क्षेत्र की गहन समन्वय और केंद्रित संवाद हेतु काफी समय से लंबित मांग को पूरा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने एक नोडल अधिकारी अधिसूचित कर दिया है।

24. **ग्रामीण और शहरी सहकारी बैंकों के लिए व्यक्तिगत आवास ऋण सीमा आरबीआई द्वारा दोगुनी से अधिक की गई:**

(i) शहरी सहकारी बैंकों की आवास ऋण सीमा अब परिसंपत्तियों के 10 प्रतिशत से बढ़ाकर उनके कुल ऋण और अग्रिमों की परिसंपत्तियों के 25 प्रतिशत (₹ 3 करोड़ तक) कर दी गई है।

(ii) ग्रामीण सहकारी बैंकों की आवास ऋण सीमा को ढाई गुना बढ़ाकर ₹ 75 लाख कर दिया गया है।

25. **ग्रामीण सहकारी बैंक अब वाणिज्यिक अचल संपत्ति/रिहायशी आवास क्षेत्र को ऋण दे सकेंगे**, **जिससे उनके व्यवसाय में विविधता आएगी**: इससे न केवल ग्रामीण सहकारी बैंकों को अपने कारोबार में विविधता लाने में मदद मिलेगी, बल्कि आवास सहकारी समितियों को भी लाभ होगा।

26. **AePS के लिए सहकारी बैंकों के लिए लाइसेंस शुल्क कम किया गया**: सहकारी बैंकों को 'आधार सक्षम भुगतान प्रणाली' (AePS) से जोड़ने के लिए लाइसेंस शुल्क को लेनदेन की संख्या से जोड़कर कम कर दिया गया है। सहकारी वित्तीय संस्थाओं को भी उत्पादन-पूर्व चरण के पहले तीन महीनों के लिए यह सुविधा निःशुल्क मिलेगी। इससे अब किसानों को बायोमैट्रिक्स के माध्यम से अपने घर पर ही बैंकिंग सुविधा मिल सकेगी। इसके अलावा, राज्य सहकारी बैंकों को AePS को ऑनबोर्ड करने की आवश्यकता है और DCCBs StCBs के माध्यम से ऑनबोर्ड हो सकते हैं।

27. **गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों**, **राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को ऋण देने में सहकारी समितियों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए CGTMSE योजना में सदस्य ऋण देने वाले संस्थानों (MLIs) के रूप में अधिसूचित किया गया:** सहकारी बैंक अब दिए गए ऋणों पर 85 प्रतिशत तक जोखिम कवरेज का

लाभ उठा सकेंगे। साथ ही, सहकारी क्षेत्र के उद्यम भी अब सहकारी बैंकों से कोलेटरल मुक्त ऋण प्राप्त कर सकेंगे।

28. **शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) को शामिल करने हेतु शेड्यूलिंग मानदंडों की अधिसूचना:** शहरी सहकारी बैंक जो 'वित्तीय सुदृढ़ और सुप्रबंधित' (FSWM) मानदंडों को पूरा करते हैं तथा पिछले दो वर्षों से टियर 3 के रूप में वर्गीकरण हेतु आवश्यक न्यूनतम जमा राशि बरकरार रखे हुए हैं, अब भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम,1934 की अनुसूची II में शामिल होने के लिए पात्र हैं तथा 'अनुसूचित' का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं।

29. **स्वर्ण ऋण हेतु RBI द्वारा मौद्रिक सीमा दोगुनी की गई:** भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा PSL लक्ष्यों को पूरा करने वाले शहरी सहकारी बैंकों की मौद्रिक सीमा को ₹ 2 लाख से दोगुना कर ₹ 4 लाख कर दिया गया है।

30. **शहरी सहकारी बैंकों के लिए अंब्रेला संगठन**: भारतीय रिजर्व बैंक ने नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज़ लिमिटेड (NAFCUB) को शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र के लिए एक अम्ब्रेला संगठन (UO) की स्थापना हेतु मंजूरी दी है, जिसका लक्ष्य लगभग 1,500 शहरी सहकारी बैंकों को आवश्यक सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना और प्रचालन सहायता प्रदान करना है।

ग) <u>सहकारी समितियों को आयकर अधिनियम में राहत</u>

31. **₹ 1 करोड़ से ₹ 10 करोड़ तक की आय वाली सहकारी समितियों के आयकर पर अधिभार को 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है:** इससे सहकारी समितियों पर आयकर का भार कम होगा और उनके पास अपने सदस्यों के हित के लिए कार्य करने हेतु अधिक पूंजी उपलब्ध होगी।

32. **सहकारी समितियों के न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT) को 18.5% से घटाकर 15% किया गया:** इस उपबंध से अब सहकारी समितियों और कंपनियों के बीच इस संबंध में समरूपता हो गई है।

33. **आयकर अधिनियम की धारा 269ST के अधीन नकद लेनदेन में राहत:** आयकर अधिनियम की धारा 269ST के अधीन सहकारी समतियों द्वारा नकद लेनदेन में होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार ने एक स्पष्टीकरण जारी कर यह स्पष्ट किया है कि किसी सहकारी समिति द्वारा अपने वितरक के साथ किसी एक दिन में किए गए ₹ 2

लाख से कम के नकद लेनदेन को पृथक माना जाएगा और उस पर आयकर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

34. **नई विनिर्माण सहकारी समितियों के लिए कर में कटौती:** सरकार ने निर्णय लिया है कि दिनांक 31.03.2024 तक विनिर्माण कार्य शुरू करने वाली नई सहकारी समितियों से अधिभार के साथ 30% तक की पूर्व दर की तुलना में 15% का सपाट निम्न कर-दर लगाया जाएगा। इससे विनिर्माण के क्षेत्र में नई सहकारी समितियों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा।

35. **प्राथमिक कृषि क्रेडिट समिति (पैक्स) और प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (PCARDB) की नकद जमा राशि एवं भुगतान की सीमा में वृद्धि:** सरकार द्वारा प्राथमिक कृषि क्रेडिट समिति (पैक्स) और प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (PCARDBs) द्वारा नकद जमा और एवं भुगतान की सीमा को प्रति सदस्य ₹ 20,000 से बढ़ा कर ₹ 2,00,000 कर दी गई है। इस उपबंध से उनके कार्यों को सुविधा प्राप्त होगी, उनके व्यवसाय में वृद्धि होगी तथा इन समितियों के सदस्य लाभान्वित होंगे।

36. **नकद निकासी में स्रोत पर कर कटौती (TDS) की सीमा में वृद्धि:** सरकार ने सहकारी समितियों के लिए स्रोत पर कर कटौती के बिना नकद निकासी की सीमा ₹ 1 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 3 करोड़ प्रति वर्ष कर दी है। इस प्रावधान से सहकारी समितियों के लिए स्रोत पर कर कटौती (TDS) की बचत होगी, जिससे उनकी तरलता बढ़ेगी।

घ) <u>सहकारी चीनी मिलों का पुनरुद्धार</u>

37. **सहकारी चीनी मिलों को आयकर से राहत**: सरकार ने एक स्पष्टीकरण जारी कर यह स्पष्ट किया है कि सहकारी चीनी मिलों को अप्रैल, 2016 से गन्ना किसानों को गन्ने के उच्चतर मूल्य का भुगतान करने पर उचित एवं लाभकारी मूल्य या राज्य सलाह मूल्य (SAP) तक कोई अतिरिक्त कर नहीं देना पड़ेगा।

38. **सहकारी चीनी मिलों की आयकर से संबंधित दशकों पुरानी लंबित समस्याओं का समाधान**: सरकार ने अपने केंद्रीय बजट 2023-24 में यह प्रावधान किया है कि सहकारी चीनी समितियों को आकलन वर्ष 2016-17 से पूर्व गन्ना किसानों को किए गए भुगतानों को व्यय के रूप में दावा करने की अनुमति होगी जिससे उन्हें ₹ 46,000 करोड़ से भी अधिक की राहत मिलेगी।

Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

39. **सहकारी चीनी मिलों के सशक्तीकरण के लिए ₹ 10,000 करोड़ की ऋण योजना:** सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने "सहकारी चीनी मिलों (CSMs) के सुदृढ़ीकरण के लिए NCDC को सहायता अनुदान" नामक एक योजना तैयार की है। इस योजना के तहत NCDC को वित्तीय वर्ष 2022-23 और वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹ 500 करोड़ की दो किस्तों में ₹ 1000 करोड़ का वन-टाइम अनुदान प्रदान किया गया है, ताकि एथेनॉल संयंत्र/सह-उत्पादन संयंत्र की स्थापना के लिए और उनकी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए CSMs को ₹ 10,000 करोड़ का ऋण प्रदान करने के लिए बाजार से अतिरिक्त धन उधार लिया जा सके। इस योजना के तहत, NCDC ने दिनांक 31.03.2025 तक 56 CSMs को ₹ 10,005 करोड़ संवितरित किए हैं।

40. **एथेनॉल की खरीद में सहकारी चीनी मिलों को प्राथमिकता:** भारत सरकार द्वारा एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम (EBP) के अधीन एथेनॉल की खरीद में सहकारी चीनी मिलों को निजी कंपनियों के समरूप रखा गया है।

41. **शीरा आधारित एथेनॉल संयंत्रों को मल्टी-फीड एथेनॉल संयंत्रों में परिवर्तित करके सहकारी चीनी मिलों को सशक्त करना:** सहकारिता मंत्रालय ने नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज़ लिमिटेड (NFCSF) के परामर्श से सहकारी चीनी मिलों (CSMs) के मौजूदा शीरा आधारित एथेनॉल संयंत्रों को मल्टी-फीड एथेनॉल संयंत्रों में परिवर्तित करने की एक पहल शुरू की है। सहकारी चीनी मिलें (CSMs) एथेनॉल उत्पादन संयंत्र स्थापित करके शीरा और शुगर सिरप से एथेनॉल का भी उत्पादन करती हैं। तथापि, एथेनॉल उत्पादन के लिए कच्चे माल अर्थात शीरा और शुगर सिरप की उपलब्धता कई कारणों से सीमित हैं, जैसे शुगर सिरप के डायवर्जन पर सरकारी नीति, एथेनॉल के उत्पादन के लिए B-heavy शीरा और गन्ना पेराई मौसम एवं वर्षा पर आधारित गन्ने की उपलब्धता आदि। इन सीमित कारकों के कारण एथेनॉल संयंत्र CSMs पूरे वर्ष अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य नहीं कर पाते हैं। भारत सरकार ने एथेनॉल उत्पादन के लिए मक्का को प्राथमिकता दी है, इसलिए यह सहकारी चीनी मिलों के लिए उचित होगा कि वे अपने मौजूदा एथेनॉल उत्पादन संयंत्रों को मल्टी-फीड एथेनॉल उत्पादन संयंत्रों में बदलें ताकि वे मक्का को कच्चे माल के रूप में उपयोग करके एथेनॉल का उत्पादन कर सकें।

42. **शीरा पर जीएसटी को 28% से घटाकर 5% किया गया:** सरकार ने शीरा पर जीएसटी को 28% से घटाकर 5% करने का निर्णय लिया है जिससे सहकारी चीनी मिलें डिस्टिलरियों

को उच्चतर दरों पर शीरा की बिक्री करके अपने सदस्यों के लिए अधिक लाभ अर्जित कर सकेंगे।

ङ) <u>तीन नई राष्ट्र-स्तरीय बहुराज्य सहकारी समितियां</u>

43. **प्रमाणित बीजों के लिए नई राष्ट्रीय बहुराज्य सहकारी समिति:** सरकार ने बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL) नाम से एक नई शीर्ष बहुराज्य सहकारी बीज समिति की स्थापना की है, जो एकल ब्रांड के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण बीज की खेती, उत्पादन और वितरण के लिए एक अम्ब्रेला संगठन के रूप में कार्य करेगी। वर्ष के दौरान, BBSSL ने 41 सहकारी और 111 निजी संस्थाओं सहित 152 वितरकों के नेटवर्क के माध्यम से 13 राज्यों में 76,467 क्विंटल बीज की कुल बिक्री दर्ज की। समिति ने 6,500 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को कवर करते हुए अपने उत्पादन आधार का काफी विस्तार किया और 6 राज्यों में रबी और खरीफ मौसम में 1,100 से अधिक बीज उत्पादकों को शामिल किया।अब तक 20,000 पैक्स/सहकारी समितियाँ BBSSL की सदस्य बन चुकी हैं।

44. **जैविक कृषि के लिए नई राष्ट्रीय बहुराज्य सहकारी ऑर्गेनिक्स समिति**: सरकार ने प्रमाणित और प्रामाणिक जैविक उत्पादों के उत्पादन, वितरण और विपणन हेतु अम्ब्रेला संगठन के रूप में बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत एक नई शीर्ष बहुराज्य सहकारी जैविक समिति, अर्थात् राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (NCOL) की स्थापना की है। अपने प्रचालन के पहले पूर्ण वर्ष में, NCOL ने 29 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 7,000 से अधिक सहकारी सदस्यों को शामिल किया और रणनीतिक सोर्सिंग और विपणन प्रणाली स्थापित की। इसने कुल ₹ 10.42 करोड़ मूल्य की सोर्सिंग हासिल की। इसके प्रमुख उत्पाद श्रेणियों में गेहूं का आटा, चावल (सोना मसूरी) और दलहन (तुअर दाल) शामिल हैं, जो इसकी कुल मात्रा का 80% हैं। उत्पादों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए NCOL द्वारा QR कोड सक्षम ट्रेसेबिलिटी सिस्टम्स और कठोर गुणवत्ता प्रोटोकॉल्स कार्यान्वित किया गया है।

Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

45. **निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए नई राष्ट्रीय बहुराज्य सहकारी निर्यात समिति**: सरकार ने बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अधीन एक नई शीर्ष बहुराज्य सहकारी निर्यात समिति, अर्थात् राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (NCEL) की स्थापना की है। यह संस्था एक अंब्रेला संगठन के रूप में कार्य करेगी, जिसका उद्देश्य

भारतीय सहकारी क्षेत्र में उपलब्ध अधिशेष उत्पादों का निर्यात करना है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत तक, इसने देश भर से 10,000 से अधिक सहकारी समितियों को सदस्य के रूप में शामिल किया। NCEL ने ₹ 5,396 करोड़ का संचयी टर्नओवर प्राप्त किया है, जिसमें से ₹ 4,283 करोड़ वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राप्त किए गए हैं। इसने दुनिया भर के 28 देशों में 36 वस्तुओं को कवर करते हुए 1.3 मिलियन मीट्रिक टन की कुल निर्यात मात्रा को निष्पादित किया है। यह विभिन्न कृषि वस्तुओं के प्रापण के लिए जमीनी स्तर की सहकारी समितियों और किसानों के साथ अपने सीधे संबंधों का लाभ उठाता है, विश्वसनीय, सशक्त और संधारणीय साझेदारी के माध्यम से असाधारण गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। यह भारत के सबसे बड़े चावल निर्यातकों में से एक है, जिसने लगभग 1.28 मिलियन मीट्रिक टन गैर-बासमती सफेद चावल और टूटे चावल की निर्यात मात्रा प्राप्त की है।

च. <u>सहकारी समितियों में क्षमता निर्माण</u>

46. **राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद के माध्यम से प्रशिक्षण और जागरूकता को बढ़ावा (NCCT):** अपनी पहुंच बढ़ाकर, NCCT ने दिसंबर 2024-25 तक 4,389 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं और 3.15 लाख प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया है।

छ. <u>'सुगम व्यवसाय' के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग'</u>

47. **केंद्रीय पंजीयक के कार्यालय का कंप्यूटरीकरण**: बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए डिजिटल परितंत्र के निर्माण हेतु केंद्रीय पंजीयक के कार्यालय को कंप्यूटरीकृत किया गया है जो समयबद्ध रीति से आवेदनों और सेवा अनुरोधों की प्रोसेसिंग में सहायक सिद्ध हो रहा है।

48. **राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सहकारी समितियों के पंजीयक कार्यलयों के कंप्यूटरीकरण की योजना:** सहकारी समितियों के लिए 'सुगम व्यवसाय' में वृद्धि और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पारदर्शी कागज रहित विनियमन के लिए एक डिजिटल इकोसिस्टम बनाने हेतु, RCS कार्यालयों के कंप्यूटरीकरण की एक केंद्रीय प्रायोजित परियोजना को सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को हार्डवेयर के प्रापण, सॉफ्टवेयर के विकास आदि के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है।

सत्यमेव जयते
Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

अब तक, भारत सरकार द्वारा 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

49. **कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (ARDBs) का कंप्यूटरीकरण**: दीर्घकालिक सहकारी ऋण संरचना को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा 13 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (ARDBs) की 1,867 इकाइयों के कंप्यूटरीकरण की परियोजना को अनुमोदित किया गया है। नाबार्ड इस परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी है। अब तक 10 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और उन्हें स्वीकृति दी गई है। इसके अतिरिक्त हार्डवेयर की खरीद, डिजिटलीकरण और सपोर्ट सिस्टम स्थापित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 और वित्तीय वर्ष 2024-25 में 10 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भारत सरकार के हिस्से के रूप में ₹ 7.18 करोड़ जारी किए गए हैं।

ज. अन्य पहलें

50. **प्रामाणिक और अद्यतित डेटा संग्रहण हेतु नया राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस:** राज्य सरकारों के सहयोग से देश में सहकारी समितियों का एक डेटाबेस विकसित किया गया है, जो देश भर में सहकारी समितियों से संबंधित कार्यक्रमों/ योजनाओं हेतु नीति निर्माण और कार्यान्वयन में हितधारकों के लिए सहायक होगा। इस डेटाबेस में अब तक 30 विभिन्न क्षेत्रों की लगभग 8.3 लाख सहकारी समितियों, जिसमें लगभग 32 करोड़ सदस्य हैं, के डेटा संग्रहित किए गए हैं।

51. **सहकारी रैंकिंग फ्रेमवर्क:** सरकार ने सहकारी समितियों का राज्य-वार और क्षेत्र-वार मूल्यांकन और रैंकिंग करने के लिए 24 जनवरी, 2025 को सहकारी रैंकिंग फ्रेमवर्क लॉन्च किया। रैंकिंग फ्रेमवर्क राज्य के RCS को प्रमुख मापदंडों जैसे ऑडिट अनुपालन, प्रचालन कार्यकलापों, वित्तीय प्रदर्शन, अवसंरचना और बुनियादी पहचान सूचना के आधार पर सहकारी समितियों के प्रदर्शन का आकलन करने में सक्षम बनाता है। राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पोर्टल पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के RCS, प्रारंभ में 7 प्रमुख क्षेत्रों अर्थात् पैक्स, डेयरी, मत्स्य पालन, शहरी सहकारी बैंक, आवास, क्रेडिट और थ्रिफ्ट और खादी एवं ग्राम उद्योग की सहकारी समितियों की रैंकिंग जेनरेट कर सकते हैं। इस रैंकिंग प्रणाली का लक्ष्य सहकारी समितियों के बीच पारदर्शिता, विश्वसनीयता और प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रोत्साहित करना है जिससे अंततः उनके विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के उद्देश्यों के अनुरूप प्रत्येक क्षेत्र में

Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

शीर्ष प्रदर्शन करने वाली सहकारी समितियों को सहकारिता मंत्रालय और संबंधित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारियों द्वारा मान्यता और सम्मान दिया जाएगा।

52. **भारत में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष – 2025:** संयुक्त राष्ट्र ने आर्थिक विकास, सामाजिक समावेशन और संधारणीयता में सहकारी समितियों की भूमिका को हाइलाइट करने के लिए 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष (IYC 2025) घोषित किया है। सहकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय सहकारी परिसंघों, राज्य सरकारों, केंद्रीय मंत्रालयों और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर एक कार्य योजना तैयार की है, जिसमें पैक्स के माध्यम से पारदर्शिता, नीतिगत सुधारों और ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन पर बल दिया गया है। कार्यकलापों में प्रशिक्षण, बोर्ड बैठकें, सहकारी ध्वजारोहण, प्रदर्शनियां और जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार विस्तार कार्यशालाएं शामिल हैं। प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर समितियों का गठन किया गया है। राष्ट्रीय क्रियान्वयन समिति (NEC) और राष्ट्रीय सहकारी समिति (NCC) समन्वय और वित्तीय व्यवस्था की देखरेख करेंगी। राज्य शीर्ष समितियाँ (SAC), राज्य एवं जिला सहकारी विकास समितियों (SCDC एवं DCDC) के साथ मिलकर राज्य/ जिला/ ग्राम स्तरीय कार्यक्रमों का आयोजन और प्रबंधन करेंगी।

सत्यमेव जयते

53. **बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2023**: बहुराज्य सहकारी समितियों में 97वेंवां संविधान संशोधन के उपबंधों को अंतर्विष्ट करने और प्रशासन सशक्त करने, पारदर्शिता व उत्तरदायित्व बढ़ाने, निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार करने के लिए बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 में संशोधन किया गया है।

Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

54. **सहकारी ऑम्बड्समैन:** बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 में संशोधन के पश्चात् सहकारी ऑम्बड्समैन को उक्त अधिनियम की धारा 85क के अधीन दिनांक 05.03.2024 के राजपत्र की अधिसूचना के माध्यम से नियुक्त किया गया है। ऑम्बड्समैन कार्यालय पूर्णरूपेण कार्यशील है और बहुराज्य सहकारी समितियों के सदस्यों की जमाराशियों, कार्यरत बहुराज्य सहकारी समितियों के न्यायोचित लाभ या संबंधित सदस्यों के व्यक्तिगत अधिकारों को प्रभावित करने वाले अन्य मुद्दों से संबंधित शिकायतों या अपीलों पर कार्य करता है।

55. **सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण (CEA):** बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 में संशोधन के पश्चात् सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण को शासन सशक्तीकरण और

उत्तरदायित्व के लिए स्थापित किया गया है जिसे सभी बहुराज्य सहकारी समितियों में स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन कराने हेतु अधिदेश प्राप्त है। मार्च 2025 तक, 113 से अधिक बहुराज्य सहकारी समितियों में सफलतापूर्वक निर्वाचन करवाए गए हैं।

56. **GeM पोर्टल पर सहकारी समितियों को 'क्रेता' के रूप में शामिल करना:** सरकार ने सहकारी समितियों को GeM पर 'क्रेता' के रूप में पंजीकृत होने की अनुमति प्रदान कर दी है जिससे वे किफायती खरीद एवं अधिक पारदर्शिता के साथ लगभग 67 लाख वेंडरों से माल और सेवाओं की खरीद कर सकेंगे। GeM पोर्टल पर 'क्रेता' के रूप में अब तक 559 सहकारी समितियां ऑनबोर्ड हो चुकी हैं।

57. **राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) का विस्तार, इसकी सीमा और सघनता बढ़ाने के लिए**: NCDC ने विभिन्न क्षेत्रों में नई योजनाएँ शुरू की हैं, जैसे स्वयं सहायता समूहों के लिए 'स्वयंशक्ति सहकार'; दीर्घकालिक कृषि ऋण के लिए 'दीर्घावधि कृषक सहकार' और डेयरी के लिए 'डेयरी सहकार'। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, NCDC द्वारा कुल ₹ 95,182.86 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

58. **गहरे समुद्र के ट्रॉलरों के लिए NCDC द्वारा वित्तीय सहायता**:. NCDC, भारत सरकार के मात्स्यिकी विभाग के समन्वय से गहरे समुद्री ट्रॉलरों से संबंधित परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। दिनांक 31.03.2025 के अनुसार, NCDC ने महाराष्ट्र और गुजरात राज्य की मात्स्यिकी सहकारी समितियों के लिए कुल 44 गहरे समुद्री ट्रॉलरों की खरीद हेतु ₹ 29.55 करोड़ की वित्तीय सहायता स्वीकृत की है।

Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

59. **राष्ट्रीय सहकारिता नीति (NCP):** नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति के निर्माण की परिकल्पना सहकारिता मंत्रालय के अधिदेश - "*सहकार से समृद्धि*" को पूरा करने के लिए की गई है। सहकारी क्षेत्र की वास्तविक क्षमता को प्रकट करने की संरचना प्रदान करने हेतु नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति तैयार करने के लिए दिनांक 02.09.2022 को श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु के अधीन सहकारी क्षेत्र के विशेषज्ञों, राष्ट्रीय/राज्य/जिला/प्राथमिक स्तर की सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सचिव (सहकारिता) एवं सहकारी समितियों के पंजीयकों और केंद्रीय मंत्रालयों/ विभागों के अधिकारियों, इत्यादि के साथ एक राष्ट्र-स्तरीय समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने हितधारकों से सुझाव प्राप्त करने के लिए देशभर में चार क्षेत्रीय कार्यशालाएं आयोजित कीं। प्राप्त सुझावों को उपयुक्त रूप से प्रारूप नीति में शामिल कर लिया

गया है।

60. **सहारा समूह की समितियों के निवेशकों को रिफंड**: सहारा समूह की सहकारी समितियों के वैध जमाकर्ताओं को पारदर्शी रीति से भुगतान करने हेतु एक पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। उनकी जमाराशि और दावों के साक्ष्य की प्रस्तुति एवं उचित पहचान के पश्चात् संवितरण का कार्य आरंभ हो चुका है। अब तक, 14.38 लाख जमाकर्ताओं को ₹ 2,581 करोड़ का संवितरण किया गया है।

सत्यमेव जयते
Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

संलग्नक- III: वर्ष 2024-25 के लिए बजट आबंटन और व्यय

मांग संख्या -16

सहकारिता मंत्रालय

(दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक)

(₹ करोड़)

क्रम सं.	योजना का नाम/ब्यौरा	बजट अनुमान 2024-25	संशोधित अनुमान 2024-25	दिनांक 31.03.2025 के अनुसार व्यय (अनंतिम)	बजट अनुमान 2024-25 के संदर्भ में आज की तारीख तक व्यय का %	संशोधित अनुमान 2024-25 के संदर्भ में आज की तारीख तक व्यय का % प्रतिशत
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	**केंद्र का स्थापना व्यय**					
I	सचिवालय	27.93	28.85	26.87	96.19%	93.13%
II	अन्य संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय (CRCS)	10.46	12.77	10.37	99.18%	81.24%
III	सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण	0.00	0.78	0.06	-	7.82%
IV	सहकारी ऑम्बड्समैन	0.00	0.51	0.04	-	8.63%
	कुल - केंद्र का स्थापना व्यय	**38.39**	**42.91**	**37.35**	**97.28%**	**87.03%**
2	**केंद्रीय क्षेत्रक योजनाएं**					
I	सहकारी शिक्षा	0.01	0.00	0.00	0.00%	-
II	सहकारी प्रशिक्षण	0.01	0.00	0.00	0.00%	-
III	सहकारी चीनी मिलों (CSMS) के सुदृढ़ीकरण के लिए NCDC को सहायता अनुदान*	500.00	500.00	500.00	100.00%	100.00%
	कुल - केंद्रीय क्षेत्रक योजनाएं	**500.02**	**500.00**	**500.00**	**100.00%**	**100.00%**

सत्यमेव जयते
Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

3	**अन्य केंद्रीय क्षेत्रक व्यय**					
	स्वायत्त निकाय					
I	राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (NCCT)	43.00	38.00	38.00	88.37%	100.00%
II	वैकुंठलाल मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान (VAMNICOM)	12.00	9.99	8.70	72.50%	87.09%
III	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम	0.00	0.00	-	-	-
	कुल- अन्य केंद्रीय क्षेत्रक व्यय	**55.00**	**47.99**	**46.70**	**84.91%**	**97.31%**
4	**केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं**					
I	प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों का कंप्यूटरीकरण	500.00	131.00	130.54	26.11%	99.65%
II	सहकार से समृद्धि	0.01	0.00	0.00	0.00%	-
III	आईटी इंटेरवेंशंस के माध्यम से सहकारी समितियों के सशक्तीकरण के लिए केंद्रीय प्रायोजित परियोजना	88.96	25.00	21.16	23.79%	84.64%
	कुल - केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं	**588.97**	**156.00**	**151.70**	**25.76%**	**97.24%**
5	**लोक निर्माण पर पूंजी परिव्यय**					
I	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय (सचिवालय) (5475)	0.63	1.53	1.50	238.73%	98.30%
II	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय (CRCS) (5475)	0.38	0.63	0.48	127.11%	76.67%
III	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय (CEA) (5475)	0.00	0.37	0.12	-	32.43%
IV	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय (ऑम्बड्समैन) (5475)	0.00	0.35	0.14	-	40.00%
	कुल - लोक निर्माण पर पूंजी परिव्यय	**1.01**	**2.88**	**2.25**	**222.48%**	**78.02%**
	महायोग (1+2+3+4+5)	**1,183.39**	**749.78**	**737.99**	**62.36%**	**98.43%**

* इस योजना को हाल ही में CNA से TSA मॉड्यूल में स्थानांतरित कर दिया गया है।

सत्यमेव जयते
Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

संलग्नक-IV: बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अधीन पंजीकृत बहुराज्य सहकारी समितियों का राज्य-वार और क्षेत्र-वार ब्यौरा

तालिका 1: दिनांक 31 मार्च, 2025 तक बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अधीन देश के विभिन्न राज्यों में पंजीकृत बहुराज्य सहकारी समितियों की सूची

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	समितियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	12
2	अरुणाचल प्रदेश	1
3	असम	6
4	बिहार	24
5	चंडीगढ़	1
6	छत्तीसगढ़	8
7	दिल्ली	166
8	गोवा	3
9	गुजरात	53
10	हरियाणा	23
11	हिमाचल प्रदेश	2
12	जम्मू और कश्मीर	2
13	झारखंड	10
14	कर्नाटक	38
15	केरल	86
16	मध्य प्रदेश	30
17	महाराष्ट्र	709

सत्यमेव जयते
Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

18	मणिपुर	4
19	नागालैंड	1
20	ओडिशा	20
21	पुडुचेरी	5
22	पंजाब	26
23	राजस्थान	73
24	सिक्किम	1
25	तमिलनाडु	142
26	तेलंगाना	26
27	दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव	1
28	उत्तर प्रदेश	191
29	उत्तराखंड	9
30	पश्चिम बंगाल	73
	कुल	**1,746**

सत्यमेव जयते
Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

तालिका 2: दिनांक 31 मार्च, 2025 तक बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अधीन पंजीकृत बहुराज्य सहकारी समितियों की क्षेत्र-वार सूची

क्रम सं.	क्षेत्र	समितियों की संख्या
1	कृषि एवं संबद्ध सहकारी समिति	331
2	कृषि प्रसंस्करण	34
3	मधुमक्खी पालन सहकारी समिति	1
4	निर्माण	16
5	उपभोक्ता सहकारी समिति	16
6	क्रेडिट और थ्रिफ्ट समिति	633
7	डेयरी सहकारी समिति	102
8	शैक्षिक और प्रशिक्षण सहकारी समितियां	5
9	निर्यात	2
10	परिसंघ	35
11	मात्स्यिकी सहकारी समिति	11
12	हथकरघा, वस्त्र और बुनकर सहकारी समिति	16
13	स्वास्थ्य/अस्पताल	35
14	आवासन सहकारी समिति	155
15	सूचना प्रौद्योगिकी	1
16	औद्योगिक सहकारी समिति	8
17	जूट और कॉयर सहकारी समिति	1
18	श्रमिक सहकारी समिति	9
19	पशुधन और कुक्कुटपालन सहकारी समिति	4
20	विपणन सहकारी समिति	36
21	दुग्ध परिसंघ/यूनियन/ संघ	19
22	विविध गैर- क्रेडिट	7

सत्यमेव जयते
Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

23	बहुउद्देशीय सहकारी समिति	105
24	अनुसूची-II में राष्ट्रीय सहकारी समितियां	19
25	गैर-पारंपरिक ऊर्जा	3
26	ऑर्गेनिक	1
27	समाज कल्याण और सांस्कृतिक सहकारिता समिति	11
28	चीनी सहकारी समिति	21
29	पर्यटन सहकारी समिति	9
30	परिवहन सहकारी समिति	8
31	जनजातीय-अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति सहकारी समिति	2
32	शहरी सहकारी बैंक (UCB)	76
33	महिला कल्याण सहकारी समिति (क्रेडिट)	5
34	महिला कल्याण सहकारी समिति (गैर -क्रेडिट)	9
	कुल	**1,746**

सत्यमेव जयते
Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार